(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 30वां दिवस [संख्या 22

मंगलवार,

दिनांक 18 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

[राजस्व, वित्त, कृषि, सिंचाई, सहकारिता, खनिज, भेड़ व ऊन, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत्, स्वायत्त शासन, पशुपालन, जन स्वास्थ्य, वन, आबकारी, पुनर्वास, पंचायत एवं सामुदायिक विकास, एवं उपनिवेशन विभाग]

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 579

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकिशन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 580

श्री हनुमान सहाय व्यास !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शिवनारायण !

तहसील अन्ता के गांवों को बिजली देने हेतु सर्वे

581. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सब तहसील अन्ता, जिला कोटा के गांव बरखेड़ा, बमूलिया कलां, लिसाड़ी, जयनगर, हांपाहेड़ी, भंवरा जेड़ी, मिरजापुर आदि को बिजली दिये जाने हेतु सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो अभी तक इन गांवों को बिजली क्यों नहीं दी गई ? और अब भविष्य में कब तक इन गांवों को बिजली दे दी जावेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अन्ता तहसील के बमूला कलां, लिसाड़ी, हांपाहेड़ी भंवरा व मिरजापुर का सर्वेक्षण किया गया था, परन्तु योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी। शेष गांवों का सर्वेक्षण अभी करना बाकी है। इन गांवों के विद्युतिकरण के बारे में सर्वे रिपोर्ट आने पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

श्री शिवनारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना

(श्री शिवनारायण)

चाहूंगा कि आज तीन-तीन साल हो गये हैं वहां सर्वे बिजली के लिये हो चुका है। पर अभी तक कोई बिजली उन गांवों को नहीं दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो-दो तीन-तीन बार बिजली के लिए सर्वे कराया जा चुका है लेकिन बिजली नहीं दी गई है इसका क्या कारण है? यह नहीं कि वहां पर बिजली नहीं है वहां पर 400-500 कुओं में बिजली है। और लाइन भी उन गांवों के पास होकर गयी हुई है फिर भी वहां पर बिजली आज तीन तीन साल हो गये फिर भी नहीं दी जा रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है, अध्यक्ष महोदय, वहां गांवों में सर्वे कराया गया है लेकिन वहां पर बिजली तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होने के कारण नहीं दी जा सकी है। इसके अलावा अब पहले वाली बात नहीं है कि एक गांव को बिजली दे दी और उसके बाद किसी और जगह बिजली दे दी गई। अब स्केटर्ड में बिजली नहीं जा रही है। अब तो कई गांव को लेकर कोम्पेक्ट आर. ई. सी. की स्कीम्स बनाई जाती है जिसमें कि एक साथ कुछ विलेजेज को लिया जाता है। इन गांवों को आर. ई. सी. की स्कीम्स के तहत बिजली देने का विचार है।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : यह बिजली आप कब तक दे देंगे? जब तक लाइन उधर आयेगी?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लाइन देने का सवाल है आज कल पहले की तरह अलग-अलग गांवों को एक-एक दो गांव करके नहीं दी जाती है अब तो आर. ई. सी. की योजना के तहत स्कीम बनायी जाती है और उसके माध्यम से एक साथ सर्टेन विलेजेज को लेकर दी जाती है। जब यहां के एरिया में आर. ई. सी. की स्कीम्स बनेगी। तो यहां पर बिजली दी जा सकेगी।

श्री रामगोपाल : सर्वे तो पहले हो चुका है पर बिजली नहीं आई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया ना कि आर. ई. सी. की योजना के अनुसार जब स्कीम बन जावेगी। तो वहां पर बिजली आयेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री निरंजननाथ आचार्य!

राज्य कृषि उद्योग निगम के कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद

582. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने जूनियर असिस्टेन्ट (कनिष्ठ लिपिक) 12 रिक्त पदों के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन छपवाया था?

(2) क्या यह सही है कि आवेदन-पत्र की कीमत पचास पैसे रखी थी व आवेदन-पत्र भर कर प्रस्तुत करने के साथ 3 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य रखा गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों के लिये कुल 3 हजार आवेदन-पत्र आये?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(4) क्या यह सही है कि विज्ञापन छपवाने के पूर्व ही उक्त रिक्त स्थानों पर एडहॉक नियुक्तियां पहले से ही कर दी गई? यदि हां, तो विज्ञापन छपवाने के कितने समय पूर्व की गयी ? जिनकी नियुक्तियां की गई उनके नाम, जाति एवं सकूनत की सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत की जाये ।

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) :

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं । जूनियर असिस्टेन्ट के लिये कुल 1795 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(4) जी हां । विज्ञापन छपवाने के चार दिन पूर्व तारीख 7-9-72 को सात जूनियर असिस्टेन्ट की नियुक्तियां (एडहॉक रूप से) की गई थीं उनमें से केवल पांच व्यक्ति ही निगम की सेवा में उपस्थित हुए । जाति व सकूनत की सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुल कितने हजार रुपये प्राप्त हुए ? पोस्टल आॅर्डर कितने के थे ? और इसके साथ पचास पैसे प्रार्थना-पत्र के हिसाब से कितने रुपये प्राप्त हुए ? और अब वह पैसा कहां है ?

श्री शिवचरण माथुर : करीब पांच हजार रुपया प्राप्त हुआ था जो कि वापिस कर दिया गया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पांच हजार रुपया कितने दिन तक निगम के पास पड़े रहे हैं ? साल भर या दो साल या चार साल तक और वह वहां पर क्यों पड़ा रहा ? इसके अलावा क्या यह सही है कि एडहॉक एपोइन्टमैंट पहले ही दिये जा चुके थे और उन लोगों के एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम नहीं आये थे ? क्या यह सही है कि पांच आदमियों को पहले नौकरी पर ले लिया गया और बाद में उन्हें निकाल दिया गया, फिर वापस एडहॉक बेसिस पर उन्हें ले लिया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : यह रुपया काफी अर्से तक निगम के पास रहा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्से की बात नहीं पूछना चाहता, मैं तो निश्चित अवधि पूछता हूं ।

श्री शिवचरण माथुर : यह पैसा फरवरी, 1975 में सबको वापिस लौटा दिया गया । और 1972 सितम्बर से लेकर फरवरी, 1975 तक रहा । इससे बीच बीच में 400 और पांच सौ रुपये करके 1975 फरवरी तक सभी पूरा लौटा दिया गया । जैसा मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया था कि पांच व्यक्तियों को जूनियर असिस्टेन्ट के पद पर विज्ञापन देने के पहले ही नौकर रख लिया था । और दो व्यक्ति तो ऐसे थे, अध्यक्ष महोदय, जो पहले ही वहां पर निगम में चपरासी का काम कर रहे थे । उन्हें तो राज्य सरकार के सर्क्यूलर के तहत योग्यता रखने के कारण एडहॉक नियुक्ति दी गयी थी बाकी लोगों को हटाया गया और फिर उन्हें वापिस नियुक्ति दी गयी यह बात सही है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि पहले आपने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
नियुक्ति दी तो बिना एम्प्लायमैंट एक्सचेंज के दी। उसके बाद में हटा दिया गया फिर एडवर्टाइजमेंट नियुक्तियों के लिए दिया उससे पाच हजार रुपये प्राप्त हुए। फिर बाद में आपने सात आदमियों को नियुक्ति दे दी तो लोगों को निकाल देना और वापस रख लेना, क्या आप इसे अनियमितता नहीं मानते है? और अगर अनियमितता मानते हैं तो क्या आप दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई जांच करा रहे हैं या नहीं?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अनियमिततायें तो हुई हैं। इसलिये मैंने जांच कराने के आदेश दे दिये हैं। इसमें इसमें थोड़े से पर्सनल ऑफिसर, सैक्रेटरी व चेयरमैन तक इनवाल्ब्ड है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह कौन व्यक्ति था जो कि उसके लिये रेस्पॉन्सिबल था? यह सारा घपला किसने किया?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अलग अलग स्तर पर काम हुआ है ऊपर तक गया था सात आदमियों का एपोइन्टमेन्ट हुआ उसमें से दो को रखा गया और पांच को हटा दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह जाने दीजिए उपर तक जाने की बात को। लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि क्या इसमें इनटेन्शन मेलाफाइडी नहीं थी? बिना एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से आपने लोगों को लिया, उन्हें वापस हटा दिया गया। पांच हजार रुपया इतने दिन तक पड़ा रहा और वापिस लौटाया गया। इसमें कौन व्यक्ति दोषी था? आप नाम बताइये।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें पर्सनल ऑफिसर था श्री यू. सी. जैन। इसमें सात व्यक्तियों को पहले एडहॉक लिया गया उसके बाद में पांच को हटाया गया और विज्ञापन देने के पहले पांच को नियुक्ति दी। जांच के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जांच के आदेश आपने कब दिये? प्रश्न आने के बाद दिये या पहले?

श्री शिवचरण माथुर : आपके प्रश्न आने के बाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीकिशन मोटवानी

न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान

583. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1974-75 में न्यूतम आवश्यकता पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में गन्दी बस्ती के उन्मूलन लिये 50 लाख का अनुदान भारत सरकार से मिला था?

(2) क्या यह सही है कि गन्दी बस्ती उन्मूलन के लिए जयपुर, जोधपुर व अजमेर शहरों को चुना गया था?

(3) क्या तीनों नगरों में 50 लाख की राशि बराबर बांटी गई? यदि नहीं बांटी गई तो क्यों तथा इस राशि को बांटने का आधार क्या था?

(4) क्या आरम्भ में अजमेर को 10 लाख रुपये देना तय हुआ था? क्या बाद

Page No 5

(5)

(श्री किशन मोटवानी)
में इसे घटा कर 7 लाख रुपए कर दिया गया था और क्या अब 4 लाख रुपये ही दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं । वर्ष 74-75 में न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में गन्दी बस्ती वातावरण सुधार हेतु कोई अनुदान भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) जी हां, वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर व अजमेर को न्यूनतम आश्वयकता पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 74-75 से चुना गया है ।

(3) जी नहीं, राशि बांटने के लिए नगर की बस्तियों की व निवासियों की संख्या देखी जाती है एवं नगर की गन्दी बस्तियों के लिए बनायी गई परियोजना को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(4) जी हां, आरम्भ में अजमेर को 10 लाख रुपया दे देना तय हुआ था बाद में 7 लाख तय हुआ और अन्त में 4 लाख रुपये तय किये गये जिनकी अब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

अजमेर को कम आवन्टन का मुख्य कारण तो वहां से वान्छित परियोजना का समय पर प्राप्त नहीं होना ही है । क्योंकि अजमेर की परियोजना काफी विलम्ब से राज्य सरकार को प्राप्त हुई और जयपुर की पहले से स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य काफी प्रगति से हो रहा था अतः यह सोचते हुए कि अजमेर इस थोड़े बचे समय में पूर्ण राशि का उपयोग नहीं कर पायेगा अतः अजमेर के लिए निर्धारित राशि में से कुछ राशि जयपुर को स्वीकृत की गई ।

श्री किशन मोटवानी : यह जो आपने तीसरे प्रश्न के जवाब में आधार दिए हैं उसमें गन्दी बस्तियां, वातावरण, वहां के रहने वाले, पापुलेशन को बेसिस माना है, तो आप यह बताने की कृपा करें कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर में इन बस्तियों में कितने कितने लोग बसते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि आपने यह कहा कि योजनायें लेट आयीं, कौनसी तारीख को ये प्राप्त हुई ?

श्री दीपंकर (लाडनू) : इससे सम्बन्धित प्रश्न हैं, अध्यक्ष महोदय । सम्बन्धित सप्लीमेन्ट्री यह पूछ लेता हूं कि जो रकम प्राप्त हुई है तो क्या उसको केवल बड़े शहरों के लिए ही खर्च करना चाहते हैं ? क्या दूसरे मुख्यालयों पर, या नगरपालिकाओं में इस प्रकार की गन्दी बस्तियां नहीं है ? उनके लिए कोई कार्यक्रम सोचा गया हैं क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि जयपुर से भी अजमेर और जोधपुर की गन्दी बस्तियों की पापुलेशन कम बैठती है । अजमेर के लिये योजना अभी हाल ही में महीने भर पहले ही प्राप्त हुई है इसलिए इस वर्ष में रुपया खर्च किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हुआ । जयपुर के लिए जो पहले से ही योजनायें चल रही हैं उनके लिये आवन्टन किया गया । अगले वर्ष जयपुर के साथ अजमेर को भी लिया जावेगा और खर्च करने का ख्याल रखा जावेगा । दूसरे कस्बों

(श्री रामनारायण चौधरी)
के बारे में योजना पर ऐसे कार्यक्रम के अन्तर्गत आने पर विचार करेंगे ।

श्री किशन मोटवानी : अगले वर्ष लेने का कहा, इसके लिए धन्यवाद । यह बिलकुल बात गलत है कि एक महीने पहले योजना मिली थी । तीन-चार महिने पहले भिजवाई थी । आपने बताया कि जयपुर की पापुलेशन अजमेर और जोधपुर से ज्यादा है । क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर की ऐसी गन्दी बस्तियों में रहने वालों की अलग-अलग बस्तियों की क्या पापुलेशन है ?

श्री रामनारायण चौधरी : तीनों की अलग-अलग स्लम एरियाज की पापुलेशन मेरे पास नहीं है । जयपुर की स्लम पापुलेशन अजमेर और जोधपुर की कम्बाइन्ड स्लम पापुलेशन से निश्चित रूप से ज्यादा है और जोधपुर और अजमेर की टोटल पापुलेशन जयपुर की पापुलेशन के बराबर है और लगभग 50 पर्सेन्ट जयपुर में ड्वेलिंग इन कच्ची बस्तियों को भी लें तो जयपुर की ऐसी स्लम पापुलेशन 50 पर्सेन्ट से कम नहीं होती है । इसमें सन्देह की बात नहीं है । अजमेर की उपेक्षा का प्रश्न नहीं है । अगले वर्ष में उसकी पूर्ति करेंगे ।

श्री किशन मोटवानी : जिन अफसरों ने लेट भेजी यह उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले इसको भेजा था, फिर उनको वापिस भेजा और उनसे पूछा गया था कुछ । हाल ही में वह वापिस आया । ऐतराज प्राप्त होकर वापिस प्राप्त हुआ । यदि कोई विलम्ब किया है तो उनसे पूछेंगे, जरूरत होगी तो एक्शन लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भानुकुमार शास्त्री !

गांव धूलखेड़ा (बेगूं) की चरनोट की भूमि

584. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव मौजा धूलखेड़ा, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी नं. पुराने 557, 495 नये 589 व 593 की चरनोट की भूमि थी और रेकार्ड में यह भूमि सं. 2006 में बिला नाम दर्ज थी ? यदि हां, तो आज यह भूमि किसके नाम से दर्ज है और किस आधार पर और कबसे दर्ज है, तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस चरनोट भूमि का आराजी नम्बर 589 रकबा 124 बीघा चरनोट जो मौजा धूलखेड़ा में रखी गई ? यदि हां, तो आज उस भूमि को स्थानीय जागीरदार ने अनधिकृत रूप से किस किस को काश्त करने के लिए दे दिया है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चरनोट पर प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा कुए खुदवाये जा रहे हैं जबकि रेवेन्यू बोर्ड से मुकदमा नम्बर 40 सन् 1969 में इस चर-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
नोट भूमि पर किसी भी प्रकार की रद्दो-बदली न करने का (स्टे ऑर्डर) स्थगन आदेश दिया जा चुका है ? यदि हां तो राज्य सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य-मन्त्री-राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं । भूमि चरनोट नहीं थी, न आज है । भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2006 में मौजा धूलखेड़ा में बन्दरखाता कायम होकर यह भूमि राव हरिसिंह बेगूं के खाते में दर्ज की गई है । ठिकाने के कब्जे के आधार पर भूमि इनके खाते में दर्ज की गई है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(3) भूमि चरनोट नहीं है । इस भूमि पर केताओं द्वारा कहीं कहीं पर कुआ खोदना शुरू किया है । रेकार्ड के अनुसार एक कुआ श्री पुरुषोत्तम जगदीश चन्द्र पिता रामलाल नोशाज्या का खोदना पाया गया है । रेवेन्यू बोर्ड से तार्फसला अपील किसी जायदाद को फरोख्त न करने का स्थगन आदेश जारी हुआ है । इसलिए राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो संवत् 2006 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यह सरकारी जमीन बताई हुई है और आपने यह कहा कि यह नहीं है । क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का खाता सदन के पटल पर रखने को तैयार हैं ? दूसरा, यह चरनोट की भूमि नहीं है तो रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे किस बात का दिया ? स्टे ऑर्डर भी दिया फिर भी कुए खोद रहे हैं और बन रहे हैं, स्टे ऑर्डर के बावजूद कुए बनने पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि बिला नाम संवत् 2006 में दर्ज है । जमाबन्दी 2006 से यह प्रकट होता है कि यह भूमि उनके खाते में दर्ज है । यह प्रश्न बिल्कुल असत्य है कि यह बिला नाम दर्ज थी ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह सत्य है कि यह बिला नाम दर्ज थी, यह आप कह रहे हैं ?

श्री मूलचन्द मीणा : मैं यह कह रहा हूं कि यह असत्य है कि यह बिला नाम दर्ज थी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह कॉपी मैं सदन के सामने पेश कर देता हूं । सरकारी जमीन पर दूसरों का कब्जा हो गया, रद्दोबदल किया गया । रेवेन्यू बोर्ड ने फिर किस बात का स्टे दिया था ? स्टे ऑर्डर दिया गया है । प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया । स्टे ऑर्डर होने पर भी कुए बन रहे हैं तो रोकते क्यों नहीं हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): संवत् 2006 की जमाबन्दी के आधार पर यह भूमि खातेदार के नाम से दर्ज है । बिला नाम और चरनोट में बहुत फर्क है । जो चरनोट भूमि होती है वहां तो मवेशी चरती हैं और यह उनके लिये होती है । बिला नाम भूमि का मतलब है सिवाय चक की भूमि बिला नाम दर्ज होने से पहले यदि चरनोट है तो उसको कनवर्ट कराना पड़ता है । यह कानून के अनुसार ही हो सकता है ।

(राजस्व मंत्री)
संभवतः संवत् 2006 की जमाबन्दी के पहले बिला नाम हो। एक पत्रावली में संवत् 2003 में कार्यवाही प्रारम्भ होना और सन् 1950 और संवत् 2006 में रिकार्ड में दर्ज होना पाया गया। ऐसा दिखता है कि वह पत्रावली दफ्तर दाखिल नहीं हुई है। पुराने कागज डेस्ट्रॉय करते हैं उसमें वह भी डेस्ट्रॉय हो गयी है यह दिखता है। संवत् 2006 में यह भूमि खातेदार के नाम से दर्ज है। संवत् 2031 आज चल रहा है। 25 वर्ष पुराना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश स्टे के दिये हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस बात का है कि खातेदार की जागीर कमिश्नर ने निजी सम्पत्ति नहीं मानी थी तो जागीर कमिश्नर के आदेश के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में गये।

श्री रामकिशन : कुआ बन रहा है, खातेदार के नाम से दर्ज है, यह खातेदारी किस प्रकार से हो गयी ?

श्री परसराम मदेरणा : खातेदारी दर्ज है संवत् 2006 में। और सन् 1963 में खातेदार ने पुरुषोत्तम जगदीशचन्द्र के नाम उसने बेचान कर दिया। 13-12-63 को बेचान किया। वह तारीख है जिसके दो रोज बाद सीलिंग का कानून लागू हुआ 15-12-63 को जो भी बेचान किया वह ब हैसियत खातेदार के किया है जो कि रिकार्ड में दर्ज है जगदीशचन्द्र कुआ बनाता है तो नाजायज नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : विधान सभा में कानून पारित होने जा रहा है यह मालूम होने से सरकारी जमीन को अपनी बना कर बेच दे और आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते ?

श्री परसराम मदेरणा : संवत् 2006 का मामला है। सन् 63 में बेचान हुआ। सीलिंग कानून उस दिन लागू नहीं और जागीरदार इधर उधर कर रहा है इसलिये एक्शन लिया जाय यह कोई तुक नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 69 का है।

प्रश्न संख्या 585

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल !

फसल बीमा योजना

586. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या राज्य सरकार ने फसल बीमा चालू करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो किन्हीं विशेष जिलों में या समस्त राज्य में ? योजना का ब्यौरा क्या है ? यदि निर्णय नहीं किया तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : जी हां। केवल श्री गंगानगर जिले में 1000 से 2000 एकड़ क्षेत्र में केवल कपास की फसल पर फसल बीमा योजना चालू करना तय हुआ है। इस योजना को

(कृषि मन्त्री)
भारत सरकार के निर्णय के अनुसार जनरल इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के मार्फत क्रियान्वित किया जावेगा।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नकदी फसलों पर कर लगाने का निर्णय किया है। राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है, ऐसी नहीं है कि फसल बोई और उग जावेगी, अधिकांश जगहों पर सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है तो फसल हो गई, अतः राजस्थान में बीमा फसल योजना लागू करना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया कि इसको प्रयोग के तौर पर इस समय गंगानगर के इलाके में एक हजार से दो हजार एकड़ की खेती पर लागू करने की बात की जा रही है क्योंकि इसके कई पहलू हैं और एल. आई. सी. भी अलग अलग दृष्टिकोण को रखकर आगे बढ़ना चाहती है। गुजरात के प्रयोग के आधार पर ही हम इस वर्ष कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और उसके बाद में उसके अच्छे परिणाम आने पर आगे सोचा जायेगा। अभी तो बहुत ही लिमिटेड वे में करने का इरादा है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार सैद्धांतिक रूप से मानती है कि अन्य जिलों में भी यह लागू हो और अन्य फसलों पर यह कब तक शुरू कर देंगे या केवल गंगानगर में ही करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : अभी कब तक शुरू करने वाली बात कहना कठिन है। प्रयोग करने के बाद कैसे बैठता है और परिणाम आने पर ही सोचा जा सकता है क्योंकि इसमें कई फाईनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स भी हैं और कई बातें निहित हैं इसलिए परिणाम देख कर ही निर्णय किया जा सकता है। प्रयोग के तौर पर हमने इस काम को हाथ में लेने का विचार किया है।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रयोग कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार से हर जिले के अन्दर हर प्रकार की जो फसलें बोई जाती हैं क्या उनका इन्शोरेन्स नहीं किया जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि इस समय में केवल एक छोटी सी योजना पायलेट स्टेज पर प्रयोग के रूप में शुरू की जा रही है। उसके परिणामों का मूल्यांकन करने पर ही आगे विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या 587

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 588

श्री भीमसेन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय !

कृषि उद्योग निगम जयपुर द्वारा दिये गये ट्रैक्टर्स

589. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 10

(10)

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

(1) क्या यह सही है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम कृषि उद्योग निगम, जयपुर द्वारा जीटर 5511 तथा टी-25 नामक ट्रैक्टर्स सन् 1971 में दिए गए—

1. श्री कल्याणसहाय शर्मा, निवासी सूरतपुरा, उप-जिला वल्लभनगर। 2. श्री बद्रीनारायण, निवासी कानोड़, जिला उदयपुर। 3. श्री गोपालराम नन्दवाना, निवासी कानोड़ उप-जिला वल्लभनगर। 4. श्री प्रतापसिंह, निवासी बड़ी सादड़ी (जिला चित्तौड़गढ)।

(2) क्या यह सही है कि जांच करने पर उक्त व्यक्ति फर्जी पाए गए? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जाए।

(3) क्या यह सही है कि कृषि उद्योग निगम द्वारा दिए गए उक्त ट्रैक्टर्स का यह पता नहीं लगा कि वे किस के पास अब हैं?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) जी हां। श्री कल्याणसहाय शर्मा, निवासी सूरतपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर को एक जीटर 5511 ट्रैक्टर दिनांक 19-3-1971 को, श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री लादूराम निवासी, कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर को एक जीटर 5511 ट्रैक्टर 27-3-71 को व श्री गोपाल पुत्र श्री रामानन्द निवासी कानोड़, तहसील वल्लभनगर को एक टी-25 ट्रैक्टर दिनांक 3-7-1971 को निगम से डिलीवर किये गये थे। श्री प्रतापसिंह निवासी बड़ी सादड़ा को किसी भी मेक का ट्रैक्टर निगम द्वारा डिलीवर नहीं किया गया। एक ट्रैक्टर श्री पर्वतसिंह निवासी बांसी को दिया जाना रिकार्ड में लिखा है पर श्री पर्वतसिंह ने ट्रैक्टर मिलने से इन्कार कर दिया है।

(2) जी हां। निगम के सब डिविजनल मैनेजर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इस पर निगम ने जिलाधीश चित्तौड़गढ़ व उदयपुर को तारीख 25-11-71 को जांच वास्ते निवेदन किया था। श्री पर्वतसिंह को ट्रैक्टर नहीं मिलने की रिपोर्ट तहसीलदार, बड़ी सादड़ी द्वारा जांच कर प्राप्त हुई है।

(3) जी हां। इस मामले में धोखादेही का अन्देशा होने से राज्य सरकार ने जिलाधीश उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को तुरन्त पूर्ण जांच कर यदि धोखा देने का अपराध पाया जावे तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)।

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीय** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि सदन के सामने पूर्ण रूप से इस बात को रखें कि ऐसे लोग ही वहां पर नहीं हैं। इस नाम का कोई गांव वहां पर नहीं है और उनको ट्रैक्टर्स की डिलीवरी हुई है एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के जरिये। तो तहकीक रूप में बताने का कष्ट करें कि कब इन्क्वायरी के ऑर्डर्स दिये और किस स्टेज पर इन्क्वायरी है और इस मसले के बारे में आज तक क्या किया है?

श्री **रामकिशन** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। जो ट्रैक्टर

Page No 11

(11)

(श्री रामकिशन)
आवन्टन हुए हैं यह किस अधिकारी ने आवंटन किये है और आवन्टन से पूर्व क्या इसकी जांच करा ली गई थी ? यह मिनिस्टर का अधिकार था उसमें से दिया है या निगम ने दिया है ?

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): एक प्रश्न मेरा भी है कि जब ट्रैक्टर आवन्टित किये जाते हैं तो उससे पहले सम्बन्धित तहसीलदार से एक प्रमाण-पत्र मिलता है। तो क्या प्रमाण-पत्र इन केसेज में प्राप्त किये गये थे यदि किये गए थे तो इस तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): यह फर्जी आदमी तो आपने कहा कि सिद्ध हो गए। दरअसल यह ट्रैक्टर्स किन के पास गए ? उन आदमियों का नाम पता लगा या नहीं ? और ट्रैक्टर्स को रिकवर कर लिया गया है या नहीं ? और तफतीश आरम्भ हो गई है या नहीं ? और हो गई तो किस स्टेज पर है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि यह प्रश्न आने के बाद में हमने सारी बातों को देखकर क्योंकि इसमें बहुत साफ बात है कि यह इम्पर्सोनेशन का केस है, किसी व्यक्ति ने एप्लाई किया और जैसा कि करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तहसीलदार का सर्टिफिकेट भी है, पटवारी का अलग-अलग नम्बर का इन्द्राज भी है कि कौन-कौन से खाता नम्बर हैं लेकिन तहसीलदार बड़ी सादड़ी, जो अभी है, कहा कि इस तरह का व्यक्ति वहां पर नहीं है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तहसीलदार का सर्टिफिकेट भी फर्जी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : It is a complete scandal

श्री शिवचरण माथुर : ... तो उसकी इस बात की जांच करने के लिए हमने कलेक्टर चित्तौड़ और कलेक्टर उदयपुर, क्योंकि दोनों जिलों से सम्बन्धित है, हमने कहा है कि मौके पर जांच करके वहीं पर पुलिस से जांच करवायें। यह आदेश हमने दिये हैं। यह आवन्टन निगम ने किये है और जिस तरह से वह आवन्टन करते थे उसी तरह से 1971 में किया है और नियमों के अनुसार हुआ है जिसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति, जो राजस्थान का रहने वाला है आवन्टन किया जा सकता है। उसके पास जमीन होनी चाहिए और उसकी श्योरिटी होनी चाहिए। उन सारी बातों को देखकर आवन्टन किया गया है और निगम ने आवन्टन किया है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) प्रश्नकर्त्ता !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सदन की मेज पर 5 व्यक्तियों की लिस्ट रखी है। उसके अन्दर नम्बर 1 पर कल्याण सहाय के लिए आपने लिखा है:

"The Sarpanch of the village has given in writing that there is no such person in this village."

श्री बद्रीनारायण के बारे में आपका कहना है :

"The Tehsildar has attested that there is no such village in Tehsil Vallabhnagar."

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

"Theis is no such person in the above village. No tractor is available at site."

ग्रौर नम्बर 5 के लिए ग्रापने लिखा है:

"The concerned person has given in writing that he has been allotted, but the tractor has not been delivered to him."

ऐसे सीरियस मैटर में मैं यह निवेदन करूंगा कि एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जो भी ग्रॉफिसर है ग्रौर जिन्होंने डिलीवरी दी है यह कस्टोडियन हैं उन ट्रैक्टर्स के। ग्रापने पिन पॉइन्ट करने के लिए उन ग्रॉफिसर्स के खिलाफ क्वेश्चन ग्राने की तारीख के बाद क्या पीनल प्रावीजन किया है ग्रौर क्या जिम्मेदारी है कि इस तरह ट्रैक्टर्स का मिसयूज न हो। लोगों को चीज ग्रवेलेबल नहीं होती है ग्रौर लोगों को पता भी नहीं होता है।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें ग्रॉफिसर्स की कहां तक बदनीयति है यह कहना मुश्किल है क्योंकि तहसीलदार के प्रमाणीकरण पर ग्रौर पटवारी के लिखने पर नियमों के ग्रनुसार वह काश्तकार, जो राजस्थान का रहने वाला है ट्रैक्टर लेने की ख्वाहिश करता है तो उन सारी बातों को देखकर ग्रौर ग्रोथ कमिश्नर से प्रमाणीकरण होने के बाद में ग्रौर रेगुलर बोण्ड भरे जाने के बाद ट्रैक्टर ग्रलॉट किया गया ग्रगेन्स्ट प्राइज। इसलिए कोई ग्रधिकारी कहां तक जिम्मेदार है यह कहना मुश्किल है लेकिन यह इम्पर्सोनेशन का केस है, धोखाधड़ी का केस है ग्रौर तहसीलदार की रिपोर्ट है कि वहां पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है ग्रौर यह भी यहां कहा गया कि उस तहसील में इस नाम का गांव ही नहीं है इसलिए प्राइमाफेसी साबित होता है कि इसमें इम्पर्सोनेशन का केस है। इसलिए हमने पुलिस से जांच करने के ग्रादेश दिये हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ग्रध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन यह है कि फार्म भरने के लिए ही यह प्रक्रिया नहीं होता है। फार्म भरकर देते हैं ग्रौर ग्रलॉटमेन्ट करने के पहले डिपार्टमेंट को जांच करनी चाहिए कि इस नाम का व्यक्ति ग्रौर गांव भी है या नहीं। It is the full responsibility of the department to enquire. ग्रापको इसके ग्रादेश तुरन्त दे देने चाहिए कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने एलॉटमेन्ट किया है, मुझे इसमें कान्सप्रेसी नजर ग्राती है, उसको क्लिग्रर-ग्राउट करना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फारग्रली : ग्रध्यक्ष महोदय, यहां पर कौनसी ग्रथोरिटी वेरीफाई करती है कि जिसके वेरीफिकेशन पर यह ट्रैक्टर मिलते हैं क्योंकि सिर्फ तहसीलदार के सर्टीफिकेट का ही सवाल नहीं है। यहां पर किस ग्रॉफिसर ने वेरीफाई किया ग्रौर किसने ग्रॉर्डर किये कि यह तहसीलदार का प्रमाण-पत्र जिनाइन है ग्रौर उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : ग्रापने इसको प्राईमाफेसी मान लिया। सिर्फ मुलजिम कौन है इस कान्सप्रेसी का, उनका पता लगाना है जो कलेक्टर को इन्क्वारी एन्ट्रस्ट की है तो प्राइमाफेसी ग्रापने माना है इसलिये व्यक्ति, जो इस केस में है, को सस्पेन्ड किया जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस सम्बन्ध में निगम के अध्यक्ष कौन थे, यह भी आप बता दें और इस प्रकार का प्राइमाफेसी केस आने के बाद आप एन्टीकरप्शन में क्यों नहीं देते है ?

श्री किशन मोटवानी : यह लिखा हुआ कि ट्रैक्टर डिलिवर नहीं हुआ है तो वह कहां है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने पांचों का प्रश्न में जवाब दे दिया है। एक एक व्यक्ति का निवेदन किया है दो व्यक्ति ऐसे है जिनके नाम पता नहीं है, एक व्यक्ति का उस तहसील में गांव नहीं है, एक ९रबतसर में है उसने कहा है ट्रैक्टर मिला नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ़्फ़ारअली : डिपार्टमेंट में रिपार्ट कर दी क्या आपने ?

श्री शिवचरण माथुर : वहां के अधिकारी ने रिपोर्ट कर दी है। पुलिस की रिपोर्ट को मौके पर फिर से जांच करने के बाद जो तहसीलदार ने दस्खत किये हैं वह सही तौर पर तहसीलदार था या नहीं, इसकी जांच करने के लिये पुलिस को आदेश दिये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1970 में यह स्केन्डल डिटेक्ट हो गया और आपको यह पता हो गया कि जिस व्यक्ति ने लिया है सारा फर्जी मामला है। 1971 के बाद में जब आपको यह स्केन्डल डिटेक्ट हुआ आपने पुलिस में सब्सटेटिव आॅफेन्स की रिपोर्ट दर्ज करवाई है ? अथवा जो स्केन्डल हुआ है उसकी जांच करवाई है ? नम्बर 1 (नं. 2 जिस तहसीलदार ने वैरी फिकेशन किया था या जिस अधिकारी ने वैरी फिकेशन किया चाहे यहां किया हो या वहां किया हो उसके खिलाफ कार्यवाही रूल 16 क्लासिफिकेशन आॅफ कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के अन्तर्गत की है ? नं. 3 सन् 71 के बाद आज 75 तक इस स्केण्डल के लिये किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया और चालान नहीं किया गया, क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1971 में यह मामला टिडेक्ट हुआ, जिलाधीश, उदयपुर का जांच के आदेश दिये, 1971 में माननीय मंत्री महोदय ने वताया कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ और कलेक्टर, उदयपुर को जांच के आदेश दिये हैं। आज चार साल हो गये, अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई और कलेक्टर, उदयपुर ने क्या कार्यवाही की ? वह भी मंत्री महोदय बता दें।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या 1971 में हुये ट्रैक्टर घोटाला काण्ड की जांच करवाने के माननीय मंत्री महोदय आदेश देंगे ?

श्री रामकिशन (भरतपुर) : यह निगम द्वारा रेगूलर कोटा से पैसे जमा कराने पर आवंटन हुआ है या ऐच्छिक कोटे से ?

श्री रामरघुनाथसिंह (डगाना) : अध्यक्ष महोदय, जब ट्रैक्टर आवंटन होता है तो उसके चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर भी होते हैं वह कहीं न कहीं रजिस्टर होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस चेसिस नम्बर और इंजिन नम्बर का ट्रैक्टर राजस्थान में कहां रजिस्टर हुआ है और अब वह किसके पास नं. 1 और

Page No 14

(14)

(श्री रामरघुनाथसिंह)
नम्बर 2 जब ट्रैक्टर इश्यू होता है तो उसके नाम एक लटर भी इश्यू होता है और वह उसके एड्रेस से ही होता हैं, जब, अध्यक्ष महोदय, एड्रेस गलत था तो वह लैटर किसके पास भेजा गया केयर ऑफ करके भेजा गया था क्या? इसकी पूरी जानकारी दें।

श्री शिवचरण माथुर : निगम द्वारा जो आवंटित ट्रैक्टर था उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है उस आफ्टर सेल सर्विस में जो स्थानीय अधिकारी चित्तौड़गढ़ थे उनको उसमें तीन ट्रैक्टर की जानकारी नहीं मिली तब उन्होंने रिपोर्ट की और जिलाधीश को यह कहा, हमको शक मालूम होता है इसकी जांच कीजिये। यह केस सन् 1971 का है 25-11-71 का केस है। प्रार्थना-पत्र, सम्बन्धित कागजात दस्खत मोहर है लेकिन यह सही नहीं हो पाया अतः जांच करें। ओथ कमिश्नर ने जो सर्टिफिकेट दिया वह भी ओथ कमिश्नर जिलाधीश से मालूम किया वह ओथ कमिश्नर है ही नहीं.........

श्री गुमानमल लोढ़ा : ओथ कमिश्नर ही नहीं है ?........

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। इसलिये मैं समझता हूं यह सही बात है। पहले पुलिस का रिपोर्ट नहीं की गई है और वाकई लैप्स हैं। इस प्रश्न के आने के बाद में सवाल आया है जांच करने के बाद पुलिस को तफतीश करने के ऑर्डर किये हैं। जहां तक भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : तफतीश किस बातकी की जा रही है। कोई केस रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया है....

श्री शिवचरण माथुर : सुन लीजिये, बड़ी सादड़ी के तहसीलदार का सर्टिफिकेट है पहले 1971 में जो तहसीलदार था उसके दस्तखत है या नहीं और अगर हैं तो वह तहसीलदार पकड़ में आ जाय, इसलिये यह उचित समझा गया....

श्री फूलचन्द जैन : क्या मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, जरा सोच कर तो जवाब दें, क्या जवाब दे रहे हैं...

श्री मोहनराज (बाली) : तहसीलदार के दस्तखत मालूम करने में चार साल लग जायं यह आपका कौनसा तरीका है ?

(व्यवधान: अश्रव्य) (व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : कलेक्टर को केवल एक आसपेक्ट ही जांच करने के लिये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : जिसने प्रमाणित किया था वह तहसीलदार था या नहीं यह मौके पर जांच कर लें उसके बाद ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री चुन्नीलाल।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : Was it regular quota ? He must answer it,

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने

Page No 15

(15)

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)
बताया सदन के सामने 1971 में यह रिपोर्ट दर्ज की गई तो क्या कलेक्टर की पूर्ण जिम्मेदारी नहीं थी और क्या उसके पार्ट पर लेप्सेज नहीं थे ? जिस एन्क्वायरी के आप डिफरेन्ट पहलू बता रहे हैं कलेक्टर जिले का जिम्मेदार व्यक्ति होता है आज तक तीन-चार साल हो गये ये फैक्ट्स छिपाये रहा। आप इमीजियेटली उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं ? यह बतायें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह आवंटन रेगुलर कोटा से हुआ है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोटा से हुआ है ?

श्री शिवचरण माथुर : उस समय यह आपका सवाल नहीं था इसलिए अभी जानकारी नहीं है इसकी जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज अवेलेविल नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अगर पूर्ण जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन को पास्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, पोस्टपोन किया जाय ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं इसको पोस्टपोन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्वेश्चन आवर के बाद माननीय सदस्य को जानकारी करा दूंगा।

(व्यवधानः अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलें ।

श्री भारतीय !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है हाउस को कान्फीडेन्स में लिया जाय। बहुत अहम प्रश्न है और लोक महत्व का प्रश्न है बड़ी मुश्कील से ट्रेक्टर किसानों को मिल पाता है। इसलिये इसको पास्टपोन किया जाय यह रेगुलर कोटे में से दिया गया है या डिस्क्रिशनरी कोटे से दिया गया है इसका भी जवाब नहीं आया है ··

श्री दीपंकर : ऐसा है मंत्री महोदय आज तक किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है, कौन जिम्मेदार है इसको नहीं माना है। तो आखिर इतना बड़ा स्केंडल हुआ है····

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सारे क्वेश्चन्स अनरिप्लाइड रह गए हैं। हमने पूछा है कि एफ. आई. आर. दर्ज हुई कि नहीं हुई, किसी का सस्पेंशन किया गया या नहीं और अब इन्क्वायरी कराना चाहते हैं या नहीं इन सबका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिन्होंने बड़ा भारी····

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : जो जानकारी चाही गई थी वह अभी मेरे पास आई है कि ये ट्रेक्टर रेगुलर कोटे में से आवंटित किए गए थे और डिस्क्रिशनरी कोटे में से आवंटित नहीं किए गए थे।

प्रश्न संख्या 590

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री रामगोपाल !

शाहबाद पंचायत समिति के गांवों में पेयजल का अभाव

592. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शाहबाद पंचायत समिति, जिला कोटा में सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें पेय जल का अभाव है तथा इसकी सूचना राज्य सरकार को बार बार दी जा चुकी है ? यदि हां, तो इस अभाव को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : शाहबाद पंचायत समिति में राज्य के अन्य स्थानों की अपेक्षा विशेष पेय जल अभाव नहीं है ? नई जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार की जावेगी। फिलहाल शाहबाद जल प्रदाय योजना पर जल वितरण किया जा रहा है एवं क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना राजपुर पर कार्य प्रगति पर है व इससे 4 गांवों को लाभ पहुंचेगा।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष मोहदय, क्या यह सही है कि शाहबाद पंचायत के सैंकड़ों गांव जिसमें पीने के पानी अभाव है उसकी सूचना समय-समय पर राज्य सरकार को दी जा चुकी है और क्या यह भी सही है की इसका मुख्य कारण यह है कि आजादी के 27 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आदिवासियों को सरकार पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकी है। क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश की सीमा पर लगे हुये हैंड पम्पों से लोग गांवों में जाकर पानी लाते हैं और मध्यप्रदेश सरकार के गांवों से पानी लाकर हमारे राजस्थान के लोग अपनी पानी की प्यास बुझाते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके अनुसार यह मालूम हुआ है कि वहां के 307 गांव हैं उनमें से 4 गांवों में खारा पानी है और पांच गांव ऐसे हैं जिनमें नाहरू रोग हो सकता है। 307 गांवों में से वहां 9 गांव इस प्रकार के हैं जहां पर पीने के पानी की प्रॉब्लम है। इसलिए सारे प्रश्न के ऊपर जिस प्रकार से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतनी भयंकर प्रॉब्लम है, अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह सही नहीं है।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट और लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : लीजिए।

श्री रामगोपाल : यह बात बड़ी गम्भीर है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता और मैं यह कहता हूं कि इस प्रश्न को देखकर माननीय मन्त्री जी का हृदय भी द्रवित हो गया होगा। जो आदिवासी शाहबाद में है जिसके बारे में सदन में बार-बार प्रश्न उठाए जाते हैं और तीन साल से बराबर इस बारे में मैं स्वयं लिखा पढ़ी कर रहा हूं, मैंने लिख कर दिया है और वहां के लोगों का डेपूटेशन भी मिला है और सारी जानकारी दिलाई है। माननीय शिवनारायण जी विधायक हैं वे भी वहां पर देख कर आए हैं, उन्होंने अवलोकन किया है, उनके मध्यप्रदेश में रिश्तेदार हैं। आप इस प्रश्न को इतना साधारण मान कर उत्तर दे रहे हैं कि वहां पर पानी की कोई समस्या ही नहीं है। मैं आपको पुनः कहता हूं कि वहां पर पीने के पानी का अभाव

(श्री रामगोपाल)

है। अभी आपने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर नाहरू रोग होने की सम्भावना हो सकती है लेकिन यहां सवाल नाहरू रोग होने का ही नहीं है, वहां पीने के पानी का बहुत अभाव है और इनके गांव मध्यप्रदेश की सीमा पर लगे हुए हैं, सहरियों की आबादी है और मध्यप्रदेश सरकार ने जो अपने यहां हैंड पम्प लगाये हैं वहां से जाकर लोग अपने पीने का पानी लाते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, बड़ी सोचनीय बात है....

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री रामगोपाल : वहां पर पानी देने के लिए आपको सदन में घोषणा करनी पड़ेगी।

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि 307 गांवों, में जो वहां पर आबाद हैं, में से 9 गांवों में पीने के पानी की समस्या है और सारे इलाके में किसी भी गांव में 18 मीटर से ज्यादा गहरा पानी नहीं है। मेरे पास हर गांव के बारे में रिपोर्ट मौजूद है कि किस गांव में कितना गहरा पानी है और हर गांव के बारे में अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं कि कितना पानी गहरा है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य कहें कि लापरवाही बरती गई है तो यह उनके समझने की बात है। मैं क्या अर्ज कर सकता हूं।

श्री रामगोपाल : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि फैमिन के अन्दर सात हैंड पम्प लगाए और मशीनें आवन्टित की गईं और आप यह कहते हैं कि पानी की समस्या नहीं है। मैं आपकी इस बात को नहीं मानता हूं, इस बारे में सोचना पड़ेगा और आपको हैंड पम्प भी भिजवाने पड़ेंगे।

प्रश्न संख्या 592

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपालसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 593

श्री सज्जनसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र

594. श्री केशरीमल (ब्यावर) (श्री रामानन्द अग्रवाल की अनुपस्थिति में) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1968-69 में रबी में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र पर लालबहादुर गेहूं बोया गया ? यदि हां, तो यह कौन कौन से खेतों में बोया गया और उनमें कितना कितना बीज पैदा हुआ ?

(2) इस लालबहादुर बीज की पैदावार प्रति एकड़ कितनी हुई ?

(3) इस लालबहादुर बीज को आम जनता में प्रयोग करने के लिए रिलीज करने से पहले कितनी बार बोकर इसका परीक्षण किया गया था ? कृपया प्रत्येक वर्ष की पैदावार प्रति एकड़ बताने का कष्ट करें ?

(श्री केशरीमल)

(4) इस बीज को जनता के लिए प्रयोग के वास्ते क्या भाव निश्चित किया गया? इसके अतिरिक्त दूसरी किस्म के संकर बीजों के दूसरे राज्यों में क्या क्या निर्धारित किए गए थे?

(5) लालबहादुर बीज दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से कृषि विभाग को ग्राम जनता को रिलीज करने से पहले कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौनसे वर्ष दिया गया?

(6) क्या लालबहादुर बीज जनता में रिलीज करने के बाद दूसरी उपज प्रति एकड़ की जानकारी की गई है? यदि हां, तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) जी हां। वर्ष 1968-69 में कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा के खेत नं. 3, 4, 5 व 6 पर बीज गुणन के हेतु 73 किलो बीज लगभग 9 एकड़ क्षेत्र में डिब्लिग द्वारा बोया गया जिससे करीबन 73 क्वि. बीज पैदा हुआ। खेतवार पैदावार परिशिष्ट 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बीज की पैदावार 8 क्वि. प्रति एकड़ हुई लेकिन बीज गुणन के महत्व को देखते हुए 1 किलो बीज से 1 क्वि. बीज प्राप्त किया गया जो 100 गुणा होता है।

(3) रिलीज करने से पहले बीज को अखिल भारतीय स्तर एवं राजस्थान स्तर जहां-जहां परीक्षण किया गया उसकी तालिका (परिशिष्ट 'अ') सदन की मेज रख दी गई है।

(4) जनता के प्रयोग के लिए इस बीज का भाव राज्य सरकार द्वारा 15) रु. प्रति किलो निर्धारित किया गया। अन्य राज्यों के लिए अन्य संकर किस्मों के निर्धारित भाव उपलब्ध नहीं हैं।

(5) जी नहीं। बीज को रिलीज करने से पूर्व दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से कृषि विभाग को ग्राम जनता को वितरित करने हेतु नहीं दिया गया था।

(6) रिलीज करने के पश्चात् 3 वर्ष तक निरन्तर परीक्षण किया गया जिसकी तालिका परिशिष्ट 'ब' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री मनोहर कोठारी।

नाथद्वारा मे शराब की दुकानें

595. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य के निर्माण के पूर्व नाथद्वारा नगर में शराब की दुकानें नहीं थीं?

(2) वर्तमान में उक्त नगर में शराब की दुकानों के कितने अनुज्ञा-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और ऐसा करने का क्या औचित्य है?

(3) क्या यह सत्य है कि नाथद्वारा मन्दिर मण्डल ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को अनुरोध किया है कि

(श्री मनोहर कोठारी)
नाथद्वारा नगर को 'मद्यनिषेधित' क्षेत्र घोषित किया जाय यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

आबकारी मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) एक मुख्य दुकान और दो उप दुकानों के लिए।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव आना पाया नहीं जाता।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान निर्माण के पहले नाथद्वारा में शराब की दुकान नहीं थी राजस्थान निर्माण के बाद एक मुख्य दुकान और दो उप-दुकानों के लिए आपने लाइसेंस भी दे दिए और

श्री चन्दनमल बैद : यह 1957-58 से है मैंने नहीं दिए हैं। यह मैं मानता हूं कि ···

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप उठा तो सकते हैं मन्दिर को देख कर।

(व्यवधान : अश्रव्य)

नाथद्वारा के महत्व को देखते हुए, नाथद्वारा इतना बड़ा तीर्थ है उसको ध्यान में रखते हुए, आपने दी नहीं उसके लिए तो आपकी तारीफ हो सकती है, लेकिन आप उसे उठा तो सकते हैं। यह काम तो आप कर सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : इसको करने का प्रश्न नहीं है···· (अश्रव्य)

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री शंकरलाल (पाली) : यह तो आपकी घोषित नीति है कि धार्मिक पवित्र स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहियें और आपने यह पूछा है कि क्या इनका औचित्य है। इनका औचित्य क्या है ?

(व्यवधान)

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड ने भी अपने प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार से निवेदन किया है कि नाथद्वारा जैसे स्थान, जो कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, पर शराब की दुकानें होने से गुण्डागर्दी बढ़ती है इसलिए बिल्कुल प्रोहिबिशन कर दिया जावे। तो माननीय मन्त्री महोदय क्या इस पर विचार करेंगे और वहां के लाइसेंस कैंसिल करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : जो दुकानों का लाइसेंस मिला है उसमें एक दुकान तो मन्दिर से एक किलोमीटर दूर है और जो दो उप दुकानें हैं उनमें से एक, एक मील दूर है और दूसरी दो मील दूर है और हमारे नियमानुसार 250 मीटर मन्दिर के आस-पास कोई दुकान नहीं होगी। जबकि मुख्य दुकान एक किलोमीटर दूर और दोनों उप दुकानें एक मील और दो मील की दूरी पर हैं, इसमें अगर आपको कोई सन्देह है तो इसकी जांच करवा ली जाएगी।

श्री मनोहर कोठारी : सवाल यह है कि नाथद्वारा नगरपालिका की सीमा में पहले शराब की दुकान नहीं थी और 1957 के बाद ये दुकानें कायम कर दी गई। मेरा निवेदन यह है कि टैम्पल बोर्ड जैसी अथोरिटी ने लिख दिया है····

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री शंकरलाल (पाली) : प्रश्न यह था कि शराब की दुकानें कायम करने का क्या औचित्य है, कैसे कायम की गई हैं ?

श्री दीपंकर : श्रीनाथजी के भोग में इसको सम्मिलित करने के लिए की होंगी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अगर एक धार्मिक स्थान पर शराब की दुकानें बन्द की जाती हैं तो राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थान हैं क्या सभी पर शराब की दुकानें बन्द करने जा रही है सरकार ? क्या सरकार सभी तीर्थ स्थानों पर शराब की दुकानें बन्द करने का इरादा रखती है ?

श्री मोहनराज (बाली): राजस्थान में ऐसे स्थान हैं····

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : नाथद्वारा में एक किलोमीटर पर दुकान है या दो मील पर दुकान है यह प्रश्न नहीं है । ऐसी पवित्र जगह पर, ऐसे पवित्र स्थान पर पहुंच कर शराब की दुकान लगाना कहां तक उचित है । आप इनको बन्द कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हिन्दुस्तान भर के सद्धर्मी लोग इन स्थानों में आस्था रखते हैं और वहां पर हजारों की तादाद में आते हैं । इन गांवों का, इन कस्बों का महत्व भी इन तीर्थों की वजह से है । वहां पर इस तरह की शराब की दुकानें खोलना वहां का वातावरण अशुद्ध बनाना है, दूषित बनाना है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को बड़ी टेस पहुंचाना है । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों के लिए वहां शराब की दुकानें तत्काल बन्द करने का इरादा जाहिर करें तो हर दृष्टि से राज्य के हित में होगा ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ !

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इस नाथद्वारा की परिसीमा में मांस बेचना मना है, पशुवध मना है । ऐसी स्थिति में जबकि पशुवध नहीं है, मांस नहीं बेचा जाता है तो उस दृष्टिकोण से आप शराब की दुकान बन्द कर दें तो मेरे खयाल से सामयिक है । धर्म का क्षेत्र होने से कभी भी मांस नहीं बेचा जाता, पशुवध नहीं होता तो शराब बन्द किया जाना आपकी मान्यता के विपरीत नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोगानी !

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि अभी यहां पर नाथद्वारा का प्रश्न आया, उसी तरह से क्या मंत्री महोदय पुष्करराज की ओर भी ध्यान देंगे ? वहां भी शराब की दुकानें····

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : सबका नम्बर आ रहा रहा है ।

श्री माणकचन्द सोगानी : क्या बन्द करने का राज्य सरकार आदेश देगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाड़नू): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह न केवल नाथद्वारा का सवाल है बल्कि पुष्करराज जैसे तीर्थ में भी यह प्रश्न आया है। वहां पर हिन्दुस्तान भर के लोग आते हैं और वह एक तीर्थ है। वहां पर शराब की दुकानें हैं। इसलिए यह एक राज्य व्यापी प्रश्न है, ऐसे स्थानों पर दुकानें बन्द करने के लिए सरकार को कोई फैसला करना चाहिये। जहां-जहां भी बड़े धार्मिक स्थान हैं, एक जगह पर बंद हो और दूसरी जगह पर शराब की दुकान आप चालू रखें, यह उचित नहीं होगा। यह सरकार को सोचना चाहिए कि जो बड़े-बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहां से शराब की दुकानें हटायी जायें। सरकार सोच कर यह फैसला करे।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दौरान, जब यह विषय चल रहा था, माननीय सदस्य श्री दीपंकर ने यह कहा—मंत्री महोदय ने श्रीनाथ जी के भोग में यह शराब की दुकान वहां रखी है। ये अपमानजनक शब्द हैं। इनको प्रोसिडिंग्स से निकाला जाए....

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा है। ...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सदस्य ने कहा है।.... (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। ऑर्डर प्लीज। सुनिये। (शोरगुल) सुनिये प्रोसिडिंग्स को देख लेते हैं। माननीय सदस्य इसके लिए इन्कार कर रहे हैं। अगर प्रोसिडिंग्स में ऐसे शब्द हैं तो निकाल देंगे। ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने एक किलोमीटर दूर पर शराब की दुकान के लाइसेन्स दिए हैं। परन्तु नाथद्वारा में यह मन्दिर की परिधि में है। नाथद्वारा एक पवित्र स्थान है और ऐसे पवित्र स्थान पर आपने शराब की दुकान के लाइसेन्स दिए हैं तो क्या मंत्री महोदय इस लाइसेन्स को रद्द करने के आदेश देंगे ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि धार्मिक स्थानों पर व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए जाता है और व्यक्ति वहां से बुराइयां छोड़कर आता है। मेरा यह प्रश्न है कि ऐसे धार्मिक स्थानों को क्या हमारी यह सरकार शराब से वंचित नहीं रख सकती ? ऐसे स्थानों पर लोगों को क्यों भ्रष्ट करना चाहते हैं ? यह हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसे स्थानों से ये दुकानें दूर हटायी जानी चाहिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जिस तरह से नाथद्वारा और पुष्करराज का यहां पर सवाल आया है, इसी तरह से बूंदी में एक गीता भवन है और इस गीता भवन के ठीक सामने शराब की दुकान है। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे कृपया इस दुकान को वहां से हटाने का आदेश दें। स्त्रियां भजन आदि के लिय इस गीता भवन में आती जाती हैं और उसके सामने

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
ही यह दुकान है जो किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के धार्मिक स्थानों के नजदीक जो भी शराब की दुकानें हैं उनको हटाने का मन्त्री महोदय इस सदन को आश्वासन दें।

एक माननीय सदस्य : मेरे यहां पर भी है.... ..

श्री निरंजननाथ आचार्य : गंगानगर तो गंगा के नाम पर बसा है, वहां तो इसको बन्द कर दीजिये।

श्री नत्थासिंह (नदवई) : भरतपुर में दो मन्दिर हैं एक गंगा मन्दिर और दूसरा लक्ष्मणजी का मन्दिर इन दोनों मन्दिरों के पास में शराब की दुकानें हैं। इसलिए इन दुकानों को भी वहां से हटाने का आदेश जारी करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,.. ....

श्री अध्यक्ष : इनको हटाना मेरी परिधि के बाहर है।....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं इस वर्ष जयपुर शहर और कोटा नगर में ठेकेदारों द्वारा ठेके नहीं लिए जाने के कारण क्या राज्य सरकार स्वयं इन नगरों में और विशेषकर जयपुर में शराब की दुकानें खोलेगी और राज्य सरकार की जो यह नीति है कि ऐसी शराब की दुकानें मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल और सार्वजनिक स्थलों से दूर खोलेगी—क्या राज्य सरकार स्वयं अपनी इस नीति का पालन करेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कृपया यह बताने का कष्ट करें ......

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा का एक मामला था—मेरा कहना यह है कि नाथद्वारा का जो यह मामला आया है यहां पर मन्त्री महोदय को उसका जवाब देना चाहिये कि वहां से शराब की दुकानें हटेंगी या नहीं ? अलग अलग स्थानों के सवालात इसके साथ जोड़ दिये गये हैं जो गलत हैं। जो एक पर्टीकूलर सवाल यहां पर आया है उसका जवाब हम मन्त्री महोदय से चाहते हैं। उसका जवाब दिलाया जाये।

श्री हाजी जान मोहम्मद खान (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : हां जनाब।....

श्री हाजी जान मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, अजमेर शरीफ भी एक तीर्थ स्थान है। मेरा निवेदन करना है कि वहां पर भी शराब बन्दी लागू की जाये। हिंदुस्तान भर से लोग अजमेर शरीफ आते हैं। तो क्या अजमेर से शराब की दुकानें हटायेंगे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय ने बच्चन की इस कविता से प्रेरणा ली है जिसमें यह लिखा है:—

मन्दिर मस्जिद दूर रहते हैं,
न दूर रहती है मधुशाला।
जहां बैठी होती है मस्ती,
वहां होती है मधुशाला।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, जवाब दें।....(शोरगुल—अनेक सदस्यों के बोलने पर)....आपके सवालों का जवाब आ रहा है......

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है.... ..

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनना है तो ठीक है वरना पूरक प्रश्न करते रहिये मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : एक सप्लीमेन्ट्री का मौका दें। मेरा निवेदन यह है—केवल नाथद्वारा का एक पर्टीकूलर प्रश्न है। उसमें यह था कि नाथद्वारा में राजस्थान बना उसके पहले कोई शराब की दुकान नहीं थी। सन् 1957 में राज्य सरकार ने यह दुकान खोलने की इजाजत दी है। मेरा निवेदन है कि क्या राज्य सरकार इस दुकान को वहां से समाप्त करने की अनुमति देगी। यह एक पर्टीकूलर प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि इधर-उधर के धार्मिक स्थलों को इस प्रश्न के साथ जोड़ कर इस प्रश्न के उत्तर को न टाला जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बोर्ड ने भी इसके लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस बात को आप स्वीकार करलें और नाथद्वारा के लिए लाइसेन्स को रद्द करदें।

श्री अध्यक्ष : Should I request him to reply to your question ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, पूजा स्थलों से एक निश्चित दूरी पर शराब की दुकानें, देशी शराब की दुकानें रखने का निर्णय पहले हो चुका है। (व्यवधान) देशी का है, विदेशी शराब का नहीं। और पूजा स्थलों से निश्चित दूरी तय की गई है दो सौ मीटर। इतनी दूरी पर देशी शराब की दुकानें खोली जा सकती है। इसके बारे में हमने सारे भारतवर्ष से आंकड़े मंगाये हैं और यह दूरी दूसरे प्रदेशों से अधिक है। इस सम्बन्ध में एक राजबहादुर कमेटी ने भी सिफारिश की है और राजबहादुर कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि पूजा स्थलों से देशी शराब की दुकानें 200 मीटर की दूरी पर स्थित हों! इस निर्णय के अनुसार ही ये दुकानें रखी जाती हैं। इससे कम दूरी पर कोई दुकानें होगी, चाहे वह बून्दी का गीता मन्दिर हो या अन्य कोई पूजा स्थल, वहां से ऐसी दुकानें एक अप्रेल, 75 से हटा दी जाएंगी और उनकी दूरी 200 मीटर की रखी जायेगी। इससे नजदीक पर कोई दुकान नहीं होगी। इसमें मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, स्कूल सभी शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। (शोरगुल) काफी बात हो चुकी है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

समेल व रामपुरा नदी पर पुल बनाने की योजना

579. श्री हरिकिशन (राजगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि अलवर-राजगढ़ रोड पर क्रमशः समेल व रामपुरा

(श्री हरिकिशन)
नदी पर तीसरी पंच वर्षीय योजना में पुल बनाये जाने के लिए योजना मंजूर की थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी धन राशि दोनों पुलों के लिये मंजूर हुई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन पुलों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए टेण्डर भी विभाग द्वारा आमन्त्रित कर लिये गये थे ? यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरू नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? और अब कब कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(2) अलवर-राजगढ़ रोड पर समेल व रामपुरा नदियों पर पुल बनाने के लिये प्रशासनिक स्वीकृति 1,50,000) रुपये की स्वीकृति 8-11-63 को दी गई थी।

(2) जी हां, धनाभाव के कारण टेण्डर स्वीकृत नहीं किये जा सके, अतः कार्य आरम्भ नहीं कराया गया। वार्षिक योजना 74-75 में यह कार्य स्वीकृत नहीं है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण

580. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान हाउसिंग-को-ऑपरेटिव फाइनेन्सिंग सोसाइटी द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों एवं प्रावधान के अनुसार उक्त फाइनेन्सिंग सोसाइटी के नियम, उप नियम, विधान एवं ऋण के प्रोसीजर की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सच है कि उक्त समिति द्वारा ऋण दिये जाने में काफी विलम्ब किया जाता है ? यदि नहीं, तो राजस्थान में अब तक कुल कितनी हाउसिंग सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ और किस-किस तारीख को किस-किस समिति का तथा किस-किस हाउसिंग सहकारी समिति को कब-कब ऋण दिया गया ?

(3) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर का ग्राम धानोता, नौरंगपुरा, धवली, किशनगढ़, बीलवाड़ी, बैराठ आदि सहकारी समितियों को ऋण नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ तथा कब ऋण दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ! सोसायटी के उप-नियम व प्रोसीजर जिसके अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है, की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं ! राजस्थान में कुल 1,337 गृह निर्माण सहकारी मितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। सहकारी समितियों की सूची 'अ' मय रजिस्ट्रेशन की तिथि के व किस-किस समिति को कब कब ऋण दिया गया की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं ! तहसील विराटनगर की ग्राम धानोता, धवली, बीलवाड़ी तथा बैराठ आदि सहकारी समितियों को ऋण

(सहकारिता मन्त्री)

स्वीकृत किया जा चुका है। ग्राम किशनगढ़ की समिति जिसका दिनांक 31-7-72 को रजिस्ट्रेशन हुआ का ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा नौरंगपुरा में समिति का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर दुग्ध योजना

585. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर दुग्ध योजना नगर में कब आरम्भ की गई ?

(2) क्या इस योजना को संचालित करने में भारत सरकार का कोई योगदान है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कितना-कितना ?

(3) दुग्ध वितरण योजना द्वारा जयपुर में कितना दूध, घी, मक्खन, पनीर, क्रीम, मिल्क रोज आदि प्रति दिन वितरित किया जाता है ?

(4) योजना में राज्य सरकार वार्षिक व्यय कितना करती है व कितना लाभ होता है ?

(5) योजना में कुल कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन भत्तों आदि में कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

उत्तर

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना का प्रारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष सन् 1960-61 में किया गया था। पूर्ण दुग्धशाला के रूप में योजना का कार्य फरवरी 1965 में प्रारम्भ किया गया था।

(2) योजना को संचालित करने में भारत सरकार का कोई सीधा योगदान नहीं है। योजना की स्थापना एवं प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल लागत का 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 40 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त कोलम्बो सहायता योजना के अन्तर्गत साढ़े नौ लाख रुपये की वित्तीय सहायता न्यूजीलैण्ड, सरकार की ओर से प्राप्त हुई थी।

(3) वर्ष 1973-74 की कुल बिक्री के आधार पर दूध एवं दूध से उत्पादित वस्तुओं की प्रतिदिन की बिक्री का औसत निम्न प्रकार रहा:—

(1)	दूध	15,355 लीटर
(2)	घी	62 किलोग्राम
(3)	क्रीम	1 किलो
(4)	मिल्करोज	144 लिटर
(5)	पनीर	12 किलोग्राम
(6)	ह्वेविट	2 लीटर

(4) प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि किस वर्ष के व्यय के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। अंकेक्षित लेखों के आधार पर वर्ष 1969-70 से 1972-73 तक के व्यय के आकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	व्यय
1969–70	25,95,696
1970–71	39,79,904
1971–72	58,55,462
1972–73	68,07,775

Page No 26

(26)

(पशुपालन मन्त्री)
वर्ष 1973-74 के आकड़ों का अंकेक्षण मिलान अभी तक नहीं हुआ है परन्तु तैयार किये गये आकड़ों के अनुसार कुल 92,91,060 रुपये का व्यय हुआ।

योजना द्वारा अब तक किसी भी वर्ष में लाभ अर्जित नहीं किया गया है।

(5) योजना में वर्तमान में कुल 6 अधिकारी एवं 395 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 195 कर्मचारी नियमित सेवामें है एवं 81 दैनिक वेतन आधार पर कार्य कर रहे हैं। 119 कार्मचारी अंशकालिक हैं जो दुग्ध वितरण बूथों पर कार्य करते हैं। कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर वर्ष 1973-74 में कुल रुपये 8,46,964 व्यय किये गये हैं।

ग्राम तरणाऊ (जायल) में जल वितरण योजना

587. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की तहसील जायल के ग्राम तरणाऊ में जल वितरण योजना हेतु कितने रुपये जन सहयोग के कब से सरकार में जमा हैं?

(2) यह राशि किसके आदेश में किस स्कीम के लिये जमा कराई गई?

उत्तर

(1) ग्राम तरणाऊ द्वारा 7850) रु. की जन सहयोग राशि अप्रेल, 1971 में जमा कराई गई थी।

(2) यह राशि ग्राम पंचायत द्वारा अपनी मर्जी से तरणाऊ की जल प्रदाय योजना के जन सहयोग रूप में जमा कराई गई है।

वूल बोर्ड की स्थापना

588. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य में ऊन उत्पादन, विपणन तथा यूटिलाइजेशन हेतु 'वूल बोर्ड' की स्थापना करने का इरादा है? यदि हां, तो उक्त बोर्ड की स्थापना अब तक करदी जायेगी?

उत्तर

जी हां।

बोर्ड की स्थापना का मामला सरकार के विचाराधीन है।

पलाना कोयला खान

90. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा पलाना कोयला खान को ओपन कास्ट करने का बहाना कर उसे हमेशा के लिये समाप्त करने की योजना थी? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी सम्पूर्ण योजना एवं उसे क्रियान्वित करने की रूपरेखा से सदन को आश्वस्त करेगी?

(2) क्या सरकार कोयले के ईंधन के अभाव की स्थिति में पलाना कोयले का

Page No 27

(27)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
उपयोग भट्टों, इण्डस्ट्रीज आदि आदि कामों में लेने को तैयार है ? यदि है तो क्या राज्य सरकार अस्थायी या स्थायी रूप से इस अकाल में खान को चालू करेगी ?

(3) क्या पलाने के कोयले के किस्म का कोयला विश्व के किसी अन्य भाग में भी है ? यदि हां, तो कहां-कहां और उसका उपयोग किस-किस कार्य में होता है ।

उत्तर

(1) जी नहीं । चूंकि इस खान को चलाना आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं था । अतः पिछले कुछ वर्षों से कार्य बन्द कर देना पड़ा सरकार इसको पुनः चलाने के लिये अत्यधिक उत्सुक है और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रही है ।

(2) पलाने के कोयले का उपयोग साधारण कोयले के उपयोग के समान नहीं है और इस खान का चलाना यहां के कोयले के उपयोग से सम्बन्ध है क्योंकि यह कोयला हवा में खुला अधिक दिनों तक नहीं रुक सकता और यदि रहे तो स्वतः आग पकड़ लेता है :और इसी कारण यह दूर तक ट्रान्सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता है । अतः स्थिति स्वतः स्पष्ट है भूगर्भ खनन कार्य होने तथा विनियोग को ध्यान में रखते हुये अकाल कार्य के रूप में चलाना सम्भव नहीं है ।

(3) विश्व के कई भागों में इस प्रकार का कोयला जिसे लिगनाइट कहते हैं, मिलता है इनमें मुख्य स्थान भारत में नवेली तथा जरमनी और आस्ट्रेलिया हैं । इसको फरटीलाईजर, बिजली उत्पादन इत्यादि के लिये काम में लाया जाता है ।

करौली नगर में ईंधन डिपो

592. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि करौली नगर में जंगलात विभाग का ईंधन डिपो न होने से नागरिकों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र एक ईंधन डिपो खोलने के आदेश प्रदान करेगी ।

उत्तर

जी नहीं ।

जवाई बांध का पानी

593. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध में इस वर्ष पर्याप्त पानी होते हुए भी सिंचाई के लिये उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो पानी कब सिंचाई हेतु छोड़ा गया ?

(2) जवाई बांध में पिछले 10 वर्षों में कितना 2 पानी एकत्रित हुआ व इससे कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जवाई बांध में पीने के पानी को सुरक्षित करने के बाद 145

(श्री सज्जनसिंह)
मिलियन घन फीट पानी सिंचाई हेतु 21-12-74 को नहर से छोड़ा गया।

(2) सूचना संलग्न सूची में दर्शायी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति लूणकरणसर के ग्रामों का विद्युतिकरण

324. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीकानेर जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में विद्युतिकरण हेतु आर.ई.एस. या आर.ई. स्कीम्स तैयार की जा चुकी हैं? अगर हां, तो उक्त पंचायत समिति के कौन कौन से गांव शामिल किये गये हैं?

(2) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त समिति के कौन से गांव लिए जा सकेंगे?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों के मोहल्लों में विद्युतिकरण हेतु रखा गया बजट

325. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के मोहल्लों में विद्युतिकरण हेतु कितना बजट रखा गया तथा उस बजट में कितना व्यय किया गया? जिलेवार व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करें।

उत्तर

पिछले 3 वर्षों में (1971-72 से 1973-74 तक) अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु रखे गये प्रावधान व इन वर्षों में व्यय की गई राशि बताते हुए विवरण संलग्न सूची 'अ' व 'ब' में दर्शाया गया है। व्यय की सूचना जिलेवार नहीं रखी जाती, अतः यह आंकडे विद्युत मंण्डल के वृत अनुसार बताये गये हैं।

(सूची के लिये कृपा परिशिष्ट 6 देखिये)

सिंचाई विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

326. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक कब हुई थी?

(2) उक्त बैठक में कितने सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नत किया गया? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में राज्य सरकार के दिनांक 3-10-1973 के नोटिफिकेशन जी. एस. आर: 151 की धारा 3 एवं उसी

Page No 29

(29)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
दिनांक 3-10-73 के नोटिफिकेशन जी. एस. आर. 153 की पालना की गई थी ? यदि हां तो कृपया ऐसे अभियन्ताओं की सूची प्रदान करें ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सिचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक दिनांक 12 व 13 जून 1974 को हुई थी ।

(2) उक्त समिति की सिफारिश पर 12 सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया ।

सूची संलग्न है ।

(3) जी हां,

सूची सलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जयपुर जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

327. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल क्षेत्र जयपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले के कौन-कौन से गांव का कब तक विद्युतिकरण कर दिया जायेगा तथा कितनों का विद्युतिकरण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) विद्युतिकरण प्रयोजनार्थ जयपुर जिले के कौन-कौन से गांव का विद्युत विभाग द्वारा कब-कब सर्वे किया गया या योजना बनाई गई ? उक्त सर्वे तथा योजना के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या कार्य कब-कब किया गया ? कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जनवरी, 1974 तक जयपुर जिले के कुल 818 गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है । ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अधीन इस जिले के जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जाना है उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है । इन गांवों का विद्युतिकरण स्कीम की पंजिका के अनुसार किया जा रहा है ।

(2) जयपुर जिले के किन-किन गांवों का कब-कब सर्वे किया गया यह पूरी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा । सर्वे किये जाने के बाद ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई है उनकी सूची 'बी' सदन की मेज पर रखदी गई है । इन योजनाओं में स्वीकृत गांवों की स्थिति भी सूची 'बी' में दर्ज है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिण्डोली तहसील की सड़कें

328. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वतन्त्रता के पश्चात् हिण्डोली तहसील में कुल कितनी लम्बी सड़कें बनाई गई ?

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

(2) यह सड़कें कहां से कहां तक कब बनीं ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष में इस तहसील में कोई नई सड़क प्लान कार्य के रूप में लिये जाने का है ? यदि हां, तो कहां से कहां तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्डोली तहसील में 51.5 किलोमीटर लम्बी सड़क निर्माण कराया गया है।

(2) 51.5 किलोमीटर सड़कें जो हिन्डोली तहसील में निर्माण कराई गई हैं, उनकी सूची (अ) संलग्न है।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष 1975-76 में प्रस्तावित सड़कों की सूची (ब) संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बखतावरपुरा माइनर की खुदाई का पेमेन्ट

329. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मेन राजस्थान नहर परियोजना की आर. डी. 342-1/2 से निकलने वाली बखतावरपुरा माइनर की खुदाई 3 आर. डी. से 4-1/2 आर. डी. एक बार खोदकर दुबारा उसका मुहाना मोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मौके की जांच करवाये जाने का विचार रखती है ?

(2) क्या उपरोक्त माइनर की 1-1/2 आर. डी. की खुदाई का पेमेन्ट ठेकेदार को गलत किया जा चुका है ? यदि नहीं तो, आज तक बखतावरपुरा माइनर पर होने वाला पेमेन्ट एवं कार्य का विवरण ठेकेदार के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं बखतावरपुरा माईनर का मुहाना 3 आर. डी. के बाद नहीं मोड़ा गया है मौके पर जांच की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी नहीं। यह काम किसी ठेकेदार को आवन्टित नहीं किया था, इसलिये ठेकेदार को गलत भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस माइनर के खुदाई का काम आर. डी. 6-1/2 से 29 तक ठेकेदारों द्वारा करवाया गया है जिसकी सूची संलग्न हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

राज्य में मिलावट व जमाखोरी रोकने हेतु डाले गये छापे

330. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1974 के बाद अब तक सम्पूर्ण राजस्थान में मिलावट व जमाखोरी रोकने के लिये कितने बड़े बड़े व्यापारियों

Page No 31

(31)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
एवं पूंजीपतियों, किसानों के यहां कहां कहां पर छापे डाले गये ? नामवार व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से कितनों से विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया ? कितने मामलों में एफ. आई. आर. दी गई सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उनमें से कितने व्यक्तियों को किस प्रकार सजा दी गई, उनकी सूची मय सजा के विवरण के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जमाखोरी के सम्बन्ध में मारे गये छापों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। मिलावट के बारे में छापे मारने हेतु स्वास्थ्य विभाग अधिकृत है। मिलावट के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय से प्राप्त सूचना के आधार पर जनवरी, 74 से अब तक 5205 नमूने लिये गये थे जिनमें 1917 नमूने मिलावटी पाये गये, परन्तु इसकी सूची वे उपलब्ध नहीं करा सके और न ही समस्त जिलाधीशों से मिलावट के सम्बन्ध में मारे गये छापों की सूची प्राप्त हुई है। जिस जिस जिलाधीश से मिलावट के सम्बन्धित मामलों की सूची प्राप्त हुई है उसकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) की सूची के कॉलम (4) में अङ्कित कर दी गई है।

(3) प्रश्न के भाग (1) की सूची कालम (5) में अङ्कित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में भू-संरक्षण अधिकारी का पद

331. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सबसे अधिक धोरा धरती एवं अधिक उड़कर भूमि का उपजाऊ भाग खतम करने वाला भू-भाग किस-किस जिले में है।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार रेगिस्तान को बढ़ावा देने में चूरू जिला अग्रणी जिलों में से एक है। यदि हां, तो आज तक चूरू जिले में कितना रुपया इस कार्य पर खर्च किया गया और कितना कार्य हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले में कोई भू-संरक्षण अधिकारी की पोस्ट कार्यालय में नहीं है तथा नागौर में है ? यदि हां, तो नागौर व चूरू जिलों में तीन साल के कार्य एवं खर्च की समीक्षा करे बतलाने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) राज्य में सबसे अधिक धोरा धरती एवं अधिक उड़कर भूमि का उपजाऊ भाग खतम करने वाला भू-भाग जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुन्झुनूं, सीकर, श्रीगंगानगर और जोधपुर जिलों में है।

(2) जी हां चूरू जिले में 1971-72 से 1973-74 तक किए गए भू-संरक्षण कार्य पर व उन पर हुए व्यय की सूची परिशिष्ट (ख) में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृषि मन्त्री)

(3) जी हां। नागौर व चूरू जिलों में गत तीन वर्षों में हुए भू-संरक्षण कार्य व उन पर हुए व्यय की सूची (ब) (स) (द) में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाडमेर नगर में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण

332. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की ओर से पशु चिकित्सा अस्पताल के कितने भवन विभिन्न जिलों में किन-किन स्थानों में अब तक बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में अभी तक पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण नहीं किया गया यदि हां, तो उपेक्षा के क्या कारण हैं ? अब कब तक इसके बारे में स्वीकृति कर कार्य शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अर्थाभाव के कारण बाड़मेर में पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही जिले में अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवारों को आवास हेतु पट्टे

334. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में भूमि आवंटन अभियान के दौरान सिरोही जिले के किस किस गांव व पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवारों को आवास हेतु पट्टे दिये गये ? तथा उनके मकान बनाने के लिए क्या योजना है। कृपया दिये गये पट्टों की पंचायत वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इसी प्रकार नगरपालिका क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवारों को निःशुल्क पट्टे देने की योजना है ? यदि हां, तो पट्टे देने का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(3) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के पंचायत क्षेत्र के गांवों में अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवार लम्बे समय से बसे हुये हैं उन्हें अपने आवास के मकानों के पट्टे नहीं दिये गये हैं और इसलिये वे परिवार पट्टों के अभाव में अपनी सहकारी समिति बनाकर मकान बनाने हेतु कर्जा नहीं मांग पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें भी तत्काल पट्टे दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के 402 ग्रामों में 5201 परिवारों का इस अभियान में आवंटन किया गया।

(राजस्व मंत्री)

(2) राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) अभियान के अन्तर्गत केवल उन्हीं लोगों को जिनके पहले आवासीय भू-खण्ड नहीं थे 150 वर्ग गज के पट्टे दिये गये हैं। जो बिना आज्ञा रह रहे हैं उनका नियमन नियमानुसार किया जाता रहा है।

बीकानेर डिविजन में वन विभाग द्वारा कायम किये गये भू-संरक्षण केन्द्र

334. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर डिविजन में राज्य सरकार ने कई स्थानों पर भूमि को घेर कर वन विभाग ने भू-संरक्षण क्षेत्र कायम कर रखे हैं? यदि हां, तो कितने-कितने बीघों के कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या बीकानेर डिविजन में इस भयंकर अकाल में उपरोक्त क्षेत्रों में या इनके किसी भाग में सरकार बीकानेर जिले के अकाल पीड़ित किसानों के मवेशियों को मौत से बचाने हेतु उनके मवेशियों को चराने हेतु किन्हीं शर्तों के आधार पर व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार गाढ़वाला बीड़ में मवेशियों की चराई हेतु कीमत मवेशियों के मालिकों से वसूल करती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और किन-किन मवेशियों की?

(4) क्या सरकार उपरोक्त गाढ़वाला बीड़ में इस अकाल में तहसील बीकानेर एवं लूणकरनसर तहसील की राठी नस्ल को बचाने हेतु केवल गायों हेतु इस बीड़ को रिजर्व वर्षा तक के अर्से में करके लागत व हर्जा अकाल राहत विभाग से लेकर अकाल पीड़ितों की मदद करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) जोहड़-बीड़ बीकानेर के तीन पैंडोक्स को छोड़कर शेष सभी पैंडोक्स में चराई की अनुमति दे दी गई है।

(3) जी हां, चराई निम्न दर से वसूल की जाती है:—

गाय—4 रु. व बछड़ा,–बछड़ी 2.00 रु.
भैंस—6 रु. व पाड़ा–पाड़ी 3.00 रु.
भेड़, बकरी—2.50 रु.
ऊंट—20 रु.,

(4) जी नहीं। इस बीड़ के रकबे में आस-पास के गांवों व बीकानेर के पशु चरते हैं। चारा पर्याप्त नहीं होने से इस क्षेत्र का केवल बीकानेर व लूणकरनसर तहसीलों की राठी नस्ल की गायों के लिए ही सुरक्षित रखना संभव नहीं होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का परमानेन्ट एलॉटमेन्ट

335. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग द्वारा परमानेन्ट एलॉट में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को भूमि से वंचित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कृपया इस क्षेत्र के दिनांक 31-12-74 तक परमानेन्ट एलॉटमेन्ट का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में अनेकों सुवर्णों को अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आधार पर जाली रूप से परमानेन्ट अलॉटमेन्ट किये हैं ? अनुसूचित जाति एवं जन जाति के नाम पर की जाने वाली आवण्टित भूमि का विवरण अंकित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की बहुत ही उपजाऊ भूमि तहसील रावतसर, नोहर सूरतगढ़ नं. 1, सूरतगढ़ नं. 2, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना में बड़े बड़े भू-स्वामियों को फर्जी भूमिहीन के सर्टिफिकेट जारी किये जाकर उनको नीलामी में आवंटित की है ? उपरोक्त क्षेत्र में नीलाम की गई भूमि का विवरण मय तादादी बीघों के खरीददार के पूरे पते, चक मुरब्बा एवं किले नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार उपरोक्त फर्जी कार्यवाहियों में दी गई भूमि के भू-धारकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या, कब और कैसे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के काश्तकार जो ऐसे विभिन्न श्रेणियों के नीचे आते हैं उसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। अनूपगढ़, घड़साना व सूरतगढ़ नं. 3 में भूमि नीलाम की गई इसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) यदि कोई गलत तथ्य ध्यान में लाया जावेगा तो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11 व 14 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के वन क्षेत्रों में पशुओं की चराई की व्यवस्था

336. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रत्येक जिले में वन विभाग के अन्तर्गत किस-किस गांव में कब-कब से कितने-कितने बीघों या एकड़ों के क्षेत्रफलों के जोहड़ या वन क्षेत्र हैं ? प्रत्येक ऐसे क्षेत्र का उल्लेख अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामसिह कुड़ी)

(2) राजस्थान में जो भी वन क्षेत्र हैं उनमें से किस-किस वर्ष में 1974-75 में पशुओं की चराई कराने की व्यवस्था की गई है, एवं कौन-कौन से वन क्षेत्र में चराई मुफ्त में कराई जा रही है, एवं कौन कौन से वन क्षेत्र में चराई की सुविधा मुफ्त या चराई शुल्क पर भी नहीं दी जा रही है ?

(3) नागौर के गोगोलाव सड़क के दक्षिण में जो वन विभाग का वन क्षेत्र है उसका रकबा क्या है ? एवं किन-किन गांवों के कितने-कितने बीघा रकबे से यह वन क्षेत्र बना है ? यह वन क्षेत्र कब स्थापित किया गया है एव किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है ?

(स्थगित किया गया)

सीकर जिले में सीलिंग कानून के अन्तर्गत भूमि की प्राप्ति

337. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि अब तक प्राप्त हुई है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ भूतपूर्व जागीरदारों ने फर्जी कृषि सहकारी समितियां बनाकर सीलिंग से बचने के लिये समितियों का गठन किया है ?

(3) उक्त जिले में जो सीलिंग से भूमि प्राप्त हुई वह भूमिहीन काश्तकारों में वितरित की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस जिले में अब तक 516 एकड़ भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त हुई है।

(2) जी नहीं।

(3) अब तक प्राप्त भूमि में से 130 एकड़ भूमि भूमिहीन काश्तकारों को वितरित कर दी गई है। शेष भूमि को वितरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत समितियों के फार्म

338. श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के पास जो फार्म थे उन फार्मों को वापिस राजस्व विभाग में सौंपने का आदेश सरकार ने दे दिया है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि जहां पर ऐसे फार्मों में पंचायत समितियों ने कार्य नहीं किया व निष्क्रिय रहीं हैं ? वहां पर उक्त फार्म कृषि, और पशु-पालन विभाग को लेकर प्रदर्शन के तौर पर अनाज एवं घास लगाना चाहिये यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विभाग ने उक्त विभाग के साथ विचार विमर्श किया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह आदेश (प्रति संलग्न है) केवल उन कृषि फार्मों के बारे में है, जिनकी भूमि पंचायत समितियों को राजस्व विभाग से दी गई थी।

(पंचायत मंत्री)

राजस्व विभाग को ये कृषि फार्म वापिस लौटाने के आदेश इसलिये देने आवश्यक समझे गये क्योंकि इनसे पंचायत समितियों को लगातार काफी हानि हुई है।

(2) ऐसी कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जयपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के बकाया ऋण

339. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक का ऋण बकाया ज्यादा है? अगर हां, तो कितना-कितना ऋण किस-किस में कब से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से सन् 1974 में कितनी बकाया रकम वसूल की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त बैंकों के बकाया की वसूली की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं, अब बकाया ऋण की वसूली कब तक कर ली जावेगी?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अकाल की समस्या के स्थायी हल हेतु योजना

340. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने अकाल की समस्या का स्थायी हल निकालने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें? यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति है? और कब तक योजना बना दी जायेगी?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राज्य में शराब, अफीम, चरस, गांजा व भांग की दुकानें

341. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में शराब (देशी, विदेशी) अफीम, चरस, गांजा, भंग आदि नशीली वस्तुओं की बिक्री कितनी दुकानों से हो रही हैं? ये दुकानें किस किस स्थान पर स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नशीली वस्तुओं की बिक्री से सन् 1970 से अब तक प्रति वर्ष कुल कितनी आय हुई? इस आय में से प्रबन्ध हेतु सरकारी मशीनरी आदि का पूरा व्यय कम करने पर कुल कितनी खरी आय होती हैं? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने एक अप्रेल सन् 1972 से पूर्ण शराब बन्दी का वायदा

(श्री मूलचन्द सामरिया)
किया था ? यदि हां, तो किस तिथि को, किसके द्वारा और कहां पर ?

(4) क्या सरकार अब उक्त वायदे से नहीं मुकरी ?

(5) क्या भविष्य में सरकार शराब व उक्त समस्त नशीली वस्तुओं की बिक्री को व प्रचलन को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(6) क्या सरकार के द्वारा उक्त वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबन्ध न लगाने से जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता ?

उत्तर

(1) देशी विदेशी शराब, भंग, पोस्त डोड़ा की दुकानें जहां-जहां स्थित हैं उनकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। चरस, गांजा की बिक्री पर रोक है अत: सूची प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अफीम बिक्री मेडीकल प्रमाण-पत्र के आधार पर विभाग से जारी किये अनुमति पत्रों के अनुसार सरकारी वेयर हाउस से प्रदाय की जाती है।

(2) उक्त नशीली वस्तुओं की बिक्री से सन् 1970 से अब तक जो आय हुई और व्यवस्था हेतु जो व्यय हुआ उसका मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3 व 4) जी हां, राज्य सरकार ने 18 जुलाई, सन् 1968 को शराबबन्दी के एक कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसके अनुसार 1-4-1972 से सारे राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी लागू होना था। तद्नुसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर की तीन तहसीलों के अलावा सन् 1970-71 में जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर जिले की तीन अन्य तहसीलों में शराबबन्दी लागू की गई। लेकिन राज्य में लगातार दुष्काल पड़ने एवं सरकार के सामने विकट वित्तीय संकट उपस्थित होने के कारण पूर्ण शराबबन्दी के आगे के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।

(5) जी हां, दिनांक 1-4-75 से राजस्व जिला चूरू एवं नागौर में पूर्ण मद्य निषेध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6) उक्त वस्तुओं के सेवन से होने वाले प्रभाव से सभी परिचित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के विभिन्न जिलों में योजनाओं के तहत व्यय की गई राशि

342. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में योजनाओं के तहत सन् 1973 से 1974 तक कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान की कुल कितनी आबादी है ? और जयपुर जिले की कितनी आबादी है ?

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(3) क्या यह सही है कि आबादी के अनुपात में अन्य जिलों से यहां पर बहुत कम व्यय किया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार अगली योजना में इस जिले पर अधिक राशि खर्च करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिलेवार योजना व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(2) राजस्थान की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 2,57,65,806 है एवं जयपुर जिले की 24,82,385 है।

(3) सन् 1973 व 1974 के जिलेवार व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(4) अगली योजनाओं में जयपुर जिले में खर्च उसकी आवश्यकताओं एवम् समस्याओं, राज्य के आर्थिक साधनों एवम् योजना की प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर किया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-75)

नाहरी का नाका जयपुर में शिव मन्दिर के पास सरकारी भूमि का अतिक्रमण

154. श्री गणेशीलाल (गंगरार) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका, जयपुर में जलदाय विभाग ने पानी की टंकी व बोरिंग का निर्माण किया है ? क्या इस सरकारी जमीन में एक शिव मंदिर है व सरकार ने अपने खर्च से अर्द्ध गोलाकार कम्पाउन्ड वाल का निर्माण किया है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित जलदाय विभाग व शिव मन्दिर की सीमा (अर्द्ध गोलाकार कम्पाउन्ड की आधार दीवार) के बाहर आस पास सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर शिव मंदिर की आड़ में कुछ थड़ियां व दुकानों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इन दुकानों व थड़ियों के मालिक व निर्माणकर्त्ता कौन-कौन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित कुछ थड़ियों व कुछ दुकान मालिकों का चालान म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों का चालान कब-कब किया था और म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट, जयपुर ने किस-किस पर किस-किस तारीख को कितना-कितना रुपया जुर्माना किया ? म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के निर्णय के पश्चात् नगर विकास न्यास, जयपुर ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित कुछ थड़ी वालों व कुछ दुकान वालों का चालान म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट, जयपुर की अदालत में नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार के पक्षपात का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित थड़ी मालिकों व दुकानदारों से माहवारी किराया ग्राम सेवक समाज

(श्री गणेशीलाल)
नामक समिति के नाम पर कोई व्यक्ति वसूल कर रहा है ? यदि हां, तो कब से कब तक किस-किस थड़ी वाले व किस-किस दुकानदार से कितना रुपया किराये के रूप में वसूल किया है ?

(6) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1 व 2) में वर्णित सरकारी जमीन ग्राम सेवक समाज, नाहरी का नाका, जयपुर को आवंटित कर दी है ? यदि हां, तो कब व कितनी भूमि ?

(7) क्या प्रश्न के भाग (2) में वर्णित थड़ियों व दुकानें ग्राम सेवक समाज ने दुकानदारों को अपने खर्चे से बनाकर किराये पर दे रखी हैं या स्वयं दुकानदारों ने अपने खर्चे से थड़ियां व दुकान स्वयं ने बनाई हैं ?

(8) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित अतिक्रमण को हटाने के संबंध में नगर विकास न्यास, जयपुर को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस माध्यम से, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसका क्या कारण है ?

(9) क्या सरकार प्रश्न के भाग (2) में वर्णित अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां, सूची संलग्न है।

(3) अतिक्रमणकारियों की सूची संलग्न है। म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में न्यास द्वारा जिन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध चालान पेश किए गए उन पर मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये जुर्माने तथा तिथि संलग्न तालिका में अंकित है। नगर परिषद् अधिनियम की धारा 203 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गये हैं।

(4) उस समय के अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध चालान पेश कर दिये थे तथा बाद में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध राजस्थान नगर परिषद् अधिनियम की धारा 203 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(5) इस मामले में विवरण उपलब्ध नहीं है। मामले की जांच कराई जा रही है।

(6) जी नहीं।

(7) जांच की जा रही है।

(8) जी हां, समय-समय पर इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर न्यास द्वारा म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान तथा नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर कार्यवाही की गई है।

(9) अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-3-75)

25 बी. बी. (पदमपुर) में ईंटों के भट्टे

178. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में कितनी ऐसी आबादियां हैं जिनमें पक्की

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
ईंटें पकाने के भट्टे मंजूर किये हैं और उन भट्टों को मंजूर किये जाने का क्या आधार है ?

(2) क्या यह सच है कि गांव जल्लूक (5, 6, आर. बी.) 23 बी. बी. (बेरा व टेलबा) की आबादी में उस गांव के लोगों की मरजी के बिना भट्टे चल रहे हैं और गांव के बाहर निकलने के रास्ते रुक गये हैं ?

(3) क्या यह सच है कि 23 बी. बी. के सरपंच ने 23 बी.बी. में और डेलवा के सरपंच ने डेलवा में अपने हिस्सेदारी में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भट्टे मंजूर कर रखे हैं ?

(4) क्या यह सच है कि 23 बी. बी. (बेरा) के नागरिकों के बार-बार 23 बी. बी. के भट्टे के संबन्ध में अधिकारियों के पास विरोध करने पर भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई ? क्या राज्य सरकार इस संबन्ध में भट्टों को बन्द करने के बारे में कार्यवाही करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में तीन आबादियां हैं जिनमें पक्की ईंट पकाने के भट्टे स्वीकृत किये गये हैं। उक्त भट्टे तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर की सिफारिश पर मंजूर किये गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। भट्टा नीलामी द्वारा अधिकतम बोली देने वाले के नाम आवण्टन किया गया था।

(4) जी नहीं। केवल ग्रामवासी 23 बी. बी. द्वारा चक 23 बी. बी. के मु. नं. 46 में भट्टा स्थापित करने के विरोध में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी जांच तहसीलदार, पदमपुर द्वारा कराई गई। इस रकबे में पहले से ही पी. डब्ल्यू. डी. का भट्टा था आबादी से 450 फुट की दूरी पर स्थित है तथा रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती अतः विरोध पत्र नस्तिबद्ध कर दिया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. सर्व श्री मोहम्मद गफ्फार अली, केदारनाथ, गिरधारीलाल भार्गव, मीठालाल व अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा कल दिनांक 17 मार्च से अपनी मांगों को मन्जूर कराने के सम्बन्ध में किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के ग्राम वासना में सन् 1971 में कुछ अनुसूचित जाति के भूमिहीनों भूमिहीन स्वर्ण काश्तकार व भूतपूर्व सनिकों को आवंटित की गई भूमि का कब्जा न मिलने के विषय में। इस विषय पर प्राप्त

(श्री अध्यक्ष)

एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को राज्य सरकार को तथ्यों की जानकारी देने के लिये भेजा गया है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

3. श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 17 मार्च को 'अमर उजाला' दैनिक समाचार-पत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग की उपेक्षा के आरोप के सम्बन्ध में श्री राजबहादुर, केन्द्रीय मन्त्री के एक वक्तव्य के प्रकाशित होने के विषय में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है।

4. श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के बिजली मजदूरों का अन्य कई उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों से कम वेतन मिलने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न हाल की किसी अविलम्बनीय लोकमहत्व की घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है,

5. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा तथा गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिहार जन-आन्दोलन को दबाने के लिये राजस्थान से पुलिस भेजने के विषय में। यह प्रश्न भी हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है और राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है,

6. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 22 फरवरी से तहसील सराड़ा के पास किन्हीं व्यक्तियों द्वारा एक बारह वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के विषय में। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय नहीं है,

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सीधा-सादा प्रश्न है। यहां राजस्थान विधान सभा में और विधान सभा के बाहर स्वर्गीय मुख्य मन्त्री महोदय श्री बरकत साहब ने यह घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति 21 अगस्त, 1971 तक कच्ची और गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं, उनमें आबाद हैं उनको बेदखल नहीं किया जायगा और उनको वहीं बसाया जायगा। परन्तु बहुत खेद का विषय है कि स्वर्गीय मुख्य मन्त्री की इस घोषणा के बाद भी सरकार को इसके लिये नियम बनाने चाहिए थे लेकिन नियम उसने नहीं बनाये और चाहे यू. आई. टी. हो या म्यूनिसिपेलिटी हो वह उन गरीबों के मकानों और झोंपड़ियों को जिनमें वे बस रहे थे, तोड़ रहे हैं और कोर्ट में भी इस सम्बन्ध में 150 केसेज गये थे जो घोषणा की गई उसके बारे में कोर्ट ने फैसला दिया कि—

"The result is that the above recommendation has become nothing but a piece of paper so far."

मुख्य मन्त्री ने जो घोषणा की थी कि 21 अगस्त 1971 वालों को बेदखल नहीं किया जायगा, मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में कोर्ट द्वारा इस प्रकार से जजमेन्ट देना स्वर्गीय मुख्य मन्त्रीजी की घोषणा का और इस सदन का अपमान है। आज वह मुख्य मन्त्रीजी न रहें उनकी जगह दूसरे मुख्य-मन्त्रीजी विराजमान हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं परन्तु कुर्सी रह जाती है। इसलिए

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
वर्तमान में जो मुख्य मन्त्रीजी हैं श्रीमान् जोशीजी उनका परम कर्त्तव्य है कि स्वर्गीय बरकत साहब ने जो घोषणा की थी निश्चितरूप से उसके बारे में नियम बनवायें और उनका पालन करावे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय 21 अगस्त 1971 को जो लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे थे उनके बारे में जो स्वर्गीय बरकत साहब ने घोषणा की थी उसके बाद भी जो लोग सर्वे से वंचित रह गये थे, जो लोग कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे और वर्षों से किरायेदार थे उन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और उनको उजाड़ा जारहा है। इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि सितम्बर के एन्ड तक उनको पानी, बिजली और सड़कों की हर प्रकार की सुविधा दी जायगी परन्तु वहां के निवासियों को कोई सुविधा नहीं दी गई और वहां पर हो यह रहा है किसी समय कभी वहां पर देश के राष्ट्रपति आते हैं और उनसे गरीब लोगों को, जो कच्ची और गन्दी बस्तियों में आबाद हैं, पट्टे दिलाये जा रहे हैं, वह सब नकली पट्टे हैं, केवल प्रचार के नाम पर पट्टे दिलाये जाते हैं और वे उनसे वापिस भी ले लिये गये और आज तक उन गरीब लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है। चाहे नाहरी का नाका हो या अन्य कोई जगह हो सभी जगह ऐसा ही हुआ है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अभी 15 फरवरी, 1975 तक की वोटर लिस्ट को अन्तिम रूप दिया गया है उसमें ये कच्ची बस्ती वाले भी हैं, उनके नाम भी शामिल हैं, इसलिए सरकार आज यह घोषणा करे कि 15 फरवरी, 1975 तक जो लोग कच्ची बस्तियों में आबाद हैं उन लोगों को नहीं हटाया जायगा, उनको बेदखल नहीं किया जायगा और उनको वहीं पर बसाया जायगा। और गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जैसी कि गांवों में सरकार ने घोषणा की थी, निःशुल्क भूमि दी, उसी प्रकार सरकार आज घोषणा करे। केरल और दिल्ली प्रशासन की भांति सरकार उनको मकान बनाकर भी देवे वरना जो 110 कच्ची बस्तियां आज जयपुर में हैं और राजस्थान में बहुत संख्या में होंगी उनके निवासियों का जीवन आज अधर-झूल से लटक रहा है और स्वर्गीय माननीय बरकत साहब ने जो घोषणा की थी उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई है। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात राज्य सरकार के लिये है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार आज घोषणा करे कि 15 फरवरी, 1975 तक जो लोग वोटर लिस्ट में आ गये हैं उन लोगों को बेदखल नहीं किया जायगा और उनको प्लॉट अलॉट किये जायेंगे, और निःशुल्क दिये जायेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, यह सरकार आज घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ सुझाव पेश करूंगा। 21 अगस्त की जो शर्त रखी गई है वह समाप्त होनी चाहिए। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से उन तमाम लोगों को, जो गांवों में आबाद हैं और जिनके घर नहीं हैं आवास के पांच लाख पट्टे दिये हैं. उसी प्रकार से जो लोग शहरों में

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

रहते हैं, उनमें से कौन-कौन लोग कहां कहां रह रहे हैं उनके मकान हैं या नहीं हैं, जिनके पास नहीं हैं उनको मकान मिलने चाहिएं और जिन लोगों को पट्टे अलॉट किये गये हैं उनको भी अभी कब्जा नहीं दिया गया है। उनको कब्जा दिया जाना चाहिए। और जो लोग पहले से जमीनों में रहते आये हैं, पचास-पचास साल से रहते हैं उनके बारे में निवेदन है कि राज्य सरकार एक कानून बनाये, वहां से उनको हटाया नहीं जावे और उनको जमीनें दी जायं। यह फैसला मेरा नहीं है चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेन्स में जब बरकत साहब गये थे, उस समय यह फैसला किया गया था और इन्दिरा गांधी ने भी कहा था कि सवाल यह नहीं है कि मकान किस किसको दिये जायं, बल्कि सवाल यह है कि जिनके पास मकान नहीं है उनको असलियत में मकान दिये जाने चाहिएं। यह फैसला हो चुका है। इस पर जो आप यह 21 अगस्त की शर्त लगाते हैं उनका भी सर्वे नहीं किया गया है मैंने रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि उन लोगों को बसाया जाय क्योंकि यह एक इन्साफ की बात है। उन लोगों के साथ इन्साफ किया जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिनको पट्टे नहीं मिले हैं उनको पट्टे दिये जायं और 21 अगस्त की शर्त को समाप्त किया जाय और जिनको प्रेसिडेन्ट द्वारा पट्टे अलॉट हो गये हैं उनको ऑवंटन कराया जाय। उसके अन्दर जो बाधा ब्यूरोक्रेसी की तरफ से पड़ रही है और जो जमीन रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में है या लोकल सैल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों की है उस पर जो रह रहे हैं उनको उस पर रहने दिया जाय, या और तरह की एकोमोडेशन दी जाय। नीलाम करने की प्रथा मैं उसूलन गलत मानता हूं। इससे फायदा होने वाला नहीं है। इससे राज्य सरकार को थोड़ा सा पैसा मिलेगा और वे बेघर हो जायेंगे। मेरा सिद्धान्त के रूप में निवेदन है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाय। ऐसा अगर आप एलान करेंगे तो हमारे माननीय सदस्य, प्रोफेसर केदार जो धरने पर बैठने वाले हैं, उनको धरने पर न बैठना पड़ेगा यह मैं अच्छा समझूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं भी इस पर दो मिनिट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दे दूंगा।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): लेटेस्ट समय ने, मौजूदा समय में, सारे राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, 10 लाख लोग कच्ची बस्तियों में और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। राज्य सरकार की उनके बारे में कोई निश्चित, डेफिनिट एण्टेन्गल्ड पॉलिसी आज तक हमारे सामने नहीं आई है। मान्यवर, यह मसला कई बार विधान सभा में क्वेश्चन के मार्फत, एडजोर्नमेंट मोशन के मार्फत, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मार्फत आया है, और इस पर दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई है। जब राज्य सरकार ने देहातों में हाउसिंग साइट्स का इन्तजाम करने के लिए 5 लाख पट्टे बांटे हैं तो राज्य सरकार की यह भी पॉलिसी होना चाहिए कि जितने शहरों में कच्ची बस्तियों में जो लोग बैठे हैं उनकी जब तक सर्वे न हो जाय, कोई नीलाम नहीं

(श्री केदारनाथ)
किया जाय और न उनको डेस्ट्रॉय किया जाय, और जिन लोगों के मकान नहीं हैं चाहे वे आज ही बैठे हों राज्य सरकार का फर्ज है कि उनकी मकानों की जरूरत को पूरा करे इसके पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स को, म्युनिसिपल कौन्सिल्स को, बोर्ड को यह हिदायत दे राज्य सरकार कि आयन्दा जब तक सर्वे न हो जाय कहीं पर भी तोड़-फोड़ न की जाय, न डेस्ट्रॉय किये जायं और न उनको बेदखल किया जाय । जानकारी के लिए आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव को भेजा है तो राज्य सरकार इसके बारे में स्टेटमेंट देगी । यह क्वेश्चन हम लोगों का नहीं है, किन्ही पोलिटिकल पार्टीज का नहीं है । इसको एक ह्यूमन क्वेश्चन के रूप में राज्य सरकार ले ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही कहना था कि इस घटना को महत्वपूर्ण नहीं माना है । यह व्यक्तिगत होते हुए भी ...

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत केसेज के मामले रूल्स में एडमिट नहीं होते हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह साधारण सी घटना बनवासी लोगों से संबन्धित है वह ऐसे क्षेत्रों में पड़े हुए हैं, वह पिछड़े हुए हैं और उनकी सामाजिक स्थितियों को देखते हुए आजादी के 27 वर्ष के बाद भी यह परिस्थिति बनी हुई है कि रास्ते पर से उनके बाल-बच्चों को, उनकी लड़कियों को कोई उठाकर ले जाय । इस प्रकार की घटना घटित हो और शासन निष्क्रिय बना रहे, यह बड़े आश्चर्य की बात है । 21 फरवरी की घटना है कि एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी है और हमारा शासन चुप बैठा है इससे ज्यादा और क्या महत्वपूर्ण घटना हो सकती है? वहां के रहने वाले जो बनवासी हैं वे अपने आपको असुरक्षित पाते हैं, यहां पर दिन प्रति दिन अराजकता न बढ़ जाय इसलिए मैंने स्थगन-प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहा है कि इन बनवासी क्षेत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाय जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और जो लोग इस घटना में अपराधी हैं उनको कठोर रूप से दंडित किया जाय, उनको पकड़ा जाय, और गिरफ्तार किया जाय, ताकि इस प्रकार की घटना आयन्दा न हो ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष, मुझे भी आपने आदेश दिया था ।

श्री अध्यक्ष : किस के बारे में ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : कच्ची बस्तियों के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके बारे में सिर्फ एक-दो मिनिट ही निवेदन करना चाहूंगा । आपका यह अनुरोध है और जैसा कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इन सारी बातों के बारे में बताया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 21 अगस्त 1971 तक का जो सर्वे किया गया है उसमें लगभग 10 हजार झोपड़ियां आती हैं इस जयपुर शहर में । इन 10

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
हजार झोपड़ियों में से 4656 व्यक्तियों को आज तक आवंटन किया जा चुका है। जहां तक कच्ची बस्तियों की जमीन की नीलामी का ताल्लुक है इसमें एक राजनैतिक प्रश्न पैदा कर दें तो बात दूसरी है और किस प्रकार से यह करते हैं इस को लेकर एक सम्माननीय सदस्य प्रोफेसर साहब घरने पर जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बिजली, पानी की सुविधाओं की बात है पिछले तीन वर्षों में जयपुर शहर में 60 हजार इन सारी सुविधाओं पर खर्च किये गये हैं। आज स्थिति यह है कि स्वयं कांग्रेस ने कैम्प में इस बात का जिक्र किया है····

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह मंत्रीजी की ओर से जवाब दे रहे हैं। सरकार की ओर से जवाब दे रहे हों तो बात ठीक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, लोगों को बेदखल किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि इनके यहां भी बुल डोजर्स चल रहे हैं। लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में बुल डोजर्स चल रहे हैं ··

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) आप सिद्धान्त पर चलिये ताकि सब को बोलने का मौका मिल जाय। आप बोलें और दूसरे नहीं बोलें तो ठीक नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि बुल डोजर चल रहे हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं····

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) वे क्या कहना चाहते हैं आप कुछ सुनें तो सही।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आप जाकर देख लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वहां पर इनके भाड़े के लोग शराब पीकर ऊधम मचाते हैं और यह चाहते हैं कि जो निर्माण का काम हो रहा है वह नहीं किया जाय। यह किराये के लोगों को ला ला कर सारे प्रदर्शन करवाते हैं और सारे निर्माण के कार्य में विघ्न डालना चाहते हैं। आप इनसे कहें कि निर्माण के कार्यक्रम में इस प्रकार से बाधा न डालें ···

(व्यवधान : अश्रव्य)

··· अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं ···

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) स्थगन प्रस्ताव की बात कह कर खुद तो उत्तेजना फैलाते हैं और दूसरा बोलता है तो आप उत्तेजित होते हैं। आप अपनी उत्तेजना को रोकें। कोई बात न कहें और सभी आप कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो प्रथम बार आपने घोषणा की थी कि 1955 के अन्दर जहां पर लोग बैठे हैं उनको रेग्युलेराइज किया जायगा ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सब आज ही थोड़े ही डिसकशन करना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे जो सुझाव देना है और निवेदन करना है उसके

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बाद में समाप्त कर दूंगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि वहां पर एक डिफिकल्टी आ रही है कि अब जो नये लोग बैठ गये हैं उनके बारे में क्या हो ? राज्य सरकार इस बारे में निर्णय ले। चाहे कल तक ही बैठा हुआ हो जब आप खुद इस बात को कह कर चलते हैं कि शहरों में हर परिवार के रहने के मकान की व्यवस्था करके देंगे तो मेरा अनुरोध है राज्य सरकार दुबारा सर्वे करा ले और अब तक जो ऐसे बैठे हैं उन लोगों को रेग्युलेराइज करने की बात करें। प्रोफेसर केदार, जिनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, से विनम्रतापूर्वक इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप उन लोगों के हाथ में न खेलें जो यहां पर निर्माण का काम नहीं होने देना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मेरा भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपका रेंफर किया गया है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह जो प्रश्न है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसके सम्बन्ध में दो-तीन बातें बता दूं। इस गांव में जो जमीन आवंटित की गई है वह 18-6-71 को हरिजनों को जमीनें दी गई। उसकी अपील की गई तो 19-5-71 को अपील खारिज हो गई और हरिजनों के पक्ष में फैसला हो गया। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह अपने जवाब में साफ करे कि जब कोई अपील दुबारा नहीं की गई और एक अपील उनकी अस्वीकार हो चुकी है और हरिजनों के पक्ष में फैसला हो चुका है तो वह जमीन उनको अब तक आवंटित क्यों नहीं की गई ? अपने उत्तर में बतलायें। उनको कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ?

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने लोक महत्व का नहीं माना है। मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान के विद्युत् कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि यहां पर धरने पर बैठे हैं, यह उनके सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विद्युत् कर्मचारी जो यहां पर धरने पर बैठे हैं यह मसला न सिर्फ राजस्थान का है, न सिर्फ यह राजस्थान के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, यह मसला भारत के विद्युत् कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विद्युत् विभाग में काम करने वाले मजदूर हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हजारों की तादाद में जो डेली वेजेज पर लगे हुए हैं या इस तरीके पर काम पर लगे हुए हैं उनको वाजिब वेजेज नहीं देते हैं। उनकी तनख्वाहें नाकाफी मुकर्रर की गई हैं। जो न्यूनतम वेतन मुकर्रर किये गये हैं उनसे भी कम उनकी तनख्वाहें हैं। देश के अन्दर चाहे कोयला माइन्स वाले मजदूर हों, चाहे स्टील प्लान्ट के मजदूर हों, चाहे सीमेंट प्लान्ट के मजदूर हों उनकी तनख्वाहें समय-समय पर बैठ कर कुछ इस तरह की जायं कि जिससे यह लगे कि उनको वाजिब खाने-पीने के लिए और सारे खर्चे के लिए मिलता है। विद्युत् विभाग के मजदूरों के

(श्री केशरीमल)

मसलों को कई वर्षों से हल नहीं किया जा सका है। इसलिए सारे देश के विद्युत् कर्मचारियों ने यह मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने इनकी तनख्वाहों का मसला हल करने के लिए एक कमेटी बैठाई है। कमेटी की मीटिंग में राजस्थान विद्युत् मण्डल के और बोर्ड के जो अधिकारी हैं वह हिस्सा ही नहीं लेना चाहते हैं और जाना नहीं चाहते हैं। उसकी वजह से आगे फैसला नहीं हो रहा है। इससे देश के और लोगों का भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ राजस्थान के विद्युत् कर्मचारियों का भी नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी यहां पर धरना देने के लिए आये हैं। मैंने ऐसा देखा है कि हर उचित मसले पर आपने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब हड़ताल हो जायेगी तो यहां के सारे प्रान्त में विद्युत् व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी। उद्योग-धन्धे भी बन्द होंगे। खेती का भी नुकसान होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्यों नहीं वहां जाकर भाग लेते हैं यहां के विद्युत बोर्ड के अधिकारी या जो कमेटी बैठी है? हजारों ऐसे मामले गलत किये हैं। एक ही आदमी की कमेटी बना दी है। जिनका होना चाहिए उनका तो हुआ नहीं है। जो तरक्की पाने के अधिकारी नहीं थे उनको तरक्की दे दी है। इसके साथ में बहुत से मसले जुड़े हुए हैं। उन मामलों पर विचार किया जाये अन्यथा हड़ताल होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आप थे ही नहीं उस समय।

श्री मीठालाल मीणा : अब आ गया हूं।

अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं, उनके सामने समस्या है। यह काफी वर्षों से है और आज भी बदस्तूर जारी है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, ये झुग्गी-झोंपड़ी वाले किराये के लाये गये हैं। मैं इसे उचित नहीं समझता हूं। गरीब लोग बस्तियों में रह रहे हैं, उनकी जो भी समस्या है उसको दूर करें। उनको सफाई और पानी की सुविधाएं दे सकते हैं। इन गरीबों को मकान बनवाने में सरकार सहयोग करे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीय राजबहादुर जी ने भरतपुर क्षेत्र का दौरा किया।

श्री अध्यक्ष : अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री मनोहरलाल : मैं उनके शब्दों को पढ़ रहा हूं। जो राजबहादुर जी ने कहे हैं उन्हीं को पढ़ रहा हूं।

"राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग की उपेक्षा के आरोप को यहां गत

(श्री मनोहरलाल)
दिवस केन्द्रीय मन्त्री श्री राजबहादुर ने संवाददाताओं के समक्ष दुहराया।"

श्री अध्यक्ष : साहब अखबार पढ़ने का नियम नहीं है।

श्री मनोहरलाल: केवल उनके शब्द हैं।

"श्री राजबहादुर ने कहा, धौलपुर में लगने वाला ट्यूब टायर का कारखाना तथा सवाई माधोपुर में लगने वाला सुपरजिक फास्फेट उद्योग इसके सबूत हैं। जो प्रदेश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण यहां नहीं लगे। उनमें से एक कांकरोली (उदयपुर) में लगा दिया गया तो दूसरा इस चक्कर में प्रदेश से ही बाहर भरतपुर जिला दिल्ली से 100 मील दूर की परिधि के अन्दर आता है फिर भी इसे उद्योगों के विकास हेतु राजधानी बेल्ट योजना में क्यों शामिल नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अखबार एडजोर्नमेंट मोशन के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री मनोहरलाल: इसमें उनके शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावना को समझ रहा हूं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग में मैं खुद भी था।

श्री अध्यक्ष : नियम की स्थिति यह है। किसके शब्द हैं या किसके नहीं, यह नहीं कह रहा हूं। News Papers are never quoted in the House,

श्री मनोहरलाल: इसके उत्तर में उन्होंने कहा यह भी राज्य सरकार की उपेक्षा का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा, इस योजना में शामिल करने की जिम्मेदारी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की है। राजस्थान के स्व. मुख्य मंत्री श्री बरकततुल्ला खां ने जो यद्यपि पश्चिमी क्षेत्र के निवासी थे, पर चूंकि अलवर से निर्वाचित हुए थे इसलिए उन्होंने इस जिले को शामिल करा दिया। उन्होंने कहा भरतपुर जिला इस योजना के लिए उपयुक्त है"।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजबहादुरजी केन्द्रीय मन्त्री हैं। राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय और वह एक ही पार्टी के हैं उनके द्वारा मुख्य मन्त्री पर आरोप लगाया गया है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय इसका सप्रमाण खण्डन करें। यदि नहीं करते हैं तो मैं सदन में मांग करता हूं क्योंकि वह आरोप को स्वीकार करते हैं इसलिए वह मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दें। नहीं तो यह माना जायेगा कि राजस्थान के पूर्वी भाग की जनता के साथ में उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है। उनका रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु: अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव यह है कि वहां पर आन्दोलन चल रहा है। श्री जयप्रकाशजी के द्वारा एक आन्दोलन चलाया गया था। हम यह मानकर चलते हैं कि देश का बहुत बड़ा भाग जयप्रकाशजी का आदर और सम्मान करता है। हम यह मानकर चलते

Page No 49

(49)

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

हैं कि उन्होंने बिहार का आन्दोलन चलाया वह शान्तिपूर्ण आन्दोलन था । उसको कुचलने के लिए राजस्थान सरकार ने यहां से पुलिस और आर. ए. सी. भेजी । इससे राजस्थान की जनता के दिल में और हमारे दिल में भी घृणा पैदा हुई अपनी सरकार के प्रति । और सरकार ने यहां से वहां, जिस आन्दोलन को शान्ति से चलाया जा रहा है उसको कुचलने के लिए राजस्थान सरकार ने पुलिस भेजी । बिहार सरकार ने पुलिस का प्रयोग किया । मैं इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव पेश कर रहा हूं । मैं यह चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने ऐसा कार्य किया है । इससे हमारे दिलों को ठेस पहुंची है । राजस्थान के लिए लोग क्या कहेंगे ? सदन में आपका बहुमत है लेकिन सदन से बाहर असंख्य लोग उनका सम्मान करते हैं । इतना बड़ा हिन्दुस्तान है । दूसरे प्रान्तों के लोग कहेंगे एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन चल रहा है उसका दमन करने के लिए, उस को कुचलने के लिए राजस्थान सरकार पुलिस भेजती है । यह किसी भी तरह से उचित नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मांग करता हूं कि मेरा स्थगन प्रस्ताव सबसे जरूरी है । और आपसे, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि आप इसको स्वीकार करें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में अगर कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है तो यह है जिसमें राष्ट्रीय और लोगों की जन भावना, एक तरह इस देश के तरुणों, देश के मजदूरों, देश के किसान और देश के जनप्रतिनिधियों और जनता के कार्यकर्ताओं, इन सबकी भावनाओं के संगम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान किया है । तो, अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर बिहार में ही नहीं भारत में स्थान स्थान पर जयप्रकाश जी का आन्दोलन चल रहा है । और, अध्यक्ष महोदय, यह तो निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि यह जन आन्दोलन है । जयप्रकाश जी के साथ प्रधान मन्त्री के डायलॉग की बात की जा रही है मोहन धारिया के द्वारा । तो मैं यह कहूंगा कि आज जो गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, भाई - भतीजावाद, आपाधापी चल रही है उसके विकल्प के रूप में यदि कोई महान् नेता देश के अन्दर प्रतिष्ठापित हुआ है तो वह हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के रूप में एक महान् नेता जनतंत्र के लिए प्रकाश लेकर आया है । अध्यक्ष महोदय, ऐसे महान नेता के द्वारा सारे देश का मार्ग प्रदर्शन करने के बाद में हमारी राज्य सरकार का इसमें क्या योगदान रहा है । यह एक शर्मनाक बात है, बिहार के अन्दर जन-आन्दोलन हो, बिहार की जनता जनतन्त्र की रक्षा के लिए उठ खड़ी हो, बिहार की जनता पटना की सड़कों पर 'जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद' के नारे लगाये और राजस्थान राज्य की पुलिस वहां पर जाय, यहां की पुलिस वहां पर लाठी लेकर जाये, पुलिस अश्रु गैस लेकर जाय और वहां पर जाकर जयप्रकाश नारायण की वाणी को बन्द करने का प्रयास करे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात राजस्थान राज्य के लिए नहीं हो सकती है । जयप्रकाश नारायण ने जो क्रांति का आह्वान किया है, हम ही नहीं इस देश के अधिकतर लोग इस विचार के हैं । इस कारण ही जयप्रकाश नारायण ने अभी अभी 6 मार्च को दिल्ली के अन्दर जो प्रदर्शन किया, उसमें दस लाख जनता

Page No 50

(50)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
उस महान् जन नेता के साथ थी, लाल किले से लेकर पालियामेन्ट भवन तक····

श्री दीपंकर : 1 लाख को 10 लाख कह रहे हैं।

श्री मनोहरलाल : 1 लाख को 2 लाख खुद बताते हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं स्वयं था, हमारे और सदस्य वहां थे····

श्री खेतसिंह : आपके जैसे महान्।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दस लाख जनता लाल किले से लेकर बोट क्लब तक थी सागर के समान, सागर के समान उमड़ती घुमड़ती, जैसे एक ज्वार के रूप में आ रही हो। इस प्रकार के एक जन नेता, महान् नेता का उदय हुआ है ·

श्री दीपंकर : आप तो पांच हजार की जनसंख्या को पांच लाख देखते हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऐसे महान् अवसर पर हमने इस विधान सभा में यह प्रस्ताव रखा है, यह स्थगन प्रस्ताव रखा है, इसके द्वारा एक ओर तो हम बिहार में चलने वाले जन आन्दोलन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें, दूसरी ओर बिहार के अन्दर पिछले साल और इस साल के बीच के अन्दर जन आन्दोलन के अन्दर जनता के सैकड़ों व्यक्तियों को शहीद कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, उनके प्रति हम इस सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करें, दो मिनिट खड़े होकर, यह मैं अपेक्षा करता हूं। मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री, पुलिस मन्त्री यहां पर उठ कर खड़े होकर सदन के सामने घोषणा करें, हमारे यहां की पुलिस गरीब जनता और भोले भाले आदमियों पर लाठी नहीं उठाती है, और जो जनतंत्र की रक्षा की मांग लेकर बिहार की जनता आन्दोलन कर रही है जो अन्याय के खिलाफ आन्दोलन कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन कर रही है, उस पर राजस्थान की पुलिस की लाठी नहीं उठेगी। मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय यह घोषणा यहां पर करें कि राजस्थान का एक भी पुलिस का व्यक्ति यहां से जाकर बिहार की जनता के आन्दोलन का दमन करने की स्थिति में नहीं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं, राजस्थान की गरिमा के अनुसार, राजस्थान के इतिहास के अनुसार, राजस्थान की तवारीख के अनुसार, जो राणा प्रताप से शुरू हुई और राजस्थान के अन्दर जयनारायण व्यास जी पैदा हुए माणिक्यलाल जी वर्मा पैदा हुए, जो कि देश की आजादी के संघर्ष के अन्दर लड़े, जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर जिन लोगों ने अपना जीवन स्वतन्त्रता संग्राम में दिया, जो 1942 की क्रांति के अन्दर जेलों में गये, उन जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजों को, फिरंगियों को भारत के अन्दर से भगाने के लिए बिगुल बजाया, अलख जगाया ऐसे महान् नेता विधान सभा बिहार के समक्ष जनता की बात को लेकर जाते हैं। उस बिहार की जनता में क्रांति की भावना पैदा करने वाले मुल्क में अलख जगाने वाले महान् नेता, 72 वर्ष के वयोवृद्ध नेता जयप्रकाश नारायण, देश के महान् तपस्वी, त्यागी और आज के ऋषि तुल्य महान् नेता जय प्रकाश नारायण····

श्री दीपंकर : आज जयप्रकाश नारायण राष्ट्रद्रोही हैं, प्रजातन्त्र को खत्म करने वाले हैं। उनसे हमारी कोई सहानुभूति नहीं हो सकती।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस प्रकार के XXX के बल पर जन-आन्दोलन को कांग्रेस सरकार दबा नहीं सकती है। इस देश में क्रांति का ज्वार आयेगा, यह मैं कह सकता हूं....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, आपने जो शब्द का प्रयोग किया है XXX इसको सदन की कार्यवाही में से निकाला जाय। माननीय सदस्य इस तरह से सदन के दूसरे सदस्य को सम्बोधित करते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : वहां पर सरकार से मुकाबला नहीं कर सके तो यहां पर माननीय सदस्य को इस प्रकार सम्बोधित करते हैं।

श्री दीपंकर : जो इस देश में प्रजातन्त्र की हत्या करना चाहते हैं, उन जयप्रकाश नारायण के लिए आप सहानुभूति चाहते हैं। आपने इस सदन में कहा, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। तो कहां जयनारायण व्यास और माणिक्य लाल वर्मा और कहां जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जो प्रजातन्त्र की हत्या करना चाहते हैं, के लिए आप सहानुभूति चाहेंगे तो हम नहीं देंगे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनिट, अध्यक्ष महोदय....

श्री गुमानमल लोढ़ा : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) I am holding the floor। मैं सदन में पहले खड़ा हुआ हूं। I am holding the floor.

श्री अध्यक्ष : Let him speak.

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अपने पैरों पर हूं। I would not allow any interruption.

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री गुमानमल लोढ़ा : I am holding the floor.

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं अर्ज करना चाहता हूं, सारे हिन्दुस्तान में....

श्री गुमानमल लोढ़ा : I am holding the floor.

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : कांग्रेस की सरकार है। आप देश में जनतन्त्र को खत्म करना चाहते हैं (शोरगुल-अश्रव्य) उसमें राजस्थान की जनता आपके साथ नहीं है। आप बिहार में सरकार का मुकाबला नहीं कर सके तो यहां पर इस तरह का वर्ताव इस भावना से करना चाहते हैं (शोरगुल-अश्रव्य) आप मुकाबला करिये। जंगे मैदान में चलिये। आप चुनाव में मुकाबला करिये। आप बैक डोर से आना चाहते हैं। इस पॉलिसी से आप घुस नहीं पायेंगे। जब तक कांग्रेस राज्य करेगी, तब तक यह पॉलिसी नहीं चल पायेगी।

(शोरगुल-अश्रव्य)

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री दीपंकर : आप पुलिस की बात करते हैं। हमारे स्वयं सेवक भी वहां जायेंगे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : I am holding the floor.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XX सारे बोल चुके। बैठ गये।

श्री अध्यक्ष : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं, आप एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ बोलें तो उसका नतीजा क्या है? स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमको भी मौका दीजिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पार्टी पॉलिसी को क्यों इन्वाल्व करते हैं?

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा!

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पार्टी पॉलिसी को इन्वाल्व क्यों करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने निवेदन किया था कि इस प्रकार पार्टी पॉलिसी को इन्वाल्व न करें। He must not involve party.

श्री गुमानमल लोढ़ा : नो XXX पुराण!

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप पार्टी को इन्वाल्व नहीं कर सकते। आप पुलिस की बात करते हैं, हमारे स्वयं सेवक वहां जायेंगे। आप पुलिस से क्यों डरते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप उजबेकी टोपी लगाकर क्यों XXXX करते हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों में से XXX कौन है? दोनों में से XXX कौन कर रहे हैं?

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारे देश के अन्दर महान नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा लाखों व्यक्तियों को अंग्रेजों, फिरंगियों के खिलाफ खड़ा किया गया इस बात का प्रमाण इतिहास है। 1947 के अन्दर अंग्रेजों ने हमें सत्ता सौंपी, आजादी आई उसके मूल में यही कारण था। जहां महात्मा गांधी स्वतन्त्रता संग्राम के जनक थे, जन आन्दोलन के, पंडित नेहरू की उसमें प्रेरणा थी और उसे देश के अन्दर एक क्रान्तिकारी मोड़ देने का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण को····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : बहुत देर से पहचाना आपने।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री दीपंकर : बिड़ला से जिन्होंने पैसा लिया उनको····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो निहित स्वार्थ के लोग हैं····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप हिस्ट्री और तवारीख देखिये। आपने

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
कितनी गालियां दी हैं। आप हिस्ट्री को देख कर पढ़िये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो निहित स्वार्थ के लोग हैं, जिनके सत्ता में इतने समय तक रहने के कारण निहित स्वार्थ पैदा हो गए हैं वह देश को प्रगति की ओर मोड़ देने वाले महान् नेता का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, स्टेटस को बदलने के लिए, डायनेमिक एप्रोच करके एक बदलाव लाया जाय। जो देश के भूखे और नंगे लोग हैं, इनमें इस देश के महान नेता अलख जगा रहे हैं। राजस्थान की पुलिस वहां जाय....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जयप्रकाश नारायण को राजस्थान की जनता की सहानुभूति नहीं मिल सकती है। आप जनतन्त्र की हत्या करने वाले को जनतन्त्र का हिमायती कहते हैं...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं मुझे दुःख है....

श्री दीपंकर : आप भगवा टोपी को छोड़ कर किसका समर्थन कर रहे हैं। जो....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : I am holding the floor.

आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप बेतहाशा होकर, इस तरीके से बात करके जयप्रकाश नारायण की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं - इससे स्पष्ट लग रहा है कि यह आपसे निहित स्वार्थ करा रहा है। आप इतने अन्धे और बहरे हो गये हैं कि देश की हालत को देखने और आवाज को सुनने को तैयार नहीं हैं। इसलिए ही राजस्थान की पुलिस को बिहार में भेज कर वहां पर जन आन्दोलन का दमन किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस वहां पर जाय, और पटना की सड़कों पर आकर जो जनता यह कहे, यह महंगाई नहीं चलेगी, यह भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गफूर मन्त्रिमण्डल को भंग करो, जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद, उस जनता के ऊपर राजस्थान की पुलिस लाठियां चलाये, उन पर गोलियां चलाये, उन पर अश्रु गैस चलाये, छोटे छोटे बच्चों को बन्दूक की नोक पर उछाल उछाल कर समाप्त कर दे, जो माताओं और बहिनों के साथ में अत्याचार करे ....

श्री अध्यक्ष : You are not speaking on adjournment motion.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह जनतान्त्रिक एप्रोच नहीं है, यह जनतान्त्रिक रास्ता नहीं है, असेम्बली बन्द कराने का, यह जनतान्त्रिक एप्रोच नहीं है प्रेगमेटिक एप्रोच है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मन्त्री को, मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को शांति से अपील करना चाहता हूं, बिहार की जनता के शहादत के नाम पर अपील करना चाहता हूं, मैं इस देश के लाखों लोगों के नाम पर अपील करना चाहता हूं कि अगर इस देश के अन्दर जन-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तान्त्रिक क्रांति लाना चाहते हैं तो राजस्थान की पुलिस को बिहार से वापिस बुलाना चाहिये ताकि हम आततताइयों की श्रेणी में नहीं आयें। आज ही आप यह घोषणा कीजिये कि राजस्थान की पुलिस रक्षा के लिए आयेगी रक्षक बनकर काम करेगी, भक्षक का काम नहीं करेगी। हमारी जो आरक्षी है, वह नर भक्षी नहीं है। वह जनता की सुरक्षा करने वाली है, गरीबों के सिर पर लाठी बरसा कर खून बहाने वाली नहीं है। ऐसे लोग राजस्थान की धरती पर नहीं जन्मे हैं इसका सारा दायित्व राज्य सरकार पर है। क्या बिहार की पुलिस कम थी, क्या हरियाणा की पुलिस कम थी कि जो हमारे हरिदेवजी जोशी ने अपना नाम बन्सीलाल के साथ जोड़ लिया और राजस्थान पर कलंक लगाया····

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन के संचालन की जिम्मेदारी मुझ पर है या आप पर है? हर बार आप बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं? जहां मैं वाजिब समझता हूं, हर एक को मौका देता हूं, किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं। क्षमा करें।

(श्री गुमानमल लोढ़ा से) जल्दी समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो आज सदन में उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे विवेक से काम लें जनता की आकांक्षाओं को देखने की कोशिश करें, दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, सड़कों पर जनता क्या चाहती है, उसको देखें। केवल निहित स्वार्थों के कारण कि यहां बैठ हुए हैं और वहां बैठे हुए हैं, करोड़ों लोगों को आपने सख्ती से लाठी, गोली से दमन करके उनके अरमानों और आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया तो वे तो खड़े होकर कहते हैं, बिहार की सड़कों पर कह रहे हैं कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। कातिल की लकड़ियां राजस्थान से जायं, आप उस···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो सरकार घोषणा करे कि राजस्थान सरकार की पुलिस दमन नहीं करेगी। नहीं घोषणा करेंगे तो हम आग्रहपूर्वक सम्मानपूर्वक सदन में सरकार को बाध्य करेंगे, सारी कार्यवाही जिसके द्वारा हम बजट पास कर देते हैं, एक काम होता है, दूसरा काम होता है, उसको छोड़कर इसी काम पर जनता को जागरूक करने की जन भावनाओं का आदर करेंगे। आप घोषणा करें कि राजस्थान की पुलिस बिहार से वापस बुलाई जायगी? शहीदों को श्रद्धांजलि और जय प्रकाशजी को धन्यवाद, यह तीन प्रस्ताव पारित करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हम आपके विचारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय···

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : हम यह चाहते हैं कि यदि सभी का बोलने का विचार है ···

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी गुजारिश यह है कि यह जो स्थगन प्रस्ताव यहां पर रखकर वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है लोगों को बहकाने की, हमारे दल को भी दो तीन मिनट का समय दे दें, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो इनकी मांग है····

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनको समय दे दें, कोई ऐतराज नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक तरफ तो जनसंघ अखड भारत की बात कहता है इसलिए अगर राजस्थान की पुलिस यहां से····

श्री भानुकुमार शास्त्री : इनको समय दिया जाए हमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनको भी सुन लें फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दें, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दें।

श्री अध्यक्ष : तो आज का सारा समय इस विषय पर ही लगा दूं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जब देश सुलग रहा है ···

(शोरगुल:-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने तो कुछ नियमों की परिधियां हैं। जो कार्य सूची कार्य सलाहकार समिति ने बनाई है, उसमें आज का विषय तय किया है मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और आज की विषय सूची के अनुसार आज का कार्य संचालन करना पड़ेगा, और इसलिए इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जब संयदाना की स्वीकृति के बिना शादियां हो गई, नियम समाप्त हो गए····

श्री अध्यक्ष : काफी बात होगई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके दो स्थगन प्रस्ताव हैं, दोनों पर मैंने इजाजत दे दी। अब बोलने नहीं दूंगा। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(शोरगुल)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान की पुलिस····

श्री अध्यक्ष : आप किसकी वकालत करना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : आप जानते हैं कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जिसमें गंभीरता न हो। यह सवाल इस प्रकार का है कि इसके कई विशेष कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा आपकी व्यवस्था का सम्मान करता रहा हूं और करूंगा और कांग्रेस दल भी अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो उनको विचार प्रकट करने चाहिए क्योंकि यह प्रश्न सबसे गंभीर प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : किसी और मौके पर....

श्री रामकिशन : हमारे बजट में देखेंगे कि राजस्थान से जो हमने पुलिस भेजी है उस पुलिस का खर्चा हमारे बजट पर दिखाया है। आज विहार से कुछ लोग आए हैं, हम आपकी मुलाकात करायेंगे उनसे। चूंकि राजस्थानी विहार में रहते हैं और हमारी पुलिस ने जो वहां पर व्यवहार किया है उससे बिहारियों और राजस्थानियों का विवाद बिहार में खड़ा हो गया। हम सदन के मार्फत अपनी भावनायें बिहार के लोगों तक पहुंचाना जरूरी समझते हैं। माननीय गुरदयालसिंह और लोढ़ा जी ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए। यह बहुत अर्जेंट मैटर है। आज सवाल यह नहीं है कि आन्दोलन जनसंघ द्वारा या जे. पी. या प्रतिक्रियावादियों द्वारा संचालित हो रहा है। सवाल यह है कि जो सरकारें जनता का विश्वास खो दें, जिन सरकारों पर जनता का विश्वास नहीं हो, कांग्रेस दल का मुख्य मंत्री पर विश्वास नहीं, हाई कमांड का फैसला सुनते हैं कि वहां का कांग्रेस दल वहां के मुख्य मन्त्री को हटाना चाहता है, मन्त्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करीब 40 स्थान विधान सभा में खाली हैं, विधान सभा सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिए हैं ऐसी हालत में जब संविधान के अनुसार शासन चलाना मुश्किल हो रहा है और उसकी संभावना दूसरे राज्यों में फैलती जा रही है तो जरूरी हो जाता है कि सदन चिन्ता प्रकट करे। सदन में हमने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के सम्बन्धों की चर्चा की है, क्यूबा और चीन की चर्चा की है। इसलिये जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि अन्य राज्यों में जो घटनायें घट रही हैं उनका हमारे राज्य पर भी असर पड़ता है, इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को हर हालत में आज स्वीकार करके बहस की इजाजत दें।

आखिर विहार का झगड़ा क्या है ? कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। बिहार के नौजवान कह रहे हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, शिक्षा प्रणाली दूषित है उसमें परिवर्तन लाया जाये, चुनाव कानून पूंजीपतियों के पक्ष में है, जितनी जमीन है उसका बंटवारा किया जाये। जो भ्रष्टाचार निवारण की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिये कि पूंजीवादी समाज में भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब पूंजीवाद समाप्त होगा। इससे बढ़कर क्रांतिकारी आन्दोलन गत 200 सालों में यूरोप के दो तीन देशों को छोड़कर आज तक कभी नहीं देखा है और मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के सदस्य समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री दीपंकर : अच्छी तरह से समझ गए हैं।

श्री रामकिशन : मैं आपका मुकाबला तो नहीं कर सकता।

श्री दीपंकर : आप प्रजातंत्र प्रणाली को भंग करना चाहते हैं, हम उसके समर्थक नहीं हो सकते।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष जी, इन्ट्रप्शन्स की बाढ़ से आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। जहां तक आपकी आज्ञा का सवाल है ...

श्री दीपंकर : आसन ने यह प्रश्न बन्द कर दिया फिर कैसे खड़ा कर दिया ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री रामकिशन जारी रखें ।

श्री रामकिशन : तो मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, आज जो बिहार की समस्या है उसका निराकरण होना चाहिये । और उसके दो ही हल हो सकते हैं एक तो है कि जो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो आन्दोलन कर रहे हैं उनसे आप बातचीत करें । सरकार उनसे बातचीत करे । और अध्यक्ष महोदय, यह करना जरूरी है क्योंकि आज बिहार के अन्दर कोई सरकार ही नहीं रह गयी है मुख्यमन्त्री के खिलाफ वहां के एम.एल. एज. हैं । वह बाहर निकल नहीं सकते हैं । इसलिए वहां पर सरकारी काम-काज सारा का सारा ठप्प पड़ा हुआ है । वहां की पुलिस उनका साथ दे नहीं रही है । और ऐसी स्थिति में भी अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हल हो सकता है । तो यह रास्ता आप अपना नहीं रहे हैं । इसके अलावा हमारा यह भी निवेदन है कि आज जब बिहार की पुलिस वहां की सरकार का साथ नहीं दे रही है तो उन्होंने हमारी पुलिस को वहां पर बुला लिया है उस आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए । अध्यक्ष महोदय, बिहार की आज हालत यह है कि वहां पर हमारे राजस्थानी लोग बहुत मात्रा में वहां गये हैं जो कि वहां पर व्यापार करते हैं । वहां पर हर तीसरे मकान में आपको हमारे यहां का राजस्थानी मिलेगा । तो मेरा निवेदन है कि अगर राजस्थान की पुलिस वहां जाकर आन्दोलन को दबाती है तो वहां की जनता हमारे यहां के जो राजस्थानी वहां पर हैं उनके खिलाफ हो जायेगी और जिस प्रकार कि आसाम में पहले राजस्थानियों के खिलाफ वहां के लोगों ने राजस्थान के लोगों के मकान वगैरहा जला दिये थे और उनका सारा व्यापार ही समाप्त होने को जा रहा था और वहां पर राजस्थान के लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ था । वह स्थिति अब बिहार में पैदा होने का खतरा है । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप हमारी जो पुलिस वहां पर गयी है उसको यहां पर बुला लीजिये ताकि बिहार के लोगों का हमारे प्रति व्यवहार खराब नहीं हो ।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । आप मर्यादाओं में रहें ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो हमेशा से ही मर्यादाओं में रहता हूं । आप उन्हें कहें ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपको भी कहता हूं उन्हें भी कह रहा हूं ।

(शोरगुल)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय ऑन ए पोईन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : क्या है आपका पोईन्ट ऑफ ऑर्डर ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : It is gross defiance of the Chair, which should not be permitted.

श्री अध्यक्ष : Is that your point of order ?

श्री केदारनाथ : यह मसला एकेडेमिक और डेमोक्रेटिक दोनों हैं। दोनों ही रिलेवेन्सी का सवाल एक साथ नहीं हो सकता क्या।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री रामकिशन जी, आप जारी रखें।

श्री रामकिशन : इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन में सरकार द्वारा घोषणा की जानी चाहिये कि बिहार से पुलिस वापिस बुलायी जावेगी और अगर पुलिस को बुला लिया है तो दुबारा पुलिस राजस्थान की बिहार में नहीं भेजी जावे। आज अध्यक्ष महोदय, बिहार में राजस्थानियों के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे हैं इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अहम् मसला है यहां पर सरकार का स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि बिहार में राजस्थान की पुलिस नहीं जायेगी।

दूसरी बात मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस ने वहां पर अनियमिततायें की हैं। उसके लिए राजस्थान की पुलिस के जिन लोगों ने अनियमिततायें कीं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावे। मेरे पास बिहार के लोग आये और उन्होंने यह शिकायत की, यू. पी. की पुलिस से कोई वहां ज्यादती नहीं की और यह राजस्थान की पुलिस ने वहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी की है इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में काम कांग्रेस सरकार करे वह तो सही हो जाता है चाहे वह गलत ही हो लेकिन कोई दूसरा दल कोई कार्य करता है तो उसे सही नहीं मानते हैं। जैसे कांग्रेस ने केरल में जबकि कम्युनिस्ट की मेजोरिटी थी तब उसे भंग कराया गया। छंगाणी जी तो यह बात अच्छी तरह जानते हैं और मैं समझता हूं कि वह इससे सहमत भी होंगे। आज कांग्रेस विधान सभा भंग करती है गुजरात में तो सही है लेकिन बिहार में जहां पर इतने सदस्यों ने इस्तिफा दे दिया, सरकारी तन्त्र बिलकुल ठप्प हो गया है, छात्रों ने आन्दोलन कर रखा है, वहां पर यह विधान सभा भंग करने को राजी नहीं हैं स्थिति यह है कि मुख्य मन्त्री में सदन के माननीय सदस्यों का विश्वास नहीं। वह बाहर निकल नहीं सकता।

(व्यवधान-अश्रव्य)

विदेशों में इस प्रकार के आन्दोलन हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा आज घाना में, अलजीरिया में इस प्रकार के आन्दोलन हुए हैं और सत्ता बदली गयी है। इसके अलावा मैं आपको पूर्वी यूरोप का भी उदाहरण देना चाहूंगा इंगलैण्ड में तो अभी दूसरी बार चुनाव इसलिये हुए कि लेबर पार्टी ने जो आश्वासन जनता को दिये थे वह पूरी नहीं कर सके। आपने भी आश्वासन दिये और गरीबी हटाने के आश्वासन को पूरा नहीं करने के कारण इस्तिफा देना चाहिये था।

श्री दीपंकर : यह कोई स्कूल नहीं है जो आप हमको सबक पढ़ा रहे हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

Page No 59

(59)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, जो धोलपुर से आते हैं को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अभी युवा हैं, उनको पुरानी रूढ़ियों में विश्वास नहीं रखना चाहिये, उनका भविष्य नहीं मालूम किस मोड़ पर जावे इसलिए ध्यान रखने का जरूरत है। उन्हें तो प्रगतिशील बातों का हामी होना चाहिये और जो प्रगतिशील आन्दोलन हो रहे हैं उनका साथ देना चाहिये। यह पुराने जो कांग्रेसी हैं इनकी तो अब एक रूढ़ि बन गयी सो बन गयी इसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि रामकिशनजी की बुढ़ापे में बुद्धि····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामकिशन : मैं तो कांग्रेस में जो प्रगतिशील हैं उन्हें यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुनाव कानूनों में संशोधन के लिये, विधान सभा भंग किये जाने वाले जो जन हित के आन्दोलन हैं उनमें साथ दें। जो आश्वासन आप देकर आये हैं उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो आपको नये चुनाव कराने चाहियें ताकि जनता अपना मैनडेट दे सके। इंग्लैण्ड में तो मक्खन और डबल रोटी के भाव के कारण ही चुनाव हो गये। लेकिन यहां पर निहित स्वार्थ होने के कारण··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री दीपंकर : आप क्या निहित स्वार्थ की बात कर रहे हैं, जब एक बार अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी फिर इस प्रश्न को दुबारा उठाने की क्या आवश्यकता है।

श्री मनोहरलाल : तुम तो चमचे हो।

श्री रामकिशन : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं·······

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज। श्री रामकिशन जी Please continue.

श्री रामकिशन : तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज की राजनीति में यह अहम प्रश्न है। वैसे तो पूर्वी यूरोप में छंगाणीजी जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीति में परिवर्तन आ रहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज हंगरी में क्या हुआ है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें अब समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब आप हंगरी की क्या बात करते हैं। आपका तो जनाजा ही निकल गया है। आपकी तो पार्टी ही समाप्त हो गयी है आपका क्या है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दूसरी पार्टी पर हमला करते हैं तो आपको सुनना होगा।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्री मोहम्मद गफ्फार-अली) माननीय सदस्य ! जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य, संयम रखिये। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

(शोरगुल-अश्रव्य)

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य बीच में न बोलें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : न तो उनका विधान सभा में विश्वास है और न ही लोकतन्त्र में उनका विश्वास है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप अमेरिका की वकालत करना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आपसी गुफ्तगू हो जाय और फिर मैं आ जाऊं बीच में।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कम से कम इतना संयम रखना चाहिये····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जितना माननीय सदस्य ने समय लिया उतना कम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

कई माननीय सदस्य : यह हर्गिज नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मुझे भी वक्त दें एक्स्प्लेन करने के लिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकिशन : तो मैं निवेदन कर रहा था····

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन करना है कि XXXकहा जाता है····

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपXXXXX करते हैं, इसलिये कहने में क्या हर्ज है ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अगर सुनना चाहते हैं तो सुनो।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था किसान नेता····

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कर दीजिये।

श्री रामकिशन : मैं इस तरह से बोलना चाहता नहीं जैसा ये लोग बोल रहे हैं। वहां की हिस्ट्री को तो देखें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो देश में हालात पैदा हो रहे हैं, उन पर सदन को बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा । यह मैं नहीं कहता कि जयप्रकाशजी जो कहते हैं वह सब सही है । हम यह भी नहीं कहते हैं कि आप मानो हम कहते हैं आप सही माने वैसा करें । लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि देश के अन्दर जो इस प्रकार का वातावरण पैदा हो गया है आप इस स्थिति में कोई निर्णायक कदम लेने की स्थिति में हैं या

(शोरगुल)

नहीं ? और यदि आप इस स्थिति में नहीं हैं तो देश की जो स्थिति होगी उसके लिये आप जिम्मेदार होंगे । जयप्रकाशजी को मैं एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि जो सड़कों पर खून बहने की सी स्थिति पैदा हो गयी थी उसको उन्होंने रोक दिया, नियन्त्रित कर दिया इस आन्दोलन के जरिये से । जयप्रकाशजी ने नुकसान हमको दिया है । जयप्रकाशजी के आन्दोलन की एक उपलब्धि यह हुई कि सारे दल टूट गये । सेवा संघ जैसा दल भी टूट गया । कांग्रेस दल डांवाडोल हो रहा है । देश के अन्दर जो वैकूम पैदा हो रहा है और जहां जहां दुनियां के देशों में वैकूम पैदा हुआ है वहां लोकतन्त्र समाप्त हो गया है । मैं कांग्रेस दल के लोगों से अवश्य कहूंगा और एक बात का मैं स्वागत करूंगा कि आपका लोकतन्त्र में विश्वास है और आप राष्ट्रीयता में विश्वास रखते हैं लेकिन आज राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र की रक्षा के लिये कौनसी दिशा आप ग्रहण करना चाहते हैं वह करें ।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेरा जनाजा निकल गया । मेरा तो जनाजा कभी का निकल गया लेकिन जिनका जनाजा निकल गया वे मुर्दे दूसरों के कन्धों पर बैठ कर यहां आकर बैठ गये ।

कई माननीय सदस्य (विरोधी दल) : शेम: शेम:

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुर्दे भूत बन कर विधान सभा में आ गये ।

श्री रामकिशन : मैं चाहता हूं कि साम्यवादी और कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों को मौका दिया जाय । वे भी अपना दृष्टिकोण रखें । हम गलत हैं तो वे अपनी बात रखें ।

एक माननीय सदस्य : But we don't want to reply.

श्री रामकिशन : अगर हम उनकी बातों से सहमत होते हैं तो जरूर सहमति प्रकट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर ।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय,.....श्रमिकों के....

(शोरगुल-व्यवधान)

Page No 62

(62)

श्री अध्यक्ष : सुनिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ···के बारे में था।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री केशरीमल : यह कार्यवाही नहीं चलने देंगे ··

(शोरगुल - व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सुनिये। बैठिये माननीय सदस्य।

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : ····चैकों का भुगतान रोक लिया है। प्रबन्धकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार·······

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अब मैं समय नहीं दूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फैक्ट्री का उत्पादन·······

(शोरगुल - अश्रव्य)

·······मैट्रिक टन की उत्पादन

(शोरगुल - अश्रव्य)

और इस समय उत्पादन का प्रतिशत···

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा :
श्री गिरधारीलाल भार्गव :
श्री भानुकुमार शास्त्री :
} जयप्रकाश नारायण, जिन्दाबाद!

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुर्दाबाद!

श्री भानुकुमार शास्त्री : राजस्थान की पुलिस के अत्याचार ××××

(शोरगुल - अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री मोहनलाल छंगाणी : ····प्रोविडेन्ट फण्ड·······

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : जयप्रकाश नारायण

श्री भानुकुमार शास्त्री :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री मनोहरलाल :
श्री मूलचन्द सामरिया :
} जिन्दाबाद!

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुर्दाबाद!

(शोरगुल - अश्रव्य)

(पुनः माननीय सदस्यों द्वारा सदन में जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

×××× ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय,....

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष को आप सुनें नहीं, किसी सदस्य को नहीं सुने तो बात समझ में आ सकती है ....

(शोरगुल)

मैं तो अपनी बात कहता हूं। मैं तो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं।

श्री मोहरसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, कुछ बात कहना चाहता हूं ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, उनके पास कोई जवाब हो तो जवाब दें उसके बाद धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होगा ...

(शोरगुल-व्यवधान)

... इस प्रकार सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया जायगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने माननीय मंत्री महोदय को बोलने का अवसर दिया लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (शोरगुल : अश्रव्य) जिस प्रकार 7 मार्च को गोली काण्ड हुआ था ...

श्री मोहरसिंह : इस कुर्सी से मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के उप-नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं आप उसे सुनलें।

(शोरगुल - अश्रव्य)

मुझे खेद है , मुझे बहुत अफसोस है जो माननीय सदस्य सदन में.... मैं बहुत अफसोस के साथ अर्ज कर रहा हूं आपको मौका दूंगा मैं, सब माननीय सदस्यों, जिन्होंने अब तक सदन की गरिमा को कायम रखा है और सदन के नियमों के अनुकूल काम किया है। अध्यक्ष कहना चाहते हैं उसको सुनना नहीं चाहते हैं। किसी मेम्बर को नहीं सुने तो बात समझ में आ सकती है, किसी दल की बात को नहीं सुने, बात समझ में आ सकती है लेकिन अध्यक्ष कहें

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम तो आपको आदर देते हैं...हमने बहुत से प्रस्तावों पर विचार किया है। बिहार का विचार आया है, वे भी बोलना चाहते हैं और हम भी बोलना चाहते हैं। श्रद्धांजली अर्पित कर दी जाय और धन्यवाद का प्रस्ताव पारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था आप सब परिचित हैं इस बात से कि अपनी कुछ परम्परायें हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। जिस स्थगन प्रस्ताव के जरिये आप लाये हैं उस पर भी आगे जाकर किसी प्रकार से चर्चा हो सकती है। कोई सही तरीका हो तो चर्चा भी हो सकती है लेकिन स्थगन प्रस्ताव के जरिये कहने में मुझे आपत्ति है। किसी भी और तरीके से लेना चाहें, लायें। दिक्कत यह है कि आज स्थगन प्रस्ताव से लाये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कच्ची बस्ती का प्रस्ताव था। श्रीराम गोटे वाले का प्रस्ताव था। उसमें हम भी बोले हैं, वे भी बोले हैं ...

श्री अध्यक्ष : मैंने सबको मौका दिया है ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं ...

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : (अश्रव्य).... आप तो XXX हैं ...

श्री अध्यक्ष : उप नेता बोल रहे हैं उनको सुन लीजिये।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कुर्सी से मुझे अपने विचार प्रकट का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पहले उप नेता महोदय के विचार सुन लें फिर आपके भी विचार सुन लिये जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यहां तो सदन के नेता कुछ बातें कहें तो मुनासिब होगा।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मुझे विचार प्रकट करने का मौका दिया जाय। माननीय मंत्री महोदय से पहले मुझे मौका दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न पर बोलने का मौका दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पुलिस वहां गयी है और हमारे लोगों पर ...

श्री अध्यक्ष : सदन के उप नेता हैं इनको कहने का कुछ हक है ...

श्री मोहरसिंह : इस कुर्सी से मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उप नेता महोदय कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। हो सकता है मुमकिन है उसमें कोई आपकी ही बात हो।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसे आपने अस्वीकार कर दिया है। सत्तारूढ़ दल उसकी चर्चा करना नहीं चाहता है ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई जवाब हो तो जवाब दीजिये, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : उनकी भावना को क्यों रोकते हैं ? यही तो परम्परा नहीं है सदन की....

श्री मोहरसिंह : यह भी तो परम्परा होनी चाहिये कि कोई पार्टी अपने विचार प्रकट करें तो उसकी भी बात को सुना जाय ...

श्री परसराम मदेरणा : जिस विषय को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा गया है कि राजस्थान की सरकार ने बिहार सरकार की मदद के लिये रिक्विजीशन पर पुलिस फोर्स भेजी है। यह बात सही है कि आर.ए.सी. की एक बटालियन भेजी है ...

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

कई माननीय सदस्य (विरोधी दल) : शेम: शेम: ।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप भी तैयार रहना। और यह भी सही है कि वह बटालियन वापिस आ गयी है और वहां राजस्थान की कोई पुलिस नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट आइटम !

(शोरगुल-व्यवधान)

देखिये इस पर स्पष्टीकरण हो गया है और यह बात साफ साफ आ गयी है कि अब पुलिस वहां नहीं है ।

कई माननीय सदस्य (विरोधी दल) : पुलिस वहां भेजी ही क्यों ?

श्री अध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) : एक माननीय सदस्य आप में से बोल लें।

श्री रामकिशन !

(शोरगुल-व्यवधान)

मैं सब को समय देता हूं ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : एक मिनिट के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया था....

श्री अध्यक्ष : आपको तो मौका मिल गया ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : एक मिनट के लिए। मेरे स्थगन प्रस्ताव के समय मेरे और मेरे दल की ओर से कोई भी मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया गया लेकिन माननीय सदस्य जौहरी बाजार से आने वालों ने जयप्रकाश नारायण मुर्दाबाद के नारे लगाये ।

(शोरगुल-व्यवधान)

मैं अर्ज कर रहा था कि इससे मेरे दल को ठेस पहुंची है और यह भी मैं चाहूंगा कि अगर बाद में कई लोगों को राजस्थान की धरती पर यह पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा ।...

श्री केशरीमल : असेम्बली के अन्दर यह जो कुछ करना चाहें करें। इसका मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह है कि यह कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं और हमने नारे लगा दिये तो कहते हैं कि हम बाहर निपट लेंगे। यह रोज मीटिंगें तोड़ते हैं, रोज पत्थर फेंकते हैं ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री गुरदयालसिंह संधु : निपटने की कोई बात नहीं कही थी। मैं यह कहता हूं इसका जो असर है जनता पर बुरा पड़ेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं एक मिनिट के लिए कहना चाहता हूं। सदन के माननीय उप-नेता महोदय ने कहा कि हमने पुलिस भेजी है और आज पुलिस नहीं है, यह तथ्य है और यही हमने कहा था। हमने प्रस्ताव में मांग की है कि पुलिस नहीं है यह सही बात है लेकिन आज दुबारा विधान सभा के सामने धरना दिया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार के इन्सट्रक्शन्स के अनुसार सब राज्य सरकारों से निवेदन किया जा रहा है कि वह पुलिस

(श्री रामकिशन)

भेजें। हम इस पर आश्वासन चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में जब तक कि कोई व्यापक हिंसा या खून खराबा नहीं हो तब तक वहां राजस्थान की पुलिस नहीं भेजी जाये।....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : भेजी जायेगी।

कई माननीय सदस्य (विरोधी दल) : नहीं भेजी जायेगी।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सदन को गुमराह करने की बात करते हैं।

श्री रामकिशन : हम स्पष्ट आश्वासन चाहेंगे कि राजस्थान सरकार पुलिस नहीं भेजेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रजातन्त्र को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो भेजी जायेगी।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मोहरसिंह : आप मेरी पार्टी को बोलने नहीं देना चाहते हैं—इसका मतलब यह है ....

श्री रामकिशन : सदन के उप-नेता महोदय ने बोलने के बाद इशारा किया कि तुम हल्ला मचाओ। हम छोटे हैं, हम कमजोर हैं लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोग इस प्रकार आचरण करेंगे तो उचित नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपका आचरण है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : इसका मतलब यह है कि आप बोलते रहें और हम बैठ कर देखते रहें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, शासक दल का दिमाग हिमालय जैसा ठंडा होना चाहिए। तीसरा निवेदन मेरा यह है कि हमारी पुलिस की वजह से जो बिहारियों को कष्ट हुआ है और राजस्थान में भविष्य में कष्ट होने की सम्भावना है उस पर उप-नेता महोदय कोई राय दें तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोई कष्ट नहीं हुआ है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामकिशन : माननीय राजस्व मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि जो उन्होंने अपनी पार्टी को इशारा किया उसको वह वापिस लें और आगे कोशिश नहीं करें। जैसे कोई भीड़ को उत्तेजित करता है, इस प्रकार का उनका आचरण हुआ है। जैसे गांव में कोई कह दे 'मारो इसको।' यह आपके लिए उचित नहीं है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री दीपंकर : पार्टी को कोई इशारा नहीं किया।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री केशरनाथ : बिहार के आन्दोलन के बारे में.......

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाह रहा था आपके माध्यम से कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में रूलिंग पार्टी की सहमति से कई वार इस प्रकार के मौके आए हैं जब कि हमारे कॉन्स्टीट्यूशनल मैटर्स हों, इण्टरनेशनल मसले हों या पोलिटिकल अफेयर्स हों सभी मसलों पर चर्चा हुई है और मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में रूलिंग पार्टी के सहयोग से हमारे हाउस का स्टेटस, हमारे हाउस की डिग्निटी बढ़ी है। इसलिए आपने इण्डीकेशन दिया है कि यह पोलिटिकल इश्यु है और बिहारी आन्दोलन के साथ में कई इश्यूज क्रोप अप हुए हैं, कॉन्स्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक, नेशनल इश्यूज उन पर यहां पर चर्चा हुई है। क्योंकि 31 मार्च के बाद हम लोग छः महीने के बाद फिर मिलेंगे, इस बीच में जितना पीरियड गुजरेगा उसमें कितने अपहीवल्स आयेंगे, कितनी स्टीरिंग्स होंगी और कितने लाइन ऑफ थोट्स पैदा होंगे, कोई नहीं कह सकता। मगर एक आस्पेक्ट पर निवेदन करना चाहता हूं, रूलिंग पार्टी भी इस बात को मानती है कि अभी 27 सालों के अन्दर प्रोस्पेक्टिव में चेंजेज आई हैं, आपका एप्रोच और लाइन ऑफ एक्शन बदला है और आपके लाइन ऑफ थोट्स में स्टग्नेशन आ गया था·····

श्री दीपंकर : कोई चेंज नहीं आया है।

श्री केदारनाथ : जयप्रकाश के आन्दोलन से मेरा व्यक्तिगत तौर से ····

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : You are talking irrelevant nonsense.

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : इस आन्दोलन के बारे में क्या स्थिति होगी, कौन इसका फायदा उठायेगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा, मैं नहीं कह सकता। मान्यवर, क्योंकि मुझे इसके अप्रोच के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में कन्फ्यूजन है मगर आपकी थिंकिंग में नया डाइरेक्शन पैदा हो गया है। आपके अप्रोच ऑफ थिंकिंग इस प्रोसपेक्टिव में हुआ है और मान्यवर, कई नई अवेयरनेस पैदा हुई है। आप भी, मान्यवर, जानते हैं कि जयप्रकाश के आन्दोलन से नया कोहिजन आया है, नया तरीका मिला है और एकता बढ़ी है, यह जयप्रकाश के आन्दोलन की ही देन है कि नेशनल इश्यूज पर आप····

श्री दीपंकर : यह एकता प्रतिक्रियावादियों की हुई है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं हैं ······

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : मैं अर्ज कर रहा था कि बाबू जयप्रकाश का आन्दोलन एक नेशनल कौंसस को दिखाता है। एक मांग, कि बिहार विधान सभा को भंग किया जाय, को छोड़ कर अब वे इलेक्शन की बात को कहते हैं ······

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई नहीं छोड़ा है····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री केदारनाथ : मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि सी. पी. आई. का निजी विचार कुछ भी रहा हो, उसके माननीय सदस्यों से मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन

(श्री केदारनाथ)
सी. पी. आई. के प्रधान श्री डांगे साहब, जिनके प्रति मेरा बहुत सम्मान है, की बैंक ग्राउन्ड है, उनका आज का स्टेटमेंट है कि जयप्रकाश जी और इन्दिरा में डायलॉग इन इश्यूज पर हों तो हमें ऐतराज नहीं है। तो मान्यवर, नेशनल लेवल पर जो डायलॉग होने वाला है जिसके लिए सभी चाहते हैं कि दोनों में डायलॉग हो तो हम भी यह चाहते हैं कि उस डायलॉग के पहले हमें भी यहां पर चर्चा करने का मौका मिले, जिससे देश के अन्दर जो हलचल होने वाली है हम भी अपने विचार उस बारे में रख सकें। आपकी अध्यक्षता में हम भी अपने विचार व्यक्त कर सकें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैं भी कुछ कहूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो हमने क्षमायाचना करने के लिए कहा था····

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गंगानगर से आने वाले ने····

(शोरगुल अश्रव्य)

सुनिए। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने एक बात कही जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं और मैं पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे सदन में कठिन से कठिन प्रश्न आए हैं और बातचीत के जरिये वह हल हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसको बातचीत के द्वारा निराकरण न हो सके। आपस में बैठ कर कोई रास्ता हरएक चीज का निकाला जा सकता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप हाउस एडजोर्न कर दीजिए, बातचीत करके आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुनिए। कृपा करके मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। तो मैं इस प्रश्न को ऐसा नहीं मानता हूं कि जिस पर बातचीत नहीं हो सके। आज का जो इश्यू है कि राजस्थान से बाहर पुलिस बिहार भेजी गई, वह अब नहीं भेजी जावेगी इसके बाबत भी बातचीत नहीं हो सकती हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। प्रश्न केवल इतना है कि जिस रूप में यह प्रश्न सामने आया है मेरे सामने उस रूप में कितनी बातचीत कर सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं समझता हूं कि अगर काल अटेंशन मोशन भेज दें तो उस पर गवर्नमेंट भी तैयार हो जायेगी और बातचीत करने का अवसर मिल सकता है और चर्चा का समय भी मिल सकता है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर इस रूप में चर्चा नहीं हो सकती है। इसलिए यह बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि उस पर आपकी तरफ से जो स्थगन प्रस्ताव है उसके बजाय आप उस पर काल अटेंशन मोशन दे दें। काल अटेंशन मोशन आने पर मैं उस पर निश्चित कर दूंगा समय और उस पर चर्चा हो सकती है····

(व्यवधान-अश्रव्य)

सुन लीजिए। तो उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो समय निर्धारित करके इस विषय पर चर्चा हो जायेगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। जहां तक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का प्रश्न है आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी परम्पराएं कायम नहीं हों तो अच्छा है। आपका उद्देश्य यही है कि चर्चा

(श्री अध्यक्ष)
होनी चाहिए तो चर्चा के लिए मैं ना नहीं कहता। चर्चा करने के कई मार्ग हैं, कई संसदीय मार्ग हैं इस पर वह अवसर दिया जा सकता है। तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो काल अटेंशन मोशन का नोटिस भिजवा दें और समय निर्धारित होने पर चर्चा हो जाय। अब आगे की कार्यवाही चले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक बात तो हो जाय कि जो माननीय उप-नेता महोदय ने कहा है उसके लिए वे माफी मांगें....

श्री दीपंकर : बात तो आप बड़ी असत्य बोलते हैं लोढ़ा साहब ...

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : सुनिए।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज इसकी वर्षगांठ है, श्रद्धांजलि आज ही हो जाय और अगर आधा घण्टे के लिए एडजोर्न आप कर देंगे तो उस पर बातचीत कर सकते हैं और आपके यहां आते ही....

श्री अध्यक्ष : आप रीजनेबल वे में सोल्व करना चाहें तो मैंने आपको सुझाव दिया है, अगर नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में जब यह अध्याय खुला है और सब बातें हैं तो यह पांच दस मिनिट के लिए ले लें आज के दिन और आज जो बिहार के अन्दर सब जगह हो रहा है उसमें अपनी भी गरिमा का विषय है. राजस्थान की पुलिस वहां न जाय इस आश्वासन का डिक्लेरेशन कर दें तो फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

और मैं यह चाहता हूं कि यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी कि आसाम में जिस तरह से दंगे होते हैं और दो प्रदेशों के लोग आपस में मारवाड़ी-नोन मारवाड़ी, राजस्थानी-नोन राजस्थानी के इस विषय को लेकर आज बिहार के अन्दर....

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा अर्ज कर दूं आपको....

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री दीपंकर : डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर पुलिस को भेजने की जरूरत होगी तो पुलिस जरूर जाएगी...

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमारे इस सारे सदन के अन्दर उप-नेता की जिम्मेदारी काफी है और उन पर इस बात का उत्तरदायित्व है कि वह सदन की गरिमा रखें और वही अपने साथियों को कहें कि राउडिज्म करो, क्या यह अच्छी बात है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक दफा और निवेदन कर दूं मैं...

(शोरगुल—अश्रव्य)

(श्री अध्यक्ष)
मैं यह निवेदन कर रहा था कि ...

(शोरगुल–अश्रव्य)

(व्यवधान : अश्रव्य)

यह कोई तरीका है।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : इनका यह कौनसा तरीका है कि ये चाहे जो कहते जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपका बहुमत है तो पाशविक बहुमत के आधार पर चाहे जो कर सकेंगे ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप क्या कर रहे हैं ?

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये।

(शोरगुल)

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं यह अर्ज कर रहा था....

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने.......

(शोरगुल)

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनिट का समय दिया जाये ......

श्री अध्यक्ष : मैं आपके हित में ही बोल रहा हूं सुन लीजिये।

श्री मोहरसिंह : क्या आपके प्रजातन्त्र में मुझे दो मिनिट का समय मिलेगा ... मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रजातन्त्र में दो मिनिट का समय बोलने के लिए मुझे दिया जायेगा ....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाएगा ?

श्री मोहरसिंह : मुझे एक मिनिट का समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं तो समझ रहा था कि आपके सहयोग से इस समस्या को हल करूं परन्तु ऐसा लगता है कि आप यह समस्या हल करना नहीं चाहते....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का अपोजीशन सदा से नियम पालक रहा है.......

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इनको देख लीजिये। कैसे हूटिंग कर रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं यह निवेदन कर रहा था कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दस मिनिट की

(श्री अध्यक्ष)

चर्चा का सुझाव दिया है। मेरा यह निवेदन करना है कि दस मिनिट में इस विषय पर चर्चा पूरी तरह से नहीं हो सकेगी।

(शोरगुल)

मैं यह निवेदन कर दूं कि दस मिनिट में इस पर चर्चा नहीं हो सकेगी। सभी दल के सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और यह विषय दस मिनिट में पूरा नहीं हो पायेगा और इसके लिए और कोई समय निर्धारित करना पड़ेगा। दस मिनिट में यह नहीं हो सकेगा अतः निर्धारित कार्य-क्रम आगे का लिया जाये……

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट का समय मुझे बोलने के लिए दिया जाये…

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से एक आदमी बोले तो ठीक है। परन्तु दस आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपने नया दल कायम किया है, अच्छा किया है तो अच्छी परम्पराएं भी डालिये। एक आदमी बोले तो वह कुछ कह सकेगा।

(शोरगुल)

श्री मोहरसिंह : यहां पर तो यह परम्परा चल रही है कि विरोधी दल के सदस्य को नहीं बोलने दिया जाये…

(शोरगुल)

क्या यह परम्परा ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : मैं सब को बोलने का मौका देने की बात कह रहा हूं। सब को मौका मिलेगा। मैं किसी को ना नहीं कह रहा हूं…

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात…

श्री मनोहरलाल : दो मिनिट का मौका नहीं दे रहे हैं…

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट नहीं, दस मिनिट देना चाहता हूं। सबको समय देना चाहता हूं। अभी आपको बताया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब सदन चल रहा है और राजस्थान पुलिस वहां बिहार में भेजी गई है तो मेरा निवेदन है कि हमने यहां पर एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर सदन को विश्वास में लेना चाहिये और वहां पर पुलिस को नहीं भेजना चाहिये।…

श्री अध्यक्ष : आप सदन के सम्माननीय सदस्य हैं। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। तशरीफ रखिये। आगे का कार्यक्रम लेते हैं।… (शोरगुल) … एक बात मेरी सुन लीजिये। मैं यह समझ लेना चाहता हूं…

श्री गुमानमल लोढ़ा : कॉल अटेन्शन…

श्री रामकिशन : पांच मिनिट पहले मोहरसिंह को दिये जायें, उनको सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : केवल इतनी ही बात है। मोहरसिंह जी को मौका दिया जाता है…

श्री गुमानमल लोढ़ा : कॉल अटेन्शन…

श्री अध्यक्ष : Yes, but not today.

श्री मोहरसिंह !

ज्यादा समय नहीं लें ।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, काफी देर से स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चायें सुनने को मिलीं । अध्यक्ष महोदय, वास्तव में एक साल से बिहार के अन्दर एक आन्दोलन चल रहा है और यह आन्दोलन हमारी सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप चल रहा है । यह कांग्रेस गवर्नमेन्ट की 27 साल की नीतियों का परिणाम है, जो आज दिखाई दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में ही कहें ।

श्री मोहरसिंह : आपकी मेहरबानी है, थोड़ा समय दिया है । सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता की परेशानियां दिनोंदिन बढ़ रही हैं और उसी के परिणाम स्वरूप यह आन्दोलन शुरू किया गया और चल रहा है । अध्यक्ष महोदय, जो महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है और जनता की जो अन्य उग्र समस्यायें सामने आ रही हैं, उन सब समस्याओं को साथ मिलाकर बिहार में एक आन्दोलन चल रहा है । मेरी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, वह इस आन्दोलन के प्रति एक नजरिया लेकर चल रही है । उसकी अपनी एक विचारधारा है । उस विचार धारा को आगे बढ़ाते हुए जनता की समस्याओं को हल किया जाये, इस विचार से मेरी पार्टी इस आन्दोलन के साथ-साथ चल रही है । जहां तक जयप्रकाश जी के आन्दोलन का प्रश्न है हम उनके प्रोग्राम में अपने तरीके से सहयोग दे रहे हैं आज देश में राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, दो प्रकार की विचारधारायें चल रही हैं । हमारे सामने एक ही विचार धारा है । और वह है, देश की गरीब, आम अवाम की खुशहाली कौन से तरीके से हो, देश की गरीब जनता को फायदा पहुंचे । जहां तक आपत्कालीन स्थिति का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री मोहरसिंह : चुनाव में परिवर्तन करने का प्रश्न है, इसी तरह से पढ़ाई का सवाल है, इन सारे प्रश्नों के ऊपर हमारी पार्टी ने केन्द्रीय पार्टी ने कलकत्ता में बैठ कर विचार विमर्श किया है और इस विचार विमर्श के बाद जो नजरिया आया है, वह यह है कि कितना सहयोग जयप्रकाश जी के आन्दोलन में देना चाहिये । जो जनता की समस्यायें हैं उसके लिए वे अपने तरीके से आन्दोलन चला रहे हैं । पटना में पचास हजार व्यक्तियों का एक प्रदर्शन जयप्रकाश जी के समर्थन में हमारी पार्टी ने निकाला है । लेकिन एक तरफ देश में आपात् कालीन स्थिति है, दूसरी तरफ चुनाव पद्धति में परिवर्तन करने का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें । ...

श्री मोहरसिंह : साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, फन्डामेन्टल राइट्स का सवाल है, वहां तक हमारी पार्टी जयप्रकाश जी के आन्दोलन के साथ मिल कर चलने को तैयार है और चल रही है । इस बात के संकेत सब को हैं और जो निर्णय हुआ है वह भी सबको मालूम है । जहां तक इनकी समस्याएं हैं देश की समस्याओं का सवाल है और उसके लिए जो आन्दोलन चल रहा है, उसको दबाने के

(श्री मोहरसिंह)
लिए यहां से पुलिस को भेजा जाये, तो यह पुलिस के भेजने का तरीका एक फासिस्ट तरीका है। पुलिस को भेज कर वहां के आन्दोलन को दबाने का प्रयास जनतन्त्रीय नहीं है। इसलिए यह जो स्थगन प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो हमारी रीति नीति है, उसके अनुसार वहां पर पुलिस को आन्दोलन के लिए भेजना किसी प्रकार से प्रजातन्त्र के अनुकूल नहीं है, यह प्रजातन्त्र के साथ एक धोखा है। हम समाजवाद को और बढ़ाना चाहते हैं परन्तु यहां सदन में जो दृश्य देखने को मिल रहा है, एक पार्टी जो यहां पर वास्ट मेजोरिटी में बैठी है, वह हमको विरोधी दल को बोलने नहीं देती, समय नहीं देती, यह परम्परा ठीक नहीं है। यह प्रजातन्त्र के ऊपर आघात है। परन्तु यह ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। इसका ढांचा चरमरा रहा है और जल्दी ही गिरने वाला है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने वक्तव्य पढ़ दिया है दुबारा पढ़ दें ताकि जो सदस्य सुन नहीं पाये वे सुन लें। श्री मोहनलाल छंगानी-मन्त्री महोदय।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जोशीजी की तरह न पढ़ दें जो न तो अंग्रेजी पूरी तरह ठीक बोलते हैं और न हिन्दी ही ठीक बोलते है।

शासकीय वक्तव्य

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मन्त्री): जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर के श्रमिकों के वेतन बकाया रहने की अब कोई शिकायत नहीं है। जनवरी माह का वेतन 15 फरवरी तक चुका दिया गया था। फरवरी माह के वेतन के चुकारे में भी यह सूचना प्राप्त हुई है कि श्रमिकों का पेमेन्ट 15 मार्च से प्रारम्भ होकर चुकारा किया जा चुका है। अधिकारियों तथा स्टाफ का वेतन भी अधिकांशतः चुका दिया गया है। उनको वेतन एडवान्स के रूप में दिया जाता है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक ने चेकों का भुगतान रोक लिया है। प्रबन्धकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक का कर्जा 70 लाख रुपये न होकर 12 लाख रुपये के लगभग है। यह भी पूरी तरह सिक्योर्ड है।

यह कहना भी गलत है कि फैक्ट्री का एक बड़ा भाग बन्द है और फैक्ट्री में उत्पादन 30 प्रतिशत के लगभग हो रहा है। गत वर्ष जनवरी से दिसम्बर 74 तक सीमेंट का उत्पादन 70 हजार प्रति माह मैट्रिक टन की उत्पादन क्षमता के विरुद्ध 39 हजार मैट्रिक टन औसतन प्रति माह अर्थात् 30 प्रतिशत के बजाय 56 प्रतिशत हुआ है। जनवरी 75 के बाद उत्पादन बढ़ा है और इस समय उत्पादन का प्रतिशत 73-74 प्रतिशत के लगभग है। उत्पादन में कमी, कोयले, वैगन्स की कमी, रेल्वे की गत हड़ताल, मशीनरी की देखरेख तथा मरम्मत आदि के लिये भारी रकम की आवश्यकता आदि के कारण हुई है। प्रोवीडेन्ट फण्ड का फरवरी 74 से जुलाई 74 तक कुल 6.91 लाख रुपये बकाया है। इसके चुकारे के लिये प्रबन्धकों तथा प्रोवीडेन्ट फण्ड कमिश्नर के बीच यह तय हुआ है कि प्रबन्धक 1 लाख रुपये प्रति माह जमा करायेंगे तथा जो रकम देय है उसकी एवज में दुगनी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सिक्योरिटी भी देंगे। जो कर्मचारी नौकरी छोड़ जायेंगे उनके प्रोवीडेन्ट फण्ड का पैसा पूरा जमा करा दिया जायेगा तथा देरी से प्रोवीडेन्ट फण्ड जमा कराने के कारण जो पेनल्टी लगाई गई है, वह भी चुकाई जायगी। प्रबन्धकों ने उक्त राशि के विरुद्ध 2 लाख रुपये जमा भी करा दिये हैं। प्रोवीडेन्ट फण्ड एक्ट की धारा 14 के अनुसार प्रबन्धकों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमें भी दर्ज कर दिये गये हैं, जो चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर की कोर्ट में पेन्डिग हैं।

कम्पलसरी डिपोजिट एक्ट के अन्तर्गत प्रबन्धकों ने सितम्बर, 1974 से 5 जनवरी, 75 तक 1,28,963.82 पैसे जमा नहीं कराये थे। इसके विरुद्ध भी कम्पनी के डाइरेक्टरों को 17 फरवरी, 1975 को प्रोवीडेन्ट फण्ड कमिश्नर द्वारा नोटिस जारी कर दिये गये हैं। एडीशनल इमोल्यूमेन्ट्स (कम्पलसरी डिपॉजिट) एक्ट, 1974 की धाराओं का पालन न करने के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

राज्य सरकार की पानी की कोई रकम बकाया नहीं है। विद्युत् मण्डल की जो रकम बकाया है, वह किश्तों में चुकाई जा रही है।

कम्पनी की कुल शेयर केपिटल 3,75,00,000) रुपये हैं, जिसमें राज्य सरकार के 75 हजार प्रिफरेन्स शेयर्स हैं, जिनकी कीमत 75,00,000) रुपये होती है। राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को 31,66,000/- कर्जा दिया हुआ है।

यद्यपि कम्पनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, पर कम्पनी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेशन एक्ट की धारा 18(ए) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : इससे पहले कि आप लोग इस पर बोलें, आज की कार्यसूची में एक मुद्दा रह गया था उसको पूरा कर देते हैं।

नियम समिति का प्रतिवेदन

समिति का प्रतिवेदन
नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम समिति, 1974-75 के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

(1.55 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

शासकीय वक्तव्य पर अग्रेतर विचार

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय श्रम मन्त्रीजी ने जो बयान पढ़ा है इसमें यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि कम्पनी वाले ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। श्रमिकों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो कम्पनी आज अपनी पैदावार की क्षमता का 50 पर्सेन्ट ही पैदा कर रही है और जिस कम्पनी ने लाखों रुपये मजदूरों के बचा रखे हैं जो उनकी तनख्वाह का भी बकाया

(श्री केशरीमल)

है। आपने बोनस का भी इसमें जिक्र नहीं किया है। बोनस की भी बहुत रकम बकाया पड़ी है, बोनस का जिक्र या तो इसलिए नहीं किया गया कि माननीय मन्त्री महोदय को भाषण में लिखकर नहीं दिया गया या आपने जान बूझकर रख लिया और वह पैसा बोनस का मजदूरों को अभी तक नहीं दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.डी.एस. का सारा का सारा पैसा मजदूरों का अपने पास कम्पनी रख लेवे जबकि उसको इस पैसे को रखने का कोई अधिकार नहीं। पैदावार के बारे में जो आपने 56 प्रतिशत बताया है वह भी सही नहीं है, साल भर का एवरेज लें तो यह पैदावार 30-40 प्रतिशत ही निकलेगी। और निश्चित तौर से यह बात भी सही है कि ये कारखानेदार गवर्नमेंट का पैसा लेकर और मजदूरों का पैसा खा जाते हैं, उनको तनख्वाहें भी पूरी नहीं देते हैं, सी. डी. एस. का पैसा भी मजदूरों का काटकर अपने पास रख लेते हैं और उसको जमा नहीं कराते हैं, इसी प्रकार से ये कारखानेदार कारखानों को डूबोते हैं। कई कारखानों में ऐसा हुआ है, ब्यावर में महालक्ष्मी मिल और एडवर्ड मिल भी इसी प्रकार से बन्द हुई हैं। यह जो सीमेन्ट उद्योग है इसके मालिक भी लगातार जानबूझकर होशियारी से यही करते आये हैं और कारखानों को बन्द करके भाग जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई है, इस प्रकार से कारखानेदार कारखानों को बन्द करके चले जाते हैं और मजदूरों का पैसा कभी नहीं मिलता है यह एक जुर्म है। इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार स्वयं इसकी हिस्सेदार है ऐसे जुर्म करवाने में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मजदूर एक भी पैसा नहीं कटावे तो उनको वेतन नहीं मिलता है लेकिन उनका पैसा काटे जाने के बाद भी उनको वेतन नहीं मिले और उनके पैसे को जमा नहीं कराया जावे, यह एक प्रकार से अमानत में खयानत है। गवर्नमेंट क्या करती है? श्रम विभाग क्या करता है? मजदूरों के ऊपर इतना जुल्म किया गया है। प्रोवीडेन्ट फण्ड का लाखों रुपया मजदूरों का काटकर उन्होंने अपने पास रख लिया और कहते हैं कि समझौता हो गया है। ब्यावर में जो महालक्ष्मी मिल है उसके मजदूरों को अभी तक पैसा नहीं मिला है और मजदूर मर जाते हैं। उनके बाद उनके बच्चों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न खाली इतना नहीं कि इतना पैसा ले लिया और इतना पैसा नहीं लिया है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कारखाना जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, जिसकी पैदावार से हम प्रान्त के अन्दर की काफी सीमेन्ट की कमी को पूरा कर सकते हैं जिस कारखाने के मुनाफे से और कारखाने खड़े कर सकते हैं उस कारखाने को उसका मालिक खुर्द-बुर्द कर रहा है और यह सरकार अभी तक उस पर विचार कर रही है। मैंने दो दफा प्रश्न किये कि सरकार इस कारखाने को अपने अधिकार में ले। जब वह कारखाना साल दो साल में बिल्कुल बरबाद हो जाय उसके बाद लें। उससे पहले ही कारखाने को लेने का अधिकार है और उसको इस कारखाने को ले लेना चाहिए। उसके लिए जांच बैठा दें चालू कारखाने पर और दो महीनों के अन्दर उसको घोषित करके कारखाने को

(श्री केशरीमल)

हस्तगत कर लें ताकि कारखाना और ज्यादा खराब न हो जाय और मजदूरों को बिल्कुल बरबाद ही न कर दिया जाय, और हमारे देश की पैदावार न मारी जाये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको काफी मुगालते में रखा है या आप खुद ही यह मुगालते की बात कर रहे हैं। आप एक बात कर सकते हैं, सरकार इस सदन में कह दे कि सरकार का कोई इरादा इस कारखाने को लेने का नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस कारखाने को लेने की व्यवस्था नहीं कर रही है तो लाखों रुपये मजदूरों के जायेंगे और करोड़ों रुपये जो राज्य के हैं वह बरबाद हो रहे हैं और हो जायेंगे। मजदूरों के लाखों रुपये चले जायेंगे जो कि कभी भी मजदूरों को नहीं मिलेंगे (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) जो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन और इस तरह के कॉर्पोरेशन आदि के राष्ट्रीयकरण संबंधी कानून बने हैं तो उन कानूनों में यह व्यवस्था मान ली गई है कि पैसा बाकी है तो सबसे पहले सरकार का जायगा, फिर बैंक का जायगा, और फिर टैक्स का जायगा और मजदूरों को पैसा नहीं मिलेगा। मजदूरों के लाखों रुपये तनख्वाहों के, प्रोवीडेन्ट फण्ड, के. सी. डी. के और बोनस के बाकी रह जायेंगे और वह कारखाने को बन्द कर देगा। तब आप कहेंगे कि हमारा कानून यह कहता है, राष्ट्रीयकरण का कानून यह कहता है कि मजदूरों को पैसा न मिले। पहले सरकार को मिलेगा, पहले बैंक को मिलेगा। उसको उस रास्ते पर आगे नहीं जाने दिया जाय, अभी भी बहुत कुछ जा चुका है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जरिये कि फौरन ही इस कारखाने की जांच करायें। इस धारा के अन्दर तुरन्त अपने हाथ में ले, और पाबन्द करें ताकि बन्द होने से वह बच जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल से बोल चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं चन्द सवालात पूछूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस उद्योग को कितना रुपया कर्ज दे रखा है, नं. एक। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में इन्होंने कितना प्रोडक्शन कम किया है? उसका एक फिगर बता दिया जाय साथ ही साथ उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 साल पहले इतना होता था और आज इतना हो रहा है और पिछले 10 सालों में प्रोडक्शन कितना कम किया है। माननीय मंत्री महोदय ने तस्लीम किया है कि बहुत सा अमाउन्ट मजदूरों का रोक लिया है तो बताने की कृपा करें कि कितना इन्ट्रेस्ट होता है, अगर वह रुपया इन्ट्रेस्ट पर लगा होगा और प्रोविडेन्ट फण्ड में जमा हुआ होता तो कितना रुपया उस कम्पनी पर वाजिब होता है। यह बता दें। चौथी चीज यह बता दें कि आपने जो उनको सहूलियतें दे रखी हैं, उस कारखाने को बिजली की सहूलियत है उसका उससे कितना पैसा लेते हैं? और आपने जितना रुपया उसको कर्ज दिया है उसमें से कितना रिकवर हुआ है? यह बात सही है कि 56 पर्सेन्ट प्रोडक्शन हो गया है तो क्या आप लोग यह चाहते हैं कि यह बिल्कुल ही खत्म हो जाय

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

तब जाकर टेक ओवर करें। यह फिगर्स सदन में रखें कि प्रोडक्शन में कितनी कमी हुई है, कितना रुपया चोरी किया है। उनका यह मानना है कि 16 लाख जमा हुआ है और वह 16 लाख रुपया आज भी उसने जमा नहीं कराया है तो उसके लिए नोटिस जारी किया है? 16 लाख रुपये कब से जमा नहीं कराये है और उसका कितना इन्ट्रेस्ट होता है? इससे यह इरादा जाहिर हो जायगा राज्य सरकार का कि वह कितनी पूंजीपतियों की समर्थक है और कितना पैसा देना चाहते हैं मजदूरों का गला काटकर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इसकी टोटल सब्स्क्राइब्ड केपिटल कितनी है? राज्य सरकार का, फाइनेन्स कॉर्पोरेशन का या अन्य तरीकों से इस पर कितना लोन है? उस लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में क्या है? तीन बातें तो आप यह बता दें। चौथी बात यह बता दें कि उनकी बैलेन्सशीट से क्या यह प्रतिपादित होता है कि इनका प्रोडक्शन 5 पर्सेन्ट तक फाल हो रहा है? और यह बताने का कष्ट करें पांचवें प्रश्न के रूप में कि ऐसे लाखों रुपये जो एम्प्लॉइज की तनख्वाहों के कन्ट्रीब्यूशन के थे, प्रोवीडेन्ट फण्ड या दूसरे सी. डी. एस. के थे, मैनेजमेन्ट ने उनको नहीं दिये समय पर। इन्ट्रेस्ट तो आप छोड़ें मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका जो लेबर डिपार्टमेन्ट है उसके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या उनके खिलाफ कोई प्रोशीक्यूशन लॉंच किया या शो कॉज नोटिस दिया प्रोसीक्यूशन लॉंच करने का? इसको इन्फोर्स कराने के लिए जो प्रावधान हैं कानून के अन्दर उसके नीचे पालना कराने के तो उनमें इस प्रकार से इतनी राशि किस प्रकार से एरियर में चली गई? यह लेकूना किस लेवल पर कहां पर रहा है?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाई माधोपुर के सीमेन्ट के कारखाने के बारे में अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा, इन सब बातों के बावजूद कुछ अहम प्रश्न हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, जिनको मंत्री महोदय स्पष्ट करने की कृपा करें। 10 साल के अन्दर इस कम्पनी के मालिकों ने अपनी कितनी नई कम्पनियां बनाईं? अपनी सिक्योरिटीज को कहां पर इन्होंने ट्रान्सफर किया या और इस किस्म की बनी हुई रकम का जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया? उनकी सिविल लायेबिलीटी के अलावा क्रिमिनल लायेबिलिटी थी या नहीं? आपके श्रम विभाग ने इस संबंध में कदम उठाया या नहीं? और मजदूरों की जो यह कण्डीशन हो रही है उसके बारे में क्या किया गया है? इनको स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी!

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं कि वहां पर टोटल कितनी शेयर कैपिटल है तो उसकी तो मेरे पास जानकारी है और वह मैंने निवेदन भी की कि इनकी टोटल शेयर कैपिटल 3 करोड़ 75 लाख है और राज्य सरकार के प्रिफरेन्स शेयर्स 75 लाख रुपये के हैं, और राज्य सरकार का उन पर कर्जा 31,66,000 रु. का है। 10 साल में इन्होंने

Page No 78

(78)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

कितना प्रोडक्शन किया, कितना प्रोडक्शन नहीं किया इसका ब्यौरा अभी मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि यह पूछा गया नहीं था। इसमें पूछा गया था कि रेटेड केपेसिटी क्या हैं प्रोडक्शन की तो जैसा कि मैंने निवेदन किया 70000 टन की है, और 70 हजार टन की रेटेड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की तो उस हिसाब से ज्यों ज्यों प्रोडक्शन घटता है तो उसकी पर्सेन्टेज निकाल कर हम कह सकते हैं कि जब लोएस्ट प्रोडक्शन हुआ उस वक्त 56 पर्सेन्ट प्रोडक्शन था। यह निश्चित बात है कि प्रोडक्शन के गिरने के कई कारण दिये हैं, बाहरी कारण भी दिये हैं, एक्स्टर्नल रीजन्स हैं जैसे रेलवे की हड़ताल हो जाना, कोयला नहीं मिलना, वैगन की कमी होना, कई चीजों का नहीं आना। इसके अलावा यह भी सही है कि कुछ मैनेजमेंट की भी इसमें जिम्मेदारी होती हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, साफ तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं पर भी लेबर डिपार्टमेंट ने ऐसी कोई भी अपने व्यवहार में अपने आचरण में कमी नहीं की जिससे यह मालूम पड़े कि मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं की, मौके पर इन्टरवीन नहीं किया हो और मजदूरों का जो बकाया था उसको दिलाने की कोशिश न की हो।

उपाध्यक्ष महोदय, जो रकम बकाया है वह कम्पलसरी डिपॉजिट की बाकी है। कम्पलसरी डिपॉजिट की कुल रकम 4,24,000 रुपये बाकी है। और 4 लाख 24 हजार रुपया बाकी होता है तो प्रोवीडेण्ट फण्ड कमिश्नर ने इसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही शुरू कर दी और रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। कलेक्टर को रिकवरी करने के आदेश दे दिये गये हैं और कार्यवाही चल रही है। प्रोवीडेण्ट फण्ड का जैसा कि मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कुल 6,91,000 रु. बाकी हैं जिसके बारे में प्रोवीडेण्ट फण्ड कमिश्नर और मैनेजमेंट का आपस में समझौता हो गया है। उस पर पैनाल्टी डाली गई है। और पैनाल्टी के बाद जो भी बकाया रकम है उसको सिक्योर किया गया है और कहीं पर रकम जमा करा दी गई है दूसरा प्रश्न जो, उपाध्यक्ष महोदय, उठाया गया है, वह बोनस के बारे में है। वह किया नहीं गया है। समय पर बोनस भुगतान नहीं करने के बारे में कार्यकर्त्ताओं, मैनेजमेण्ट और नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। वहां पर भी वार्ता हुई है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस वार्ता के दौरान पहली किश्त का चुकारा हो चुका है। तीन किश्तों में यह चुकारा तय हुआ है। मजदूरों की सहमति से यह मामला तय हुआ था। पहली किश्त चुका दी है। दो किश्तें बाकी हैं। उन पर 12% ब्याज मजदूरों को देना तय हुआ है। तीसरा सवाल यह है कि इस कम्पनी को ले लिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य इससे काफी वाकिफ हैं कि इण्डस्ट्रियल (डेवलपमेन्ट) एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, की 80 'ए' के अन्दर लिया जा सकता है।

श्री केशरीमल : इसमें पावर दी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको सुना देता हूं।

"Powers of the Central Government to assume management in certain cases."

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

यह हमारे अधिकार की बात नहीं है। यह गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया करती है।

श्री केशरी मल : कब कहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अगर गवर्नमेंण्ट ऑफ इण्डिया स्वीकार कर ले कि हमारे हाथ में मैनेजमेंट आना वाजिब है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह रीलीफ अण्डरटेकिंग कर दिया गया तो अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पेमेण्ट ऑफ वेजेज का सवाल उठाया गया है। करीब करीब सारे कर्मचारी 400) रुपये के ऊपर कमाते हैं। इसलिए इसमें यह कर्मचारी आते ही नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात करना कि लेबर डिपार्टमेंण्ट क्या करता है, वह मैं गोपनीय रखना चाहता हूं। कम्पलसरी डिपोजिट और प्रोविडेण्ट फण्ड पर समझौता हो गया है। किश्तों का चुकारा हो गया है। जो बकाया है, कलेक्टर उसके लिए आदेश जारी कर रहा है।

श्री केशरीमल : उसका सारा खर्चा बढ़ेगा। और जो इसमें सरकारी पैसा लगा है, वह सारा डूब जायेगा। अभी समय है। सरकार इसके लिए कह सकती है। सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट को कहा जाये, सरकार फौरन इसको हाथ में ले ले।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, 73-74%....

श्री गुमानमल लोढ़ा : 3, 4 साल बराबर यह कम्पनी ऐसा बता रही है। इस प्रकार का बताया जाता रहा है। जब कम्पलीट इनसॉलवेंसी की स्थिति बन जायेगी तो सरकार को लेना पड़ेगा। क्या अभी यह सरकार मैनेजमेण्ट को अपने हाथ में नहीं ले सकती है? इससे तो सरकार का जो पैसा है, वह भी डूब जायेगा।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था, बोनस की एक किश्त चुकाई है। बाकी कब तक दे दी जायेगी? दोनों की डेट्स बतायें। दूसरा गत 10 साल में कितना कर्जा पे किया है? माली हालत कम्पनी की क्या चल रही है? इस तरह से वह नाम बदल कर अलग असेट्स ले जा रहे हैं, दिवालिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार का पैसा खतरे में पड़ने की सम्भावना है। दिल्ली या दूसरे जगह अलग-अलग कम्पनी खोलना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, कम्पनी क्या खोलना चाहती है, यह आज का विषय नहीं है। विषय सवाई माधोपुर स्थित सीमेण्ट फैक्टरी के कर्मचारियों को वेतन और बोनस न देने के बारे में है।

किश्त की डेट्स के बारे में मैं निवेदन करूंगा, पहली किश्त 7-3-75 दूसरी किश्त 7-4-75 और तीसरी किश्त 7-5-75। इन तीनों किश्तों में सारा बोनस चुकाना होगा। पहली किश्त समझौता होने के बाद। और बाकी जो रहेगी उन पर 12% मजदूरों को ब्याज देना पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं कुछ जानकारी के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : I close it now.

अनुदान की मांगे

मांग सं. 23,15 व 32

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,26,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,67,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,33,59,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 23, 15 व 32 पर कटौती प्रस्ताव

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) :

1. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को अति शीघ्र नियोजित कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों को नोकरी दिलाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए) ।

3. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में मजदूर यूनियनों में सुधार लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

4. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के शिक्षित लोगों को सेवारत कराने में विभाग की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

5. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में श्रमिकों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

6. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वाहन कर वसूली पूरी नहीं होने से होने वाली क्षति पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
विभाग द्वारा संचालित होस्टलों की ठीक व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोस्ट ग्रेजुएट एवं ग्रेजुएट विद्यार्थियों को स्टाइपेण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं):

9. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेकार लोगों को काम देने हेतु विभाग द्वारा प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेतीहर मजदूरों की मजदूरी तय कराने बावत चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को उचित प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति के प्राईवेट छात्रावासों को सरकार द्वारा चलाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर):

14. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार सर्वेक्षण और सांख्यिकी के सही आंकड़े नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऑटो वाहनों के उचित निरीक्षण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला-कल्याण हेतु व भिक्षावृत्ति निवारण हेतु कोई ठोस कार्य-क्रम न अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

17. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव के शिक्षित एम. ए. और बी. ए. तक के बेरोजगार छात्रों को रोजगार देने पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु अधिक ध्यान देने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद लाहरा (झालरापाटन):

19. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों व कृषि पर काम करने वाले श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़):

20. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दैनिक मजदूरी पर लगने वाले मजदूरों की मिनिमम रेट तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियों पर से वाहन कर जो लगा रखा है उसकी वसूली में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट गाड़ियों के टैक्स की सही वसूली न होने के कारण हुई क्षति पर चर्चा के लिए)।

23. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असहाय एवं निराश्रित कम आय वाले लोगों के बच्चों के लिए अधिक छात्रावास स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देने के बहुत समय पश्चात् फैसला होकर जानकारी मिलने पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में बावरी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति में से किसी श्रेणी में रखी जाकर उस जाति को समाज-कल्याण विभाग द्वारा सुविधायें प्रदान करने पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में संस्कार केन्द्र स्थापित करने के लिए चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग):

27. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को समाप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों के वाहनों पर लगाये हुये करों के संग्रहण में होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण के माध्यम से अनुसूचित जाति व जन जाति को और सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिए)।

Page No 83

(83)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी, बाजार, जयपुर) :

30. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मजदूरों के वैलफेयर हेतु नीति निर्धारण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

31. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

32. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण में राज्य सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

33. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एमप्लॉयमेन्ट ऑफिस से भर्ती न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त अव्यवस्था के कारणों पर चर्चा के लिए)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) :

35. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों की सन्तोषप्रद व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति तथा जन जाति के छात्रावासों में सुधार के सम्बंध में चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में समाज कल्याण के कार्यों की गति-विधियों को तेज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

38. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्र द्वारा केपीटल इन्टेंसिव व लेबर स्केअरसिटी ओरिएन्टेड टेक्नोलॉजी के अपनाने से श्रमिकों को रोजगार के मौकों में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री चेतराम (टोड़ाभीम) :

39. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों को रोजगार प्राप्त कराने व उनका जीवनस्तर उठाने पर चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय समाज-कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों को पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिए)।

41. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों/जन जातियों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने पर चर्चा के लिए)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज,) :

42. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध करा कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर विकासोन्मुख बनाने पर चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कवाई समाज-कल्याण छात्रावास के सुपरिण्टेण्डेंट द्वारा छात्रों की अमानुषिक ढंग से पिटाई पर चर्चा के लिए)।

44. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के छात्रावासों की दुर्दशा सुधारने व छात्रों की अधिक संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिए)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

45. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम कानूनों को सुनियोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर की चोरी को रोकने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) :

48. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजनों के सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा बन्द करने के लिये चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत कृषि पर कार्य करने वाले मजदूरों के वेजेज मुकर्रर करने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित युवकों में रोजगार की समस्या के समाधान में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियोजनों में कार्यरत अर्द्ध-कुशल, अकुशल एवं कुशल श्रमिकों के, मंहगाई को देखते हुये, श्रम में वृद्धि और उसके क्रियान्वयन के बारे में चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में असफलता के विषय पर चर्चा के लिए)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

53. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आशार्थियों को सन् 1974-75 के वर्ष में नियोजन करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्धावस्था पेन्शन देने की प्रक्रिया में सरलीकरण करने के विषय पर चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सर्विसेज में लेने के लिये रोस्टर सिस्टम के परिपालन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण उनमें असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण देने के उद्देश्य से मुकद्दमों की पैरवी के लिये जो वकील नियुक्त किये हैं वह निम्न स्तर के हैं, जिनके कारण उनकी पैरवी ठीक तरह से नहीं हो पाती और जो प्रावधान इस विषय में किया गया है वह अपर्याप्त है, जिस पर असन्तोष व्यक्त करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास की आवश्यकता पर बल देने पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पानी एवं बिजली की सुविधा के लिये पर्याप्त प्रावधान न करने के कारण उनमें तीव्र असन्तोष व्याप्त है, जिस पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सागड़ी कुप्रथा को कानूनी तौर से बन्द करने के उपरान्त भी उसका परिपालन नहीं हो रहा है, जिससे आदिवासियों को जो लाभ मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है, जिसके कारण असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन करने में ढिलाई बरतने पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों में तीव्र असन्तोष है, जिस पर चर्चा के लिये]।

61. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने भिक्षावृत्ति के नियन्त्रण के लिये कानूनी कदम नहीं उठाया है, और जो सामाजिक

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कदम उठाये हैं वे अपर्याप्त हैं, अतः असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ी बाड़मेर तहसील में जहां सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है एवं एक भी अनुसूचित जाति का छात्रावास न होने से उनमें घोर असन्तोष है, जिस विषय पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में समाज-कल्याण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा उनके उत्थान और उन्नति के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे अपर्याप्त हैं, जिससे उनमें असन्तोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में छुआछूत की समाप्ति की ओर जो कदम उठाये जा रहे हैं वे अपर्याप्त हैं, अतः राज्य की उदासीनता के विरुद्ध असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय, अनुदानित एवं तृतीय श्रेणी के छात्रावासों को समाज कल्याण विभाग द्वारा जो मंहगाई को देखते हुए अनुदान दिया जाता है वह अपर्याप्त है, जिसके कारण छात्रों को अच्छा भोजन नहीं मिलता है, रहने के लिये मकान की व्यवस्था ठीक नहीं है, अतः उनमें तीव्र असन्तोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर):

66. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बेकार बैठे लोगों को रोजगार नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में चल रहे हरिजन छात्रावासों को समय पर सरकारी सहायता नहीं मिलना व छात्रों को छात्रवृत्ति आदि उपलब्ध नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर):

68. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा प्रतिपादित योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला मजदूरों को उचित सुविधा दिलाने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर):

70. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
कम कर दिया जाय (धौलपुर में बेरोजगारी दूर कराने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन):

71. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में समाज-कल्याण अधिकारी नहीं होने से जिले में हरिजन आदिवासियों के कष्टों की स्थिति में सुधार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण के राजकीय छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को भोजन, नाश्ता, साबुन, तेल, कपड़े आदि उचित मात्रा में नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी के केशवराय पाटन के राजकीय छात्रावास में अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर प्रवेश से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भंगी कष्ट मुक्ती का कार्यक्रम सुचारु रूप से नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री में केजुअल लेबरों को स्थाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाखेरी के श्रम कल्याण केन्द्र की दयनीय स्थिति में सुधार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी के रोजगार कार्यालय में अनुसूचित एवं जन जाति के उम्मीदवारों के साथ समय-समय पर कॉल नहीं निकालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को दैनिक रोजगार कम दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा में लगे उद्योगों में कोटा डिवीजन के रहने वाले नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां

(श्री नन्दलाल बैरवा)
दिलाने में श्रम व नियोजन विभाग की असमर्थता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान निगम की लम्बे रूटों पर अच्छी कण्डीशन की बसें यातायात विभाग द्वारा पास करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):

82. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा छीपा-बड़ौद जिला कोटा में बीड़ी कारखानों के श्रमिकों को श्रम कानून के फायदों से वंचित रखने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कोटा में औद्योगिक न्यायालय (लेबर ट्रिब्यूनल) कायम किये जाने हेतु बजट में प्रावधान न किए जाने बाबत चर्चा के लिये]।

84. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थानीय नवयुवकों को रोजगार दिलाए जाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण छात्रावासों की दिनों दिन गिरती हुई दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा तहसील में अब तक समाज-कल्याण छात्रावास का निर्माण न कराए जाने पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा से इकलेरा मार्ग का राष्ट्रीयकरण न किए जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

88. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में अनुसूचित जन जाति के आवेदकों की भर्ती में उपेक्षा व कमी की चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी बस मालिकों द्वारा करों की चोरी और उनकी रोकथाम में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन सेवा निदेशालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड प्रथम के बजाय स्टेनोग्राफर ग्रेड द्वितीय रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नाथूराम)—

कम कर दिया जाय (रोजगार विभाग में शिकायतों व निरीक्षणों में पाई गई कमियों पर कार्यवाही नहीं करने के बारे में चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार कार्यालयों में स्टाफिंग फार्मूला के अनुसार कर्मचारी नहीं देने के बारे में चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जूनियर एम्पलॉयमेन्ट ऑफिसर्स के रिक्त पद नहीं भरने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ड्राफ्ट प्लान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान हटाने के बारे में चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण रोजगार केन्द्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार कार्यालय में जिले के बाहर के आवेदन के पंजीयन के बारे में चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य नियोजन सलाहकार समिति की बैठक नहीं कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नियोजन सलाहकार समितियों की नियमित बैठक नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यावसायिक मार्गदर्शन अनुभागों की निष्क्रियता एवम् विभागीय विफलता के बारे में चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार प्रकोष्ठ रोस्टर प्रणाली की देखरेख में असफल रहा है, इससे रोजगार विभाग में विलय करने हेतु चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों के विकास लिए पृथक् निगम की आवश्यकता तथा आदिवासी कन्या छात्रावासों की कमी पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां देने में विलम्ब व होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ग्रोसियां) :

103. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने में नियोजन कार्यालय असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट गाड़ियों से कर समय पर वसूल न करने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को बोर्डिंग की सुविधा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह यादव (नदबई):

106. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में श्रमिकों की दयनीय स्थिति को सुधारने से श्रम विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में वाहन कर संग्रहण की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में समाज-कल्याण विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा):

109. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(पत्ता तेन्दू के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप पत्तों का तुड़ाई-कार्य शीघ्र ही समाप्त कर देने से श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार में कमी हो जाने तथा उन्हें रोजगार दिलाने पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा और मनोहरथाना में आदिवासी "बी" श्रेणी छात्रावास खोले जाने में समाज-कल्याण विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा क्षेत्र के हरिजन एवं आदिवासियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) :

112. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगंज मण्डी में ए. एस. आई. कम्पनी द्वारा श्रम के समस्त कानूनों का उल्लंघन किये जाने व श्रम विभाग के मौन रहने पर चर्चा के लिये)।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

113. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी शहर व कोटा शहर में गरीब मजदूरों को बोनस दिलाने में श्रम विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लाईम स्टोन की खानें सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अण्डर में होने पर भी राजस्थान सरकार द्वारा मिनिमम वेजेज घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लाईम स्टोन की खानों पर आज तक वेज बोर्ड लागू न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग राज्य में बढ़ती हुई मंहगाई सूची अंक के बावजूद श्रमिकों की पर्याप्त मिनिमम वेजेज घोषित न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यात्री कर व वाहन कर की चोरी को रोकने में राजस्थान सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा बांसवाड़ा व डूंगरपुर ज़िलों में लागू की गई 14 करोड़ की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय छात्रावासों में स्थान न बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

121. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना नगर में मजदूरों की वस्ती बनाना तथा मजदूरों के लिए खेलकूद का मैदान के विकास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

123. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

124. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालयों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा कृषि श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन न करने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर. टी. ओ. दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में ग्राम पंचायत केन्द्रों तक यात्री गाड़ियों की सुविधा प्रदान करने की चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्चे रास्तों पर यात्री गाड़ियों का सुविधा प्रदान कराने में यातायात विभाग के द्वारा परमिट नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों की फिटनेस करने में मैकेनिकल निरीक्षकों में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर गाड़ियों एवं ट्रैक्टरों एवं ट्रौलियों पर ज्यादा कर लगाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पथ परिवहन का राष्ट्रीयकरण 50% इस वर्ष करने के बारे में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में जिला जालोर में पीने का पानी एवं बिजली सप्लाई करने में समाज-कल्याण विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जिला जालोर में अनुसूचित जन जाति गृह निर्माण समिति का रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूल करने पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में समाज-कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
वाले छात्रावासों के बारे में चर्चा के लिए)।

136. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कानूनी मामलों के लिए जिला जालौर में विभाग द्वारा कानूनी सलाहकार मुकर्रर करने पर चर्चा के लिए)।

137. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवास गृह सहकारी समितियां बनाने एवं गृह आवास सुविधा प्रदान करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में समाज-कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति सेवाओं की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति छात्रों को जिला जालौर में छात्रवृत्ति देने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) :

140. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान न होने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का भवन-निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर वसूली की दोषपूर्ण पद्धति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) :

144. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 278—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिक स्त्रियों को भी पुरुषों में बराबर मजदूरी देने हेतु चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले की अभ्रक खानों के मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री विजयसिंह राठौड़)
कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा मण्डल की पिछड़ी जाति की बस्तियों में नल लगाने हेतु रकम नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

147 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट फैक्ट्रियों में लगे मजदूरों को मेहनत के आधार पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और मजदूर वर्ग का मिल मालिक, फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा शोषण करने को रोकने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की तादाद में लोग बेकार बैठे हैं उनका किसी प्रकार का रोजगार दिलाने में नियोजन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले, में एम्प्लॉयमेंट एक्सचैन्ज विभाग में किए जाने वाली धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे मार्गों पर निजी बसों के चलाने हेतु परमिट देने पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ के बीच में तारकोल की सड़क होते हुए एवं राज्य सरकार की रोडवेज की गाड़ियां चलते हुए प्राइवेट लोगों की बसें जो चलाई जा रही हैं, उस पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति व शिक्षा सामग्री न मिलने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन मोहल्लों में जहां बिजली व पानी सप्लाई स्कीम है, लेकिन समाज-कल्याण विभाग द्वारा नल बिजली का किसी भी प्रकार का प्रबन्ध नहीं किया है, इस पर चर्चा के लिये) -

154. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में समाज-कल्याण विभाग द्वारा समय पर छात्रवृत्ति व समय पर छात्रों की पुस्तकें, बिस्तर व नाश्ता नाममात्र का दिया जा रहा है, इस अव्यवस्था को दूर कर व्यवस्थित ढंग पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में समाज-कल्याण विभाग द्वारा

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
अनुसूचित जाति के लोगों को आवण्टित कृषि के लिए खेती के अरठ खरीदने और खेती औजार खरीदने के लिए मंजूर करने पर चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर समाज-कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलाए जा रहे छात्रावास की सुव्यवस्था के लिये अधीक्षक को पूरे समय तैनात करने पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों में पुरानी दरों पर यानी दस पैसे एक छात्र के लिए सब्जी, पुरानी दरों पर जूते, कपड़े, नाश्ता आदि दिया जा रहा है, पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास की इमारत की मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील लूणकरनसर नोखा तहसील के ग्राम पांचू जसरासर एवं चूरू जिले की डूंगरगढ़ तहसील में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों को खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के छात्रों को पुरानी दरों पर सब्जी, कपड़ा, बूंट, नाश्ता दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान समय में ऊंची दरों के कारण पुरानी धन राशि को अधिक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लूणकरनसर में सार्वजनिक छात्रावास के निर्माण हेतु समाज-कल्याण विभाग से लगी धनराशि के लिये चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पौष्टिक भोजन जिला बीकानेर में दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरनसर में छात्रों को विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के बी. एड. के छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर करने के लिए जो कि अध्यापक हैं, और बी. एड. के कोर्स को पास करने के लिए दो वर्ष के अवकाश लेकर पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

165. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की पंचायत समितियों के क्षेत्र लूणकरनसर, नोखा, बीकानेर एवं बीकानेर शहर में विभाग द्वारा अधिक पोषाहार केन्द्र खोलने के लिए चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को विभाग द्वारा कानूनी सहायता देने के सम्बन्ध में कोई राशि प्रावण्टित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों की शिक्षा विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था न कर पाने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों की हालत सुधारने में विभागीय असफलता से अनुसूचित जाति की संख्या सन् 1961 में 17 प्रतिशत थी वह 1971 में 16 प्रतिशत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही राशि अनुसूचित जातियों को न दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा):

170. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार दिलाने हेतु कोई ठोस योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों की अव्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

172. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की रोजगार देने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा बनाई गई लेबर कॉलोनीज के भवनों को श्रमिकों को देने पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों के लिये आवासीय व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री केशरीमल)
कम कर दिया जाय (जबरिया बचत योजना सी. डी. एस. पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों के लिये आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय और त्यौहारी अवकाशों के सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय श्रमिकों के लिये रेस्ट और रिक्रियेशन कल्याण केन्द्रों की उचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287— के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों को फैक्ट्री गेट पर पूरा राशन दिलाने में श्रम विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

180. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मजदूर संगठनों को मान्यता देने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्कचार्ज व केजुअल वर्कर्स को स्थाई कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गलत समझौते करा कर फिक्सेशन को इन्टक के प्रतिनिधि को रख कर आर. एस. ई. बी. के श्रमिकों के फिक्सेशन में भारी पक्षपात को रोकने में श्रम विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम न्यायालय द्वारा केसेज निपटाये जाने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर लेबर कॉलोनी में स्कूल भवन सरकार द्वारा न बनाने पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कपड़ा मिल के मजदूरों का वेतन व महंगाई भत्ता बढ़ाने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रोवीडेण्ड फण्ड की राशि निकलवाने में श्रमिकों को हो रही तकलीफ और भ्रष्टाचार को रोकने में श्रम विभाग द्वारा पहल न करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री केशरीमल)

187. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ई. एस. आई. के द्वारा श्रमिकों के इलाज में लापरवाही और भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यूनियनों के हिसाब देखने के नाम पर यूनियनों को तंग करने पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर. एस. ई. बी. के श्रमिकों के वेतन स्तर का नहीं बढ़ाया जा रहा उनके वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) :

190. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों के नामों के भेजने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात निरीक्षकों द्वारा वाहनों की उचित चैकिंग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को सेवाओं में उचित अवसर नहीं दिये जाने से व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

193. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली के नियोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :
श्री मनोहरलाल (कामां) :

196. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में डॉक्टर, इन्जीनियर व शिक्षकों को रोजगार न देने से बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब बस्तियों व स्लम्स में नारकीय स्थिति से बचाने में समाज-कल्याण विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :

198. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने में राज्य सरकार की अक्षमता और अयोग्यता पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग श्रमिक समस्याओं एवं श्रमिक विवादों को हल करने एवं निपटाने में अयोग्य रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

200. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बाजार, जयपुर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रम कानूनों के उल्लंघन के प्रश्न हल करने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खंडेला) :

201. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने तथा रोजगार में अवसर दिलाने में राज्य सरकार की उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) :

202. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की श्रम नीति अस्पष्ट एवं श्रमिकों के हितों में कम होने पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति बन्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) :

204. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को रोजगार देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार शिक्षित नोजवानों को रोजगार देने के सम्बन्ध में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार खेतीहर मजदूरों को रोजगार देने के संबन्ध में विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 278—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के प्राईवेट वाहन मालिकों पर बकाया राशि

(श्री मीठालाल मीणा)
के वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के बाहुल्य क्षेत्रों का विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रावासों में व्याप्त भ्रष्टाचार को निपटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के छात्रावास लालसोट (जयपुर) में समय पर भोजन न देने तथा गत दिनों केवल एक समय ही भोजन देने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति छात्रावास, लालसोट (जयपुर) के हिसाब में हुये गबन की जांच कराने हेतु चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालसोट (जयपुर) स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास की दयनीय दशा को सुधारने हेतु चर्चा के लिये]।

213. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) :

214. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग को अधिक मजबूत बनाये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

215. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

216. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों को समय पर सहायता व छात्रवृत्ति देने पर चर्चा के लिए)।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) :

217. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर-खाजूवाला वाया पूगल मार्ग को तत्काल राष्ट्रीयकृत करने में विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

218. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक कल्याण परिषद्, बीकानेर द्वारा संचालित छात्रावास लूणकरनसर में रखने हेतु अनुसूचित जाति के कम से कम दस छात्रों के लिए वित्तीय

(श्री भीमसेन)
सहायता स्वीकृत करने बाबत चर्चा के लिए)।

श्री भावरमल सुण्डा (फतेहपुर) :

219. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासकीय अकर्मण्यता के कारण अत्यन्त पुराने मोडल की गाड़ियों को पास किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

220. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) :

221. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के ट्रेक्टर व ट्रॉली पर लगे टैक्स की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री चतुरभुज (टोड़ा रायसिंह) :

222. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोड़ा रायसिंह से मालपुरा तक रूट का राष्ट्रीयकरण करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

223. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेक्टर जो खेती के काम आता है, उसके ट्रेलर का अलग से रजिस्ट्रेशन कराने में विभाग द्वारा परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) :

224. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण के कार्यों में सही व्यय हो. इसके लिये आधारों में मूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला वर्ष में भी महिला कल्याण के लिए बजट में कम राशि आवंटित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

226. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पोषाहार कार्यक्रम मार्च, 1975 के बाद बन्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) :

227. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

228. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वयं सेवी संस्थाओं को शत प्रतिशत सहायता दिलाने बाबत चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में सब-प्लान में ली जाने वाली योजनाओं का सर्वेक्षण कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

230. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले की पंचायत समिति रानीवाड़ा में समाज-कल्याण छात्रावास खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

231. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में भंगी कष्ट-मुक्ति निवारण योजना लागू करने में राजकीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील में हरिजन छात्रावास के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

233. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण के छात्रावासों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिंडोली):

234. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सामाजिक कल्याण पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली) :

235. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा संचालित बाली क्षेत्र में स्थित छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों द्वारा सिर पर मैला ढोने की अमानवीय एवं घृणित प्रथा को बन्द करने में असफलता एवं शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व):

237. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण के काम में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) :

238. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में समाज-कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण रौत (लसाड़िया) :

239. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास एवं विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य प्रवृत्तियों पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र रौत (चोरासी):

240. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां) :

241. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां छात्रावास के अधूरे भवन को पूर्ण किये जाने, मांगरोल व खीसवाली में छात्रावास कायम किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री जीयिग (कुशलगढ़):

242. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों की असुविधा एवं उनको दी जाने वाली छात्र-वृत्ति नहीं मिलने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (छापर):

243. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय छात्रावासों में फैली अव्यवस्था पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (बामनवास):

244. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास कस्बे में हरिजन व आदिवासियों के मोहल्लों में बिजली व पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा न कराए जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगाराम चोधरी (गुढ़ा मालानी):

245. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर में विभागीय छात्रावासों को दिये जाने वाले अनुदान को महंगाई के कारण और बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23, 15 व 32 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री बेगाराम !

श्री बेगाराम (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान कैनाल में पानी का एक-एक हजार रुपया दिया जा रहा है। वह उनको अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा,

(श्री बेगाराम)

वह हरिजनों को नहीं मिलेगा। जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, बड़े कर्मचारियों से मिलकर उनके द्वारा लॉटरी के द्वारा निकाल कर लिया जा रहा है। हरिजनों को पता नहीं है कि हमारे नाम से एक-एक हजार रुपया मिलेगा। उन लोगों ने 200-300 रुपया खर्च कर दिया, उनको सम्मन नहीं मिला है समाज-कल्याण की तरफ से। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उन हरिजनों को अनुदान क्यों नहीं मिला ? किसी हरिजन सरपंच अथवा किसी एम. एल. ए. को बुलाकर लॉटरी द्वारा निकाला जाये, नहीं, तो हरिजनों को पता नहीं लगेगा। आज हरिजन समाज कल्याण मन्त्री होता तो हरिजन को लोन मिलता। आपने एक बड़े घराने में जन्म लिया है इसीलिए उनको लोन नहीं मिला है। बीकानेर में बड़े-बड़े लोग लाखों का लोन खा गये हैं। उनकी जांच चल रही है। यहां एसेम्बली में भी उनके बारे में कहा गया था। उनको कोई दण्ड नहीं मिलता है। हरिजनों के नाम से बड़े-बड़े लोग खा गये हैं। उनकी सरकार जांच करवायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा समाज-कल्याण मन्त्री एक हरिजन को बनाया जाये ताकि वह हरिजन की पुकार सुने। आज कोई हरिजन की पुकार नहीं सुनता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, एक हरिजन को समाज-कल्याज मन्त्री बनाया जाय ताकि वह हरिजनों की पुकार सुने। मैं दावे से पुकार करूंगा, समाज-कल्याण मन्त्री विराजमान हैं, आपने हरिजनों का पुकार सुनी है। एक साल से जांच नहीं, बीकानेर की इन्क्वायरी नहीं करवाई है। क्योंकि आप हरिजन नहीं हैं। आप हरिजन होते तो जांच करवाते। कोई किसी के नाम से पैसा खा गया, कोई किसी के नाम से ले गया यह बड़ी अजीब बात है। यह किसान और हरिजन हैं, इनके नाम से कोई पैसा लाया, कोई इनके नाम से, कोई किसी के नाम से ले गया। कोई जाकर कहे मेरे नाम से पैसा ले गया तो उसे बाहर निकाल दिया। उसकी कोई पुकार नहीं सुने, मैं निवेदन करूंगा, एक साल हो गया, मंत्री महोदय से निवेदन किया था, पिछली असेम्बली के वक्त लेकिन अब तक उनकी कोई जांच नहीं हुई है। मैं सही कहूंगा, बीकानेर (समय-समाप्ति सूचक घंटी) के अन्दर की कोलायत क्षेत्र की कान्ता कथूरिया विराजमान हैं, उनको पता है, इन लोगों के नाम से पैसा किस-किसने लिया है। आपने कहा कि न्याय दिलवायेंगे, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला है। उनके नाम में हजार-हजार रुपया लिया है, गलत साइन किये गये हैं, गलत पट्टा दिखाया गया है, गलत पैसा लिया गया है। हरिजनों को पैसा नहीं मिले और इस तरह और लोगों को मिल जाय, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इससे अच्छा है कि आपको समाज कल्याण विभाग छोड़ देना चाहिए। हरिजनों की पुकार नहीं सुनें, हरिजनों की बात नहीं सुनें हरिजनों के नाम से रुपया लोग ले गये, उसके लिए एप्लीकेशन दी, तार दिये, रजिस्ट्री की, लेकिन उनका जवाब नहीं मिले, तो मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों के नाम से जिन्होंने पैसा लिया है और हरिजनों को न्याय नहीं मिला है—इसका नतीजा और निकलेगा। यह मैं वास्तव में कह रहा हूं सदन के सामने।

(श्री बेगाराम)

दूसरी बात यह है रोडवेज हमारे बीकानेर जिले के अन्दर कई जगहों पर चल रही है। इस रोडवेज में यह स्थिति है कि टिकट नहीं बांटे जा रहे हैं, न उसकी जांच करने वाले हैं ...

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग के अन्दर रोडवेज शरीक नहीं है।

श्री मीठालाल : मजदूरों पर आ रहे हैं। मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, वह टिकट के माध्यम से कर्मचारियों पर आ रहे हैं।

श्री बेगाराम : मैं बात सही कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा। कर्मचारियों की बात है। मैं सही कह रहा हूं, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ लोग ऊपर नीचे बैठते हैं, उनके टिकट नहीं काटे जा रहे हैं। आज रोडवेज के अन्दर इतनी धांधली चल रही है। भगवान जाने, आपकी शक्ति है या नहीं। बिना शक्ति के चल रहे हैं, कोई इन्क्वायरी नहीं है। कोई हरिजन आ जाय। वह कहता है, कण्डक्टर से साहब, टिकट काट दीजिये। वह कहता है, पैसा दे दो, टिकट बाद में दे दूंगा। अजीब बात है, रोडवेज में इन्क्वायरी नहीं होती है। मंत्री महोदय बिराजमान हैं, मैं सही कहूंगा, रोडवेज की इन्क्वायरी नहीं होती है। रोडवेज का हिसाब पूरा नहीं बैठे कम बैठे, तो उसकी इन्क्वायरी कराई जाय। मैं सही बात कह रहा हूं, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, हरिजनों में से ही बनने वाला मिनिस्टर सबसे अच्छा होगा। मंत्री महोदय, मैं स्पष्ट कहने वाला आदमी हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा सदन में, आप समाज कल्याण विभाग से इस्तीफा देकर किसी हरिजन को समाज कल्याण मंत्री बना दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीनिवास शारदा!

श्री नानालाल : कब दे रहे हैं? आज ही?

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के वर्ग के लिए है, इस विभाग की जिम्मेदारी पददलित या पिछड़े लोगों के विकास हेतु आती है। इस दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये और उनको कार्यान्वित किया है। खेद केवल मात्र इस बात का है कि दरअसल हमारा रुपया पूरा एक सो नये पैसे में चल रहा है, या इसका मूल्य 75 नये पैसे चल रहा है ......

श्री रघुनाथ विश्नोई : 75 से कम।

श्री श्रीनिवास शारदा : मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि जिस वर्ग के लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं और हम योजनायें बनाते हैं, सोचने की बात यह है कि कहीं दरम्यानी एजेंसी, जिनसे यह अपेक्षा है कि इस वर्ग के विकास में चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, गृह निर्माण के क्षेत्र में हो या पानी की समस्या से सम्बन्ध रखता हो, हम जो कुछ व्यय करते हैं, उसका पूरा लाभ सही व्यक्ति को मिल पाता है या नहीं—इसकी डिटेल्स में जाने की काफी गुंजाइश है। मैंने कुछ समाज-कल्याण विभाग द्वारा और कुछ संस्थाओं के द्वारा भी संचालित छात्रा-वासों की अवस्था देखी है, मैं नहीं कह

(श्री श्रीनिवास शारदा)

सकता कि किसी छात्रावास को देखने से कोई संतोष होता हो या उन छात्रावासों में जो सुपरिटेन्डेन्ट रखे जाते हैं, या वार्डन रखे जाते हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के साथ न्याय कर पाते हों या नहीं। निम्बाहेड़ा में ही एक छात्रावास है, उसकी स्थिति यह है कि मेरे खयाल से छात्रों ने कई बार विभाग को शिकायत की, इन्सपेक्टर को की, डाइरेक्टर को की, वहां छात्रों के साथ सुपरिन्टेन्डेन्ट न्याय नहीं कर पाते है, अथवा उनको स्वयं को होश नहीं अपने आपको सम्भालने का, तो जो पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हैं, उनकी क्या अवस्था वह सुधार पायेंगे। मैं स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त करना चाहता, क्या वहां होता है, क्या नहीं होता है। बहरहाल, मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि आप मकान के लिए सब्सीडी दें—बड़ी अच्छी बात है। डाइरेक्ट पैसा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों के पास जाता है, कुओं के निर्माण के लिए पैसा दें, उन्हीं के माध्यम से पैसा व्यय होता है, लेकिन छात्रावासों की अवस्था को देखते हुए, मैं नहीं कह सकता मेरा मत जो है, उसका समर्थन कहीं कर पायें या नहीं कर पायें, वस्तुस्थिति यह है, दरअसल हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिए, छात्रावासों को इन्टीरियर पार्ट्स, जो काफी पिछड़े हुए पार्ट्स हैं हमारे देश के, उनमें लोकेट करें, बमुकाबले इसके कि शहरों में छात्रावास चलायें, शहरों में वह पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे, जिनका केवल मात्र शिक्षण में ध्यान हम दिलाना चाहते हैं, आकर अन्य शहर के लोगों की भांति किन्हीं और बुरी आदतों या बुरे शौकों में पड़ने लग जाते हैं, और कुल मिला कर परिणाम यह होता है कि वह अर्द्ध-शिक्षित हो जाने के बाद, यानि पूर्ण शिक्षित हो नहीं पाते, अर्द्ध-शिक्षित अवश्य हो जाते हैं, अर्द्ध-शिक्षित होने के बाद न घर के काम के रहते हैं, न समाज के काम के रहते हैं, न राष्ट्र के काम के रहते हैं। कोशिश इस बात की करनी चाहिए, वह बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, और निरन्तर पास होते रहते हैं, ऐसे बच्चों को इस प्रकार के छात्रावासों को बन्द किया जा कर, मैं इस मत का हूं स्कॉलरशिप देनी चाहिए और स्कॉलरशिप उस समय तक कन्टीन्यू रखनी चाहिए जब तक ऐसे छात्र पास होते रहें, ताकि सदुपयोग उनकी छात्रवृत्तियों का हो और जो अपव्यय छात्रवृत्ति के जरिये होता है, उसको बन्द किया जा सके। राज्य सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि छात्रावास, जहां भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बनाये जायं, कस्बों और शहरों से दूर उनको रखा जाय, ताकि होटल की चपेट में न आये, सिनेमा की चपेट में न आयें और केवल मात्र अध्ययनशील रह कर अपने चरित्र का निर्माण कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। तो छात्रावासों का अनुभव एक छोटा सा मेरा था, अब मैं नहीं कह सकता कि समाज-कल्याण के रेस्पेक्ट में जो कुछ मेरा मत है, वह सभी माननीय सदस्यों को अपील कर पायेगा या नहीं। बहरहाल, छोटी सी बात थी, छात्रावासों के जरिये जो अपव्यय हो रहा है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। जो अच्छे छात्रावास हैं, अच्छे सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं उन्हें कन्टीन्यू रखना चाहिए। जहां पर क्वालिटी डेवलप नहीं हो रही है, उसको बन्द किया जाना चाहिए छात्रवृत्ति के आधार पर

(श्री श्रीनिवास शारदा)
शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को छात्रवृत्ति दी जा कर संचालित किया जाना चाहिए। समाज कल्याण की दिशा में यह छोटा सा सुझाव है। इसको यदि कार्यान्वित किया जाय तो इसका सही मायने में लाभ ले सकेंगे। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा !

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्रम और समाज कल्याण पर अपने कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। सबसे पहले मैं श्रम की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार राजस्थान में और भारत में बेरोजगारी की समस्या है, उस बेरोजगारी की समस्या में हम लोग और हमारे पढ़े लिखे छात्र जो तैयार होते हैं उनके सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि राजस्थान में और देश में जिस प्रकार के जो नियम बने हुए हैं उनके देखते हुए हम चाहें कि बेरोजगारी समाप्त हो तो वह नहीं हो सकती। राजस्थान में आज भी ठेकेदारी प्रथा है, इससे बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी क्योंकि यदि आपने ठेकेदारी प्रथा कायम रखी तो चाहे छोटा मजदूर हो चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, आप, हम और सरकार बेरोजगारी को समाप्त करने में असफल रहेंगे। उदाहरण के लिए लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री हो या सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री या कोटा के अन्दर निजी क्षेत्र में कारखाने हैं या गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं उनके अन्दर 25 प्रतिशत व्यक्ति स्थाई तौर पर रखे हैं और 75 प्रतिशत सारा काम ठेकेदारी प्रथा से होता है। आपको मालूम है कि जो व्यक्ति स्थाई तौर पर रखे जाते हैं उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, अपने परिवार के लिए अच्छा वेतन मिलता है, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, बोनस मिलता है, नल-बिजली की सुविधा मिलती है, आवास सुविधा दी जाती है, लेकिन जो ठेकेदारों के तहत काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वह तीसरी इकाई होती है। पहली इकाई है मालिक, दूसरी इकाई है ठेकेदारी और तीसरी इकाई है मेहनत करने वाले की। जितना पैसा ठेकेदार को मिलता है उसका चौथा हिस्सा मजदूरों को मिलता है। उसके बाद भी उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है और वह वंचित रह जाता है। यदि हमें बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करना है और समाजवाद लाना है तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना होगा।

साथ ही साथ कारखाने वालों ने एक बात और चालू की है वह है केजुअल लेबर की। उसको भी उतना ही पैसा लेकिन छः महीने के बाद उसको निकाल देंगे। इससे उसका बोनस भी बंद हो सकता है। छः महीने के बाद 2-3 महीने उसको बाहर रखेंगे, और फिर रखेंगे इस प्रकार से उसकी सर्विस रेगुलर नहीं होगी। इससे जो अन्य सुविधायें मिलने का वह अधिकारी है, उससे वह वंचित रहता है। इस तरह एक कड़ी और जुड़ी हुई है। केजुअल लेबर की जो परम्परा है, वह समाप्त होनी चाहिए और जो लोग इस समय किसी भी कारखाने में काम करते हैं उनके लिए राज्य सरकार नियम बनाए और ऐसे आदेश मालिकों को दें कि उन लोगों को स्थाई करना चाहिए चूंकि आज हम बेरोजगारी को समाप्त करके, गरीबों को आगे लाना चाहते हैं,

(श्री नन्दलाल बैरवा)

समाजवाद को आगे लाना चाहते हैं इसलिए यदि ठेकेदारों और केजुअल लेबर को समाप्त नहीं किया तो हम गरीबी को समाप्त नहीं कर सकेंगे ।

दूसरी बात है मैं उस स्थान पर रहता हूं जहां सीमेंट फैक्ट्री चलती है और लेबर काम करता है । आज ढाई हजार मजदूर स्थाई रूप से काम करते हैं और कई हजार अस्थाई हैं । एक पड़ोस का आदमी 400) वेतन पाता है, वैसा ही काम करने वाला आदमी है उसको ठेकेदार 3) रु. रोजाना देता है । हम चाहते हैं समाजवाद लायें, रोजगार देना चाहते हैं लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज ठेकेदारी प्रथा अभी भी राजस्थान में कायम है । इस पृथा से मालिक अलग कमाता है, ठेकेदार अलग कमाता है और गरीब का शोषण होता है । इसलिए ठेकेदारी प्रथा और केजुअल लेबर प्रणाली खत्म होनी चाहिए ।

राजस्थान में आपने कोटा डिवीजन को औद्योगिक क्षेत्र माना है । मैं मानता हूं कि कोटा डिवीजन में भारत सरकार और राज्य सरकार ने जितने उद्योग खोले हैं, उनके लिए मैं अपनी ओर से भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । बहुत खुशी की बात है कि बड़े-बड़े कारखाने लगे हैं, अच्छे उद्योग कायम हुए हैं और राजस्थान के लोगों को रोजगार मिला है । लेकिन राज्य सरकार का इस बात का सर्वे कराना चाहिए कि आज राजस्थान के आदमी दूसरे राज्यों में रोजगार पाने वाले कितने मिलेंगे । मुश्किल से 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत । इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन कोटा उद्योग फैक्ट्रीज में 60 प्रतिशत आदमी राजस्थान के बाहर के मिलेंगे । इसी तरह बड़े-बड़े ऑफिसर्स कोटा में 2-3 प्रतिशत मिलेंगे बाकी दूसरे राज्यों के । हमारे राजस्थान में भी बेरोजगारी है, इंजीनियरों को आप 250) रु. प्रति माह दे सकते हैं लेकिन उनको कोटा फैक्ट्री में नौकरी नहीं दे सकते, वहां तो आएगा बिहार या बंगाल का, महाराष्ट्र का और गुजरात का । इसलिए कोटा जिले में या राजस्थान के किसी कोने में यदि आप औद्योगिक क्षेत्र खोलना चाहते हैं तो बिना किसी मतभेद के राजस्थान में रहने वालों को उसमें नौकरी मिलनी चाहिए जिससे राजस्थान में रहने वाला इस बात के लिए कह सके कि राजस्थान में रहकर राजस्थान की भूमि पर किसी कारखाने का उत्पादन बढाने में सहायक हो सकता है । पर होता यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, आप आज भी हमारे इलाके में जा कर देख लीजिये । हमारे कोटा डिवीजन के अन्दर आपको ज्यादा से ज्यादा बाहर के ऑफिसर मिलेंगे । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी ऊंचे लेवल के ऑफिसर हैं उनमें कोई भी राजस्थानी नहीं है । हां असिस्टेन्ट इन्जीनियर तो एकाध जरूर मिल जायेगा पर उससे क्या होता है । इन सभी का कारण क्या है ? कारण एक है कि जो ऊपर ऑफिसर बैठे हैं वह सभी, उपाध्यक्ष महोदय, बाहर के आदमी हैं । कभी भी नियुक्ति देने की बात आती है तो वह लोग हमारे आदमियों को नहीं लेते हैं । आज मैनेजमेन्ट में ऊपर के लेवल पर सभी बाहर के हैं । इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो भी बेरोजगार

(श्री नन्दलाल बैरवा)

इन्जीनियर हैं जिन्हें कि आप 250 रुपये स्टाईफन्ड देते हैं और ओवरसियर का 150 रुपये बेरोजगारी का स्टाईफन्ड देते हैं, वह नहीं देकर आपको उन्हें नियुक्तियां देनी चाहियें। प्राथमिकता आपको अपने राजस्थान वाले को देनी चाहिये अन्यथा आज जो हमारे यहां पर पढ़े-लिखे, बेरोजगार चाहे डॉक्टर हों, चाहे इन्जीनियर हों चाहे कोई भी हों उन्हें नियुक्तियों में प्राथमिकता देनी चाहिये। नहीं तो यह बेरोजगारों की फौज इतनी लम्बी हो जायेगी कि आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण हो जायेगा। आज आपका किसान आन्दोलन करता है, आपके सरकारी कर्मचारियों का जो आन्दोलन होता है उसी तरह बेरोजगारों का आन्दोलन होगा, उससे हमें नुकसान होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी ज्यादा नुकसान तब होता है जब कि हमारे देश का मजदूर वर्ग आन्दोलन करता है तब हमारे यहां के प्रान्त का ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है। आज किसी भी क्षेत्र का मजदूर अगर आन्दोलन करता है, हड़ताल करता है तो उससे हमारे राष्ट्र पर बड़ा असर पड़ता है, उस क्षेत्र का विकास बन्द हो जाता है। जैसे हमारे कपड़ा उद्योग का मजदूर अगर आन्दोलन करता है तो देश में कपड़े की कमी होगी और देश में त्राहि त्राहि मच जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें हमारे मजदूर वर्ग को प्राथमिकता उनके विकास के लिये देनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां के नहर के इलाके में मजदूर कितना काम करता है वह बेचारे दिन में बारह घन्टे तक काम करता है, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो लेकिन हमारे यहां मजदूर बेचारा नहरी क्षेत्र में काम करता रहता है, वह नहर के एरिया में मिट्टी निकालता है या और कोई काम करता है। उसको उससे मिलता क्या है सिर्फ तीन रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचें कि तीन रुपये में क्या होता है। वह बेचारा दो वक्त खाना भी नहीं खा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां के मजदूरों के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, न ही उनके पास दो वक्त खाने को अनाज है। तो क्या हम इन्हीं कार्यों से हमारे यहां पर समाजवाद लाना चाहते हैं? आज वहां पर सर्दी, गर्मी और बरसात में कितनी हालत खराब हमारे यहां के मजदूर की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया हूं। मैंने आंखों से देखा है कि किस जगह वह बेचारे काम करते हैं, वहां उनके खाने की, पीने की और रहने की क्या व्यवस्था है। आज आप और हम सभी लोग यहां पर बैठ कर उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। उनके लिये व्यवस्था करने की जरूरत है। यदि नहीं की गयी तो मैं समझता हूं कि हमारा यह मजदूर वर्ग और यह नीचे के तबके के लोग हैं वह कभी भी विकसित नहीं हो सकेंगे। जो स्वावलम्बी होने के स्वप्न हमने उन्हें दिखाये हैं, जो उन्हें ऊपर उठाने के आश्वासन हमने दिये हैं। वह कभी भी पूरे नहीं होंगे और उनकी हालत खराब ही रहेगी फिर उसके कोई दूसरे परिणाम हो सकते हैं। आज जो हम समाजवाद की बात करते हैं वह केवल बातें ही होकर रह जायेंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा इस बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री नन्दलाल बैरवा)

हमने अभी थोड़े समय पहले राणा प्रताप सागर और नरोरा में कुछ डिसीजन्स लिये हैं। हमारी आल इण्डिया कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया है कि मजदूर वर्ग और भूमिहीन काश्तकारों को तथा जो नीचे के तबके के लोग हैं उन्हें रहने को जमीन दी जाय और जो भूमिहीन हैं, खेतीहर हैं उन्हें काश्त करने को जमीन दी जानी चाहिये। आज कई खेतिहर मजदूर ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो बेचारे वर्षों तक बड़े-बड़े जमीदारों की जमीनों पर खेती करते आये हैं, उन्हें मैं जमीन देने के लिये निवेदन करना चाहूंगा। आज भी हमारे प्रान्त में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उन गरीब लोगों के पास जमीन नहीं है। आज कांग्रेस सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने और हमारी प्रान्तीय सरकार ने जो भूमिहीन लोगों को जमीन देने की बात की है और उसकी क्रियान्विति में लोगों को अलॉटमेन्ट भी हुए हैं उसके लिए मैं भारत सरकार और राज्य सरकार को बधाई देता हूं और उसे एक बड़ा अच्छा कदम मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे हमारे मजदूर वर्ग को, खेतीहर मजदूर को काफी सहूलियतें मिलेंगी। आज हमारे यहां पर नीचे के तबके के लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, मजदूर वर्ग और जो भी अशिक्षित लोग हैं उन्हें शिक्षित करने की बात की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक मजदूर 12 घन्टे काम करता है, उसमें उसके परिवार का हर सदस्य उसकी मां, उसकी पत्नी और उसके बच्चे तक काम करते हैं तो वह बेचारे कब पढ़ेंगे ? अगर पढ़ने जाते हैं तो अपना खर्च कैसे चलायेंगे। इसके अलावा एक बात और भी है उपाध्यक्ष महोदय, अक्सर जो बच्चे अगर मजदूरी नहीं करते हैं तो वह बच्चे अपने माता पिता को खाना देने जाते हैं। अब अगर खाना देने नहीं जावें तो बेचारा मजदूर क्या खायेगा और खाना देने जायेंगे तो वह पढ़ने कब जायेंगे तो इस प्रकार मेरा निवेदन यह है कि परिस्थितियां आज बनी हुई हैं कि बेचारा मजदूर वर्ग अपने बच्चों को कैसे स्कूल पढ़ने भेजे। इसके लिये हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह आज स्थिति यह भी है कि लोगों के पास जमीन नहीं है और अगर बेचारा कहीं से ऋण लेकर जमीन ले लेता है तो उसके पास वहां का सम्पन्न वर्ग जमीन नहीं रहने देता है। उसको काबिज नहीं होने देते हैं उस जमीन पर। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिये जिस प्रकार कि अभी आपने अभियान पिछले साल चलाया था वैसा अभियान कुछ समय और चलाया जाता तो लोगों को राहत मिलती। वरना हमारे यहां पर सदन में पिछले कई सालों से दस साल से यह कहा जा रहा था कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन दे रहे हैं लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दस साल में भूमिहीनों को कोई अलॉटमेन्ट नहीं हुआ। इसलिये अब जो खेतीहर, मजदूर के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाये हैं, जो श्री गणेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे मैं मानकर चलता हूं कि किसान और मजदूर वर्ग जरूर ऊपर आयेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय मुझे दो मिनिट और चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनिट का समय आपको होगया है और भी दूसरे बोलने वाले हैं।

श्री नन्दलाल बैरवा : मैं तो सिर्फ दो मिनिट में समाज कल्याण के बारे में निवेदन करके समाप्त कर दूंगा।

समाज कल्याण के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेवल पर हमारे यहां पर राजस्थान विधान सभा में दो कमेटियां बनी हुई हैं जिसमें 10-15 एम. एल. एज. मेम्बर हैं। एक कमेटी शिड्यूल्ड कास्ट्स की है और दूसरी शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है। इसके अलावा एक राजस्थान सरकार के समाज कल्याण मन्त्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से उस कमेटी का मैं भी मेम्बर हूं। पर आज दो साल होने को आये हैं कोई भी मिटिंग नहीं हुई। तो मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण के नाम पर जो विभाग है, जो जो कमेटी बनाई गई है, हरिजनों के विकास के लिये जो नारा दिया जा रहा है उसे आप हटा दीजिये। जब मिटिंग ही नहीं हुई तो कमेटी आपने क्यों बनाई। स्थिति ऐसी है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई बजट ही नहीं है। अगर कोई वहां जाकर शिक्षा सुधार की बात करे तो समाज कल्याण विभाग वाले कहते हैं कि आप शिक्षा विभाग वालों से बात करें। बिजली के बारे में बात करें तो कहेंगे कि विद्युत् मण्डल से बात करें, पानी की बात करें तो वह आपको उसके लिये वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट से सम्पर्क स्थापित करने की बात कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों के लिये समाज कल्याण विभाग के पास बजट ही नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि फिर आप आज यह लाखों रुपये समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के लिये खर्च कर रहें इस बजट का क्या काम है ? इसे भी आप समाप्त करिये और उस बजट के पैसे को हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोगों के विकास के लिये काम में लाने की योजना बनायें। इस समाज कल्याण विभाग को समाप्त कर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर केशोरायपाटन में 60 लड़कों का छात्रावास है। वह छात्रावास टौंक के समाज कल्याण अधिकारी के नीचे आता है। अब आप सोचिये कि कहां टौंक और कहां केशोरायपाटन। उपाध्यक्ष महोदय, यहां से वह आदेश भेजते हैं कि जहां मिडिल स्कूल हैं वहां पर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का लड़का उस छात्रावास के पांच मील के दायरे में रहता है उसे छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि उस छात्रावास में सिर्फ 16 लड़के हैं। इस विषय को लेकर मैं डिप्टी डाईरेक्टर से मिला, मैंने लिखा-पढ़ी ऊपर तक की। पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा उस छात्रावास में हमारे जो बच्चे हैं उन्हें खाने के लिये बाजरा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका गेहूं प्रोड्यूसिंग एरिया है। हम लोग गेहूं बाहर भेजते हैं। लेकिन हमारे लड़कों को लाल ज्वार खाने को देते हैं। आज वहां पर लाल ज्वार के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं। यह

(श्री नन्दलाल बैरवा)

गलत है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि एक तो केशोरायपाटन के छात्रावास में छात्रों की संख्या 60 की जाय और उसी एरिया के बच्चों को उसमें दाखिला दिया जाय। दूसरे उन्हें खाने का लाल ज्वार के बदले गेहूं दिया जाना चाहिये। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, बार बार जो राजस्थान के सर्व-सर्वा हैं उन्हें इस बारे में लिखा-पढ़ी की है। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यह हालत है समाज कल्याण विभाग की। इससे किस प्रकार से हम लोगों की उन्नति हो सकती है और वह किस प्रकार से कर सकता है? उनको जाने के लिये कार चाहिये। टी. ए., डी. ए. मिलता है लेकिन हमारे लिये कोई पैसा नहीं है।

जिला समाज कल्याण की मिटिंग में भी कहा कि आपको बूंदी जिले में आना चाहिये और व्यवस्था देखनी चाहिये। लेकिन समाज कल्याण ऑफिस कहे और कार दे तब जा सकते हैं। वैसे नहीं जा सकते। ट्रेन वगैरह से जाकर नहीं देख सकते। हमने कहा कि आप यह जाकर देखिये इस तरह से, लेकिन नहीं। जिस जगह ऑफिस बना हुआ है, कई चक्कर लगाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप अब।

श्री नन्दलाल बैरवा : एक मिनिट।

समाज कल्याण विभाग इस तरह से चल रहा है। इस प्रकार से चलता रहा तो हरिजनों का उद्धार नहीं होने वाला है। समाज कल्याण विभाग का बजट आज आप पास करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 26 जिले हैं राजस्थान में, उनके साथ कस्बे हैं, लेकिन 27 साल की आजादी के बाद भी मानव, जिसको मेहतर कह कर पुकारते हैं, सिर पर मैला रख कर जाता है। सदन में बार बार प्रश्न आये हैं। यह कहा गया कि सबसे पहला काम यह होगा कि हरिजन सिर पर मैला लेकर नहीं जावेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के उदाहरण हैं, सिर पर मैला ढोते हैं। एक साल आपने लेट्रिन बनाने के लिए दो हजार-ढाई हजार रुपया भी दिया। सिर पर मैला लाना ले जाना बन्द कर दिया। कानून से तो कर दिया लेकिन कितनी कामयाबी मिली यह तो समाज कल्याण विभाग बताये? जो कुछ भी व्यवहार आज हमारे साथ हो रहा है इस विभाग के द्वारा, हरिजनों के साथ हो रहा है, वह उचित नहीं है, जितना बजट आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग नहीं मानते हैं तो सदुपयोग भी नहीं कह सकते हैं। केशोरायपाटन में छात्रावास में 16 लड़के है। मीटिंग बुलाते नहीं। कोई दूसरा बुलाता है तो दूसरे तरीके लागू कर देते हैं। इतना कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन!

श्री रामकिशन : उधर से बोल जायं पहले।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी!

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन, एवं समाज कल्याण दोनों ही काफी विस्तृत

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
विषय हैं और संक्षिप्त में इन पर अपने विचार प्रकट करना कठिन कार्य है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी।

श्रम किसी भी राष्ट्र के लिये एक महत्व की शक्ति है और उस के आधार पर कोई राष्ट्र विकास की गति को आगे बढ़ा सकता है। परन्तु, मान्यवर, राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि श्रम के वैधानिक संरक्षण की उचित व्यवस्था करे।

प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इनमें रात दिन श्रम सम्बन्धी समस्यायें देखने को मिलेंगी और खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर हैं, निजी क्षेत्र हैं, वहां पर समस्यायें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वहां पर काम करने वाले मजदूरों के बीच तथा वहां के मैनेजमेन्ट के बीच बहुत बड़ी आर्थिक खाई है। पूंजीपति वर्ग है वह यह विचार करके चलता है कि श्रमिक वर्ग हमारे विरोधी हैं और श्रमिक वर्ग यह विचार रखता है कि पूंजिपति हमारा शोषण करते हैं। इसलिये मैनेजमेन्ट की ओर से यह प्रयास रहता है कि समानान्तर यूनियन बनायी जाय और वास्तविक यूनियन को समाप्त कराया जाय।

मान्यवर, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का। वहां पर समानान्तर यूनियन बनायी गयी है। वास्तविक पदाधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया और इस प्रकार यह प्रतिक्रिया बारूद में आग का काम कर रही है। उनका सारा का सारा जीवन अस्थिर और अस्तव्यस्त बना हुआ है। उनके कई प्रकार के केसेज इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं; उनकी सुनवाई और लम्बे अर्से तक केसेज चलने के बाद भी उनके फैसले नहीं हुए हैं, उनके जीवन को शान्त करने के लिये यह फैसले बहुत शीघ्र करने चाहिये।

मान्यवर, खेतिहर मजदूर हैं आज उनकी क्या दशा है? क्या उनमें संगठन दिखायी देता है? क्या श्रमिक विभाग ने उनको संगठित करने के लिये-कोई कोशिश की है? मान्यवर, कोई भी धन तथा धरती उत्पादन नहीं कर सकती जब तक कि श्रमिकों का पसीना रूपी पारस धरती का स्पर्श नहीं करता वह धरती, सोना नहीं उगलती। मान्यवर उनके संगठन की ओर भी ध्यान देना होगा जिससे इसकी न्यूनतम मजदूरी उन्हें मिल सके।

स्त्री श्रमिकों की तो और भी दशा खराब है। मनु के देश में जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं ......

श्री रामगोपाल : यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : आप मुझे बोलने दीजिये। आप यह जेलेसी की भावना क्यों रखते हैं?

श्री रामगोपाल : मैंने तो प्रशंसा की है।

"यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता"

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उस देश में जहां मनु ने यह बात कही थी आज रात दिन स्त्रियां पत्थर ढ़ोती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, खेतों में काम करती हैं, फिर भी आधी

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

मजदूरी। श्रम विभाग कब तक उनके लिये समान मजदूरी का प्रावधान करेगा ?

इसके साथ ही आपका श्रम विभाग प्रगति आंकड़े कागजों से इकट्ठा करता है। क्या श्रम विभाग ने कभी उस गरीब मां की तरफ देखा है जिसके बच्चे सिसक सिसक कर रोते हैं ? क्या उन माताओं के बच्चों को आपने संरक्षण दिया है ? क्या आपने कोई शिशु अनुरक्षण गृह खोले हैं ? दिल्ली में पांच शिशु अनुरक्षण गृह चल रहे हैं। काम करने वाली मातायें अपने बच्चों को सुबह छोड़ जाती हैं और शाम को काम से लौटने पर वापिस ले जाती हैं। वहां बच्चों के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। क्या श्रम विभाग नियम नहीं बना सकता ? जहां स्त्री श्रमिक कार्य करें, जहां अधिक श्रमिक संख्या है वहां इस प्रकार के केन्द्र होने चाहियें तब ही जाकर गरीब माताओं के साथ न्याय कर सकेंगे।

नियोजन की बात संक्षेप में निवेदन करूंगी। आज हमारे देश में बेकारों की संख्या बढ़ रही है। हमारा प्रान्त भी अछूता नहीं है। आपका विभाग उनको एक दम नौकरी में लगा नहीं सकता। आपने नियोजन मार्गदर्शक संस्थायें कायम कीं। विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक नियोजन विभाग खोला है। मैं यह कहूंगी कि वह नियोजन केन्द्र पूर्णरूप से युवकों की सेवा नहीं कर सकेगा।

आपके जो जिला स्थित कार्यालय हैं जहां आपके नियोजन अधिकारी काम करते हैं वे जिला अधिकारी प्रति सप्ताह या प्रति दूसरे सप्ताह उस जिले के महाविद्यालय में जाया करें और जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या अपनी शिक्षा समाप्त कर रहे हैं उनके लिये मार्ग प्रदर्शन का काम करें। इस प्रकार का प्रावधान आपको करना ही होगा तभी आपके नियोजन विभाग, जो एक मात्र दफ्तरी बना हुआ है, में जान आ जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ समाज कल्याण के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। समाज कल्याण राजस्थान की एक बहुत प्राचीन परम्परा रही है। पहले दानी व्यक्तियों के दान-दक्षिणा द्वारा कराया जाता था परन्तु जबसे हम स्वतन्त्र हुए हैं राज्य के नीति-निर्देश तत्वों द्वारा समाज कल्याण विभाग इस कार्य को देखता है परन्तु जो धनराशि रखी गई है वह नगण्य है। राजस्थान जैसे काफी पिछड़े हुए प्रान्त के लिये इसमें राशि पर्याप्त नहीं है। मान्यवर, फिर भी जो कुछ काम किया गया उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। समाज कल्याण के द्वारा जो काम किये जा रहे हैं वे सराहनीय हैं। खास कर समाज कल्याण के कार्य दो भागों में विभक्त हैं, एक तो उनके लिए जो सामान्य हैं लेकिन पिछड़े वर्ग के हैं और दूसरे उनके लिए जो असामान्य हैं जैसे मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से किसी तरह हैन्डीकेप्ड हैं। इस प्रकार मैं मूल्यांकन करने की कोशिश करूंगी। आपके विभाग द्वारा ये कार्य किस तरह किये गये हैं ? सामान्य वर्ग को हम पिछड़े वर्ग की संज्ञा देते हैं। मान्यवर, राजस्थान सारा पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहां किसको पिछड़ा हुआ कहें और किसको पिछड़ा हुआ नहीं कहें यह भी एक मुश्किल है। फिर भी हम यह कहेंगे इस वर्ग, जिसको सदियों से न्याय नहीं मिला

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
है, जिसकी सदियों से उपेक्षा की गई है, को अब अवश्य प्राथमिकता देनी चाहिये।

आज ऐसे व्यक्तियों, जो जंगलों में निवास करते हैं या किसी रूप से असमर्थ हैं, के विकास की योजना बनानी चाहिये। 28 प्रतिशत है, इसकी अनुसूची है वह, रूढ़िवादी क्यों है ? इसमें भी परिवर्तन होना चाहिये। कई ऐसे और भी समाज में पिछड़े हुये वर्ग हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये जैसे मुस्लिम्स में हैं शोरकर, नीलगर, पिंजारा—क्या ये पिछड़े हुये नहीं हैं ? इनको भी निश्चित रूप से इस सूची में सम्मिलित करना चाहिये। अनुसूची रिजिड नहीं होनी चाहिये कि उसमें परिवर्तन ही नहीं हो। जो 28 प्रतिशत समूह है वह आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सामान्य जनसंख्या से बहुत पीछे है। सामान्य जनसंख्या में और इस वर्ग में बहुत बड़ी खाई है। उस खाई को आर्थिक दृष्टि से पाटने के लिये, मान्यवर, आपने भूमि का आवंटन किया है। कई व्यक्तियों को भूमि की सुविधा प्रदान की है परन्तु वास्तविक क्षेत्र में जाकर देखिये, क्या वह व्यक्ति उस भूमि को काश्त कर सकेगा ? कहीं भूमि पथरीली है तो कहीं कंकरीली है, ऊबड़-खाबड़ है और अगर अच्छी भूमि है तो मान्यवर, उससे दूसरे व्यक्ति ले लेते हैं। या आवश्यकतानुसार वह बेच देते हैं। इससे अच्छा है उसे दी ही नहीं जाय। मान्यवर, मेरा निवेदन है जब कृषि भूमि अलॉट की जाय तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उनको कृषि सम्बन्धी उपकरण भी प्रदान किये जायं। समाज कल्याण की तरफ से बैल, हल, बीज आदि जो अन्य सुविधायें हैं वे उन व्यक्तियों को दी जानी चाहियें।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई लोगों को भूमि आवंटित की गई है परन्तु जब आज अकाल की स्थिति है तो वे उस भूमि के लगान की किश्त भी जमा कराने योग्य नहीं हैं। चित्तौड़ में ओछड़ी जो गांव है वहां के भीलों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है। उनकी झोंपड़ियों को उखाड़ दिया गया, उनके कपड़ों को फिंकवा दिया गया। एक स्थान की बात नहीं है। अनेक स्थानों पर यह भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मान्यवर आपने बैंक से कर्ज लेने की सुविधा भी प्रदान की है। जो व्यक्ति बैंक से कर्जा लेगा उसका ब्याज समाज कल्याण से दिया जायगा लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। उस गरीब आदमी को पैसा बैंक से मिलता ही नहीं है। वह तो बैंक के कर्जे से वंचित ही रहता है। नरोरा में आपने निर्णय लिया और मकान बनाने के लिये आपने भूमि दे दी परन्तु मकान कहां से बनायेगा। आज आप को-ऑपरेटिव से चार हजार रुपये देने की बात करते हैं लेकिन इनकी प्रक्रिया इतनी पेचीदी है कि सामान्य जन कर्ज प्राप्त नहीं कर सकता है। जो आदिवासी भाई हैं उन्होंने अपने 100 रु. वापिस ले लिये हैं और कहा है कि हमें इस प्रकार की कमेटी के सदस्य नहीं रहना है जिसमें कर्ज लेने के लिये इतनी दिक्कतें हों। और, मान्यवर, यह भी निश्चित है कि हम खेती पर सब लोगों को नहीं बसा सकते हैं। आपने 16 स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण के केन्द्र खोले हैं परन्तु 28 प्रतिशत की जनसंख्या के लिए केवल आपके 16 स्थान उप-

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
युक्त नहीं कहे जा सकते हैं। यह स्थान बढ़ाने होंगे तभी हम उनके साथ कुछ न्याय कर सकेंगे।

सामाजिक क्षेत्र में छूआछूत की बात भी बहुत बढ़ी हुई है मान्यवर, यह कलंक आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। 20 वर्ष बाद भी जो छुआछूत का कलंक है वह हमारे समाज से मिटा नहीं है। आप ग्रामीण जीवन का क्यों उदाहरण लें, नगरों में भी छूआछूत की प्रवृत्ति आपको मिलेगी। क्योंकि इस कानून के तहत अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, अपराधी बच जाते हैं और उनके प्रति कोई न्याय नहीं हो पाता है, इसलिये छुआछूत की समस्या बनी रहती है।

मान्यवर, निसन्देह शिक्षा की खाई को दूर करने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चों का सुविधा दी है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है ताकि ये बच्चे सामान्य जीवन बिताने लगें। कई जगह नोकरियों में भी व्यवस्था हो गई है परन्तु मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। आज आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के 133 छात्रावास चल रहे हैं—राजकीय स्तर पर और 131 छात्रावास आपके निजी संस्थाओं के द्वारा चलाये जा रहे हैं जिनको समाज कल्याण विभाग 90% ऐड देता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है 90% ऐड दिलवाकर आप इन बच्चों का क्यों शोषण करवा रहे हैं? न उनको ठीक खाना मिलता है, न कपड़ा मिलता है और न अन्य प्रकार की जो सुविधायें मिलनी चाहिये, वह मिलती हैं।

मैं अपने क्षेत्र के गाड़िया लुहार छात्रावास का उदाहरण देती हूं। उनकी स्थिति आज ऐसी है जिसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं कई दफा यह सुझाव देती हूं और अब भी देना चाहती हूं आपको यदि समाज का व्यवस्थित रूप से विकास करना है तो यह पद्धति क्यों रखते हैं—जब तक अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन-जाति के बच्चों को अलग रखेंगे, अलग अलग रखने की जब तक प्रवृत्ति होगी तब तक गान्धी जी का जाति रहित समाज का स्वप्न था वह कभी भी साकार नहीं होगा। इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ आने दीजिये, सामान्य बच्चों के साथ ही उनको विकसित तथा प्रस्फुटित होने दीजिये। जबकि हमारी स्वतन्त्रता को आज 27 वर्ष हो गये हैं ......

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मान्यवर, दो मिनट में ही समाप्त करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय स्तर पर आप छात्रवृत्ति देते हैं और इसमें छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ा दी गई है, इसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब बहुत ज्यादा होता है और विलम्ब की प्रक्रिया को आप समाप्त कीजिए।

यह सब तो आपने किया लेकिन घुमक्कड़ जन जाति तथा एक्सक्रिमिनल ट्राइब्स के लिए आपने क्या किया? गाड़िया लुहार हैं, बन्जारे हैं, बावरी हैं—इनके लिए आपके कार्य शून्य के बराबर हैं। एक्स-क्रिमिनल ट्राइब्स जो कि सांसी या कन्जर के रूप में हैं इनके लिए अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

इनके कई छात्रावास चल रहे हैं। हां, चित्तौड़ में एक गाड़िया लुहारों का छात्रावास चल रहा है लेकिन मैं प्रमाण के साथ कह सकती हूं कि उस छात्रावास में एक भी गाड़िया लुहार का बच्चा नहीं है और कई वर्षों से नहीं है। तो इस प्रकार से नाममात्र के लिए सरकार इन व्यक्तियों के लिए काम कर रही है। वास्तविक रूप से इनके लिए कोई कार्य नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के द्वारा ट्राइवल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर में बनाया है। ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में योग्य एन्थरोपोलोजिस्ट तथा सोशियोलोजिस्ट की नियुक्ति कीजिए। आपका समाज कल्याण विभाग है इसके आर. ए. एस. ऑफिसर्स हैं या दूसरे ऑफिसर्स हैं इनको इन जातियों का सही चित्रण मालूम नहीं है। इनकी संस्कृति की बातें मालूम नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में आपके विभाग को राय देने के लिए ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में शोध हो, उनसे मदद लेनी होगी और यह आप तभी कर सकते हैं जब कि उसमें योग्य व्यक्ति हों।

तो यह बातें मैंने, मान्यवर, सामान्य व्यक्तियों के लिए कहीं। असामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत ही संक्षिप्त में निवेदन करूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मुझे बोल लेने दीजिए, मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करूंगी।

तो असामान्य व्यक्ति जो हैं उनको भी दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो वृद्ध व्यक्ति और 'दूसरे हैण्डीकेप्ड हैं शारीरिक, मानसिक या सामाजिक दृष्टि से। वृद्ध लोगों के लिए आपने पेन्शन की सुविधा दी है इसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों को भी आप पेन्शन देते हैं। परन्तु, मान्यवर, उन लोगों की शक्ति इतनी नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वह भिन्न भिन्न कार्यालयों की खाक छान सकें। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपके जो विभाग के इन्सपेक्टर्स हैं वह क्यों नहीं गांव गांव जाते हैं और क्यों नहीं पता लगाते हैं कि कौनसा व्यक्ति वृद्ध है या अन्धा है जिसको पेन्शन दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर में ओल्ड हाउसेज के बारे में मैंने एक प्रश्न किया था तो उसका उत्तर दिया था परन्तु आज संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो रही है और ऐसी स्थिति में उन वृद्ध लोगों को संरक्षण देने के लिए स्थान स्थान पर वृद्ध-गृह खोलने चाहिए। बाकी जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामजिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए जो भी कार्य किया गया है उसे समुद्र में हम बूंद के समान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज अन्धे व्यक्ति सबसे ज्यादा भारत में हैं और उनकी संख्या राजस्थान में भी बहुत ज्यादा हैं। उनके लिए जो संस्थायें चल रही हैं उनका कार्य सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता। गूंगे और बहरे व्यक्ति हैं इनके तो आंकड़े भी नहीं हैं तो उनको आप क्या सुविधायें पहुंचा रहे हैं। सभी व्यक्तियों को नहीं पहुंचा रहे हैं। सामाजिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं, मैं खासतौर से उनके बारे में कहना चाहती हूं जो कि छोटे बच्चे हैं। उनके लिए कई स्थानों पर अनाथालय चलते हैं लेकिन अनाथालय रजि-

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

स्टर्ड नहीं हैं और उन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। मान्यवर, उनको रजिस्टर करना चाहिए, उनका समय समय पर अवलोकन होना चाहिए और साथ ही संक्षेप में एक बात कहना चाहती थी कि जो सजा पाये हुए व्यक्ति हैं उनके बच्चों के साथ बहुत ही बेरहमी होती है। जो मातायें अपराधी हैं, जो जेल में रहती हैं और उनके छोटे बच्चे उनके साथ जाते हैं, उनके व्यक्तित्व के ऊपर कितना कुठाराघात हो रहा है क्या आपने कभी सोचा है ? मैं कहना चाहती हूं कि आपको ऐसे शिशु गृह चलाने चाहिए जहां कि इन बच्चों का सामूहिक रूप से उचित विकास हो सके। आपने, मान्यवर, भिक्षावृत्ति का कानून बना दिया लेकिन फिर भी आप भिखारियों की लाइन देखेंगे। अजमेर और जयपुर में रिसीविंग सेन्टर हैं लेकिन यह ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। उन रिसीविंग सेन्टर के अन्दर ऐसे व्यक्ति लाने चाहिए जो कि भीख मांगते हैं उनको यह पुलिस पकड़ कर लाये। यदि कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो उन्हें आप चिकित्सालय में भेजिये और मानसिक रूप से जिनकी स्थिति खराब है तो आप उनको मानसिक चिकित्सालय में भेजिये। यदि कोई काम करने वाला हट्टा-कट्टा है तो उनको आप काम करने के लिए भेजिये। मैं तो यही सुझाव दूंगी कि भिक्षावृत्ति का समाधान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि भीख लेना और भीख देना कानूनी अपराध घोषित नहीं कर देते। इसका आपको संशोधन करना होगा तभी हम इस कलंक से छुटकारा पा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बाल अधिनियम, 1970 जो बच्चे अपराधी हैं उनको बचाने के लिए बना दिया परन्तु यह भी आपका कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं कि प्रोबेशन अधिकारी आपने समाज कल्याण अधिकारियों को बना दिया। उनके पास आलरेडी इतना काम है कि वह प्रोबेशन का काम नहीं देख सकते। अतः ऐसी स्थिति में प्रोबेशन अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी का पद अलग अलग करना पड़ेगा।

मान्यवर, एक बात और संक्षेप में कहना चाहती थी कि कुछ समय पहले उदयपुर में एक आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूट इस कार्य के लिए चलता था कि जो जेल से सजा प्राप्त करके आते हैं उनको समाज का किस प्रकार से क्रियाशील सदस्य बनाया जाये, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वह इन्स्टीट्यूशन आपने बन्द कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो कि जेल से छूटकर आता है उसकी स्थिति रोगी की तरह होती है। जब रोगी अस्पताल से आता है तो उस समय उसके द्वारा परहेज नहीं रखा जायेगा तो पुनः वह रोगी हो जायेगा। इसी तरह से अपराधी पुनः अपराधी हो जायेगा। आपका समाज कल्याण विभाग आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूशन स्थान स्थान पर नहीं तो डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर जरूर चलायें, तभी जाकर जो समाज के गिरे हुए व्यक्ति हैं उनका सुधार कर सकेंगे। अतः मैं बहुत अधिक नहीं कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन जिन मांगों पर विचार कर रहा है उनमें समाज कल्याण का इस प्रकार का मामला है जिसके आर्थिक और सामाजिक दो बहुत बड़े पक्ष हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह चाहूंगा राज्य सरकार से कि आर्थिक पक्ष की तो हमें जानकारी है लेकिन हमारे समाज में कुछ दबे हुए लोग हैं वह दरिद्र लोग हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 83 लाख के आस पास है इसलिये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो 1 करोड़ 83 लाख लोग गरीबी की सीमा के नीचे की जिन्दगी बिताते हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। और यह दृष्टिकोण राज्य सरकार का नहीं है तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण समस्या पर एक साथ विचार करने के बजाय टुकड़े टुकड़े पर विचार कर रही है और राज्य सरकार की प्रवृत्तियां, राज्य सरकार का बजट, समाज कल्याण विभाग की प्रवृत्तियों को देखने से मालूम होता है कि सम्पूर्ण समस्या के समाधान के लिए, इसका राजनैतिक लाभ उठाने के लिए हम कुछ जातियों की चर्चा किया करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में हरिजन हैं, आदिवासी हैं और उनकी तादाद 28 प्रतिशत के आसपास है और सचमुच यह समाज में सबसे ज्यादा दबे हुए वर्ग में से हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर हमारे देश में यह स्थिति पैदा कैसे हुई। दुनियां के अन्य देशों में से जो देश आजाद हुए हैं वहां आर्थिक विकास के कार्यक्रम बने हैं। वहां केवल एक समस्या है और वह है आर्थिक विकास की। लेकिन हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है वह जाति व्यवस्था की है और इस जाति व्यवस्था की वजह से हमें हिन्दुस्तान में दो कार्यक्रम एक साथ हाथ में लेने पड़ेंगे, एक तो आर्थिक कल्याण का कार्यक्रम और दूसरे जाति विनाश का कार्यक्रम। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जाति विनाश के कार्यक्रम की तरफ ध्यान नहीं देकर केवल छोटे मोटे आर्थिक कार्यक्रम चलाती है। जब राज्य के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने अपना पद संभाला तो उन्होंने रेडियो पर अपना भाषण प्रसारित किया था और उसमें कहा था कि हम हरिजनों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। मुझे उनकी घोषणा से काफी आनन्द आया और मैं समझता था कि राजस्थान में इस दिशा में कुछ काम किया जायेगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया राज्य सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है, केवल हर महीने और हर साल हरिजन और आदिवासियों की चर्चा करके उनको गुदगुदा देती है, करने के लिए कुछ है नहीं। मैं अगर पहली पंचवर्षीय योजना का विवरण दूं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का विवरण दूं, तीसरी पंचवर्षीय योजना का विवरण दूं, चौथी पंचवर्षीय योजना का विवरण दूं और वार्षिक योजनाओं का विवरण दूं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत लम्बा हो जायेगा। लेकिन पिछले साल जब राज्य के मुख्य मंत्री ने सरकार सम्भाली थी और प्रगतिशील लोग सदन में चुन कर आए थे, उस चौथी पंचवर्षीय योजना को अगर देखें तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह मालूम पड़ेगा कि सारी चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लिए केवल चार करोड़

(श्री रामकिशन)

रुपया खर्च किया है और यह चार करोड़ रुपया भी पांच साल में किया है। उपाध्यक्ष महोदय, उनके मुकाबले में अस्सी लाख की उनकी जन संख्या है तो एक साल में एक व्यक्ति पर एक रुपया खर्च किया है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एक रुपया खर्चा समाज कल्याण विभाग ने किया है, यह उनकी उपलब्धि है। इसके मुकावले में अगर जिन मुल्कों में क्रांतियां हुई हैं उनका प्रगति विवरण उठा कर देखें तो इन 27 सालों में उनकी तरक्की की जो गति है, उन्होंने जो प्रगति की है, आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट देखें तो उनका आप अपने से मुकाबला नहीं कर सकते। आप इस पर गंभीरता से सोचें। कुछ लोगों को छात्रवृत्ति देना अच्छा काम है, मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि यह जरूरी नहीं हैं। कुछ और आपने छोटे मोटे काम किए हैं, चाहे वृद्धों के लिए पेन्शन का काम हो या दूसरे छोटे मोटे काम हों, विधवाओं के लिए मदद का काम हो, अपंगों की सहायता का काम हो वह सराहनीय काम है राज्य सरकार के, मैं इसको मानता हूं लेकिन जो समस्या जितनी विशाल है उसके मुकाबले में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो राज्य सरकार को अपना इरादा स्पष्ट करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमने ट्राइब्स के कल्याण के लिए ट्राइबल ब्लॉक बनाये और बांसवाड़ा और डूंगरपुर का सर्वेक्षण कराया तो जो उसकी रिपोर्ट आई है, ढेबर भाई कमीशन की रिपोर्ट या किसी और की रिपोर्ट, इससे आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज हमने ट्राइबल्स के कल्याण के लिए जो काम किया वह सारा पैसा गैर कास्ट्स के लोगों की जेबों में चला गया। यह मैं नहीं कहता हूं बल्कि जो कांग्रेस दल के अध्यक्ष रहे हैं, सौराष्ट्र के मुख्य मंत्री रहे हैं, ढेबर भाई कमीशन ने यह रिपोर्ट दी है कि इन ट्राइबल्स पर जितना रुपया लगाया गया उसका लाभ ट्राइब्स को बहुत कम और अन्य जातियों को ज्यादा मिला है। इसका मतलब यह है कि आपकी योजनाओं में मूलभूत कमजोरी है, मूलभूत कमी है, उपाध्यक्ष महोदय। अब आपने यह दूसरे कार्य हाथ में लिए हैं और उनके अ॰ आप उनका विकास करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा, माननीय छंगाणी जी, आप ऐसी दिशा ग्रहण करें कि जिन जातियों के लिए, जिन वर्गों के लिए यह कार्यक्रम बनाये जाते हैं उनको ही इसका लाभ पहुंचे। यह बहुत जरूरी भी है। यह सही है कि राज्य के अन्दर अर्थाभाव है, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है। किसी भी कार्य के अन्दर सीमा होती है लेकिन यह सब सम्भावनायें होते हुए भी हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि जो भी हमारे छोटे मोटे वित्तीय साधन हैं उनका उपयोग अधिक से अधिक उसी वर्ग के लिए हो जिनके लिए योजना बनाई है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने आदिवासियों के कर्जे के बारे में बड़ी सुन्दर घोषणा की। आपने घोषणा तो बहुत सुन्दर की है, उससे पहले दो तीन कानून भी बनाए हैं, मनीलैंडिंग का एक्ट बनाया, सागड़ी प्रथा के लिए कानून बनाया और ऋण निवारण के लिए भी आपने कभी सर्वेक्षण कराया लेकिन उनका क्या असर हुआ? मैं विस्तार में ही जाकर निवेदन करता हूं कि ग्रामीण कर्जा

(श्री रामकिशन)

निवारण समिति की जो रिपोर्ट आई है उसको अगर हम देखते हैं तो हमें बड़ी भारी निराशा होगी। सन् 52 में जहां राजस्थान के आदिवासियों पर, राजस्थान के हरिजनों पर, एक हरिजन और एक आदिवासी व्यक्ति पर जहां 284 रुपये कर्ज का औसत था वहां 1974 में यह 385 रु. हो गया स्थिर मूल्यों के आधार पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रवृत्तियां हमने चलाईं, जो कार्यक्रम चलाये उनका आंशिक लाभ पहुंचा है छात्रवृत्तियों के रूप में और सरकारी सेवा में संरक्षण के रूप में अन्यथा आपके जो दूसरे कार्यक्रम चले हैं उनका लाभ ऐसे वर्ग, जिन वर्गों के लिए आपने कार्यक्रम बनाया, को नहीं पहुंच सका। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, आप चिंतन भी करते हैं, आप इस मामले में चिंतन करके कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन आपकी भी मजबूरी है। जब आप चिंतन करते हैं तो आपके सामने ट्रान्सफर्स की लिस्ट पहुंच जाती है और उसमें कुछ कर नहीं पाते, यह आपकी भी दिक्कत है। इसके बावजूद मंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विभाग के सारे कामों को देखें, मंत्री होने के नाते पांच साल की जो जिम्मेदारी ली है उसको आपको ठीक ढंग से देखने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपने प्रावधान किया है और इस साल में जो प्रावधान किया है उसके लिए यद्यपि आप यह कह सकते हैं कि चौथी पांच साला योजना में जितना प्रावधान किया था वह तो एक साल में प्रावधान कर दिया है। अब की साल अपने विभाग के लिए 5 करोड़ और 86 लाख का प्रावधान किया है जिसमें से पौने तीन करोड़ आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए कल्याण पर जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि राज्य सरकार की सीमा होती है लेकिन सबसे पहले राज्य सरकार का मानस बनाया जाय कि आखिर करना क्या है। मेरा जहां तक खयाल है, मैं यह कोई आरोप के रूप में नहीं कहता हूं केवल आपकी आस्था के नाते कहता हूं कि केवल वोट प्राप्त करने के लिए हरिजनों का नाम लें, आदिवासियों का नाम लें, मुसलमानों का नाम लेते रहें, छोटी-मोटी मदद करते रहें और आपको वोट मिलते रहें लेकिन इन जातियों का कल्याण करना नहीं चाहते, इनको बराबरी में नहीं लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि छंगाणी जी और हरिदेव जी दोनों जानते हैं कि इसमें इनका स्वार्थ है, ये समझते हैं कि हरिजन आगे आ गए, आदिवासी आगे आ गए तो मुख्य मंत्री नहीं बन सकेंगे, मंत्री नहीं बन सकेंगे। आपके मन में यह धारणा बैठी हुई है, सारे देश में आज इसी तरह से हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय ...

श्रीमती नगेन्द्रबाला : सरकार की मंशा है कि प्रावधान करें, व्यवधान न करें।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री रामकिशन (श्रीमती सुमित्रासिंह के कुछ कहने पर) : मैं आपका नाम लूं तो शिकायत, नाम नहीं लूं तो आपको शिकायत, मेरी बड़ी मजबूरी है। आपके कारण से ही मैंने नारी का नाम नहीं लिया है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आखिर राज्य सरकार की

(श्री रामकिशन)

मंशा क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि आर्थिक प्रावधान के रूप में ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूं। आपकी आर्थिक दिक्कत हो सकती है और इसीलिए अस्सी लाख लोगों के लिए जो आपने प्रावधान किया है उसका बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राज्य सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जमीनों का आवंटन हुआ और प्राथमिकता के आधार पर जो लोग खेती करते हैं, खेती करना जिन लोगों का धन्धा है उनको जमीनें पहले मिलनी चाहिए थीं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक राजस्थान के लेवल पर 67 लाख एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। मैं, माननीय छंगाणी जी, आपसे समाज कल्याण मंत्री के नाते पूछना चाहता हूं कि इस 67 लाख एकड़ जमीन में से हरिजनों को और आदिवासियों को कितनी जमीन मिली, आपने कभी जांच कराई ? जब हम इसके आंकड़े देखेंगे तो राजस्थान सरकार को और हम सबको बड़ी निराशा होगी। इस 67 लाख एकड़ में से हरिजनों को और जो आदिवासी लोग हैं जिनका धन्धा खेती करना है उनको केवल 17 लाख एकड़ जमीन मिली है और बाकी सारी उन लोगों ने हड़प ली जिनका धन्धा खेती करना नहीं था, जो खेती का काम नहीं करते थे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास के नाम पर दो रुपये की मदद देना, उनके घर में बिजली लगाना या उनके यहां कोई नल की टूंटी पहुंचा देना ही काफी नहीं था बल्कि हमें सम्पूर्ण समाज के उत्थान की दृष्टि से इस चीज को लेना होगा। जमीनों का जहां तक सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में राजस्थान सरकार जितना बड़ा दम्भ भरती है हरिजनों और आदिवासियों के मामले में मैं समझता हूं कि इतना बड़ा दम्भ हिन्दुस्तान के अन्दर किसी अन्य सरकार ने नहीं किया है। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से कहता हूं कि वह राजस्व विभाग के आंकड़े मंगा कर देख लें कि हरिजनों और आदिवासियों को कितनी जमीन मिली है और कितना उनके हित में आवंटन हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे सदन में पहले भी चर्चा आई थी कि विधान सभा सदस्य, लोक सभा के सदस्य, प्रधान, प्रमुख इन सबने जितनी जमीनें ली हैं उनके बारे में यहां घोषणा की गई थी कि हम जांच करायेंगे। आज अगर आप उस कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो मालूम पड़ेगा कि आखिर जमीनों का क्या हाल हो रहा है। जो गैर हरिजन और सवर्ण सम्पन्न लोग हैं वे ही जमीनों के मालिक बने हैं। हमारा समाज कल्याण विभाग उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करता रहा यह मेरी समझ में नहीं आता। केवल कुछ रुपया खर्च कर देने से उनका आर्थिक उत्थान होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जमीनों की बात हटा दीजिए....

श्री करणसिंह : हरिजनों को जमीनें मिली हैं तो सब पर कब्जे नहीं मिले हैं।

श्री रामकिशन : अभी तो मैं कब्जे वाली बात पर नहीं आ रहा हूं, यह आप देखिए। यह सरकार को सोचना चाहिए कि स्थिति क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह करना है कि आज समाज कल्याण के साथ ही ट्रांसपोर्ट पर भी बहस होगी। आप आंकड़े उठा कर देख लें कि नेशनेलाईजेशन ऑफ रूट्स नहीं हुआ

(श्री रामकिशन)

उससे पहले बसों के परमिट जितने दिए गए जो कि आर्थिक लाभ का कार्य था, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कि इस 70 प्रतिशत लाभ के स्थान में आपने कितने हरिजनों और आदिवासियों को परमिट दिए ? आप एक-एक जिले में पांच-पांच आदिवासियों के नाम बतादें कि जिनको बसों के परमिट दिए हों। उसका नतीजा क्या होता है, उपाध्यक्ष महोदय। शायद मंत्रीजी यह कह दें कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बसों के परमिट लेकर बसें चला सकते। मैं आपसे कहता हूं कि पहले भी बसों के परमिटों में साझादारी होती थी, किसी भी साझेदारी से वह कर सकते थे। आप इन दस हजार परमिटों में उनको हिस्सा देते, व्यापार में उनको हिस्सा देते। दूसरे ट्रैक्टर को आप ले लीजिए, व्यापार की लिस्ट ले लीजिए, इंजिन की लिस्ट ले लीजिए, गृह उद्योगों की लिस्ट ले लीजिए, लघु उद्योगों की लिस्ट ले लीजिए, मैं बड़े उद्योगों की बात नहीं करता लेकिन इसमें उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए जितने हमने आयोजन किए हैं, जितना पूंजी का नियोजन किया है, जितनी मदद दी है उसमें से एक दशमलव एक हिस्सा मदद भी उनको नहीं पहुंच सकी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय हमारे कांग्रेस दल के हरिजन सदस्य और आदिवासी सदस्य केवल इस पर खुश हो जाते हैं कि हमको छात्रवृत्ति मिल गई, हमको सर्विस में संरक्षण मिल गया, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह भिखमंगों का कार्यक्रम निरन्तर चलता रहा तो इसके सहारे ये आपको आश्रित रखना चाहेंगे। वह इसलिए चाहेंगे कि इनका दिमाग इसी भांति का बना रहे और इन बातों के लिए हरिजन और आदिवासी हमारे आश्रित बने रहें और जब तक ये आश्रित बने रहेंगे तब तक सवर्ण राज्य करते रहेंगे, अगर ये बराबरी पर आ गए तो सवर्ण राज्य नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछता हूं समाज कल्याण मंत्री जी से कि राज्य सरकार इनके सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या करने जा रही है ? राजस्थान में हरिजनों के लिए आज भी हर गांव में चले जायं मेहतर जिसको कहते हैं उसके पीने के पानी का प्रबन्ध आज भी नहीं है। शायद दुनिया में यह पहला देश है। अनाज का इन्तजाम यहां पर नहीं है। विकासशील देश है। कपड़े की कमी नहीं है और चीजों की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर कि करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीने का पानी करोड़ों लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चाहे हम बड़े काम नहीं करें, कम से कम इस साल तो यह घोषणा कर दें कि राजस्थान में जहां कहीं भी हरिजन रहते हैं, हरिजन से मेरा मतलब मेहतर से है, उसके लिए पानी का इन्तजाम कर दें। सवर्णों के साथ कुए से पानी भर लें, यह आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। पीने के पानी को उपलब्ध करा देने को यह घोषणा आप कर दें। पिछले 27 वर्षों में आपकी सरकार यह काम नहीं कर सकी। यह लज्जा की बात है। सम्पूर्ण जाति के लिए लज्जा की बात है। हिन्दुस्तान के लिए लज्जा की बात है। मैं आपकी किस उपलब्धि की चर्चा करूं। कहीं कोई उप-

(श्री रामकिशन)

लब्धि हुई हो तो चर्चा करूं। जिस दिशा में जाते हैं, वहीं मामला साफ नजर आता है। आपने यह जो समाज कल्याण का कार्यक्रम बनाया है, यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है। समाज परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार यहां पर चर्चाएं हुई हैं। चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने भी कहा है वृद्धावस्था पेन्शन चालू करने के सम्बन्ध में। आप जानते ही हैं वृद्धलोग पेन्शन प्राप्त करने नहीं आ सकते। मेरा सुझाव है, हमारे पास में ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, उनको जिम्मेदार बना दें कि उनके क्षेत्र में कौन कौन वृद्ध, अशक्त है। वे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लें। इसके लिए आपको कोई नई मशीनरी इवोल्व नहीं करनी पड़ेगी। उसकी सर्विस कन्डीशन में भी यह जरूरी नहीं करें परन्तु उसके क्षेत्र में नियमों के तहत जो वृद्ध आते हैं, उनकी वह सूची तैयार करें और सरकार उसके जरिये इनको पेन्शन दे। यह आपका फर्ज है। यह घोषणा केवल आपका दिखावा है।

जहां तक हम आर्थिक नीतियों की चर्चा करें, चाहे वह व्यापार की बात हो, खेती की बात हो, कारखानों की बात हो, इन सब में इन जातियों का शोषण हुआ है। एक बात विचारणीय है। सामाजिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है उनके उत्थान की बात हम सोच रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, ये दोनों अलग अलग हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर करीब करीब सभी जातियों में हैं लेकिन वास्तव में जो हमारी चिन्ता हैं, वह है सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की। जो सताये हुए हैं उनके लिए सोचिए, आप क्या कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है, कई बार यहां पर कहा भी है—इस देश में जाति व्यवस्था है। दुनिया के अन्य देशों में यह नहीं है। नेपाल में थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी लम्बी चौड़ी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको आप पिछड़ा हुआ समझते हैं, उनके बारे में आप सोचें। मुसलमानों में भी यह जाति व्यवस्था है। वे भी हमारी जाति व्यवस्था से अछूते नहीं रह सके। उनमें कुछ ऐसे वर्ग जैसे भिश्ती, जुलाहे हैं जो सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उनके कल्याण के लिए भी आप सोचें और उनके विकास की योजनाएं बनानी चाहिये।

जहां तक औरतों का सवाल है, मैं समझता हूं इस मुल्क में इनकी दशा बहुत ही सोचनीय है। हमारी प्रधान मन्त्री एक महिला है, इसलिए महिला वर्ग उन्नति की ओर बढ़ गया है, यह नहीं माना जा सकता। हम अपने पुराने ग्रन्थों, पुराण और शास्त्रों को देखें, नारियों का जिस रूप में इनमें जिक्र आया है, उनके विरुद्ध सामाजिक क्रांति करना जरूरी है। समाज कल्याण मंत्री जी के जरिए यह सामाजिक क्रान्ति नहीं होगी, मेरे कहने मात्र से यह सामाजिक क्रान्ति नहीं होगी। सामाजिक क्रान्ति के लिए जो हमारे पुराण, शास्त्र हैं ये ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें कि हमारी महिलाओं का अपमान किया गया है। इसके खिलाफ आपको एक वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिये। यह समाज कल्याण करना चाहिये। यहां एक प्रसंग याद आ जाता है। शिव के साथ पार्वती जा रही

(श्री रामकिशन)

है। वे रोती हैं। ग्राम लड़कियां जब घर से जाती हैं, रोती हैं। यह एक रिवाज हो गया। ग्राज की लड़कियां नहीं रोती हैं। तो इस रोने के समय तुलसीदासजी ने क्या कहलवाया है— यह कहा है पराधीन सपनेहू सुख नाही। पराधीन का क्या मतलब है? विदेशी गुलामी से इसका ग्रर्थ नहीं है। यह कहलवाया है कि दुनिया में इससे ज्यादा दुःख ग्रौर नहीं है। तो इस संदर्भ में हमको परिवर्तन करना है। ग्राज की नारी पराधीन है। यहां पर नारी की स्थिति विशिष्ट रूप में नहीं चित्रित है। विधान सभा में पांच-दस नारियों के ग्रा जाने से या देश की प्रधान मंत्री नारी बन जाने से नारियों की स्थिति नहीं सुधरेगी। नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए एक विशेष कार्यक्रम ग्रापको चलाना होगा। जहां नारी पूज्य है वहां कल्याण है, यह प्रसंग भी हमारे पौराणिक ग्रन्थों में ग्राता है। लेकिन इसके साथ ही मनु की व्यवस्था है, वह नारी को हीन मानता है। नारी को पवित्र भी मानता है मनु ग्रौर तीन दिन उसका स्पर्श करने की मनाही भी देता है। यह सारी मनु की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को उखाड़ना होगा तभी एक सामाजिक क्रान्ति हो सकेगी। ऐसी सामाजिक क्रान्ति के लिए ग्राप पुस्तिकाग्रों का प्रकाशन करें, ऐसा साहित्य प्रकाशित करें। समाज कल्याण चाहते हैं तो नर नारी में समानता हो, छूत-ग्रछूत, पवित्र-ग्रपवित्र का वातावरण दूर हो। इन सब के लिए ग्राप एक वातावरण पैदा करें। राम कृष्ण ग्रौर शिव—इस देश के चरित्र के लिए एक बहुत बड़ी मिसालें हैं। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। शिव, दूसरों के कष्ट हरण के प्रतीक हैं ग्रौर कृष्ण, दुनिया को समझ लें तो भी इनको नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण चोरी करता है, डकैती करता है, हत्या करता है, सखियों के साथ नाचता है ग्रौर 16 हजार पत्नियां रखता है इन सबके बावजूद भी वह मानव जाति का कल्याण करने वाले का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। एक प्रसंग याद ग्राता है पार्वती पूछती है शिव के बारे में। तुलसीदास जी कहते हैं राम के चरित्र को जानने की ग्रधिकारिणी नारी नहीं है परन्तु चूंकि ग्राप पार्वती हैं, शिव की पत्नी हैं, इसलिए बताना चाहूंगा। जब तक हमारे पौराणिक ग्रन्थ हैं, साधारण ग्रादमी इसको नहीं समझ पाता है, हर एक हिन्दुस्तानी इनको नहीं समझ पाता लेकिन हमारे देश का रामायण ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह पढ़ा जाता है। एशिया में भी रामायण का प्रभाव है तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन सन्दर्भों में। मेरा निवेदन है कि ग्राप इस समाजिक क्रान्ति के लिए एक छोटा-मोटा कार्यक्रम सोचें। सिर्फ यही न सोचें कि ग्रापने एक विधवा ग्राश्रम खोल दिया है, बाल ग्रपराध निवारण के लिए कई गृह बना दिये, ये तो ग्रापने चालू कर रखे हैं परन्तु इनसे समाजिक क्रान्ति नहीं होने बाकी है। ग्रापने इस दिशा में कुछ कानून बनाये हैं। भिखमंगों के लिए ग्रापने कानून बनाया है। हिन्दुस्तान में भीख मांगने के काम में काफी लोग लगे हुए हैं। भीख मांगने के दो कारण हैं। एक तो दरिद्रता ग्रौर दूसरा जातीय संस्कार। जब सुदामा यह कहते हैं—ब्राह्मण को धन भिक्षा, तो एक वर्ग भिक्षा मांगने वाला ग्रापने ऐसे ही खड़ा कर दिया। सारे देश में, हिन्दुस्तान भर में तीन-चार ऐसी जातियां हैं जो केवल

(श्री रामकिशन)

भिक्षा ही मांगती हैं और भिक्षा मांगते समय अपने आपको अपमानित महसूस नहीं करती हैं। बिहार के ब्राह्मण, बंगाल के ब्राह्मण इसमें अपमानित महसूस नहीं करते उल्टे वे इसको सम्मान का काम समझते हैं। ऐसी सामाजिक स्थिति में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी मर्यादाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा, जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इस दृष्टि से मैं आपका यह समाज कल्याण का कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे निराशा होती है। मैं समझता हूं, छगाणी जी मार्किस्ट रहे हैं, उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, तो उनकी दृष्टि पर इनका असर पड़ा होगा—वे सोचते होंगे जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जाएगा जातियां टूटती जाएंगी, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ऐसा नहीं होगा। हिन्दुस्तान की जातीय व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। मुसलमान जाति को देख लीजिये। मुसलमानों में जाति प्रथा नहीं होती है परन्तु जब यह मुस्लिम संस्कृति, धर्म, हिन्दुस्तान में आया, फैला तो इन पर भी हमारी जाति प्रथा का प्रभाव पड़ा और आज उनमें भी जाति प्रथा चालू है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस जाति प्रथा पर गहरी चोट करनी पड़ेगी। इस दृष्टि से जब मैं इस कायक्रम को देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हमारे देश में सरकार—ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ इन जातियों के लोगों को छोड़कर बाकी जो सारी जातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान करें। ये सब जातियां सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इनको संरक्षण देना जरूरी है। यह प्रक्रिया नहीं चलाई तो मैं यह समझ पा रहा हूं कि आपका यह कार्यक्रम चलता जाएगा और नतीजा इसका कोई नहीं निकलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, विशेषतौर पर कांग्रेस दल पर आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी जातीय पक्षपात नजर आयेगा। कांग्रेस दल को मैं एक विलक्षण दल मानता हूं। इन सारे कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों में एक नायक मुख्य मंत्री था, उसको भी आपने हटा दिया और उसकी जगह एक सवर्ण को ले आये। आखिर यह स्थिति क्यों है कांग्रेस दल की? जितने भी मुख्य मंत्री हैं वे अधिकतर आपको ब्राह्मण मिलेंगे। ....

एक माननीय सदस्य : आप भी तो ब्राह्मण हैं?

श्री रामकिशन : हम तो क्रान्तिकारी हैं। आप नहीं समझ पाये हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री ब्राह्मण है, राजस्थान का मुख्य मंत्री ब्राह्मण है। आपके दल का अध्यक्ष ब्राह्मण है। एक तरह से ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर रखी है। काश्मीरी ब्राह्मण ने एक स्थिति मुल्क में पैदा कर रखी है। इस देश में एक महिला नन्दिनी सतपथी मुख्य मंत्री है, उसकी बात को छोड़ देता हूं। महिलाओं पर नजर डाल कर देखें तो क्या स्थिति है। एक गैर ब्राह्मण मुख्य मंत्री था उसको भी आपने हटा दिया ...

श्री केदारनाथ : पुष्करणा ब्राह्मण जो जीनियस है उनमें से आये हैं ये तो।

श्री रामकिशन : इन पर भी आ रहा हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में चिन्तन करें कि

(श्री रामकिशन)

आप जाति-व्यवस्था को तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं, संदर्भ की दृष्टि से कहना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग का हिस्सा तो इसमें लेश-मात्र है, समाज का जो सम्पन्न वर्ग है वही इसके लिए जिम्मेदार है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे एक विशेष बात और कहनी है। कल-परसों, पांच-छ: दिनों से अखबारों में मैं निरन्तर देख रखा हूं, शायद कल ही के अखबार में था, कि एक लावारिस बच्चे की लाश सड़क पर मिली है। इसमें असल बात क्या है? हमारे देश में एक तरफ तो हम पश्चिमी संस्कृति के वशीभूत होते जा रहे हैं, उसको अपना लिया है, उसको आदर्श मान लिया है और दूसरी तरफ हम पूर्वी संस्कारों से अभी निकल नहीं पाये हैं। इसके क्या परिणाम हुए हैं? नतीजा यह है कि आये दिन हम यह अखबारों में पढ़ते हैं कि सड़कों पर, अस्पताल की सीढ़ियों पर या किसी नाले के अन्दर मरा हुआ बच्चा मिला। हम इसमें क्या करें? अवैध बच्चे का सवाल है, इसको हम रोक तो सकते नहीं। अवैध बच्चे हमारे देश में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी, अमेरिका और जर्मनी वगैरह में भी होते हैं। अवैध बच्चा होने के कारण ही हम यह नहीं कह सकते कि वह पतित है और बुद्धिहीन है। दुनिया में कई सर्वश्रेष्ठ पुरुष अवैध पैदा हुए हैं। दुनिया की सात सर्वश्रेष्ठ सन्तान अवैध हैं। जर्मनी का वाइस चान्सलर भी अवैध था। लेकिन यह मेरा मतलब नहीं है कि इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाय और यह कोई सही तरीका है परन्तु बच्चे के जन्म के लिए उसके मां-बाप जिम्मेदार हो सकते हैं। बड़ा होने पर उसके मां-बाप के बारे में पूछा जाता है तो उसको बड़ा संकोच होता है और उसमें एक हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। पश्चिमी जर्मनी के वाइस चान्सलर ने खुद ने कहा था कि वह एक अवैध सन्तान है। तो, उपाध्यक्ष महादय, मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का सामाजिक वातावरण पैदा किया जाय कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाय तो उन बच्चों को सड़क पर ही न छोड़ दिया जाय क्योंकि वे अवैध हैं, उन पर हमारा पूरा जीवन मर्यादित होना चाहिए। उनको भी समाज में सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी तो गलती है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जबसे दुनिया बनी है और रहेगी, संसार में नर और नारी रहेंगे, दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता ही रहेगा। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इसको कोई रोक नहीं सकता। जब तक औद्योगिक विकास होता रहेगा, यह शिक्षा जारी रहेगी या और इस प्रकार के जो कुछ भी काम होंगे तो इसकी सम्भावना और भी ज्यादा रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए। कुआरी मां के लिए भी हमको सुधार की बात सोचना पड़ेगी, उनको भी समाज में स्थान देना होगा। गलतियां तो कौन नहीं करता, सब करते हैं मैं माननीय छंगाणी जी आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कोई गलती नहीं की?

श्री मोहनलाल छंगाणी: मैं आपसे छोटा हूं, इसलिये कैसे कन्फेस कर सकता हूं, आपके सामने।

श्री रामकिशन : आप कन्फेस करें या नहीं करें लेकिन सचाई यही है। तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कुआरी मां के लिए भी हमको सदनों की स्थापना करनी पड़ेगी। ऐसी घटनाएं कोई हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में मिल जायेंगी और आए दिन जब मैं इस प्रकार की घटनाओं को पढ़ता हूं, या सुनता हूं तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस दिशा में कोई निश्चित कार्यक्रम बनावे और समाज में उनका किस प्रकार से सम्मान दिया जा सके, किस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इस सम्बन्ध में भी हमको सोचना पड़ेगा।

बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, आपका श्रम नियोजन विभाग है। वह आज क्या कर रहा है, इसकी क्या उपयोगिता रह गई है? आज हिन्दुस्तान में जितनी बेरोजगारी है उतनी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगी। प्रधान मन्त्री कहती हैं कि बेरोजगारी तो अमेरिका में भी है और इंगलैण्ड में भी है। परन्तु यह नहीं देखतीं कि अमेरिका में बेरोजगारी किस कारण से है, और हमारे यहां बेरोजगारी दूसरे कारणों से है। आज जितने पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं आपके यहां पर, इतने कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेंगे। आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार अगर यह खयाल रखती है कि सरकारी सेवाओं के जरिये और औद्योगिक विकास करती रहेगी जिससे बेरोजगारी कम हो जायेगी तो मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है और यह भ्रम में डालने वाली बात है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने लोग राज्य सेवा में नहीं हैं जितने कि हिन्दुस्तान में हैं। पहले 47 आदमियों में से 1 आदमी राज्य सेवा में था और अब 43 आदमियों में से एक आदमी राज्य सेवा में है। आज दुनिया के किसी भी देश में जहां पर व्यापार सरकार के हाथ में नहीं है और प्राइवेट सम्पत्ति को समाप्त नहीं किया गया है, इतने नौकर नहीं हैं जितने कि हिन्दुस्तान में हैं। आप भी जानते हैं कि जितने लोग आज सरकारी सेवा में लगे हुए हैं उन सबकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पूरा काम ही नहीं है, वे व्यर्थ ही राष्ट्र का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यह मैं मान कर चलता हूं कि कुछ लोगों के पास अवश्य काम है। यह बात मैं केवल राजस्थान के सन्दर्भ में ही नहीं पूरे देश के सन्दर्भ में निवेदन कर रहा हूं। आज हमारे देश में उद्योग में एक आदमी को लगाने के लिए 70 हजार रुपये नियोजित करने पड़ते हैं। आप क्या यह समझते हैं, हमारे देश की इतनी क्षमता है कि वह इतना नियोजित कर सकता है या हम इसके लिए किसी भी देश से कर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिएं जिससे हमको कम से कम पैसा नियोजित करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। वैसे आज संदर्भ नहीं है उद्योग विभाग की चर्चा होगी तो मैं निवेदन करता, मैं कह सकता था कि हमको परम्परागत सिद्धान्तों को मिटाकर भी बेरोजगारी को मिटाना चाहिए, उनको दूसरे काम भी दिये जा सकते हैं, राज्य सेवा के अलावा और भी काम वे कर सकते हैं, जातिगत संस्कारों को बदल कर भी आगे आना चाहिए इससे भी हमको बेरोजगारी मिटाने में काफी मदद मिलेगी। परन्तु यदि हम सरकारी सेवा और उद्योगों पर भी

(श्री रामकिशन)

निर्भर करते रहे तो इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है और हमको निराशा ही होगी। नियोजन कार्यालयों में जो सूचियां हैं आज यह महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सरकार किस प्रकार का चिन्तन करना चाहती है, किस प्रकार से इस समस्या का हल करना चाहती है। इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमको एक नये ढंग से देखना पड़ेगा।

आपने समाज कल्याण बोर्ड बना रखा है, इसके क्या फन्क्शन्स हैं, आप मुझे समझा दें। इसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं उनकी जानकारी है आपको? कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है क्या उसकी आपको जानकारी है? क्यों नहीं मिल रहा है? इसको आपको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें झूठे पेमेन्ट हो जाते हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लालबहादुर शास्त्री कॉलेज में 70-80 छात्रों को पढ़ाने के लिये समाज कल्याण विभाग ने उनको टाइप सिखाने के लिये प्रावधान कर रखा है। वहां पर 150 रुपया माहवार पानी का वसूल किया जा रहा है जबकि छात्रों को पीने को पानी नहीं मिलता है, नई मशीनें नहीं खरीदी गई हैं। तो इस तरह की बातें हैं जिनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ताकि आप कन्विन्स हो जायें। और नहीं होना चाहते तो यह देखें आखिर यह क्यों सारा का सारा बेकार खर्च हो रहा है जिसका कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। इसकी कुछ तो कार्यवाही या इसका सही उपयोग तो होना चाहिए। आप कहेंगे कि इतनी छात्रवृत्ति दी और यह किया, वह किया, इतने अपाहिजों को पेन्शन दी, इतने होस्टल खोले, इतना खाना दिया, पंचवर्षीय योजना में हमने यह प्रगति की। मुझको समाज कल्याण विभाग की प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली है और कई सदस्यों को नहीं मिली है ऐसी जानकारी मुझको मिली है। शायद नहीं दी गई है अभी तक। लेकिन अगर मिल भी जाय तो उसमें क्या है? क्या सुधार के सुझाव आप रखना चाहते हैं? हम तो आपका दर्द ही बता सकते हैं कि हमारे क्या तकलीफ है। उसकी दवा तो आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि आप गद्दी पर बैठे हैं। सभी दृष्टियों से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों से हमको एक नये समाज का निर्माण करना पड़ेगा। आज भी कई ऐसे लोग हैं, जो अंग्रेजी भी बोलते हैं और हिन्दी भी, उनके बच्चे मम्मी-डेडी। ऐसी संस्कृति हमारे देश में पनप रही है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको धर्मपत्नि तो आपको कहती है ना डार्लिंग?

श्री रामकिशन : क्यों न कहेंगी? मेरी है इसलिए कहेगी ही।

तो मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक संस्कृति हमारे मुल्क में पनप रही है और इसके लिए रसोइये चाहियेंगे। पढ़े लिखे लोगों की तो कमी नहीं है लेकिन जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं वह नहीं मिलते हैं। आपका विभाग ट्रेनिंग दे बिस्कुट बनाने की, पेस्ट्री बनाने की और रसोई बनाने के लिए हरिजन लड़कों को ट्रेण्ड करें, क्योंकि आज जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं इनकी पत्नियां भोजन नहीं बनाती हैं। उनको सिनेमा देखने से, उपन्यास पढ़ने से और अच्छे कपड़े पहनने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उनके लिए भोजन

(श्री रामकिशन)

बनाना बड़ा मुश्किल है। इधर तो रसोइयों की जरूरत है और हमारे पास समाज के ऐसे लोग हैं जो छुआ-छूत के कारण समाज से दूर पड़े हुए हैं। और आप इनको रसोइया बना दें तो मैं समझता हूं कि छुआ-छूत भी मिटेगी और उनको रोजगार भी मिलेगा। आपके विभाग ने कुछ ऐसा काम नहीं किया। अगर हम चाहते तो समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकते थे, लेकिन 27 साल की आजादी के बाद भी समाज-व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला पाये हैं। अगर कोई परिवर्तन नहीं ला पाये हैं तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि इसमें दोष किसका है। आप कहते हैं कि 5 हजार साल की पुरानी हिन्दू संस्कृति है तो 5 हजार साल पुरानी हिन्दू संस्कृति यह नहीं थी। अगर थी तो एक घटना है कि शबरी के झूठे बेर राम ने खाये। यह एक अजीब घटना थी कि राम ने बेर खाये और वह भी झूठे और वह भीलनी के! या तो एक समाज ऐसा था हमारा या प्रेम के कारण खाये हैं जैसी कि रामायण की घटना है। दोनों के उत्तेजक सम्बन्ध थे, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि उत्तेजना में नारी का झूठा नर खाता है। आप भी ऐसी स्थिति में झूठा खा लेते होंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री शंकरलाल (पाली) : आपको अनुभव होगा।

श्री रामकिशन : हां, मेरा अनुभव है। अगर आप इन्कार करते हैं तो गलत है। ऐसा होता है उत्तेजना में। जब तक आपका सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था में परिवर्तन लाने का क्रान्तिकारी दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। समाज कल्याण और श्रम के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं।

श्रम कानूनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। जिस श्रम कानून को आप लागू करना चाहते हैं तो उसके इम्प्लीमेन्टेशन के असर को देखें। आपने कानून लागू कर दिया कि दुकानें 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगी। कपड़े वाले की नहीं खुले तो चलेगा, लोहे वाले की नहीं खुलें दुकानें तो कोई बात नहीं, लेकिन नाई की नहीं खुले दुकान तो हजामत बनाने के टाइम तो दुकान बन्द और आप दफ्तर में आ जायं तब दुकानें खुलें! तो कानून के इम्प्लीमेंट करने के असर को आप देखा करें। हमारे पास नाइयों का डेपूटेशन आया है कि यह अजीब सरकार है, जिस समय दुकान खोलने की जरूरत हो उस समय बन्द करने का कहे और जिस समय दुकानें खोलें तो हजामत बनाने वाला कोई आने वाला नहीं हो। नहाने से पहले हजामत बनाने का टाइम होता है और वह 9 से पहले का होता है। तो मेहरबानी करके इसमें परिवर्तन करें। इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, कोई श्रम कानून टूटने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था टूटने वाली नहीं है। नाई की दुकानों और चाय के स्टालों के टाइम में परिवर्तन करें। सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में आयें उससे पहले दुकानें बन्द और दफ्तरों से लौटेंगे तो दुकानें बन्द। क्या आप हिप्पी संस्कृति पैदा करना चाहते हैं कि कोई हजामत न बनायें? कानून पालन कराने के मामलों में आपको इन चीजों का खयाल रखना चाहिए।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास ट्रान्सपोर्ट विभाग भी है। यह हमारी आमदनी का विभाग है और इसका जो राजस्व है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। 5 करोड़ रुपया इनसे वसूल होता है। लेकिन इस विभाग को सुधारने की कितनी संभावनाएं हैं इस बात को आप जानते हैं। लेकिन इस विभाग में भी कोई बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन आया हो ऐसा मैं नहीं मानता। आपकी सेवाओं में, आपकी सर्विसेज में जो लोग लगे हैं उनमें असन्तोष है। ऐसा है कि जो रूल्स आप बनाते हैं उनकी पालना नहीं होती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कानून को तोड़ते हैं। आपने अभी टेक्निकल इन्सपेक्टर्स की जगह पर प्रमोशन किये थे। इसके लिए आपने दो क्वालिफिकेशन ले डाउन की कि 5 साल का एक्सपीरियन्स हो और कम से कम टेक्निकल ट्रेनिंग आई. टी. ओ. की हो। ट्रेनिंग का जब आपने कानून बनाया था तो आपके दिमाग में यह चीज नहीं थी कि ऐसा कानून बनाने से कितने ही पुराने लोग रह जायेंगे। आपने पांच साल के एक्सपीरियन्स को प्रमुखता दे दी फिर किस तरह की ट्रेनिंग होने की जरूरत है। 6 महीने का एक्सपीरियन्स कम हो या ज्यादा। आपने जूनियर्स को प्रमोशन दिया है और सीनियर्स को छोड़ दिया है। आप जैसा मंत्री भी यह बात नहीं कर सका तो कौनसा मन्त्री इस सारे झगड़े को दूर करेगा ?

अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन था कि आपके विभाग के ऊपर केवल परम्परागत बहस हो इससे हटकर कुछ ऐसी बातों के लिए सोचें तो समाज व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकें और मानव-समाज का कल्याण कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। आप राजस्थान में आदिवासियों के कल्याण की बड़ी दुहाई देते हैं। आपने अपने मंत्रिमंडल के गठन को देखा है। कैसा बढ़िया मन्त्रि-मण्डल है जिसमें हरिजन का नाम नहीं, जिसमें आदिवासी का नाम नहीं। और हरिजन और आदिवासी जो ले रखे हैं तो उनको विभाग कौनसा दे रखा है ? जो खर्चे के विभाग हैं, फायदे के विभाग हैं वह तो देवपुरा जी लिये बैठे हैं और जो लोगों को ओब्लाइज करने के विभाग हैं वह छंगाणी जी और दूसरे मन्त्रियों के पास हैं। आप हरिजनों और आदिवासियों को परम्परागत रूप से नीचा समझते हैं इसलिए इस तरह के विभाग दिये हैं नीचे के। इस तरह से आपने इन लोगों का अपमान किया है। वैसे तो कांग्रेस में बढ़िया हरिजन हैं ही नहीं और जो बढ़िया हरिजन होंगे वह कांग्रेस छोड़ हुए होंगे। आप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ठीक से हैं। जिन लोगों को ठीक समझते हैं ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहन नहीं देते हैं। खास तौर से मैं हरिजन सदस्यों से और आदिवासी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस समाज में आपकी स्थिति क्या है ? वोट प्राप्त करने के समय आपको याद किया जाता है और वोट प्राप्त करने के बाद आपको इस तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फैंक देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो समाज कल्याण, श्रम विभाग और ट्रान्सपोर्ट विभाग के

(श्री रामकिशन)

सम्बन्ध में सुझाव रखे हैं उन पर गम्भीरता से चिन्तन करें और कटौती प्रस्ताव जो आये हैं कि यहां पर दफ्तर खोलें, यहां पर छात्रावास खोलें तो इस तरह से कोई बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं दूसरे माननीय सदस्यों ने उनका तो समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार से चाहूंगा कि जो समस्याएं हमारे समाज की हैं उनका निराकरण कम से कम बहुत गम्भीरता से सोच कर जल्दी से करें। पानी की समस्या हल करने वाली योजना तो इस साल जरूर हो जानी चाहिए। जैसा आपने जमीन का अभियान चलाया है उसी तरह से इसका भी चलायें। सरकार का हर अभियान में बड़ा प्रचार होता है। प्लॉट्स की बाड़मेर में, अजमेर में, जोधपुर में और सिरोही में जरूरत है। वहां पर काफी जमीनें पड़ी हुई हैं। जहां पर प्लॉट्स की जरूरत है, भरतपुर की आबादी घनी है, अलवर की आबादी घनी है, सवाई माधोपुर की आबादी घनी है, और जो हरिजन आदिवासियों को प्लॉट्स मिले हैं या तो धोरों में या मरघटों में मिलने की बात की है। वैसे तो मरने के बाद मरघट पर जाते हैं लेकिन आपने जिन्दा ही उनको वहां भेज दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन तो आज भी वैसे ही नीचे के हिस्सों में बसे हुए हैं। बाढ़ का उन पर असर पड़ता है, आग लगने का उनके घरों पर असर पड़ता है। पानी अगर आये तो नीचे बसे हुए हैं तो वहां पर पानी आयेगा और गटर भरेगा। जिस तरह से उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं सेवा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से तो सरकार की उदासीनता ही नजर आती है उसमें उत्साह नजर नहीं आता है। मेरे जीवन में तो उत्साह समाप्त नहीं होगा लेकिन वह उत्साह धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है। हमें आशा थी, हमारा यह कहना था कि आप एक राष्ट्रीय आन्दोलन से निकले हुए लोग हैं, कुछ करेंगे। समाजवाद की दो साल से चर्चा शुरू कर दी है और समाजवाद के ठकेदार हो गये हैं, लेकिन सारा आचरण आपका पूंजीवादी है, गैर प्रजातन्त्रीय है। उसमें समाजवाद की कोई झलक भी नहीं मिल पाती है। आप मंत्री महोदय स्वयं बतलायें कि आपने समाज के परिवर्तन के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं बनाया। मैं अन्त में इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन बातों को गम्भीरता से सोचें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने जिले में उत्पन्न समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। ऐसे काफी बातें कही जा चुकी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग का हमारे यहां पर एक इन्सपेक्टर है। बूंदी और टोंक उनके चार्ज में हैं। समस्या यह है कि समाज कल्याण विभाग के जितने कार्यालयों में आदमी हैं, उन्हें लगा रखा है दफ्तरों के अन्दर, वे स्वयं का तो कल्याण करते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज का कोई कल्याण करते हों यह लगता नहीं है। इसको एक निष्क्रिय विभाग, या जो कुछ कहा जाय, कम है। टोंक के लिए कहते हैं तो बूंदी बता देते हैं

(श्री अजीतसिंह)

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी सारी गतिविधियां एक निष्क्रिय विभाग की तरह है।

कुछ कार्यक्रम होता नहीं है। समाज सुधार के लिए इसकी परम आवश्यकता है। इसको नये ढंग से ऑर्गेनाइज करें। जैसा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा, वैसी ही हालत टौंक में है।

(4.00 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

जो छात्रावास हैं, उनमें जो कुछ खाना दिया जाता है, उसमें सुधार करें। जो निर्धन विद्यार्थी हैं, उनकी कोई चेनल नहीं बनाई है। आप सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन वह सारा का सारा विभाग निष्क्रिय है। तहसीलदार और पटवारी वृद्धों का सर्वेक्षण करते हैं, उनके नाम आते हैं। धनाभाव होने से उनको कोई पैसा नहीं मिला है। वहां पर बुड्ढे लोग आते हैं तो अपनी पेंशन के लिए चक्कर लगाते हैं। सड़कों पर चक्कर काटते फिरते हैं। वहां पर हजूम आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलती है। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उन्हीं को बुलायें जिनको देना है। जिनको आप पेंशन देते हैं तो उनको 12 महीने तक लगातार रखें। बाकी बुड्ढों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जो बकाया पेंशन है, उसका पूरा चुकारा कर दें तो उचित रहेगा और पेंशन ऐसे ही बुड्ढे लोगों को प्रदान करें जो कि इसके काबिल हों।

भू-खण्डों की हालत के बारे में मैं निवेदन करूं, ऐसी जगह उनको जमीन अलॉट की गई कि उनको परेशानी पैदा हो गई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि यह जो गांव अलग अलग बसाये हैं, तो उनके लिए कुओं के लिए व्यवस्था करेंगे? अगर कुओं की व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह आपकी एलॉटमेण्ट व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो जायेगी। कुओं की व्यवस्था भी आप अपने विभाग द्वारा करायेंगे तो उनकी अधिक मदद हो सकेगी। दूसरे जो बिजली और पानी की व्यवस्था का है, उसका कोई कार्यक्रम होता नहीं है, आपने सारा पैसा डिपार्टमेंट को दे दिया। स्वीकृति होकर आ जाती है। नतीजा क्या होता है, न नल लगा पाते हैं, न कुछ हो पाता है। एक आध टूंटी लग जाती है तो ऐसी जगह लगा देते हैं कि जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। हरिजनों को कोई पानी नहीं भरने देता है और इस प्रकार से उनको लाभ नहीं मिलने पाता है।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं श्रम के बारे में निवेदन करूंगा, हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज का दफ्तर है। बड़ी कृपा की है आपने दफ्तर खोल कर। लेकिन सभापति महोदय, 4 हजार नाम लिखे गये हैं। उनमें से शायद ही 60-70 को जगह मिल पाई हो। वहां कोई रोजगार के साधन तो हैं नहीं। जिस जगह साधन हों ऐसी जगह उनके नाम आ सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हो सके तो काम चले। 3-4 साल तक एम्प्लायमेंट में नाम लिखाकर बैठे रहते हैं। उनको कोई मौका नहीं मिलता है।

दूसरे, सभापति महोदय, टौंक में चर्म शोधक कारखाना खोला है। वहां जो आदमी लिये जाते हैं, वह बाहर से लिये

(श्री अजीतसिंह)

जाते है। वहां के लोगों को लाभ दिलायें तो लाभ होगा। कहने को यह टोंक में कारखाना खुला है लेकिन वहां उलटा हो रहा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, वहां के लोगों को रखा जाये। दूसरा, रोडवेज का नेशनलाइज होने से कई कण्डक्टर और ड्राइवर बेकार हो गये हैं। मन्त्री महोदय को मैंने लिस्ट दी थी। सभापति महोदय, सरकार ही इस प्रकार का काम करती है। जब भी एम्प्लॉयमेण्ट दिया जाता है तो और लोगों को तो ले लिया जाता है लेकिन जो इस प्रकार से बेरोजगार हो गये हैं, उनको नहीं लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। तो मुझे यह विश्वास है कि उन लोगों के बारे में आप अवश्य विचार करेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, बीड़ी मजदूरों के बारे में मेरा यह भी निवेदन है कि जो बीड़ी मजदूर हैं, उनकी हालत ठीक की जाये। हफ्ते में उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि मयूर बीड़ी है, उसके अन्दर यह नियम लागू नहीं है, जबकि आपने वह अपना उद्योग बनाया है। तो सबसे पहले आप वहां पर लागू करें तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर अन्य बीड़ी मजदूरों के लिए भी वह हो जायेगा। कारण यह है कि बीड़ी मजदूरों की हालत बहुत खराब है। आप ध्यान देकर ऐसा करें और अमल में लायें।

दूसरा, जो यातायात विभाग है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपने राष्ट्रीयकरण तो कर दिया है। यह आधा राष्ट्रीयकरण होने से नई गाड़ियां लगाते नहीं हैं। जो गाड़ियां हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वह चलने वाली नहीं हैं। थोड़ी सी दूरी के लिए भी 4-4 और 5-5 घंटा लेती हैं। इसलिए पुरानी गाड़ियों को आप हटायें। उनसे ठीक से टैक्स भी वसूल नहीं होता है। आप का जो डिपार्टमैन्ट है, वह सारा का सारा निष्क्रिय हो गया है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि उन रूट्स को नेशनलाइज करके उन पर अच्छी गाड़ियां चलायें। नहीं तो उनको कैंसिल करें ताकि वे दूसरी चलायें।

दूसरे, ट्रकों का स्टैण्ड बनाने के बारे में मैंने आपके पास में लिखित रूप में भेजा है। ऐसी जगह पर लाकर ट्रक खड़ा करते हैं जिससे सारी जनता को परेशानी होती है। तो इसके ऊपर विचार करके व्यवस्था करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री चतरभुज चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल !

श्री नानालाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, आज इन डिमाण्ड्स पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं पहले समाज कल्याण विभाग पर अपने कुछ सुझाव रखूंगा। समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई और जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है किन्तु इसमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है। प्रथम तो समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कर रखी है, समाज कल्याण विभाग के लिए पहले तो बजट बहुत कम है, लेकिन भार देखा जाय तो अनाप-शनाप भार इस तरह

(श्री नानालाल)

लाद दिया गया है कि जिन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, उनको मिलना दुश्वार हो गया है। अब आपने समाज कल्याण बोर्ड बना दिया, उसमें यह ध्यान रखना चाहिए, यह बोर्ड किसके लिए बनाया गया है। इस बोर्ड की जिन जातियों के लिए, जिन दलित वर्गों का उद्धार करने के लिए स्थापना की गई, उस वर्ग का इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। इससे उस वर्ग का उद्धार कराना चाहते हैं, तो मुझे, सभापति महोदय, इसमें सन्देह है।

यह विभाग जिन मंत्री महोदय के पास है, उनको यह मालूम नहीं कि यह दो महीने से उनके पास आया है या एक महीने से उनके पास आया है। उनके ऊपर भार रूप से यह पड़ गया, इसलिए वह लेकर बैठ गये। मुझे सबसे पहले तो मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना है, माननीय सभापति महोदय आपके पास जब से यह विभाग आया है, समाज कल्याण विभाग, आपने इस विभाग द्वारा, इस वर्ग के उत्थान में जहां कभी आई है उसमें आज दिन तक हस्तक्षेप किया है? अगर आपने किसी मामले में हस्तक्षेप किया है तो मैं चाहता हूं कि मुझे उसका विवरण मिल जाय।

आपके द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा, कई जगह छात्रावास चल रहे हैं, किन्तु उन छात्रावासों की अगर व्यवस्था देखी जाय तो शायद हर आदमी का दिल दहल उठेगा। उन छात्रावासों में यदि कोई सब्जी की मांग करता है तो व्यवस्थापक यह कहते हैं, "Beggars can never be choosers." सभापति महोदय, आप समझ गये होंगे, उन लोगों के साथ क्या न्याय हो रहा है। वह लोग आगे जाकर क्या दूसरे लोगों के कॉम्पीटीशन में आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने विभाग के किसी भी अधिकारी को इस प्रकार का आदेश दिया है कि जो इन छात्रावासों में असुविधा हो रही है उनकी ओर ध्यान दें, या कहीं इसकी इन्क्वायरी की है? अगर कहीं इन्क्वायरी की है तो वह भी आप बताने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में जो छात्र इस समय रहते हैं उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था नये सत्र से कर दी है कि जो स्थानीय छात्र वहां के रहने वाले हैं, वह छात्रावासों में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की अगर आर्थिक स्थिति देखी जाय, तो इनके पास न रहने को मकान होता है, न पढ़ने की व्यवस्था होती है, न बैठने की व्यवस्था होती है। आज जो एम. ए. या बी. ए. में पढ़ रहा है वह लड़का घर पर जाकर पढ़ाई करेगा, तो मैं मानता हूं कि कभी वह पढ़ नहीं सकता है, वह परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। घर की हालत देखते हुए न पढ़ सकेगा, न बैठ सकेगा, न स्कूल में जाकर उन लड़कों के साथ बैठने की हिम्मत कर सकेगा, क्योंकि दूसरे लड़कों के घर की स्थिति को देख कर आता है तो वह वहां जाकर घबरा जाता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, इस प्रकार से छात्रावासों में उनके लिए व्यवस्था करना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, आवासीय भू-खण्ड इन लोगों को अलॉट कर दिये

(श्री नानालाल)
गये हैं और इनके लिए मकान बनाने की व्यवस्था करने की सरकार की मन्शा है। किन्तु यह जो फाइनेन्स सोसाइटी बना रखी है उनमें ऐसे आदमियों को बैठा रखा है जिनका उन लोगों से वास्ता नहीं है, उनके दर्द को नहीं जानते हैं, जाके पैर न फटी बिवाई वह का जाने पीर पराई। माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों को उनकी दरिद्रता का, कमजोरी का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को क्या मालूम कि कितनी एड़ियां रगड़ कर वह लोग आते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जहां समिति है, कम से कम आप यह ध्यान रखें कि कम से कम उन लोगों को इसमें शामिल करें, उन लोगों को बैठायें ताकि उनको जितनी असुविधायें उनकी दिखें, उनके ऊपर सोचें और लोगों को सुविधायें मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, कई जगह छात्रावास में अधिकारी वर्ग के ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति या सिद्धि करते हैं। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जितने अधिकारी हैं, वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर महीने पांच सौ, छः सौ रुपये बचा कर निकालते हैं लेकिन इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इन लोगों का उद्धार करना चाहते हैं तो इनमें आपको काफी परिवर्तन करना पड़ेगा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या करना पड़ेगा ?

श्री नानालाल : माननीय सभापति महोदय, इन हरिजन व्यक्तियों के लड़कों का कहीं भी नियोजन का समय आ जाता है तो कई त्रुटियां निकाल कर, जो योग्यता होनी चाहिए, वह होते हुए भी उनमें त्रुटि निकाल कर रोक दिया जाता है। यह जिम्मेदारी भी समाज कल्याण विभाग की है। अगर वह बराबर योग्य है और उनको किसी प्रकार से हटा दिया गया है तो यह समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह नियोजन में कम से कम भाग ले सकें। इस प्रकार का कुछ प्रावधान रखना चाहिए।

मैं वाहन कर के बारे में भी सुझाव रखना चाहता हूं। अभी आपने नया वाहन कर लगाया है, उसमें छोटे वाहनों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे स्कूटर पर, टेम्पो पर कर बढ़ाया गया है। इससे आम जनता पर भार बढ़ता है। इसलिए मेहरबानी करके इन करों में थोड़ा संशोधन कर दिया जाय। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, दो चार मुद्दे उठा कर मैं खत्म करूंगा। मेरी पार्टी के लेबर लीडर हैं वह इस पर बोलेंगे।

सभापति महोदय, बोनस एक्ट के बारे में मुझे निवेदन करना है। मंत्री महोदय, यह जो को-ऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके बारे में पहले यह परम्परा चली आ रही थी कि जितनी को-ऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनमें 8.33

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
से लेकर 22 पर्सेन्ट तक का जो बोनस एक्ट का प्रोविजन है उतना बोनस मिलेगा। हाल ही में लॉ डिपार्टमेंट की एक एडवाइस के बाद एक सरक्यूलर जारी कर दिया गया कि बोनस एक्ट का वह प्रोविजन लागू नहीं होगा, बल्कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है, उसमें प्रोविजन इन प्रकार का है, दो महीने से ज्यादा बेसिक सैलेरी बोनस की शक्ल में नहीं दी जा सकेगी। मुझे निवेदन इस सिलसिले में करना है, 10-6-66 को, मंत्री महोदय से गुजारिश है, बजाय बातचीत करने के हमारी तरफ तवज्जह फर्मायें, 10-6-66 को सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के अन्दर यह लिखा गया है:

"Government of India

Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation

(Deptt. of Labour & Employment)

Dated New Delhi 10-6-66

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (8) of section 2 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), the Central Government hereby notifies every cooperative bank as defined in clause (b) (ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) as a banking company for the purpose of the said clause."

मेरा निवेदन है कि इसका को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की परव्यू से निकाल कर बैंकिंग कम्पनी की परव्यू में ले जायं तो उसका साफ मतलब हो जाता है कि जो बोनस एक्ट के प्रोविजन्स हैं उनके तहत उनको बोनस मिलना चाहिए और जो गवर्नमेंट का बोनस है वह दो महीने की बेसिक सैलेरी से ज्यादा नहीं हो, यह सिद्धान्त बिल्कुल गलत है। केन्द्रीय सरकार इसका एक इन्टरप्रिटेशन करती है और आपका लॉ डिपार्टमेंट दूसरा इन्टरप्रिटेशन करता है। उनका कहना यह है कि चूंकि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो था वह बाद में लागू हुआ और उसमें इस किस्म का प्रावधान है कि ये बोनस एक्ट के प्रोविजन्स लागू नहीं होंगे। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि बोनस एक्ट के तहत नहीं बल्कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत उनको बोनस मिलना चाहिए। मेरा विरोध है कि एक तो यह आधार जो लॉ डिपार्टमेंट ने बनाया है वह गलत है। दरअसल चीज यह है कि बोनस एक्ट को जो एसेंट मिला प्रेसीडेंट का वह बाद में मिला और को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को एसेंट पहले मिल गया, तो बोनस एक्ट के जो प्रोविजन्स हैं वे लागू होंगे।

दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है कि सेक्शन 34 ऑफ बोनस एक्ट का, उसमें क्लीयर मेन्डेट है अगर बोनस एक्ट या किसी दूसरे एक्ट में किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट है तो बोनस एक्ट के प्रोविजन्स लागू होंगे। इसलिए आप जो लॉ डिपार्टमेंट के इन्टरप्रिटेशन के आधार पर उनको बोनस देना चाहते हैं वह निरा-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

धार है और जो मजदूरों का बैकबोन है उसको तोड़ कर 350 मजदूर जो सहकारी बैंकों में डिफरेंट कैपेसिटीज में काम कर रहे हैं को उचित हक से आप महरूम करना चाहते हैं क्योंकि आपका लॉ डिपार्टमैंट किसी कानून को किसी तरह से इन्टरप्रेट करता है। यह आपकी नीति गलत है। आप उन को-ऑपरेटिव बैंक्स को, जिनको केन्द्रीय सरकार ने भी को-ऑपरेटिव एक्ट के परव्यू से निकाल कर बोनस एक्ट की परव्यू में डाल दिया है, उसी प्रकार उसके परव्यू में डाल दें। वरना इसके गम्भीर परिणाम होंगे। श्रम विभाग का काम है कि जो लॉ का इन्टरप्रिटेशन हो वह मजदूरों के हक में होना चाहिए लेकिन आप इन्टरप्रिटेशन एम्प्लायर के फायदे में करते हैं। इस तरह मजदूरों के हक में जो बनाए गए कानून हैं उनको आप खतम करना चाहते हैं। तो जो सैक्शन 34 है बोनस एक्ट का उसके तहत आप उनको बोनस दें।

दो शब्द मैं रोडवेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। रोडवेज के लिए मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपका जो निगम है उसके नियम हैं कि आप किसी को डेप्यूटेशन पर सिवाय मुख्य लेखा अधिकारी और जनरल मैनेजर के नहीं लेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जितने अधिकारी बड़ी-बड़ी पोस्ट्स पर हैं, वे सब बाहर से आप लेते हैं, उससे निगम का जो एफिशियेन्ट केडर है, जिनको काम का अनुभव है, वे अपने हक से महरूम रह जाते हैं और बाहर के लोगों को उन पोस्टस पर बिठा देते हैं। इससे स्टाफ में डिसकन्टेन्ट है। उदाहरण के लिए छः डिप्टी जनरल मैनेजर्स, दो रीजनल मैनेजर्स, इंजीनियर्स और दूसरे अधिकारी आपने डेप्यूटेशन पर ले रखे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। इससे वहां के स्टाफ में परेशानी है।

आपने क्लेन्डेस्टाइन ऑपरेशन्स को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को रखा और अब 16 कॉन्सटेबुल्स हैं उन पर एक डी. आई. जी. मुकर्रर किया। अगर राज्य सरकार किसी आदमी को डी. आई. जी. की तनख्वाह देती है तो उसको चैरिटी डिपार्टमैंट में लगा दीजिए, कह दीजिये कि इस आदमी को इतना वेतन मिलना चाहिए। आप निगम पर बोझ डालकर उसका नुकसान करते हैं। डी. आई. जी. की पोस्ट क्रिएट कर दी। उसके साथ 50 आदमियों का स्टाफ लगाया, रिश्वतखोरी का अड्डा बना दिया। मैंने सवाल किया था, जो पुलिस अधिकारी आपने लिए हैं उन्होंने कितने ऑपरेशन्स को रोका, कितने चालान किए, कितनों को सजा मिली? कोई जवाब आज तक नहीं मिला। ये कहीं नहीं जाते। ये तो जहां रोकते हैं तो पैसा मिल जाता है, ले लेते हैं। तो जो अधिकारी आपने डेपूटेशन पर लिए हैं उनको वापस भेजें। डी. आई. जी. तो कई जिलों का इन्चार्ज होता है....

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मन्त्री): यह इस मांग में नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: वाहन कर लगाना चाहते हैं तब यह चीज रख रहा हूं।

श्री सभापति: आपका ध्यान आकर्षित किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि जो वाहन कर आप लगाते हैं वह पुलिस की जेब में जाता है। उसका असर किस पर पड़ा ? वह तो जनता पर पड़ा जो आपको कर देती है। तो आपने क्लेन्डेस्टाइन ऑपरेशन्स को रोकने के लिए इनको डेप्यूटेशन पर लिया लेकिन जहां पर पैसा मिल जाए तो फिर ये किसी का चालान नहीं करते हैं। आप इसका जवाब नहीं दे पायेंगे। एक तरफ आप कर लगाते हैं दूसरी तरफ जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। जो वेतन गोडवेज से उनको दे रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं ? अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो यह बन्द होना चाहिए। जहां आपका स्टाफ उनके साथ जाता है वहां कुछ केसेज रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन जहां पुलिस एक्सक्लूजिव होती है वे केसेज रजिस्टर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरा धंधा बना रखा है। आप कानून का सहारा लेकर बचने की कोशिश न करें बल्कि विचार करें कि आया यह चीज मुनासिब है या नहीं।

आपका पैसा आता है वह बैंक में जमा करते हैं और आप बैंक से कर्जा लेते जाय जिसका ब्याज आप दें। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 1974 तक कितना पैसा बैंक से लिया और कितना ब्याज दिया। आपका कितना पैसा करेन्ट अकाउन्ट में जमा हुआ ? आप पैसा लेते क्यों हैं ? निगम को बर्डन करने के लिए, एन्कम्बर करने के लिए ? आपने ट्रेनिंग स्कूल चालू किया, वह काम नहीं करता। इन मुद्दों पर मंत्री महोदय गौर फर्मायें।

समाज कल्याण के बारे में हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिडयूल्ड ट्राईब्स की 28 पर्सेन्ट की जो लिमिट है वह इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि लोग उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य मंत्री ने वायदा किया है कि अगर उपलब्ध नहीं हैं तो आप उनको ट्रेनिंग दिलाने की सहूलियत देकर एबजॉर्ब करेंगे। हम फिगर चाहते हैं कि 28 पर्सेन्ट इन जातियों के लोगों को आपने लिया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समाज कल्याण विभाग की जरूरत नहीं है, उसको लिक्वीडेट करो। कई करोड़ों का एडमिनिस्ट्रेशन है। जिनके कल्याण की बात करते हैं उनको निर्धारित संख्या में स्थान नहीं दे सकते और बहाना करते हैं टेक्नीकल आदमी चाहिए जो टिकट काटता है वह भी आपकी नजर में टेक्नीकल आदमी है। समाज कल्याण विभाग का दरअसल काम है उनकी आवासीय समस्या हल करना, उनकी दिक्कतों को दूर करना।

दूसरी बात आपने शाप्स एक्ट जो नाइयों पर लागू कर दिया वह वापस लें। ये इससे थोड़ा बहुत गुजर कर लेते हैं। आज तक एग्जम्प्टेड थे, तो क्या मुसीबत आ गई? अगर आप चाहते है उन दुकानों के कर्मचारियों को राहत मिले तो और तरह से दे सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग के लिए फिर कहता हूं कि आपको सोचना चाहिए कि हम किस हद तक उन जातियों के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। अगर रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो इतना पैसा विभाग को नहीं मिलना चाहिए और इसको खतम करें इस विभाग का काम खासतौर से इन जातियों के विकास का है चाहे सिख हो, चाहे क्रिस्चियन हो इस पर विचार करें तब आपका इमेज सही

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हो सकता है वरना कहते रहे हैं कि उनको जमीन मिली। उनकी आवासीय समस्या दूर नहीं हुई है भले ही कहते रहें कि आप विभाग चला रहे हैं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र भारतीय !

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी) : सभापति महोदय, आज सदन में समाज कल्याण, श्रम आदि की मांगों पर बहस चल रही है। सर्व प्रथम मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है कि जिसकी हालत आज बहुत ही खराब है। जैसा कि समाज कल्याण विभाग की प्रगति रिपोर्ट में दिया गया है, आज समाज कल्याण विभाग एक तरह से डिफंक्ट हो चुका है। उसके पास कोई योजना नहीं है। सिर्फ दो चार काम उसके पास रह गये हैं जैसे कि चाईल्ड वेलफेअर सेन्टर खोलना, या कोई दूसरा गृह खोलना। इसके सिवाय इसके पास कोई काम नहीं रह गया है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग का काम समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत दे देना चाहिये और समाज कल्याण विभाग को समाप्त कर देना चाहिये। या दोनों का एक ही बोर्ड बना देना चाहिये। आज समाज कल्याण बोर्ड के पास भी कोई काम नहीं है तो फिर यह भी किया जा सकता है कि समाज कल्याण विभाग को और समाज कल्याण बोर्ड को भंग करके एक बोडी बना दी जाये। कहने का तात्पर्य यह है कि दो की जगह एक ही बोडी रखी जाय। इसमें से एक को कम किया जा सकता है। सभापति महोदय, आज आवश्यकता बोर्ड बनाने की या डिपार्टमेन्ट बनाने की नहीं है। आवश्यकता है कि उससे लोगों का भला हो। उनके लिए काम किए जायं जिससे कि उनका विकास हो सके। इसके लिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शायद मन्त्री महोदय को या तो समय नहीं मिलता है या उन्होंने समाज कल्याण की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। नहीं तो आज जो समाज कल्याण विभाग की हालत है वह नहीं होती। आज हमारे देश को आजाद हुए, सभापति महोदय, करीब 27 साल हो चुके हैं लेकिन हमारे यहां का जो कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, उसका किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो रहा है। आज उस वर्ग को एक तरह से इगनोर किया जा रहा है। लेकिन मैं यहां पर यह निवेदन करना उचित समझता हूं कि अगर इस वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम और हो सकते हैं। हो सकता है कि इस वर्ग में इस तरह की अशान्ति फैले, यह वर्ग आन्दोलन करे। और कोई बड़ी बात नहीं कि वर्ग राजनीति के मैदान में कोई चमत्कार ऐसा कर दे कि जिससे हमारी राजनीति में बहुत बड़ा चेन्ज आ जावे। सभापति महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से बजट में 13-14 करोड़ रुपये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के लिये योजनायें बनायी हैं, और जैसा कि यहां पर सदन में डिस्कशन हुआ था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लिये वह योजना नाममात्र के लिए बनायी गयी है। सिर्फ यह कागज में ही योजना है। पिछड़े वर्ग और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स का नाम ही है पर बहु

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

असलियत में योजना दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है। इस प्रकार से यह योजना बनायी गयी है। इसलिये यहां पर उस योजना को स्लैक डाउन किया गया है। और अब ऐसा सुनने में आया है कि उसके लिये दुबारा योजना बन रही है। सभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि जहां तक कोई योजना शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों के लिये बनाने की बात है हमें इस लिये जागरूक होना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज डूंगरपुर बांसवाड़ा में सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों की आबादी 32 प्रतिशत ही है। आज हमारे यहां कोटा डिविजन में, जो शाहबाद का एरिया है, सहरिया जाति के लोग हैं जो कि बहुत ही आदिवासी हैं और सबसे पिछड़े वर्ग में से आते हैं। क्या आपने उनके लिये कोई योजना विकास की बनायी है ? क्या आपने अभी शिड्ल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों को जो भूमि का आवंटनकिया उसमें आपने कोटा डिविजन के सहरिया इलाके के लोगों को कितनी जमीन दी ? क्या इसका जवाब ससाज कल्याण मन्त्री देने की कृपा करेंगे ? इसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा था, आपने हमारे एरिया के इस कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिये कौनसी योजनायें बनायी हैं, कितने रिहायशी प्लॉट उन्हें आपने दिये ? सभापति महोदय, आज कमजोर वर्ग की यह हालत है कि पहले तो उनको जमीन मिलती ही नहीं है और अगर जमीन मिल जाती है तो असलियत में उन जमीनों पर किसका कब्जा है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री यह बतावें कि सहरिया जाति के लोग जो कि शाहबाद में करीब 60 से लेकर 70 प्रतिशत तक हैं उनमें आपने इन लोगों को कितनी जमीन के पट्टे दिये। आप और हम यहां पर बैठ कर, सचिवालय में बैठकर जो योजना बनाते हैं क्या उनका समाज कल्याण मन्त्रीजी बतायें, उन लोगों को लाभ मिलता है। क्या उनके लिए पानी की, जमीन की, बिजली की, शिक्षा की कोई व्यवस्था आपने की है ? आपने जो कुछ भी किया है वह कागज पर है और अगर यही स्थिति रही तो यह सभी बातें आपकी कागजों में ही रह जायेंगी। मैं मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आप कोटा डिविजन में जाकर सहरिया जाति के लोगों की हालत देखें उसका अवलोकन करें। अगर वहां पर जायेंगे तो मैं समझता हूं कि आप अनुभव करेंगे कि वहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है और वहां पर समाज कल्याण विभाग के काम करने की जरूरत है। आज आप बात करते हैं समाज कल्याण विभाग के काम करने की लेकिन हमारे यहां पर बून्दी जिले में जिला हैड क्वार्टर पर कोई समाज कल्याण का दफ्तर नहीं है। हम आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों के, पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात करते हैं तो कम से कम वहां पर जिला स्तर पर कोई समाज कल्याण विभाग का दफ्तर तो होना चाहिये। आज पिछले 27 वर्षों से हम समाज कल्याण विभाग का दफ्तर वहां पर खोलने की मांग करते आये हैं पर दफ्तर नहीं खुल सका। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर समाज कल्याण

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

विभाग का दफ्तर खुलना चाहिए और समाज कल्याण की एक्टीविटीज वहां पर होनी चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी समाज कल्याण विभाग ने अपनी नीति में थोड़ा परिवर्तन किया है जिसमें उसने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों की छात्रवृत्ति के बारे में निर्णय लिया है। उसके बारे में सदन में प्रश्न भी उठाया गया जिसके कारण राज्य सरकार ने कुछ सुधार किया है। अगर, सभापति महोदय, आपने इस समाज के महत्वपूर्ण अंग को नहीं सुधारा तो आगे जाकर काफी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। सभापति महोदय, आज समाज कल्याण विभाग ने होस्टल्स खोल रखे हैं। उन होस्टल्स में मिडिल स्कूल तक के बच्चों का एडमीशन नहीं दिया जायेगा अगर वहां पर कोई मिडिल स्कूल हो तो। और उसका नतीजा यह हुआ कि जहां होस्टल्स में 60 लड़कों की जगह थी वहां पर 16 लड़के ही होस्टल में हैं। मेरा, सभापति महोदय, आपसे यह निवेदन है कि अगर आप समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इस समाज कल्याण विभाग को एक साईंटिफिक बोर्ड की तरह चलाया जाय। जैसे कि टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियल साईंसेज से एक्सपर्ट्स को बुलाकर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर के सिर्फ बराये नाम ही विभाग को रखना चाहते हैं तो क्या फायदा है। नहीं तो आपको यह करना चाहिए कि समाज कल्याण विभाग को और समाज कल्याण बोर्ड दोनों को अमलगमेट करके एक ही डिपार्टमेन्ट कर दें। और फिर बाद में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में सांस्कृतिक चेन्ज लाइये, उनके लिए नयी नयी योजनायें बना कर उन्हें क्रियान्वित कीजिये। आज आप जो समाज कल्याण विभाग से सिर्फ एक दो जातियों को ही लाभ पहुंचाना अपना कार्य क्षेत्र समझते हैं, यह सही नहीं है। इसमें तो पूरे समाज को फायदा देने की जरूरत है। सिर्फ तीन चार जातियों का ही विकसित किया जाय यह सही नहीं है। इसमें समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है कि हमारे यहां का जो पिछड़ा वर्ग है जो 27 साल से पिछड़ रहा है चाहे वह कोई वर्ग हो उसका विकास किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि समाज का पूरी तरह से विकास हो सके।

एक माननीय सदस्य : आप तो कहिये कि जड़मूल से परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : अब आप लेबर पर आ जाईये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा श्रम विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, अगर आप लेबर विभाग द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है उसके आंकड़े देखें, उनका अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा कि आज हमारे यहां पर जो पन्जीकृत यूनियन्स थीं उनकी भी दिन ब दिन कमी हो रही है। आज हमारे यहां जो लेबरर्स के

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

संगठन हैं उनकी कमी हो रही है उन्हें किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। आज अगर हम डिपार्टमेंटल फिगर्स को देखें तो हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप श्रम विभाग को इसके बारे में पूछताछ करें। सभापति महोदय, यह श्रम विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इन यूनियन्स का सही ढंग से विकास करे। अब थोड़ा मैं कोटा डिवीजन की सबसे बड़ी बात निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे कोटा डिवीजन में रामगन्ज मण्डी में पत्थर की ए. एस. आई. कम्पनी वर्षों से काम कर रही है, वहां पर मजदूरों की हालत बहुत खराब है। जब मन्त्री महोदय ने श्रम विभाग का चार्ज लिया तो हमें यह उम्मीद हुई थी कि चूंकि मन्त्री महोदय प्रगतिशील हैं इसलिये यह उद्योगपतियों से वहां के मजदूरों का भला करायेंगे। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां मजदूरों के साथ पूर्णतया न्याय नहीं हो पाया है। इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि वहां के मजदूरों की हालत मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना इस रामगन्ज मण्डी लाइम स्टोन्स क्वेरीज के वर्कर्स के साथ अन्याय हुआ है आज तक किसी संघ के साथ इस प्रकार से राजस्थान में नहीं हुआ होगा। यह सेन्ट्रल सबजेक्ट है। लाइम स्टोन के सम्बन्ध में तीसरा वेज बोर्ड गुजर रहा है। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भी उनको वेजेज नहीं मिले हैं। मिनिमम वेजेज का मामला सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास था, उसको किसी प्रकार से अपने पास ले लिया और अन्य लाइम स्टोन की क्वेरीज जहां सब कुछ हो चुका है, आज तक यहां कुछ नहीं हुआ है।

ठेकेदारी की प्रथा है वह ही, मजदूरों का शोषण करने की प्रथा है, इस कम्पनी में वह चल रही है। वह ही ठेकेदार आदमियों को शोषण करता है जो लाखों रुपया कमा कर मालिक को देता है। इतने साल हो गये लेकिन बराबर ठेकेदारी चला रखी है। उनके देखा देखी छोटे मोटे उद्योगपति चल रहे हैं। श्रम विभाग के अधिकारी किसी भी कानून को आज तक नहीं बनवा सके उस क्षेत्र के लिए यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, डेफिनेटली कह सकता हूं।

इस कम्पनी का बोनस आज 20 और 25 परसेन्ट होता है लेकिन उन्होंने अपने तरीके से आड़ लेकर मजदूरों को महरूम कर रखा है। आज भी वहां के पत्थर हिन्दुस्तान के हर कोने में जा रहे हैं दिल्ली में और हिन्दुस्तान के हर स्टेशन पर लगे हुए हैं, और भी जगह पर जा रहे हैं, फॉरिन में जा रहे हैं लेकिन श्रमिकों को चार रुपया ही मजदूरी मिल रही है जब कि सारे हिन्दुस्तान में क्वेरी करने वालों को उनसे अधिक मिल रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

एक मिनिट और।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय श्रम मन्त्री जी समाजवाद में बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

ट्रान्सपोर्ट की बात कहना चाहूंगा। रोडवेज का आज सबजेक्ट नहीं, यह मैं मानता हूं लेकिन वाहन-कर की बात है। रोडवेज के जयपुर में अड्डे के बाहर बहुत सी प्राइवेट टैक्सीज खड़ी रहती हैं, निवाई में खड़ी रहती हैं, यहां तक देखा गया है कि रोडवेज के स्टैण्ड के अन्दर खड़ी रहती हैं नेशनेलाइजेशन में विश्वास रखने वाले माननीय मन्त्री जी, यह किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है? बड़े बड़े ऑफिसर्स से बात की, जिम्मेदार ऑफिसर्स से बात की, बड़े बड़े अधिकारियों और आई. जी. पी. तक की लेवल के लोगों के वे वाहन चल रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। आप जैसे नेशनेलाईजेशन में विश्वास करने वाले माननीय मंत्री के होते हुए इसको नहीं मिटा सके तो आपको और हम को दोनों को यह चुनौती है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग की मांग के साथ साथ श्रम नियोजन और यातायात कर के बारे में भी मांग है, समय थोड़ा होने से मैं कुछ पॉइन्ट्स ही सदन के सामने रख सकूंगा। सर्व प्रथम मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

आज हमारे प्रदेश में और देश में अगर देखा जाय तो देश के हरिजन और आदिवासी जिन परिस्थितियों से यहां सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक दुरअवस्था का शिकार हो रहे हैं, उसको हम देखें तो संसार के किसी भी कोने में ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हिन्दुस्तान में किसी भी बड़े से बड़े नेता का बड़े से बड़े आदमी का, सिर नीचा हो जाता होगा जब कोई विदेशी यहां पधारते हैं और किसी हरिजन के सिर पर मैला ले जाते हुए देखते होंगे तो कितना भी कोई बेशर्म हो, उनके सामने यह देख कर उसको शर्म का अनुभव होता होगा।

दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान ही आज एक ऐसा देश है जहां का हरिजन खास तौर से मेहतर, एक इन्सान का चाहे टी. बी. का मरीज हो, चाहे केन्सर का मरीज हो, उसको छींटे लगते होंगे, किसी भी स्थिति में भोजन करते हुए, बची हुई रोटी गन्दी हो जाय, इस देश में या प्रान्त में हरिजन कहाने वाले लोग, वह झूंठा, उल्टी किया हुआ गंदा, टी.बी. आदि बीमारियों से पीड़ित मरीज की उल्टी किये हुए भोजन को भी उसको खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह भी, माननीय सभापति जी, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे या तो इस प्रकार से झूंठा उठाने, या सिर पर मैला उठाने की कहीं भी ऐसी प्रथा हो तो बतादें और कोई देश ऐसा हो जो इस देश की तरह हो, यह बता दें और उसकी मिसाल दें तो उचित होगा जिससे हमको भी उसकी जानकारी मिले। अन्यथा इन दो कुरीतियों पर इन्सान को इन्सान के अधिकार देने के लिए अति शीघ्र कानून से या और किसी तरीके से समाप्त करें। प्रचार और प्रसार के बजाय और दृष्टि से इसको करना होगा। यही उचित होगा।

मैं यह निवेदन करूंगा, मान्यवर, यहां और बाहर शिडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जो दुर्दशा है उसके बारे में कह

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सकता हूं। जो रिपोर्ट पेश हुई उस पर सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों को भी वाद-विवाद करने के लिए सदन में मौका नहीं दिया है। कांग्रेस के जितने भी एम. एल. एज हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स से आते हैं, उनका पार्ट कम कर दिया जाय तो पांच सात कांग्रेस के लोग जा सकते हैं। कास्ट और ट्राइब के वोटों पर सरकार जिन्दा रह कर, जिनकी बदोलत ही बनती है, 25 परसेंट लोगों की यह स्थिति नहीं है कि सरकार से कोई बात मनवा सकें और यह सरकार पर रिफ्लेक्ट करता है। शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग चाहे इधर हो या उधर और उनसे हमदर्दी दिखाने वाले लोग, जो यह चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, उनको सरकार के मनमाने तरीके के प्रति विद्रोह करना चाहिये। यह नहीं समझना चाहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के मिनिस्टर बनने के लिये आये हैं। कम से कम शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रजेन्ट करने के लिये पहले आये हैं। अगर मिनिस्टर बन जाते हैं तो किसी चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी रही होगी। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सही रिप्रिजेन्टेशन नहीं करते हैं। आप भूल जाइये किसी की दया पर जिन्दा रहना है। ऐसी स्थिति में आप अपने स्वरूप को पहिचानेंगे। हमारे प्रदेश में जिस प्रकार की हालत शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रहती है वह ठीक नहीं है।

मार्क्स ने कहा था दुनियां के मजदूर एक होकर आते हैं तो एक प्रान्त का नहीं, एक देश का नहीं बल्कि सारे संसार का उनको राज्य करने को मिलेगा। आज अपने आपमें प्रति शोध की भावना पैदा करके ललकारता है और राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो जो गुलामी की भावना है, जो राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से पतित हो रहे हैं वे आगे आ सकेंगे।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सिम्पेथी रखते हैं वे कुछ एक्शन करें अन्यथा उनको कोई मांग करनी चाहिये। आज 27 साल की स्वतंत्रता के बाद सरकार मैला ढोने की प्रथा को खतम नहीं कर सकी तो उससे क्या आगे आशा की जा सकती है? उनको झूठा खाने को मजबूर करते हैं और फिर भी समाज कल्याण की बात करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आज जो सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात है वह केवल एक मखौल है। मैंने प्रश्न में भी पूछा था कहां कहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति हैं, तो मंत्री महोदय ने एक दो व्यक्तियों के नाम लिये थे, उनका संचालन वे लोग करें, मरीज दूर रहें और डॉक्टर इलाज करता रहे फिर मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। जो लोग स्वयं इलाज कर सकते हैं, उनके लिये मनमाने ढंग से प्रेस्क्रिप्शन लिख कर इलाज किया जाता है। वही की वही हालत....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपके दल का समय केवल एक मिनिट बाकी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, मेरा समय है। तो सभापति महो-

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दय, मैं निवेदन कर रहा था कुछ लोग फैशन की वजह से या हमारे लिये मोबाइल करने के लिये हो सकता है लेकिन दुख यह है

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, आप मौका देंगे तो बोलूंगा नहीं तो छोड़ दूंगा ...

श्री सभापति : आपके दल पर है, आप चाहे तो आप कह दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : आज सर्विसेज के बारे में 28 परसेन्ट को रिजर्वेशन की बात है क्या ? क्वेश्चन में भी पूछा था कि आज राजस्थान में कितने हायर ज्युडीशियल सर्विसेज में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। एक ऐसी बड़ी सर्विसेज जो राज्य का संचालन करती है उसमें हमारा एक भी व्यक्ति नहीं - एक भी शिड्यूल्ड कास्ट का और ट्राईब्स का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कितने आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग आई. ए. एस. और आई. पी. एस. सर्विसेज में हैं। इस बारे में, सभापति महोदय, विचार करेंगे तो मैं समझता हूं 28 परसेन्ट तो क्या 9 परसेन्ट भी हायर सर्विसेज में नहीं हैं।

अगर इसका कोटा पूरा होता है तो म्यूनिसिपैलिटि से पूरा होता है। म्यूनिसिपैलिटि में जो मल-मूत्र की सफाई करने वाले हैं उसमें सेन्ट परसेन्ट हरिजन हैं। उसमें 28 परसेन्ट या आस पास कर सकते हैं। मैं पूछता हूं जो सेन्ट परसेन्ट हैं तो छंगाणी जी से निवेदन करता हूं अपने कुछ लोगों को, जो नॉन हरिजन हैं लगाइये और आप देखिये कितनी सर्विसेज से आते हैं। उन हरिजनों को जो सफाई की सेवा करते हैं उनको भी आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लीजिये, आई. पी. एस. में लीजिये जिससे जाकर ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल दे सकें। शिड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन से उनको भरिये। उसी तनख्वाह में जो कर्मचारी सफाई करता है और जो सवर्ण लोग हैं उसमें 2 परसेन्ट रिजर्वेशन कर दीजिये और एक्सपेरीमेंट के बतौर देखिये फिर आपको वास्तविकता का पता लग जायगा कि जिन सेवाओं में आप भरते है वे उसमें रहते हैं या नहीं।

सभापति महोदय, आज आई. ए. एस. सर्विसेज की मांग करते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो लोग आज हमारे देश के उद्योग धन्धों पर हैं, बिजनिस पर हावी हैं वे ही लोग बड़ी से बड़ी नौकरी पर भी हावी हैं और नतीजा यह है कि आदिवासी, हरिजन का सत्ता से कोई मेल नहीं है। केवल खाना पूर्ति करना है इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ले रखा है। बड़े-बड़े पदों पर कोई मिलेगा ही नहीं। आज ऐसे लोगों का सलेक्शन इसलिये किया जाता है कि हरिजन, आदिवासी हैं वह गिरा हुआ है, उसमें अकल नहीं है, जा उनका सलेक्शन करते हैं वे भ्रष्ट होते हैं और उनके विचार में केवल यह है कि यह गिरा हुआ है, इससे ज्यादा बढ़ कर उसके दिमाग में उसका कोई हित नहीं है। सभापति महोदय, इसका दृष्टिकोण बदलना चाहिये। आज भी राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से इनको दूर रखने की बात करते हैं। आज, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जितने भी छात्रावास चलते हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स

(श्री मूलचन्द सामरिया)

के अलग चलते हैं कहीं सवर्ण लोग उनसे न मिल सकें। अलग अलग रहने के साथ फिर जो जनरल होस्टल है उसमें प्रवेश होने ही नहीं दे। आज जितने छात्रावास चलते हैं उसमें जो इन्टेलिजेन्ट विद्यार्थी हैं, मैं छंगाणी साहब से निवेदन करूंगा उसको उन लोगों के साथ रहने दें...

श्रीमती नगेन्द्र बाला : सभापति महोदय, सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है, की सदन का समय 7-00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7-00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा सदन में एक नया दल बना है एक-दो सदस्य बोल जाय.... (अश्रव्य).... सारे एक दल होकर झण्डे के नीचे आ गये हैं...

श्री मूलचन्द सामरिया : इनका स्क्रू ढीला है, इलाज हो जायगा।

तो सभापति महोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से आवश्यक है जो अलगाव की इस प्रकार की भावना है वह पैदा न होने दी जाय। मैं छंगाणी साहब से निवेदन करूंगा जितने छात्रावास में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें आधी संख्या को जनरल होस्टल्स में एडमिशन दिला कर उनके साथ रखेंगे तो मैं समझता हूं आधे विद्यार्थियों के संस्कार तो ऐसे होंगे जिनमें हीनता की भावना पैदा नहीं होगी। मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि सरकार चला कर अलगाव की भावना पैदा करती है, चला कर हीनता की भावना पैदा करना चाहती है। उनको ढंग का भोजन नहीं मिलता है, साफ कपड़े पहिनने को नहीं मिलते हैं, रहन सहन ऐसा होता है जिससे स्पष्ट हीनता की भावना प्रकट होती है। जेल के कैदियों से बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता है और उनके मन में यह भावना भरी जाती है कि तुम भूखे हो, नंगे हो, अपंग हो और नैतिक दृष्टि से गिरे हुये हो यह समझ कर सरकार तुम्हारा पालन पोषण कर रही है! इसलिए हे हरिजन, आदिवासियों, तुम सरकार की दया पर निर्भर हो। इस तरह की हालत आज छात्रावासों में मिलती है जो स्पष्ट अलगाव की भावना पैदा करती है। मैं समझता हूं यह भयंकरतम अपराध है। इसलिये बहुत विकट स्थिति पैदा हो सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, बहुत से स्थगन प्रस्तावों के द्वारा जब इस सदन में बलात्कार शिड्यूल्ड कास्ट्स की लेडीज के साथ आया तो मैंने इसलिये तवज्जुह नहीं दी कि मेरे पास एक रिपोर्ट है सारे राजस्थान प्रदेश में जा शिड्यूल्ड कास्ट्स की लड़कियां हैं, जो गरीब हैं उनके साथ जो बलात्कार की घटनायें हुई हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार क्या करना चाहती है? आज गरीबी से, भुखमरी से और मजबूरी से नाजायज फायदा उठाकर लोग इस तरह से हरिजन औरतों के साथ और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार भी करते हैं तो सरकार उनको बहुत आसानी से और बहुत हल्के तरीके से लेकर कड़ा एक्शन नहीं लेती है। बल्कि मैं यह मिसाल दूं कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

किसी जगह हरिजन या आदिवासी ने गैर-हरिजन या आदिवासी के साथ झगड़ा भी किया है और किसी सवर्ण की ऊंगली भी कट गयी हो तो यदि उस झगड़े में सौ आदमी भी होंगे तो सौ को ही जेल में ठूंस देंगे। इसका यही कारण है कि न पुलिस में, न एडमिनिस्ट्रेशन में हरिजन और आदिवासी लोगों का रिप्रेजेन्टेशन है और यह सरकार मनमाने तरीके से विद्यार्थियों के साथ, गरीब लोगों के साथ और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को बहुत हल्के तरीके से उसको इधर उधर कर देती है। जहां तक महिला कल्याण और शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का सवाल है, मैं उसके बारे में यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने निवेदन किया इसको आप गम्भीरता से लें। यह न समझें कि क्योंकि मुझे टाइम मिला और मैं बोल गया। छंगाणी जी, किसी दिन इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के स्वाभिमान के साथ एम. एल. एज. का भी स्वाभिमान जागृत होगा तो सरकार को लेने के देने पड़ जायेंगे और यह सरकार ताश के पत्तों की तरह चली जायेगी और कोई नहीं रोक सकेगा।

एक तरफ जहां भिक्षावृत्ति का सवाल है, यहां पर बहुत जोर शोर से एलान किया जाता है कि हम भिक्षावृत्ति को खत्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो लोग भिक्षुक हैं, जो अपंग हैं और कोई धंधा नहीं कर सकते हैं उनके लिए आप अनाथ आश्रम की तरह से ऐसी व्यवस्था करें कि जहां उनकी व्यवस्था की जा सके और जो लोग मेहनत कर सकते हैं ऐसे भिक्षुकों के लिए आप धंधा दीजिए। उनसे आप किसी तरह का परिश्रम करवायें और जब तक वह इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं करें कि भविष्य में वह भिक्षावृत्ति का काम नहीं करेंगे और प्रतिज्ञा के पीछे धंधे की भावना हो तो आप उनको ऐसा धंधा दीजिए कि जिससे वह भीख मांगकर नहीं खायें।

इसी तरह से पेन्शन के बारे में आपने बहुत ही काम्पलीकेटेड नियम बना रखे हैं। इसको आप ऐसा सरल कीजिए कि उस क्षेत्र का एम. एल. ए. या कोई भी ऑफिसर से एक जगह कार्यवाही हो जाये। केवल आयु का प्रमाण पत्र ले आये। इसमें आप शर्त यह लगा दें कि वह गलत पेन्शन किसी को दिलाता है तो पेन्शन का अमाउन्ट उस व्यक्ति से रिकवेरेबल होगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बाल शिक्षण स्कूल तिलकनगर में चलती है। उसको सन् 1973-74 में आपने 60 हजार रुपये और 1974-75 में 70 हजार रुपये एलिस गर्ग को सरकार ने दिये। मैंने यह सुना कि एलिस गर्ग ने सिर्फ 10-12 लड़कों को ही एडमिट कर रखा है और वह इनको पढ़ाती हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की मदद करें या पढ़े लिखे लोगों की मदद करें तो इसका ज्यादा उपयोगी नतीजा सामने आयेगा। इस तरह से व्यक्ति विशेष को ओब्लाइज करने मात्र से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लोगों को या गरीब लोगों को बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है।

श्रीमान्, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

(श्री मूलचन्द सामरिया)

ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स को आज छात्र-वृत्ति मिलती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अलग देने के बजाय ऐसा करें कि जो लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के नहीं हैं और एक महाजन का लड़का भी पढ़ जाता है, गरीब आदमी का लड़का भी पढ़ जाता है और वह कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनको भी वही सुविधायें दीजिए और जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं और भागीदार हैं और आयकर देते हैं उनको वह सुविधा नहीं दें लेकिन हर गरीब को दें और अमीर को नहीं दें। अगर इस सिद्धान्त के साथ आप उनको सहूलियत देते हैं तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो, तीन मिनट में समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, बेरोजगार भत्ता डॉक्टर और इन्जीनियर्स को दिया जाता है। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अदर देन इन्जीनियर्स एण्ड डॉक्टर्स हैं उन्हें यह बेरोजगारी भत्ता नहीं देने का क्या कारण है? बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि इन्जीनियरी और डॉक्टरी की पढ़ाई वही लोग करते हैं जो कि बहुत बड़े सेठों के लड़के होते हैं या अधिकारियों के लड़के होते हैं। गरीब का बच्चा इन्जीनियर और डॉक्टर आसानी से नहीं बनता है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि नियम बनाने वाले आई. सी. एस. ऑफिसर्स हों या बड़े बड़े आदमी हों। आज एक गरीब का बच्चा अगर पोस्ट ग्रेजुएट होता है और उसको आप बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो वह ज्यादा उपयोगी रहेगा और डॉक्टर और इन्जीनियर्स तक ही उसको आप सीमित नहीं रखें।

इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेन्ट के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज बेरोजगार कितने हैं, न तो इसके आंकड़े हैं कि कितने लोग ऐसे हैं, कि जो कि शिक्षित हैं और जो बेरोजगार हैं, और कितने ऐसे हैं कि जो कि अशिक्षित हैं और कितने खेतीहर मजदूर बेरोजगार हैं और कितने ऐसे लोग हैं कि जा कि यूनियन से अलग बिखरे हुए तरीके से रहते हैं और मजदूरी करते हैं वह कितने बेरोजगार हैं—इसका सरकार के पास किसी तरह का आंकड़ा नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा रोजगार के मामले में असफलता सरकार की नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए कमाई का दूसरा स्रोत नहीं है उनके लिए रोजगार दे सरकार, और नौकरी के मामले में कम से कम यह देखें कि नौकरी में स्थान रखते हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा उन लोगों को भी रखिये जिनके घरों में न खेती होती है और न उनके गारजियन के पास दुकानें होती हैं और न उनके गारजियन के पास उद्योग धंधे हैं। जो बच्चा पढ़ता है वही एक मात्र कमाने वाला है। तो मैं समझता हूं कि उनको पहले प्रिफरेन्स दें। आजकल नौकरी सिफारिशों के आधार पर मिलती है और दूसरे भ्रष्ट तरीकों से मिलती है-इन तरीकों को आप छोड़ें और रोजगार वाली बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बहुत से बेरोजगार लोगों को आप धंधा दे सकते

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं। लेकिन आपकी इच्छा है तो आप दीजिए। आज जमीन जिनके पास ज्यादा है और जो गेहूं के पौधे के बारे में भी नहीं जानते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनसे आप जमीन लीजिए। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं या बिजनेसमैन हैं या उद्योगपति हैं उनके पास जमीन आपने क्यों रख छोड़ी है। उनसे लेकर ऐसे लोगों को दीजिए जो कि सही माने में बेरोजगार हैं और खेती करके अपना धंधा चला सकते हैं। मैंने निवेदन किया था कि आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बारे में समस्या सामाजिक और राजनैतिक इतनी नहीं है जितनी कि आर्थिक समस्या है। जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनमें दुकानें होती हैं, और जिस तरह के ठेके देते हैं, छोटे मोटे जो कुछ भी दुकानें वगैरह होती हैं उनका ठेका आप उन्हीं लोगों को देंगे तो उनका भला हो सकता है और उनको धंधा मिल सकता है। आप छोटे छोटे उद्योगों के लिए कोटा देते हैं, गृह उद्योगों के लिए कोटा देते हैं आप उसमें खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को भी और दूसरे गरीब लोगों को भी दे सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी दो मिनट में खतम कर देता हूं।

श्री सभापति : अब मैं और अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री मूलचन्द सामरिया : I am going to conclude। मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

तो आप बड़े धंधों में और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में जैसे सर्विसेज में 28 परसेन्ट का रिजर्वेशन कर रखा है उसी तरह से और उद्योगों में रिजर्वेशन रखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसके लिए आप प्रयास करें और सच्चे दिल से स्थिति सुधारना चाहें तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि शराब के ठेके हरिजनों के मोहल्लों के अन्दर से दूर रखें और उन्हें 'सी' स्कीम में या आबकारी मंत्री जी अपनी कोठी के आस पास लगा लें या जिनकी कैपेसिटी है वहां रखे जायें, सिविल लाइन्स में रखे जावें, और गरीब मोहल्लों में इनका ठेका नहीं रहना चाहिए जिनसे नाजायज तरीके से उन लोगों को शराब पिला कर जो लूट होती है वह बन्द हो सके।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापतिजी, यह श्रम और नियोजन विभाग की जो मांग संख्या 23 है उसमें तीन कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं और इन कटौती प्रस्तावों के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जितने खाती, लुहार, सुनार, मोची वगैरहा जो भी आर्टिजन हैं उनके बारे में बैंक का लोन देने और ट्रेनिंग देकर छोटा मोटा उद्योग गांव में चला सकें इसके लिए राज्य सरकार ने तीन चार साल पहले घोषणा की थी, परन्तु यह जानकारी मैं आपके जरिये माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि कितने ऐसे लोगों को आज दिन तक बैंक से लोन दिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गया है। मेरी जानकारी जहां तक है और पेरे जिले के अन्दर ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको बैंकों से लोन दिया गया हो। तो माननीय मन्त्री जी, इस बारे में बैंकों से बात करिये और जो आर्टिजन हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, और बैंकों से लोन देने की जो घोषणा की थी, उसके अन्दर भी जो वास्तविक श्रमिक हैं, उनको आर्थिक सहयोग देकर उनको खड़ा करें जिससे वे गांवों में छोटे-छोटे उद्योग चला सकें। इस बारे में आप प्रयत्न करें।

सभापतिजी, इसके अलावा दूसरा जो ओर्गेनाइज्ड लेबर है, उनकी संख्या बहुत कम है और जो कुछ यहां पर कहा गया है ओर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में, जो रजिस्टर्ड हैं उनके द्वारा ही श्रम विभाग काम कराता है, मैं सभापति महोदय, माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि राजस्थान में जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट अनएम्पलॉयड, एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं हैं और वास्तव में श्रमिक हैं उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करें जिससे ऐसे लोगों की गांवों में आर्थिक हालत में सुधार आवे। मजदूर तबके के वेलफेयर के लिए इसका अधिक दायरा बढ़ा कर जो लेबर श्रमिक का काम करते हैं ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रम विभाग में लेकर उनका वेलफेयर करने की चेष्टा करें।

सभापतिजी, इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट ने गांवों के अन्दर श्रमिक बहुत हैं, शहरों के अन्दर भी कम नहीं हैं परन्तु गांवों के अन्दर बहुत श्रमिक हैं, उनके लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है, इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि भविष्य में इस बारे में सोचें।

सभापतिजी, इसके बाद यातायात की डिमाण्ड के बारे में भी मैंने चार पांच कटौती प्रस्ताव दिए हैं जिनके जरिये मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि गांवों में कच्चे रूट्स के लिये अभी जो एप्लीकेशन्स देते हैं, आर. टी. ओ. ऑफिस के अन्दर इतने भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं कि उनका डिस्पोजल भी समय पर नहीं होता। छोटे से छोटा ट्रांसपोर्टेशन का धन्धा अगर कोई करना चाहता है और उसमें एक गाड़ी लगाना चाहता है तो आर. टी. ओ. में इतना प्रोसीजर लम्बा है, एप्लीकेशन देते हैं, गजट में शाया होता है और कोई कम्पीटिशन नहीं है तो भी ऐसी हालत में गांवों में जो कच्चे रूट्स हैं, पक्के रूट तो नेशनेलाइज करें लेकिन गांवों में सुविधा देने के लिए कच्चे रूट के लिए आर. टी. ओ. के यहां एप्लीकेशन देते हैं, उसके निपटारे के लिए आप टाईम निर्धारित कर दें ताकि समय पर डिस्पोजल होकर रिलीफ मिल सके।

सभापतिजी, इसके अलावा जो फिटनेस का मामला है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन है या यातायात से सम्बन्धित दूसरे काम हैं उनके बारे में आम जनता में बहुत सी शिकायतें हैं। अभी मैं माननीय मन्त्रीजी को धन्यवाद देऊंगा, सभापति महोदय, कि यह ट्रांसपोर्ट में जो जगह-जगह एस. पी. ऑफिस, कलेक्टर, आर. टी. ओ. अलग-अलग टैक्स जमा कराने की परिपाटी थी उसको अलग जगह नहीं रख कर एक जगह रख दिया गया है। यह बहुत ही सराह-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नीय कदम है इससे बहुत सी टैक्सेज की वसूली भी बढ़ेगी। बजाय इसके कि एक गाड़ी दूसरे जिले में चली गई और उसका कोई हिसाब पेंडिंग नहीं तो मैं माननीय मन्त्रीजी से कहूंगा कि जो बहुत सा एरिया बता रखा है लेकिन गाड़ियों का अगर बराबर टैक्स जमा होता है, एक जगह रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरी जगह चली जाती है और उसका पता नहीं चलता है तो ऐसी व्यवस्था करें कि जो एरियर्स हैं, फालतू है, उसका समायोजन समय पर करके वास्तव में जिनकी वसूली हो गई है, टैक्स जमा हो गया है तो उसको खत्म करके कम करने की कोशिश करें।

सभापतिजी, इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के बारे में भी मैं कुछ कहना उचित समझूंगा। एक तो समाज कल्याण के अन्दर ओल्ड एज पेंशन के बारे में मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि रूल्स में संशोधन करके जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे परन्तु आज आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जालौर जिले में एक भी दरख्वास्त का डिस्पोजल नहीं हुआ है। एक तो दरख्वास्त देना, फोटो खिचाना, वहां लाना ओल्ड आदमियों का इस तरह से करना कठिन कार्य है। अगर आप ओल्ड एज पेंशन देना ही चाहते हैं तो पटवारियों के जरिये जांच कराकर सेंक्शन कराकर ओल्ड एज पेंशन निर्धारित कर दें तो आपकी मंशा की पूर्ति भी हो जाएगी वरना इस तरह से तो लोगों को रीलीफ नहीं मिलने वाला है। वास्तव में अगर आप रिलीफ देना चाहते हैं तो इस बारे में राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे।

सभापतिजी, जो हमारे बजट का प्रावधान है समाज कल्याण विभाग का वह 8 करोड़ 14 लाख का है और सारे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर, जो समाज कल्याण करना चाहता है, यह तो इनसफिशियेन्ट बजट है उसके लिए। जो आपकी भावनायें हैं इसके बारे में उनकी पूर्ति नहीं होगी। तो राज्य सरकार को इस बारे में सोच कर जिलावाइज, जहां इनकी संख्या ज्यादा हैं किसी जिले में तो वहां पर ज्यादा रखें और जहां कम है वहां पर कम रखें। आपको ताज्जुब होगा कि जिला जालौर में हमने बराबर मांग रखी लीगल एडवाईज की। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के कैसेज के बारे में, कोई जमीन का झगड़ा है, लैंड मिल गयी और उस पर कब्जा भी मिल गया लेकिन फिर डिस्प्यूट में पड़ गया तो वह कहां अदालतों में जाएगा, उसको फ्री एड बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिलावाइज कैसेज के लिए लीगल एडवाईजर की नियुक्ति की जावे ताकि उनको रिलीफ मिल सके।

सभापतिजी, इसके अलावा जो होस्टल्स के बारे में आप कुछ पैसा देते हैं। परन्तु आज मंहगाई इतनी बढ़ गई है, दूसरी चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं लेकिन जो होस्टल एडेड हैं उनकी कोई एड नहीं बढ़ा रहे हैं एडेड होस्टल्स की वही की वही रकम है। तो हमारा यह माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे जो होस्टल्स चल रहे हैं एडेड, क्योंकि उनकी पहले ही पूर्ति नहीं हो रही थी और अब तो मंहगाई भी बहुत बढ़ गई है, इस बारे में राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी मंहगाई के समय इतनी सी रकम से कैसे आप काम चला सकते हैं। इस बारे में राज्य

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करके जो होस्टल्स चलाते हैं उनको वास्तव में 90 पर्सेन्ट, 8। पर्सेन्ट जो ऐड देते हैं वास्तव में चालीस पर्सेन्ट ही उनके पास पहुंचती है इस महंगाई के कारण। इस बारे में भी अगर आपने नहीं सोचा तो होस्टल्स बन्द होंगे। इसके अलावा एरियर्स वगैरा के बारे में ऐसी व्यवस्था है आपकी ऐसे रूल्स हैं कि पहले खर्चा करो और उसका ऑडिट अकाउण्ट पेश करो तब विभाग पैसा देगा। तो सभापतिजी, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि छः छः महीने, आठ आठ महीने तक उधार कब तक लेवें और उधार भी कौन रखेगा। फिर पहले तो उधार ले लिया और बाद में पेमेंट करते हैं तो अकाउण्ट में भी गड़बड़ होती है तो राज्य सरकार को चाहिए कि पैसा जो भी हो आप शुरू में दे दें, उसका बराबर हिसाब किताब रख कर कुछ अपनी तरफ से भी लगा दें। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, एडवांस के रूप में समय पर रकम मिलनी चाहिए और एड समय पर नहीं मिल सके तो बिल्कुल ही उसका महत्व नहीं है।

सभापतिजी, इसके अलावा दूसरा यह जो गवर्नमेंट के होस्टल्स हैं या तो एडेड होस्टल्स को खत्म करके आपको अपने होस्टल चलाना चाहिए गवर्नमेंट के जरिये से ताकि आपको भी मालूम हो सके कि कितना खर्चा बढ़ गया है और ऐड नहीं बढ़ाने का क्या औचित्य है, इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

सभापतिजी, इसके अलावा जालौर जिले के अन्दर पीने का पानी और बिजली शिड्यूल्ड कास्ट के मोहल्ले में बिल्कुल नहीं है और उसके बारे में बराबर कहा जाता है तो यही जवाब दिया जाता है कि समय पर स्कीम नहीं आने की वजह से पैसा नहीं दे सके। समय पर स्कीम नहीं बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर वाटर वर्क्स का है तो ए. ई. एन. और बिजली के लिए एक्स. ई. एन. और समाज कल्याण विभाग को मिल कर स्कीम तैयार करनी चाहिए। अगर किसी जिले से जल्दी स्कीम आ गई तो आपके पैसे की तो लिमिट है वह एक ही जिले में चला जाएगा बाकी जगह जायगा नहीं। तो इस लिए जिलेवार आपको जितने मोहल्ले हैं उनके हिसाब से पैसा रख दें और इसको अलॉट कर देना चाहिए। यह तो आपकी घोषित नीति है कि इन मोहल्लों में पानी बिजली की व्यवस्था करेंगे। इस बारे में माननीय मंत्रीजी को देखकर और बजट अलॉट करना चाहिए और जहां के अफसर रेसपोंसिबिलीटि समझ कर स्कीम बना कर भेज देते हैं जहां के अफसर होशियार हैं वे तो काम करा ले जाते हैं और बाकी दूसरी जगहों के मोहल्लों में कार्य नहीं होता है और उनको कोई राहत नहीं मिलती है इसलिए इस बारे में भी राज्य सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

सभापतिजी, इसके अलावा स्कालरशिप का पैसा भी बराबर समय पर नहीं जाता और इसके कारण नतीजा यह होता है कि जो लड़के पढ़ना चाहते हैं वह खर्चे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं और उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और अगर बाद में स्कॉलरशिप मंजूर होकर जाती है तो वह छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसी हालत में जो लड़के पढ़ने हैं उनको समय पर स्कॉलरशिप भिजवायें ताकि कुछ एरिया जो पश्चिमी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

राजस्थान का है, जहां पर तीन चार साल से फैमिन अफेक्टेड एरिया है वहां पर होस्टल बन्द हो रहे हैं लड़के छोड़ कर चले जाते हैं और मजदूरी के लिए उनको जाना पड़ता है, हालत उनकी ऐसी है। इसलिए जो भी आर्थिक एड आप देना चाहते हैं वह समय पर दीजिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा जो दूसरे पढ़े-लिखे लोग हैं, ग्रेजूएट हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र हैं, जब तक उनको कोई नौकरी नहीं दी जावे, तो जिस प्रकार से डॉक्टर और इन्जिनियर को स्टाइपन्ड और लोन वगैरह की फैसेलिटीज है, उनको भी और जो लोग रूरल एरिया से आते हैं, उनको भी कुछ सबसीडी या इसी तरह की फेसेलिटी देने के लिये राज्य सरकार घोषणा करे वरना आज कल एम. ए. और बी. ए. जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई उनके पास काम नहीं है और एक घर में दस-दस सदस्य हैं परन्तु कमाने वाला कोई नहीं है। सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बहुत से लड़के अक्सर गांवों से आते हैं और इस प्रकार के सरकम्सटान्सेज में पढ़ते हैं कि कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन में वे दूसरे लड़कों के मुकाबले में नहीं टिक पाते हैं। इसलिए उनके लिए एक स्पेशल कोर्स कम्पीटीशन में कराकर उनको ट्रेनिंग दी जाय जिससे वे भी दूसरे लोगों के मुकाबले में कम्पीटाशन में टिक सकें और अच्छी नौकरियों में आ सकें। ऐसा नहीं किया गया तो जो छात्र रूरल क्षेत्र से आते हैं और बैकवर्ड हैं वे अच्छी नौकरियों से महरूम रह जायेंगे और उनको कोई भी स्थान नहीं मिल सकेगा। दूसरी बात मैं हाउस साइट्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जिले में एक-दो सोसायटी हाउस साइट्स की रजिस्टर की जावे और हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी से उनको लोन वगैरह की सुविधा दिलायी जानी चाहिए जिससे वे अपने मकान भी बनवा सकें। इन सोसायटियों के रजिस्ट्रेशन के जो शेयर मनी होती है उसको दिलाने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रावधान होना चाहिए वह नहीं किया गया। वह क्यों नहीं दिया गया इसकी आप जांच करिये। इसलिए इसमें सहकारी विभाग के कोऑर्डीनेशन से सोसायटी रजिस्टर होनी चाहिए। इनको फाइनेन्शियल हेल्प देकर लोन वगैरह की सुविधा देकर और जमीनें जो दी गई हैं जिससे उनके मकान बनाने की मन्शा पूरी हो सके और जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वह पूरा हो सके।

सभापति महोदय, बस इन चीजों के साथ और होस्टल वगैरह को पूरी सुविधायें देने के लिये निवेदन करता हुआ मैं माननीय मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे आज इस विषय में घोषणा करेंगे।

श्री सभापति : रामगोपाल !

श्री रामगोपाल (किशनगंज): सभापति महोदय, सदन में आज श्रम व रोजगार, वाहन कर और समाज कल्याण की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं भी आज इन मांगों के ऊपर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग की मांगों के ऊपर बोलना चाहूंगा। समाज कल्याण विभाग की मांगों की चर्चा करते समय जो भी विचार मैं

(श्री रामगोपाल)

सदन में रखूंगा, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शायद वह सदन में बैठे रहेंगे जब तक मैं बोलता रहूंगा। सदन के अन्दर माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया उस बैंन्च की ओर से कि सरकार ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिये योजनाएं बनाई थी, उसके बारे में यह बताया गया था कि वहां पर जीरो पर्सेन्ट की लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो समाज कल्याण विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको पढ़ने से कई इस प्रकार की योजनाएं हैं उनसे पता लगता है कि क्या काम किये गये हैं इन जातियों के लिये, इस पिछड़े वर्ग के लिये और आदिवासियों के लिए। हमारे राजस्थान ने जो काम किये हैं उन उपलब्धियों को हम भुला नहीं सकते। निश्चित रूप से हमको इस मामले में सरकार की सराहना करनी ही पड़ेगी और माननीय मन्त्री महोदय को मैं इसके लिए धन्यवाद दिये विना नही रह सकता। परन्तु आगे मैं यह बताना चाहूंगा कि हमको केवल इसी से सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए कि हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वे ही सब कुछ हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अगर हम सम्पूर्ण लक्ष्य की पूर्ति कर लेते तो माननीय सभापति महोदय, आज हमें राजस्थान के अन्दर, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, आदिवासियों के लिये, और हरिजनों के उत्थान के लिये जो योजनाएं बनाते हैं, वे योजनाएं हमको नहीं बनानी पड़ती। इनके लिये आज करोड़ों रुपयों की योजनाएं बनायी जाती हैं, करोड़ों रुपयों की योजनाएं हम लागू करते है उनके उत्थान के लिये, और इसके बावजूद भी, इतने वर्षों के बाद भी हमको यह सोचना पड़ता है कि उनका बहुमुखी विकास किस प्रकार से हो सकता है और किस प्रकार से योजनाएं लागू की जाय, सरकार से हमको पैसा मांगना पड़ता है केन्द्रीय सरकार भी सभी आदिवासियों का और पिछड़े वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं, केन्द्रीय सरकार भी इसके लिए फण्ड्स देती है। ऐसा क्यों है कि सरकार इतने कदम उठा रही है, इतना अच्छा काम कर रही है उसके बावजूद भी जिन लक्ष्यों की पूर्ति हम करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। सभापति महोदय, मेरे अनुभव के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि हमारी योजनाओं में और उनके क्रियान्वयन में इस प्रकार की कमियां हैं जिनकी वजह से लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती या जो हम प्रगति के लक्ष्य रखते हैं वह पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार जो लक्ष्य बनाती है, व्यवहारिक रूप से सक्षम नहीं कर पाती, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, स्थानीय परिस्थितियों को और वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाई जाती। हमें यह मालूम ही नहीं होता है कि राजस्थान के कौनसे क्षेत्र में जहां पर कि आदिवासी निवास करते हैं, उनकी स्थानीय आवश्यताएं क्या हैं, उनका विकास करने के लिये किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उनकी क्या जरूरतें हैं। इसलिए हमको जो भी योजनाएं बनानी हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय परिस्थितियों का खयाल करते हुए

(श्री रामगोपाल)

बनानी पड़ेगी अन्यथा जो करोड़ों रुपया हमारी सरकार इन योजनाओं के तहत खर्च करना चाहती है, फिर वही बात हमारे सामने आयेगी कि वह सही ढंग से नहीं हो पाया। अतः सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से आदिवासियों के बहुमुखी विकास के लिये जो कार्य करना चाहती है, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं बनायी जाय, निश्चित रूप से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और यहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों के उत्थान के लिए अगर आप योजनाएं बनायें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी। और जो हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उसका सही उपयोग हो सकेगा। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, उनमें व्यवहारिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता और एक विशेष स्थान के लिये योजना बना देते हैं तो कई समस्याए दूसरे स्थानों के लिये भी हैं उनके लिये भी आपको सोचना पड़ेगा। आप समाज कल्याण के मन्त्री हैं, ट्राइब्स के उत्थान के लिये और आदिवासियों के उत्थान के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत एक निश्चित नीति तय की गई है। लेकिन शाहबाद में जो सहरिया हैं उनको उसमें आपने शामिल नहीं किया हैं अपनी योजनाओं में। माननीय मन्त्री महोदय, बजट के समय में भी चर्चा करते हुए मैंने निवेदन किया था कि सहरियां जो हैं शाहबाद में ऐसी जाति कहीं भी राजस्थान में नहीं है और भारत सरकार की गाइड लाइन है कि इस प्रकार कोई विशेष क्षेत्र हो, उनकी विशेष कल्चर हो और वेषभूषा एक अलग प्रकार की हो उनके लिये भी हमें योजना बनानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, उनके जो लक्ष्य हैं, ऐसे पोकेट्स को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, मुझे आशा है कि निश्चित रूप से उनको भी इन योजनाओं में शामिल किया जायगा।

मंत्री महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा इस योजना के तहत हमारे राजस्थान के भूतपूर्व डाइरेक्टर श्री वेकुन्ठनाथ चतुर्वेदी शाहबाद गये थे। दो बार गये थे और मैं भी उनके साथ मौके पर गया था। और भारत सरकार के डाइरेक्शन के अनुसार जो योजना इस सम्बन्ध में बनी, डाइरेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उस योजना में उन्होंने शाहबाद को शामिल किया था। उस योजना में सहरियों के विकास की बात थी। वे दो बार शाहबाद गये थे और दोनों ही बार इसका जिक्र किया था लेकिन सभापति महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो यह योजना बनी है, सहरियों के विकास के लिए पंचायत समिति शाहबाद का उसमें नाम नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस योजना के तहत इसको लेने का कष्ट करें और इन लोगों का विकास करने का कष्ट करें। मैं राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में आगाह करना चाहता हूं। हमारा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए हमें प्रयास करना होगा। मैं अपनी यह बात यहां पर पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, आयोजना मंत्री और वित्त

(श्री रामगोपाल)
मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में बातचीत करें और शाहबाद को भी इस योजना में शामिल करें।

सभापति महोदय, छोटी छोटी दो समस्यायें और हैं समाज कल्याण विभाग से संबंधित। आपके माध्यम से उनकी ओर समाज कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्टाइपेन्ड आप विद्यार्थियों को देते हैं। ये विद्यार्थी बेकार बैठे रहते हैं। इनको रोजगार मिले। इसके लिए आपने छात्रवृत्ति का इन्तजाम किया है। लेकिन फिर भी यह कहना चाहूंगा कि जिस विद्यार्थी को आप 150) रुपया देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को 250) रुपया देते हैं, अगर कहीं पर डिमान्ड निकलती है तो उस डिमांड के अनुसार उसको लगाया जाता है और 300),400) रुपया वेतन मिलना चाहिये किन्तु उसको 150) 250) रुपया ही दिया जाता है। उनको काम करने के लिए शहरों में बुलाया जाता है और मकान किराया भी देना पड़ता है। इस राशि में कैसे उनका काम चल सकता है? यह सोचने की बात है। उनको काम पर लगायें तो पूरा वेतन दीजिये। नहीं लगायें तो कोई बात नहीं है। इस तरह कैसे आप इनकी बेरोजगारी को दूर करेंगे?

सभापति महोदय, आई. ए. एस. कोचिंग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारी राजस्थान सरकार ने यह जो स्टेप लिया है, वह सराहनीय है। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे स्टाइपेन्ड वाले विद्यार्थी हैं वे इस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं। उसमें एडमीशन लेना चाहते हैं, किन्तु स्थान सीमित होने के कारण वे एडमीशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आई. ए. एस. कोचिंग सेन्टर में स्थानों की संख्या बढ़ाई जाये ताकि और विद्यार्थी भी इसमें एडमीशन ले पावें और कम्पीटीशन में बैठ सकें और स्थान प्राप्त कर सकें। इससे उनकी बेकारी की समस्या भी दूर होगी। स्टाइपेन्ड उनको आप देते ही हैं स्टाइपेन्ड के साथ साथ वे कम्पीटिशन में बैठ कर नौकरी भी प्राप्त कर सकेंगे।

इसी प्रकार से सभापति महोदय मैं रोस्टर प्रणाली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स हरिजनों के लिए यह रोस्टर प्रणाली लागू की है। इसी प्रकार की रोस्टर प्रणाली पदोन्नति में लागू करने की भी सरकार ने घोषणा की है। मैं यह जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि वे कृपया इस रोस्टर प्रणाली को सही ढंग से लागू करें। परन्तु यह सही ढंग से लागू नहीं हो रही है। विधान सभा सदस्यों की शिड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर कमेटी है। मैं भी उसका एक सदस्य हूं। यह कमेटी अलग अलग जिलों में दौरे पर गयी थी और वहां पर उसने डी. एल. ओ. से जानकारी चाही थी। डी. एल. ओ. को जब एग्जामिन किया तो यह स्थिति मिली कि आपके इस डि. एल. ओ. को यह भी मालूम नहीं कि रोस्टर प्रणाली क्या है? उन्हें इसकी किसी प्रकार से कोई जानकारी होना नहीं बताया है। यह स्थिति है। वे अगर इसके बारे में

(श्री रामगोपाल)

जानते नहीं हैं तो फिर किस प्रकार वे इस रोस्टर प्रणाली को क्रियान्वित करा सकते हैं। इसकी क्रियान्विती नहीं हुई है।

इसी तरह प्रोमोशन में रिजर्वेशन का मामला है। प्रमोशन से 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन की सरकार ने घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद सरकार ने 10 फरवरी, 75 को नियम प्रसारित कर दिये हैं। मैं मन्त्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके मार्फत यह जानना चाहता हूं कि इस आदेश के निकलने के बाद यह जो अवधि निकली है, उस अवधि में कितने प्रमोशन आपने किये हैं। हर विभाग ने कितने कितने प्रमोशन किये। मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस आदेश के अन्तर्गत प्रमोशन की संख्या कितनी है। जो हमारी मन्शा है, जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति में क्या कार्यवाही हुई है, मन्त्री महोदय यहां पर अपने जवाब में बताने का कष्ट करें....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आगे एक बात और कहना चाहता हूं—मंत्रणा परिषद् है। मैं यह जनना चाहता हूं क्या इसकी बैठकें होती हैं और होती हैं तो क्या कार्यवाही हुई है? अगर बैठकें होती हैं तो यह पूछना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट यह परिषद् देती है उसको कहां तक स्वीकार किया जाता है और कहां तक स्वीकार नहीं किया जाता है। यह भी देखना पड़ेगा कि मंत्रणा परिषद् की उपयोगिता है या नहीं। अगर उसकी रिपोर्ट अमल में आती है तो मानना पड़ेगा कि उपयोगिता है वरना मंत्रणा परिषद् का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। सभापति महोदय मैं उदयपुर गया था। जहां जहां पर आदिवासी एरिया है वहां के लोग ऋण ग्रस्त हैं। सरकार इनका उत्थान करना चाहती है। तो मेरा निवेदन है कि इनको ऋण से छुटकारा दिलाने की दिशा में सरकार कार्यवाही करे। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल में जो रिजर्वेशन है, वह कम है। इस रिजर्वेशन को बढ़ाया जाये।

नल बिजली की योजना है। शहरों में भी लागू होती है। समाज कल्याण विभाग के पास इसका फण्ड रहता है। फण्ड ऐलॉट होता है किन्तु यह क्रियान्वित नहीं हो पाता है। हजारों काम अधूरे पड़े हुए हैं इनको कार्यान्वित कराने का कष्ट करें। शहरों में हरिजनों को जो बस्तिया हैं, सरकार चाहती है कि इन बस्तियों में नल, बिजली लगे तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धन का आवंटन होना चाहिये और सही उपयोग होना चाहिये।

सहकारी समितियों का प्रश्न है। तीन सौ रुपया सरकार अनुदान हिस्सा पूंजी के लिए देती है और सौ रुपया उसका, सदस्य का लगता है। इस प्रकार यह चार सौ रुपये की राशि इन समितियों में ऐसे पचड़े में पड़ती है कि वह चक्कर काटती रहती है। सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है। रजिस्टर्ड हो जाती है तो लोन की सैंक्सन नहीं हो पाती है। अब दूसरा मार्च आने वाला है और जो किश्त मिलने वाली थी नहीं मिली है। एक कमजोरी बताऊंगा। सरकार की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से इस कार्य के लिए एक अधिकारी

(श्री रामगोपाल)
नियुक्त किया गया था। वह जिलों में जाकर देखें कि कहां कहां इस प्रकार की गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, उनके कागजों को पूरा करावें। परन्तु यह कार्यवाही समय पर नहीं हो पायी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सोसाइटी के अन्दर जो कमियां हैं उनको दूर करवाया जाये ताकि इन लोगों का कल्याण हो सके।

इसी तरह से लीगल एडवाइजर का मामला है। सरकार की मंशा अच्छी है। कई प्रकार की उलझनें पैदा हो जाती हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिये। रिलीफ के लिए यह सुविधा दी गयी है। कोई हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लेता है, उनको बेदखल कर देता है। स्टे के लिए कार्यवाही होना है। लीगल एडवाइजर की जरूरत है किन्तु पैसा नहीं है। वह फाइल नहीं लगवा सकता है। इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री रामगोपाल : सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं एक सेवा संघ है। जगह जगह इसकी शाखाएं हैं। इसके लिए जो फण्ड है वह कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की शाखाएं चल रही हैं। इस आदिम जाति सेवा संघ द्वारा छात्रावास भी चलाए जाते हैं। इसके बारे में गौर से सोचना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि आदिम जातियों का विकास हो, कल्याण हो। परन्तु सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और उसके बावजूद सरकार को इस बात की क्रेडिट नहीं मिल रही है। उल्टी सरकार का बदनामी मिल रही है। सरकार इन संस्थाओं को 90 पर्सेन्ट एड दे रही है और उस एड का सदुपयोग नहीं हो रहा है। जो छात्रावास इनके अधीन चल रहे हैं मेरा निवेदन है कि इन छात्रावासों को सरकार अपने अधीन ले ले। जो बीच की ऐजेन्सी है, वह पैसा खाने वाले हैं। उसका सही रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। इसको रिप्रजेन्ट भी किया गया था, सरकार को। तो सरकार को इन छात्रावासों को निश्चित रूप से अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

एक पॉइंट और कहकर मैं समाप्त करता हूं, माननीय सभापति महोदय। बड़ी दर्दनाक घटना है। हमारा एक छात्रावास जो कि राजस्थान के अन्दर है उसमें किस प्रकार की एक घटना हुई है। मैंने मंत्री महोदय को एक पत्र दिया था लिखित में। उसकी जांच भी आरम्भ हो चुकी है। यह घटना है जो सुप्रिन्टेंडेन्ट है छात्रावास के उनकी विद्यार्थियों के साथ में दुर्व्यवहार करने की। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने की वजह से, उनके भ्रष्टाचार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने की वजह से और छात्रावास के विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं की मांग करते हैं, उनके सामने जाकर अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो ईर्ष्यावश विद्यार्थियों की कैसी दुर्दशा होती है, उसका मैं उदाहरण देता हूं। मैंने लिखित में भी दिया है। माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न कहना बहुत जरूरी है। मैं भूल गया था। वह आपके विभाग के एक अधिकारी है, सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं छात्रावास के विद्यार्थियों की एप्लीकेशन भी मेरे सामने आई है।

Page No 160

(160)

श्री सभापति : संक्षेप में बता दें ।

श्री रामगोपाल : बिल्कुल ठीक है । 15-2-75 की रात को 5 विद्यार्थियों की ऐसी पिटाई की है कमरे में बन्द करके क्योंकि वे अपने अधिकारों की मांग करते थे, और जो नाजायज काम वे करवाते थे उसको करने से उन्होंने मना कर दिया था । उन विद्यार्थियों को कमरे के अन्दर बन्द करके पिटाई की और उनके नीचे के हिस्से में, माननीय सभापति महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी शोचनीय बात है कि चार लकड़ी के खूंटे डाल दिये। जब उनका मेडिकल हुआ तो एक्सरे में लकड़ी पाई गई इन्वेस्टीगेशन जारी है। पुलिस वहां पर पहुंच गई है। मैंने रिपोर्ट पेश की है। छात्रों की ओर से भी आई है। वहां पर बड़ा भारी आतंक है। आपने जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर को लिखा है । डाइरेक्टर समाज-कल्याण विभाग एक अच्छे व्यक्ति हैं और आदिवासियों के लिए सोचते हैं । कम से कम वहां पर जनता में इस प्रकार का आतंक है । क्या कदम बढाया है आपने यहां प्रश्न भी उठाया जा चुका है । मैंने प्रश्न भी दिया था । वह प्रश्न आया नहीं है । छात्रावास के सुप्रिन्टेंडेन्ट ने क्या किया है उसके बारे में सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा । जो एक्शन सरकार को लेना है वह जल्दी से ले । आज की तारीख में उसको सस्पेंड नहीं किया है। जिस प्रकार के कृत्य उसने किये हैं, अमानुषिक ढ़ंग से विद्यार्थियों की पिटाई की है तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया हो तो आज की तारीख में उसको सस्पेंड करने की घोषणा करें, और उसकी एन्क्वायरी करके उसको डिसमिस करके तुरन्त निकाल दिया जाय ।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज की डिमाण्ड के अन्दर मेरे दो कटमोशन्स हैं, एक बेरोजगारी के प्रश्न पर है और दूसरा श्रम विभाग की अक्षमता और निष्क्रियता के ऊपर......

श्री नाथूराम (बागीदौरा) : सूची में मेरा नाम पहले दिया हुआ है ।

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया है कि जिस क्रम में दिया हुआ है उसी क्रम से लूंगा ।

श्री नाथूराम : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा लेकिन समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड है, आप मेरी बात सुन लें ।

श्री सभापति : जो सूची दी है उसी क्रम में बोला है । आपको बात करना हो तो उनसे करें ।

श्री नाथूराम : मेरी रिक्वेस्ट सुन लें कि मुख्य सचेतक ने दो बार नाम लिया है । समाज कल्याण विभाग बड़ा अहम विभाग है । आप हमें बोलने का मौका दें ।

श्री सभापति : आपको बोलने का मौका मिलेगा । यह किस ने कहा है कि मौका नहीं मिलेगा ।

श्री नाथूराम : जो माननीय सदस्य दो-दो बार बोल चुके हैं उनको टाइम दिया जाता है ।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज । श्री मोहरसिंह ।

श्री नाथूराम : यह तो ठीक है हम चेयर की इज्जत करते हैं नहीं तो ......

श्री मोहरसिंह : सभापति महोदय, मेरे बेरोजगारी के प्रश्न पर कुछ मोशन्स हैं। सभापति महोदय, हमने समाजवाद के नक्शे कदम पर बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को निर्धारित करते ही हमारे पर जिम्मेदारी ग्रा जाती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दें। लेकिन ग्राज हम समाजवाद की तरफ ग्रागे बढ़ने के लिए ज्यों ज्यों ग्रावाज लगाते हैं त्यों-त्यों ही हास्यास्पद बात यह है कि हमारी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती जाती है। इस से इस बात का ताल्लुक मालूम पड़ता है कि हमारा लक्ष्य तो समाजवाद का है लेकिन कुछ नुक्स, गलतियां हमारे प्रोग्राम में हैं जो बेरोजगारों का रोजगार नहीं लेने देती हैं। सभापति महोदय, पुराने ग्रांकड़े विभाग के उठाकर देखें ग्रौर ग्राज के ग्रांकड़े उठाकर देखे तो बेरोजगारी बढ़ी है। 71 में हमारे यहां 1,60,000 शिक्षित बेरोजगार थे ग्रौर ग्राज 75 में 2,37,000 शिक्षित बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के ये ग्रांकड़े एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में जो दर्ज हो गये हैं उनके हैं वास्तविक नहीं हैं। जिन्होंने ग्रपना नाम दर्ज नहीं कराया है ऐसे लाखों लोग बेरोजगार बैठे हैं ग्रौर ग्रशिक्षित तो ग्रौर भी ज्यादा हैं। शिक्षित बेरोजगारों का जहां तक प्रश्न है, सभापति महोदय, टेक्निकल हैण्ड्स भी हमारे पास बेरोजगार हैं, इन्जीनियर्स, डॉक्टर्स ग्रौर साथ-साथ कृषि स्नातक। कृषि स्नातक के लिए तो इलाज किया है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से कृषि स्नातकों को कुछ भूमि के प्लाट्स एलॉट किये हैं। लेकिन यह समस्या का हल नहीं है यह ऊंट के मुंह में जीरा है। समस्या का हल हो हमें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना होगा। शिक्षित बेरोजगार देश में बढ़ते जा रहे हैं। उनके ग्रन्दर जो ग्रार्ट्स की साइड में हैं उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेट्रिक ग्रौर हायर सैकण्डरी से लगा कर एम. ए. तक कितने ही लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं। सभापति महोदय, यह एक वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। जब हम रोजगार ग्रौर रोटी के प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि विकास तो बहुत दूर की चीज है।

सभापति महोदय, इसी तरह से एग्रीकल्चर लेबर कृषि के मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह से वह इलाका जो ग्रनइरिगेटेड है ग्रौर राजस्थान में ज्यादातर ग्रनइरिगेटेड, ग्रसिंचित इलाका है। राजस्थान में ग्रगर पानी हो तो जो बेरोजगारी है वह स्वतः कम हो जायगी। लेकिन हमारे यहां पर 14 परसेन्ट सिंचित भूमि है ग्रौर उसके बाद में सारी ग्रसिंचित भूमि है उसके ग्रन्दर एक फसली इलाका है ग्रौर जो सिंचित है उसमें दो फसलें होती हैं जो एक फसली इलाका है उसमें 5-4 महीने ही लोगों को काम मिलता है। उसके बाद वे बेरोजगार होते हैं तो हमारे यहां पर ग्रर्ध बेकारों की संख्या भी करोड़ों में है। 2 करोड़ ग्रौर 57 लाख राजस्थान की ग्राबादी है, ग्रब ग्रौर बढ़ गई होगी। उसमें ग्राज किसान 12-13 परसेन्ट सिंचित भूमि पर बारोजगार हैं ग्रौर बाकी राजस्थान के किसान ग्रर्ध-बेकार है। इस तरह से हम रोजगार की समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। योजनाग्रों में हम कटौती करते जा रहे हैं,

(श्री मोहरसिंह)

सरकारी नोकरियों में बैन लगाते जा रहे हैं, इसी तरह से जगह जगह कारखानों के अन्दर हम छंटनी करते जा रहे हैं, ले आउट करते जा रहे हैं, क्लोजर करते जा रहे हैं, जो मजदूर काम पर हैं उनको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से अकाल राहत कार्यों पर हम पैसा नहीं देकर और बहुत ज्यादा धक्का देकर महानतम बेरोजगारी के अन्धकार में हम उनको धकेल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का जो प्रश्न है वह इस तरह से दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। राहत कार्यों पर एमाउन्ट नहीं देना, योजनाओं में कटौती करना, सर्विसेज पर बैन लगाना और कारखानों में छंटनी करना, ये चार इस प्रकार की बातें हैं तो बेरोजगारी के प्रश्न को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस प्रश्न पर हमें समाजवादी दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा और योजनाओं के लिए रुपये कहीं से भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे उससे कुछ रोजगार मिलेगा। सिंचाई के लिए पानी प्रदेश को देना पड़ेगा और उससे बहुत ज्यादा बेरोजगारों की रोजगारी का प्रश्न हल हो सकता है, बल्कि समाजवाद के नक्शे कदम पर चलने के लिए समाजवादी ढंग से सारे काम को जांचना पड़ेगा तभी हम सभापति महोदय, बेरोजगारी के प्रश्न को हल कर सकते हैं।

इसमें, सभापति महोदय श्रम के बारे में भी दो चार बातें कहना है। श्रम वास्तव में आधार है देश का जिस तरह से कृषि आधार है उसी तरह से उद्योग आधार है। जिस तरह से कृषि में किसान का महत्व है उसी तरह से मजदूर का भी कोई कम महत्व नहीं है। श्रम देश का आधार है। इतना ही नहीं देश में शान्ति रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए श्रम का कम महत्व नहीं है। श्रम विभाग जिसके लिए कहा गया है कि वह श्रमिकों को अच्छी फेसिलिटी दिलायेगा, उनके स्टेण्डर्ड को, उनकी जिन्दगी को ऊंचा उठायेगा, और मिलों के अन्दर जो झगड़े फिसाद होते हैं उनको ठीक करेगा। इस तरह के उनके कई और फन्क्शन्स हैं। लेकिन अक्सर देखने में यह आता है कि श्रम विभाग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है। सभापति महोदय, किस प्रकार से आज झगड़े बढ़ रहे हैं और ट्रिब्यूनल्स में जाने के बावजूद भी डेढ़-दो वर्ष लग जाते हैं। इन्टक की भी यह शिकायत है, आईटक की भी यह शिकायत है, हिन्द मजदूर पंचायत की भी यह शिकायत है, उनकी सब की यह शिकायत है कि इस प्रकार के जो झगड़े हैं उनका फैसला डेढ़-दो वर्ष तक हो नहीं पा रहा है। सभापति महोदय, श्रम विभाग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा नहीं कर रहा है।

साथ ही साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आज मजदूरों की कारखानों के अन्दर छंटनी होती जा रही है, यहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वहां पर हमारे उद्योगों को पनपाने के अन्दर वह सहयोगी नहीं हैं। उद्योगों में हमारा प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। इस प्रकार की छंटनियां होती हैं और क्लोजर्स होते हैं उनके अन्दर, सभापति महोदय, मेरा खुला इल्जाम है, मेरा लांछन है कि श्रम विभाग मजदूरों की तरफदारी नहीं करता है। जो डिप्रेस्ड् हैं, जो गिरे हुए हैं,

(श्री मोहरसिंह)

जिनके पास पूरी खाने को रोटी नहीं हैं उन मजदूरों की तरफदारी न करें और मालिकों की तरफदारी करता है, उनके लिए सब तरह की सहूलियतें मुहैया करता है। हड़ताल होती हों तो उनकी तरफदारी करता है। इस तरह से मिनिमम वेजेज का सवाल है। माथुर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 60 दिये गए 80 रु. दिये गये। उसके बाद 100 दिये गये। 130 से आगे नहीं। मंहगाई के आंकड़ों के अनुसार उनको अधिक मिलना चाहिए। इस बारे में इन्टक, सीटू, एटक और हिन्द मजदूर पंचायत, इन चारों ने ही आवाज उठाई है। 250 रु. मिनिमम वेजज होना चाहिए। सभापति महोदय, मजदूरों को प्रोत्साहन नहीं। जो बड़े कारखाने हैं, उनमें उनके साथ में मनमानी का व्यवहार किया जाता है। छोटे छोटे कारखानों को दो दो महीने के लिए बन्द कर दिया जाता है। पुराने मजदूरों को निकाल दिया जाता है। नयों को लगाया जाता है। इस प्रकार के काम से न तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ पुलिस का इण्टरफियरेंस कारखानों में दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। हड़ताल के समय में पुलिस मालिकों की तरफदारी करती है। इसी प्रकार से जो इन्सपेक्टर वगैरह हैं, उनके झगड़े बने रहते हैं। इसी प्रकार से हमारा श्रम विभाग भी फेलियूर रहा है। इतने बड़े प्रदेश की समस्याएं हल करने में असफल रहा है। मजदूरों की समस्याएं हल करने में असफल रहा है। सभापति महोदय, यह सर्वोपरि प्रश्न होना चाहिए। सभापति महोदय, एक कमेटी बनाई गई है। परसों हमारे मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे। जो कमेटी बनाई है, उसका नाम संयुक्त प्रबन्ध समिति रखा है। मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि उसमें सब का सहयोग होगा। लेकिन सभापति महोदय, उसमें न कोई बंटवारे के प्रश्न पर कहने का हक है, न कोई और बात कहने का हक है। इस प्रकार से पहले 100 मजदूरों के ऊपर थी अब 500 हो गये। इस ढंग पर उसका निर्माण किया गया कि वह मजदूरों के हित में नहीं है। प्रोडक्शन में प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रोडक्शन जो होता है, उसके बंटवारे का हक होना चाहिए। कीमत तय करने में आवाज होनी चाहिए तभी जाकर यह हो सकता है। नहीं तो बड़े बड़े कैपिटेलिस्टों की जेबें भरते हैं। इससे समस्या हल नहीं हो सकती है। वास्तव में जो गरीब आदमी हैं। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा श्रम विभाग इसमें फेलियूर रहा है। पूंजीवादी ढंग वाला है। कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर्वे के तरीकों को बढ़ाने के लिए मालिकों की तरफदारी करेंगे। उनका यह कानून रहा है, यही काम रहा है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, आज की 3 डिमाण्डों के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं पहले समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, हमारी भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये और पिछड़ी जाति के लिए जो भारत सरकार की कमीशन की रिपोर्ट है, वह कमीशन

(श्री नाथूराम)
की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए थी, पिछले साल पेश हुई। उस पर बहस भी हुई। लेकिन राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया है।

श्री केदारनाथ : पेश हो गई है।

श्री नाथूराम : पेश हो गई है लेकिन बहस नहीं हुई है। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं श्रम मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पिछड़े वर्ग के लिए अच्छे सुझाव माननीय सदस्य देते हैं। इसलिए इस अधिवेशन में, हाउस में उस पर बहस होनी चाहिए थी ताकि हाउस के माननीय सदस्य उस पर सुझाव दे सकते थे। सभापति महोदय, भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लाखों रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है। लेकिन अधिकतर धन का दुरुपयोग होता है। जैसे कि हमारे यहां राज्य सरकार के छात्रावास हैं। वहां पर अव्यवस्था होती है। उनको समय पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र में छात्रावास हैं वहां पर छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलती हैं। समय पर उनको वस्त्र और अन्य वस्तुयें नहीं मिलती हैं। और छात्रावासों में अव्यवस्था है। जहां तक खाद्य सामग्री दी जाती है, वह किसी एक ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है। जो आटा वगैरह जाता है, वह सड़ा हुआ जाता है। मेरे क्षेत्र में डॉक्टरों को दिखाया है वह आटा ऐसा है जिसको खाकर बीमार हो सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे खाद्य सामग्री अच्छी मिलनी चाहिए। मार्च का महीना आ जाता है लेकिन उनको पुस्तकें नहीं मिलती हैं इसलिए छात्रावासों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान में जो छात्रावास चालू हैं, उनमें कई अन्य परिवार पल रहे हैं। जो पिछड़े हुये वर्ग के परिवार हैं, उनको समय पर मदद नहीं मिलती है। सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, पिछड़े हुये क्षेत्र में कन्या छात्रावास खोलना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में कन्याओं को पढ़ाने की इच्छा है। बांसवाड़ा में श्रीमती प्रधानमन्त्री जी का आगमन हुआ था तो वहां पर पढ़े लिखे आदिवासी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के लड़कियों की एक सभा रखी थी। श्रीमती प्रधान मन्त्री जी भी बहुत प्रसन्न हुई थीं तो मेरा निवेदन है कि कन्या छात्रावास अधिक खोलना चाहिए ताकि कन्याओं की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। इसी तरह से सभापति महोदय, सरकार ने नौकरियों में रोस्टर प्रणाली लागू की है जो सही ढंग से लागू करनी चाहिए। अभी उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो उनका सही उपयोग होना चाहिए। ताकि पिछड़े हुये वर्ग को सर्विस में हर तरह से फायदा मिले। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन कर दूं, जो छात्रवृत्ति मिलती है वह पढ़ने वाले लड़कों को समय पर नहीं मिलती है, जैसे कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग में जाते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसी प्रकार से पिछड़े हुये क्षेत्र में पढ़ाई की अव्यवस्था है। जो लड़के एस. टी. सी. या बी. एड. ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, उनको स्टाईपेण्ड

(श्री नाथूराम)

मिलना चाहिए। यह व्यवस्था होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी बोरी क्षेत्र में छात्रावासों की व्यवस्था नहीं है। शहरों में लाखों रुपया खर्च होता है। डूंगरपुर में जिसको 'ए' श्रेणी का घोषित किया है, वहां 3 कमरे बने हैं। दो साल से रकम मांग रहे हैं। 40 लड़के हैं। भवन भी पूरा नहीं है। इसलिए आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं, मेरे निवास स्थान बोरी में आपका राजकीय छात्रावास 'अ' श्रेणी का है, उसका भवन सरकार को बनाना चाहिए।

इसी तरह से बांसवाड़ा गढ़ी में 'अ' श्रेणी का होस्टल है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, बांसवाड़ा में डिग्री कॉलेज है, वहां पर हायर सैकेण्ड्री के विषय लेने के लिए सारे जिले के आदिवासी लड़के आते हैं, वहां साठ लड़कों का छात्रावास है। हमने 10 साल से मांग की है कि वहां छात्रावास 100 लड़कों का हो जाना चाहिए लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर सरकार ने सौ लड़कों के छात्रावास की स्वीकृति नहीं दी है। मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर सौ छात्रों का छात्रावास हो जाना चाहिए। हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर कम से कम लड़कों और लड़कियों का पचास-पचास का छात्रावास होना चाहिए, ताकि आदिवासी अच्छी तरह से शिक्षा ले सकें।

सभापति महोदय, वैसे राज्य सरकार ने कई तरह के कानून बनाये हैं लेकिन उन आदिवासियों के पल्ले कोई कानून नहीं पड़ रहा है, जैसे छुआछूत का कानून बनाया है। आज के राजस्थान में छुआछूत की बीमारी सब जगह फैली हुई है। पिछली साल इस हाउस में मय फोटो के छुआछूत के बारे में एक अधिकारी के खिलाफ केस पेश किया था लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने मालूम किया, जिनकी शिकायत यहां पर की थी छुआछूत के बारे में, उसका प्रमोशन भी हो गया है। उसको सजा देना तो दूर रहा उल्टे उसका प्रमोशन हो गया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करता हूं, पिछली प्रोसीडिंग आपके यहां मौजूद है विभाग में सारी फाइल मौजूद है, उसकी जांच करके कम से कम जिनका प्रमोशन हुआ है, जिस कर्मचारी के खिलाफ छुआछूत के लिए मय फोटो के केस पेश किया था, उस पर कार्यवाही हो जानी चाहिए।

सभापति महोदय, पोषाहार कार्यक्रम में मैंने पिछले साल में कई घोटाले बताये थे, इस प्रकार की जहरीली वस्तुएं पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य सामग्री की दी गई। यह जो पोषाहार कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को सही रूप में चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को पोषाहार में जो वस्तुएं दी जाती हैं, उसमें जहरीली वस्तुओं का उपयोग करें।

सभापति महोदय, इसी तरह से राज्य सरकार ने 54 आदिवासियों के लिए सब-प्लान बनाया। इसके लिए पहले निवेदन किया, यह सब-प्लान बनाया। रिवाइज होना चाहिए पंचायत समिति से लेकर ऊपर तक, इसको रिवाइज करना चाहिए सब-प्लान प्रस्तुत करते में

(श्री नाथूराम)

आदिवासियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसमें आदिवासियों का प्रतिनिधि भी रखना चाहिए ताकि स्थानीय समस्यायें हल हो सकें। पुर्नविचार कर सब प्लान बनाना चाहिये। पत्रकारों ने भी सब-प्लान के बारे में एक लम्बा चौड़ा लेख राजस्थान पत्रिका में छापा था, इस पत्रिका के सम्पादक को मैं धन्य-वाद दूंगा, क्योंकि सारी स्थिति राज्य सरकार को बता दी थी कि आदिवासियों के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं समाज कल्याण मन्त्री से निवेदन करता हूं, यह सब-प्लान आदिवासियों के हित के लिए बनाया है, इसको रिवाइज करके सही तरह से बनाना चाहिये ताकि आदिवासियों का उत्थान हो सकें।

राज्य सरकार की तरफ से, केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो रुपया खर्च होता है, वह सामाजिक कामों में उपयोग होता है। मैं राज्य सरकार को निवेदन करता हूं कि एक निगम की आवश्यकता है। यदि निगम हो तो वह रकम की बराबर जांच करे और दिक्कत नहीं हो।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जो स्कीम है, जिनकी दूसरे विभागों को रकम दी जाती है लेकिन समाज कल्याण विभाग के अन्दर कोई लेखा नहीं जाता है।

सर्विस के अन्दर जो 28 पर्सेंट का रिजर्वेशन है, उसका समाज कल्याण में पालन नहीं होता है तो दूसरे विभागों से क्या पालन करायेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं समाज कल्याण मंत्री को निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार कानून अच्छे बनाती है, लेकिन उनका पालन अच्छा नहीं होता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा एक आदिवासी क्षेत्र है, वहां आज भी सागड़ी प्रथा चल रही है। तो कम से कम विभाग सर्वे करे कि राज्य में कितने जिलों में सागड़ी प्रथा चल रही है। इस प्रकार यह जो समाज के माथे पर कलंक है इसको मिटाना चाहिये। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। विभाग द्वारा सर्वे करके सही जांच होनी चाहिये। इसके लिए मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मन्त्री को निवेदन करता हूं, सभापति महोदय!

सभापति महोदय, इसी तरह से श्रम और रोजगार के विभाग के बारे में कटौती के प्रस्ताव हैं, उसके बारे में कुछ निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जति के लिए भारत सरकार ने सैल की स्थापना के लिए ड्राफ्ट-प्लान में प्रपोजल की स्वीकृति दी थी। राज्य सरकार ने हटा कर ऑफिसरों में वृद्धि की, तथा व्यय बढ़ाया ऑफिसरों को बढ़ा कर रख दिया। इससे आपके द्वारा निवेदन करता हूं, भारत सरकार जो चाहती है उस काम का पालन करना चाहिये तथा जो पद स्वीकृत किये हैं उन पर पुनः विचार स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार होना चाहिए।

आदिवासी क्षेत्र के लिए ग्रामीण नियोजन केन्द्र खोलने का पिछले साल सुझाव दिया था, लेकिन ग्रामीण नियोजन केन्द्र अभी तक नहीं खोले हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण नियोजन केन्द्र खोलने चाहिये।

(श्री नाथूराम)

इस हाउस में पिछले सत्र में समाज कल्याण मन्त्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूं, जो श्रम विभाग में 1973 में 6503 नाम लिखवाये, 1974 में 8049 के नाम लिखवाये, काम पर लगाये 881, 1973 में। 1974 में 887 काम पर लगाये। बेरोजगार पंजीकृत हुए 6595, 1973 में 1974 में 4448 पंजीकृत हुए। इस तरह से यह 11 पर्सेन्ट का है, वह भी पालन नहीं हो रहा है। सभापति महोदय इसी तरह से कुल नियोजित हुए 18 हजार उसमें से 11 पर्सेन्ट के हिसाब से 1800 काम पर लगने चाहिए लेकिन केवल 900 लोगों को ही लगाया है, यानि साढ़े पांच पर्सेन्ट का पालन हुआ है। सभापति महोदय, आज हजारों की संख्या में कई तरह के रोजगारों पर लगाया जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट विभाग के थ्रू नहीं लगाया जाता है, डाइरेक्ट लगाया जाता है। इसलिए आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं, कम से कम बेरोजगारी की समस्या है, उसमें नियमों का पालन करना चाहिए। बांसवाड़ा में माही डेम करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वहां 70 वैकेन्सी थी, डाइरेक्ट भर्ती कर रहे थे। जब मुझे मालूम हुआ तो माननीय मुख्य मन्त्री को, इरिगेशन मन्त्री को, डाइरेक्टर एम्प्लॉयमेंट विभाग को पत्र लिखे, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला है, और वह डाइरेक्ट भर्ती कर रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं, बेरोजगारी की आदिवासी क्षेत्र में समस्या है, वहां कम से कम सरकार के नियमों का ठीक से पालन करना चाहिए एवं जांच होनी चाहिए।

राज्य सरकार के मार्च, 1973 की तुलना में 28 हजार कर्मचारियों की वृद्धि हुई है, वह भी डाइरेक्ट वृद्धि हुई है, इसका एम्प्लॉयमेंट विभाग को पता नहीं है, कितनी इसमें भर्ती की गई है (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। सभापति महोदय, इसलिए जो बेरोजगारी की समस्या है, आज आदिवासी क्षेत्र में कई पढ़े-लिखे लड़के मारे-मारे फिरते हैं। इसलिए बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विभाग को नियमों का पालन करके धन्धे पर लगाना चाहिए।

इसी तरह से सभापति महोदय, यह परिवहन विभाग के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव है, उसके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। जो विभाग का पुनर्गठन हुआ, उसका मैं स्वागत करता हूं। सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया, जिसके लिए मन्त्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन पिछले बजट के समय निवेदन किया था, हमारी बसों में काफी टैक्सेज की चोरियां होती हैं। आपके विभाग के कर्मचारी हैं वह देखते नहीं है। पिछले अधिवेशन में मैंने प्राइवेट बसों की, मय नम्बर, लम्बी चौड़ी लिस्ट हाउस में बतायी थी लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। आज लाखों रुपयों की चोरी होती है, प्राइवेट बस मालिक हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, एक से अधिक परमिट ले लेते हैं। आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम एक व्यक्ति को एक परमिट

(श्री नाथूराम)

मिलना चाहिए, अधिक परमिट नहीं मिलने चाहिए। आज डूंगरपुर-बांसवाड़ा में कई पढ़े-लिखे नौजवान मारे-मारे फिरते हैं लेकिन कण्डक्टर की जगह पर भी उनको नहीं लिया जाता है तो कम से कम जो बेरोजगार हैं विभाग उन आदिवासी नवयुवकों को कण्डक्टर की जगह पर लगाए। राष्ट्रीयकरण के लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूं लेकिन आज रतलाम-बांसवाड़ा, इन्दौर-बांसवाड़ा रूट पर यात्रियों के लिए अव्यवस्था है। अगर माही प्रोजेक्ट के यात्री या कर्मचारी जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है तो वहां से बस छूट जाती है। जब इन्दौर से बस आती है भरी हुई हो तो उसमें भी यात्रियों को जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि रतलाम से बांसवाड़ा या इन्दौर से बांसवाड़ा एक-एक बस प्रातः शाम बढ़ानी चाहिए। इसी तरह से जयपुर से बांसवाड़ा सुबह बस चलती है। बांसवाड़ा से शाम के समय और जयपुर से बांसवाड़ा के लिए दो-दो बसें बढ़नी चाहिए ताकि यात्रियों को कुछ सुविधा मिल सके।

बसों में किराये की चोरी होती है। जिस बस में 42-44 की कैपेसिटी होती है वहां भी बस भरी हुई जाती है तो टिकिट नहीं दी जाती है. प्राइवेट बस मालिक ऐसे कण्डक्टरों को ही रखते हैं सरकार का नुकसान होता है। हजारों रुपयों का दुरुपयोग होता है, इन्सपेक्टर देखते नहीं हैं इसलिए कम से कम व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा आदिवासी यात्रियों से मनमाने पैसे ले लेते हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें। प्रोफेसर केदार!

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मान्यवर, सुझाव के रूप में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में महाराष्ट्र ने एक एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी स्कीम बनाई है तो मैं श्रम मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कीम को स्टेडी करने के बाद आप भी कैबीनेट में खास तौर से वित्त मन्त्री को राय दें ताकि ऐसी कोई स्कीम यहां भी बने। पिछले साल उन्होंने 20 करोड़ एलॉट किया अब 50 करोड़। उसके रिजल्ट्स अच्छे निकले हैं।

दूसरी बात, जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है उसमें अगर पिछले 10 साल को देखें तो कितनी नई भर्ती की गई है। कुछ जिलों ने तो भर्ती में मोनोपोलाइज किया है। इसमें बेसिक चैंज लानी पड़ेगी। कुछ जिलों में तो 10 साल में एक भी पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं ले सका। अगर यह इम्बैलेंस बढ़ेगा, डिसपैरिटी बढ़ेगी, बैकलॉग बढ़ जाएगा उन जिलों में तो सीरियस समस्या पैदा हो जाएगी।

तीसरी बात लेबर के बारे में कहनी है। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के बारे में जो बेसिक इश्यूज थी उनको नई डाइरेक्शन्स देने की बात की है, उसकी तो मैं तारीफ करता हूं मगर पिछले सालों में जितने रिट्रेंचमेंट हुए हैं, जितने ले ऑफ केसेज हैं उनमें लॉकआउट और क्लोजर्स के केसेज कम नहीं हैं। जो इण्डस्ट्री लॉकआउट करे और एक साल के बाद खुल जाए तो वहां लेबर एम्प्लॉई उसको करना चाहिए। आप न

(श्री केदारनाथ)
उसका लायसेंस सस्पेंड करते हैं, न कोटा सस्पेंड करते हैं, सरकार से लोन लेता रहे और साल भर बन्द करने के बाद जो पुराना लेबर है उसको निकालकर नया रिक्रूट करने के लिए ऐसा करते हैं, यह केवल ट्रेड यूनियन मूवमेंट को खत्म करने के लिए है, पुरानी एग्रीमेंट्स को बाईपास करने के लिए। ऐसे काम करने के लिए आपको कभी लाकआउट की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब भी काफी कारखाने लाकआउट और क्लोजर्स में हैं।

दूसरी चीज, आपने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से इमरजेंसी केसेज में इस्तेमाल करने के लिए आपने कहा है। अगर प्रॉपर्टी या लाइफ सेफ गार्ड करने के खयाल से करते तो ठीक है। अगर वह ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग पॉवर और लेबर की मिलीट्सी को समाप्त करने में वह फोर्स इस्तेमाल करें तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन्स नहीं सुधरेंगे। आपके देखा देखी प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने डिटेक्टिव वाच एण्ड वार्ड के सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती कर दी। मैं एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा था। यह दैनिक नवज्योति के पहले पेज पर है कालियाथ डिटेक्टिव एजेन्सी। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपने सिक्योरिटी फोर्स के नाम से वाच एण्ड वार्ड बाहर के लोगों को भर्ती करे पुराने वाच एण्ड वार्ड को निकाल दें क्योंकि एग्रीमेंट के अनुसार उनकी तनख्वाह ज्यादा है, नई भर्ती करें तो उनका एक्सप्लाइटेशन होगा। बाहर से आने के बाद पुराने आदमी आप निकाल दें, वाच एण्ड वार्ड में भर्ती करने के बाद ट्रेड यूनियनिज्म को ब्रेक करने के लिए, दरार पैदा करने के लिए तो राजस्थान में औद्योगिक सम्बन्ध नहीं सुधरेंगे।

आपने नए एक्सपेरीमेंट्स शुरू किए जोइंट मैनेजमेंट्स काऊंसिल्स के नाम से। यह काफी दिनों से मांग थी। शुरूआत के लिए स्वागत है। लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है। अगर मालिक केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए, वर्कलोड बढ़ाने के लिए, इन काऊंसिल्स का इस्तेमाल करें तो डेंजर्स ट्रेंड पैदा हो जाएगा। आप इसका स्कोप बढ़ाकर जो फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, उनमें भी इनका इन्वाल्वमेंट हो तब जाकर ये काऊंसिल्स सफल होंगी। प्राइवेट सेक्टर वाले जिस प्रकार से आपने अकाउंट्स रखते हैं, प्रॉफिट्स का मैन्युपुलेशन करते हैं, अगर बीच में उनको पीक करने की इजाजत नहीं होगी तब तक लेबर का सही इन्वालवमेंट नहीं होगा।

आपने पिछले वर्ष घोषणा की थी नेशनल होलीडेज के बारे में और केजुएल लीव के बारे में। नया बिल आपने इन्ट्रोडयूस करके शायद केंद्र का क्लीएरेन्स के लिए आपने भेजा है, मालूम नहीं उसकी क्या पोजीशन है। क्लीएरेन्स आपको किन चीजों में मिलेगी कब मिलने की आशा है, यह आप अपने जवाब में कहेंगे।

आपने पिछले साल कहा था कि जो नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल लोक सभा में पेश होगा। आज वह किस स्टेज पर है, कब इन्ट्रोड्यूस होगा, उसके पैटर्न पर आप अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन्स में क्या सुधार करने जा रहे हैं और कैसे विजूलाइज करते हैं, उसकी तस्वीर भी आजाए।

(श्री केदारनाथ)

यह सही है कि आपने मिनीमम वेजिज का स्कोप बढ़ा दिया। आज सारे राजस्थान में जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वे उनके ऑर्बिट में हैं, यह तो स्वागत योग्य है। माथुर कमेटी के बाद ओम प्रकाश कमेटी का आपने निर्माण किया, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या हैं, वह कब तक अपनी रिपोर्ट देगी? आप प्राइस स्पाइरल पर एक पाइंट पर 60 पैसे देते हैं और लेबर की मांग थी फुल न्यूट्रलाइजेशन की। यह ऑल इंडिया बेसिस पर मांग चल रही है तो आपके दिमाग में कहां तक इसका टार्गेट है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में? आपने कोई डाइरेक्शन्स दी हैं तो जवाब में कहेंगे।

जितने भी केसेज आज पेश हुए हैं ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के, ले ऑफ के लिए अब तो 50 प्रतिशत आप काम्पेंन्सेट करते हैं, आपने कहा था कि 60 परसेंट तक हम काम्पेंन्सेट करना चाहते हैं, उसका आपने क्या किया? आपने अपनी घोषणा में यह भी कहा था और हमने खुशी मनाई थी कि जितने लेबर कोर्ट्स हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चैंजिंग लायेंगे। जहां तक जुडीशियल अधिकारी उनको मैन करते हैं हम उनके इन्टेग्रेटी में विश्वास करते हैं मगर लेबर लॉज के बारे में सही इन्टरप्रेटेशन हो और सही फैसला हो इसलिए केवल जुडीश्यल डिसीशन्स की बात नहीं होती जिन लोगों को इन लेबर डिस्प्यूट्स के मामले में जिनका रिच अनुभव है चाहे वकील हों, आपके आफीशियल्स हों, उनका एपाइंटमैंट करें तो इन्टरप्रेटेशन और डिस्पोजल के लिहाज से अच्छा होगा।

इसमें शक नहीं कि आपने मिनीमम वेजिज को रेज किया मगर आज जिस तरह से कीमतें दो महीने में गिरी हैं, मगर यह प्राइस स्पायरल कम होने वाला नहीं है। जैसे सारे देश के हालात हैं प्रॉडक्शन की हालात और एग्रीकल्चरल सेक्टर की हालात तो वापस प्राइसेज बढ़ेंगे, उस समय ये 130) काफी नहीं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इन सब के कानूनों को देखकर आप संशोधन करेंगे तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे।

जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा था शाप्स एक्ट के बारे में, इसके स्कोप को एक्सटैंड करने की बात आपसे कही थी। अब 10 हजार की आबादी वाले शहरों में शॉप एक्ट लागू है। हमारे यहां कुछ मंडियां ऐसी हैं जिनकी आबादी तो दस हजार से कम है लेकिन मंडी के रूप में इवाल्व हुई हैं और वहां पर आपको शॉप्स एक्ट का स्कोप एक्सटेंड करना चाहिए तो वहां के लोगों को फायदा होगा। और टाइमिंग्स के बारे में मुझे यह कहना है कि बारबर्स के बारे में जो टाइमिंग्स हैं उनमें तो आपको रिलेक्सेशन करना पड़ेगा क्योंकि सभी एम. एल. एज. का भी काम पड़ता है।

बोनस एक्ट पहले को-ऑपरेटिव बैंक्स से भी लागू था, अब पता नहीं आपने किसकी राय लेकर को-ऑपरेटिव बैंक्स को उससे एग्जेम्प्ट किया है। बोनस एक्ट चार साल से लागू था और वह एक सेन्ट्रल एक्ट है जिसके अन्तर्गत 20 पर्सेन्ट तक बोनस मिल सकता है।

समाज कल्याण के बारे में मुझे निवेदन करना है कि हमारे जो केबिनेट के मेम्बर्स हैं उनको इन्टर कास्ट मैरेजेज के

(श्री केदारनाथ)

लिए शुरूआत करनी चाहिए। मेरा तो कोई लड़का-लड़की है नहीं वर्ना मैं शुरूआत कर देता। तो मन्त्री महोदय····

एक माननीय सदस्य : आप अब शुरू कर दो।

श्री सभापति : प्रेरणा दे रहे हैं।

श्री केदारनाथ : हॉस्टिल्स के बारे में मुझे निवेदन करना है कि हॉस्टिल्स अलग नहीं होनी चाहिए। इससे एग्रीगेशन की भावना बढ़ती है। आपको जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हॉस्टिल्स हैं वहां जनरल लड़के भी दाखिल कीजिये और जो जनरल हॉस्टिल्स हैं वहां पर आप इन कास्ट्स के लड़कों को प्रवेश दीजिए। तब जाकर आपका इमोशनल इन्टीग्रेशन हो सकता है।

एक यह भी निवेदन है कि जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं आप उनको हिदायत दीजिए कि वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए स्थान सुरक्षित रखें, कुछ कोटा फिक्स कर दें। ऐसे पब्लिक स्कूल्स में बड़े आदमियों के लड़कों के सिवा कोई नहीं पढ़ सकता। हम सेक्रेटेरियेट जाते समय कई बार गुजरते हैं सेन्ट जेवियर स्कूल के पास। एक दफा मैंने गुजरते हुए एक लड़का देखा, किसी चपरासी का लड़का था, नंगे पांव, और उसका मुंह और आंखें भी साफ नहीं थी और बासी रोटी खाकर खड़ा था। इतने में ही एक कार आई, जिसमें से एक लड़का बाहर आया, साथ में एक चपरासी भी था जो उस बच्चे को लेकर स्कूल में गया। मैंने बाहर खड़े बच्चें से पूछा कि यह कौन है, तो उसने कहा कि यह बाबू का बच्चा है। तो इस तरह से इमोशनल इन्टीग्रेशन नहीं होने वाला। चपरासी का लड़का बड़ा होकर चपरासी ही बनेगा और हो सकता है शायद एल. डी. सी. बन जाये। और उस बाबू का लड़का जाकर कोई आई. ए. एस. या और कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। तो समाज में बेसिक चेन्ज लाकर ही हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रोटी कमाने के जरिये में चेन्ज ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, बावरी जाति जो बीकानेर डिवीजन में तीन जिले, जयपुर डिवीजन में, झुंझुनू, सीकर जिले, जोधपुर डिवीजन में नागौर जिले जो इन 6 जिलों में आबाद हैं और शिड्यूल्ड कास्ट हैं पर न तो उन्हें शिड्यूल्ड कास्ट और न ही उन्हें शिड्यूल्ड ट्राइब्स में ही रखा। मेरा निवेदन तो इतना सा ही है कि इसमें सुधार किया जावे और बावरी जाति को या तो शिड्यूल्ड कास्ट में या शिड्यूल्ड ट्राइब में किसी भी जाति में आप रखें पर इन्हें रखा जरूर जावे। इसके अलावा थोड़ा मैं वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जिस असहाय पेन्शनर के पास भूमि होती है और उसे यह कह कर पेन्शन की सहायता मंजूर नहीं की कि उसके पास भूमि है ऐसी थोड़ी भूमि जिससे उसका काम नहीं चलता और हम भी वास्तव में वृद्धावस्था पेन्शन इतनी नहीं दे पाते कि उसका जीवन यापन हो सके। तो ऐसे मामलों में भूमि होने को आधार मानकर उनको पेन्शन नहीं दी जाती है यह कोई सही औचित्य नहीं है

(श्री लूणाराम)

इसलिये इसमें मेरा इतना सा ही निवेदन है कि नियमों में ऐसी भूमि होने की छूट दी जावे।

अब थोड़ा, मैं कोऑपरेटिव बैंक जो सिंचाई के लिये इस जाति के लोगों को कर्ज देती है और 10 एकड़ तक जमीन पर किसान जो कर्ज लेता है उस कर्ज की ब्याज की छूट विभाग से है। मेरा निवेदन यह है कि भूमि का मूल्यांकन करके कर्ज दिया जावे। हमारे उधर 25 बीघा भूमि पर कर्ज दिया हो नहीं जाता है लेकिन उतना उसका मूल्य नहीं बनता है। इसलिये जितनी भूमि पांच हजार तक कर्ज देने की हैसियत रखती है भूमि जिनके पास हो और 5 हजार तक बैंक ऋण देते हैं तो इस सारी रकम पर किसान को छूट होनी चाहिये।

अदालतों के अन्दर जो हमारी व्यवस्था होती है राज्य सरकार द्वारा कानूनी सलाहकारों की, हरिजनों को पैरोकारी सहूलियत देती है इस जाति को पूरी तरह से नहीं मिलती है। इसलिये अदालतवार वकील मुकर्रर कर दिये जाने चाहिये। न कि पर्टिक्यूलर केसवार वकील किये जायं। ऐसा करने से हरिजनों को हर केस में सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा, समाज कल्याण बोर्ड आज कोई वर्क नहीं कर रहा है इसलिये मेरा इस बारे में इतना सा ही निवेदन है कि इस विभाग को या तो कार्य करे ऐसा बनाया जाय अन्यथा समाप्त किया जाना चाहिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। छात्रावासों में सुधार के लिये इतना सा ही निवेदन है कि ऊंची क्लासेज के लिये तो छात्रावासों की अच्छी व्यवस्था है पर अब छोटी क्लास में आप ठीक तरह से व्यवस्था नहीं करोगे वही होगा कि न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी। हमें प्राईमरी एज्यूकेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर प्राईमरी एज्यूकेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर क्लासेज में लोग कैसे जायेंगे। इसमें मेरा थोड़ा सा यही निवेदन है कि अकाल के क्षेत्र में प्राईमरी क्षेत्र में पढने वाले बच्चे अपने मां बाप के साथ चले जाते हैं तो मैं यहां इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग को चाहिये कि हर परिवार में से एक छात्र को पढने का पूरा खर्चा राज्य सरकार को देना चाहिये इसे कंपलसरी कर दिया जाना चाहिये। जयन्ती गांवों में जो 12-12 हजार छः परिवार के लोगों को रुपये मकान बनाने के लिए दिये गये। उससे वास्तव में दरिद्रनारायण का उद्धार हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह आगे भी इस प्रकार की प्रणाली को जारी रखें। जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं, बेरोजगार हैं उन्हें भी यह सहायता दी जानी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि उसमें सुधार किया जावे।

हाउसिंग बोर्ड के अनुदान की व्यवस्था के बारे में मेरा इतना सा ही निवेदन है कि यह अनुदान राशि जितने लोगों को मिलनी चाहिए पूरी मिल नहीं पाती है वह ज्यादा लोग होने से बंट जाती है अनुपात की दृष्टि से। तो इसमें ऐसा होना चाहिये कि आप इसमें ऐसी व्यवस्था करें कि उतनी ही सोसाईटीज को रजिस्टर्ड करें जितना की आपके पास पैसा है ताकि लोगों को पूरा पैसा मिल सके। अब थोड़ा मैं असहाय व बीमारियों के बारे में निवेदन

(श्री लूणाराम)

करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, असहाय व बीमारियों से जब इन गरीब लोगों को टी. बी. हो जाती है तो वह पैसों की कमी के कारण पेट की भूख के कारण वह लोग पूरा इलाज भी नहीं करा पाते हैं तो ऐसी बीमारियों में जैसे कि टी.बी. है और ऐसी बीमारियां हैं जो कि मुश्किल से ठीक होती हैं उनके लिए यानि असाध्य बीमारियों के लिए हरिजन व्यक्तियों को नकद मदद दी जानी चाहिए । इसमें बस इतना ही सुधार कर दें ।

नियोजन के बारे में मेरी मान्यता है कि आज हमारे यहां पर बेरोजगार लोगों के टोले के टोले इधर उधर घूमते नजर आते हैं इसका कारण यह है कि भर्ती की जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है । उसमें सन्तुलन नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि हैड ऑफ डिपार्टमेंट से उनमें सीधी भर्ती बन्द कर देनी चाहिये और जिलास्तर जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी हर जिले में बनायी जानी चाहिये और बाद में ऐसे चयन सभी जिलों से समान अनुपात के आधार पर राज्यव्यापी कार्यालयों के लिये किये जाने चाहियें जिससे कि सन्तुलन बना रहे अन्यथा और जिले के लोगों को कभी भी इस प्रकार से मौका नहीं मिलता । माननीय मंत्री महोदय प्रगतिशील मंत्री हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि बेकारों और खास तौर से शिक्षित बेकारों का सदुपयोग होना चाहिये । जिलास्तर के देखरेख के लिये कमेटी बन कर उनका चयन किया जाय तो अच्छा रहेगा ।

इसी प्रकार से श्रम के बारे में इतना सा ही निवेदन है कि श्रम विभाग की ओर से मजदूरों का जो भी काम आप लेते हैं, हमारा इलाका एक फसली इलाका है । 6 महीने काम होता है और 6 महीने खाली बैठे रहना पड़ता है । सरकार की ओर से कोई न कोई उनके लिये काम की व्यवस्था करायी जाय, 6 महीने किसान या किसान मजदूर बेकार रहते हैं उनको किसी न किसी प्रकार का कार्य मिलता रहे और जिससे वे बेकार न रहें ।

इसके साथ साथ आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

(6.31 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

श्री सभापति : श्री केसरीमल ।

श्री गौरीशंकर : हम चार घंटे से यहां पर बैठे हैं उनको तो आप समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री सभापति : आपको इनके बाद समय मिलेगा ।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, मैं श्रम विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों के साथ और उनके सम्बन्ध में जो ज्यादतियां की जा रही हैं उनसे उनको छुटकारा नहीं मिला है । बाजार भाव देश में लगातार बढ रहे हैं, जखीरेबाज लोगों ने इस तरह से लूटा है कि हर वस्तु के भाव आसमान में चढ गये और वस्तु का मिलना दुर्लभ हो गया और मजदूरों और कर्मचारियों को किसी प्रकार से जिन्दा रहने के लिये

(श्री केशरीमल)

संघर्ष करना पड़ा और मजदूर अधिक वेतन की मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि कहां से दें। सरकार कहती है कि अधिक देने से और मंहगाई बढती है। किसी तरह से मंहगाई भत्ता दिया लेकिन उसको भी सीधा जमा करने की घोषणा कर दी। मुनाफा खोरों को मुनाफाखोरी से तो रोका नहीं बल्कि मजदूरों और कर्मचारियों के बढे हुए भत्तों को जमा कर लिया। आज कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ रही है, दो नम्बर का पैसा बढ रहा है, दो नम्बर का मुनाफा बढ रहा है, एक नम्बर का भी मुनाफा बढ़ रहा है उस पर तो सरकार ने रोक नहीं लगायी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता है, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी जो बढा हुआ पैसा नहीं मिलता है उसको रोक कर सरकार ने खजाने भरने की कोशिश की है। पहले कमेटियां बैठती थीं, वेज बोर्ड बैठता था लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं का सरकार ने बालाए ताक रख दिया और किसी उद्योग में यदि मजदूरों के मंहगाई बढाने के लिये कमेटी है तो उन सबको भी रोक दिया गया। एक तरफ बढ़ा हुआ पैसा नहीं देंगे, एक तरफ पगार बढाने की बात चले तो कमेटी नहीं बैठायेगी और ऐसी स्थिति का निर्माण करेगी जिससे मजदूरों को संघर्ष में आना चाहिये और मजदूर संघर्ष पर आता है तो उसका अमानुषिक दमन होता है, चाहे वह रेल्वे की हड़ताल हो, चाहे अन्य कोई आन्दोलन हो, और सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। हम विधान सभा में कहते हैं कि काफी अच्छा काम किया, उनके सिर फोड़े उनके हाथ पांव तोड़े, उनके कपड़े फाड़ दिये, उनके घरों में घुस कर उनके बीबी और बच्चों को पीटा और हमने हड़ताल को खत्म कर दिया। सरकार पैसा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं और बढ़ा हुआ वेतन है, भत्ता है वह भी देने के लिये तैयार नहीं। आखिर मजदूर को कहां ले जाना चाहते हैं? यह सरकार सरमायेदारों की तरफदारी करके उनकी भलाई की बात करती है और कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। आज सरमायेदार ज्यादा पैसा कमा रहा है और गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब होता जा रहा है। जब मंहगाई भत्ता दिया और रुपया जमा कराने की बात आयी मंत्री महोदय फर्मा रहे थे कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फेक्टरी ने बोनस की रकम को 12 पर्सेंट ब्याज पर ले लिया है। आपके और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा। फिर तो हर एक सरमायेदार कहेगा कि वेतन, मंहगाई भत्ता, बोनस सब जमा कराते जाओ और ब्याज लेते जाओ और चक्रवर्ती लेते जाओ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय सभापति महोदय, शायद हाउस में कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है। माननीय सदस्य जारी रखिये।

श्री केशरीमल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार ने यह रास्ता पकड़ा है। किसान के घर पर फसल आयी और घर पर लाकर दिया तो उसने अपनी बीबी से बात की कि 11 महीने का खाने का है। 11 महीने इससे निकाल सकते हैं 1 महीने के लिए और प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बीबी चतुर

Page No 175

(175) (175)

(श्री केशरीमल)

थी। उसने कहा कि एक महीने भूख हड़ताल करेंगे और 11 महीने खायेंगे। सरकार कहती है उसी तरह से कि आपको दो साल के बाद यह जमा हुआ पैसा मिलेगा। तब तक सबको पूरी तरह से भूख हड़ताल करवा कर राम राम करा दे और बाद में खाने के लिये दे और कोई दूसरा ही खाये। इस तरह से यह सरकार हर सूरत में मजदूरों को मजबूर करने के लिये है। यह सरकार मजदूरों को और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। आज सरकार की यह स्थिति हो गयी है। रोजगार देने के लिये कारखाने खोल नहीं सकती। उनके पास में साधन ही नहीं है कि वह लोगों को रोजगार दे दे।

माननीय सभापति महोदय, जो सरकार पूंजीवादी रास्ते से जावेगी, चलेगी, निश्चत रूप से मुनाफा आने वाला है वह सरमायेदारों के हाथ में जाने वाला है। वे लोग उनको अपने निजी काम में लेंगे और कारखाने में लगायेंगे नहीं। कारखाने राजकीय क्षेत्र में खोलें। बड़े लोगों को मत दें। सार्वजनिक क्षेत्र में खोलें और छोटे 2 लोगों को दें। बाहर जो रुपया जा रहा है, मुनाफा विदेशी ले जा रहे हैं वह यहीं रख सकते हैं। बाहर की जो पूंजी लगी हुई है उसका राष्ट्रीयकरण कर और कारखाने लगें जिससे लोगों को रोजगार मिले बेरोजगारी दिन ब दिन बढ रही है वह कम हो और लोगों को काम धन्धा मिले, रोजगार मिले। लेकिन इस सरकार की यह क्षमता नहीं है नये नये लोगों को काम में लगायें। पढ़ कर निकलने वाले विद्यार्थी किस प्रकार से निकल रहे हैं उसके ऊपर मैं आज कोई टीका नहीं करने चाहूंगा।

लेकिन सरकार की नीति पलट ही नहीं रही है। चाहे नियोजन विभाग हो और कोई विभाग हो, चाहे कारखाने हों, सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकार ने एक व्यवस्था कर दी है कि लोगों को डेली वेजेज पर रख दिया है। वही काम एक परमानेन्ट व्यक्ति करता है जो काम डेली वेजेज पर करने वाला करता है, उतना ही प्रोडक्शन वह देता है जितना परमानेन्ट आदमी देता है। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उसको परमानेन्ट नहीं डेली वेजेज पर निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए रख लेते हैं। लगातार मांग की जा रही है कि यह केजुअल है कि यह क्या बला है। इसको समाप्त कीजिये। आपने मजदूरों को अपने अधिकारों से इस प्रकार से वंचित किया है। सरकार अपने डिपार्टमेंट में ही व्यवस्था लागू नहीं करेगी तो प्राइवेट वालों से कैसे करवा सकेगी?

माननीय सभापति महोदय, इस समय, देश के पूंजीपतियों ने एक और नया रास्ता निकाला है और वह यह है कि अब कम प्रोडक्शन करके ज्यादा प्रोफिट कमाया जाय और अपने अधिकांश कारखाने बन्द कर रहे हैं चाहे वह वेजीटेबिल का हो चाहे सीमेंट का हो, प्रोडक्शन कम करके ज्यादा ब्लेक करके ज्यादा कमाना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार में ताकत नहीं है कि बन्द किये हुए कारखानों को चलवा सके। मजदूर बेकार होता है, देश की हालत खराब होती है लेकिन सरकार नहीं कर पाती है मजदूर ने हड़ताल की तो गुनाह

(श्री केशरीमल)

हो गया लेकिन मालिक ने उसके कमाये पैसे को रख लिया अमानत में खयानत कर दी तो उसका कुछ नहीं होगा ...

(6.41 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नीति की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। आज उन मजदूरों को जो तनख्वाह मिल रही है उससे उनका गुजारा होना मुश्किल हो रहा है।

कई उद्योगों में ऐसे लोगों को बैठाया है जो दूसरी यूनियन के लोगों का फिक्सेशन नहीं होने देते हैं, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट है आर. एस. ई. बी. में इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। वे लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि इन्टक के लोगों का तो किसी तरह फिक्सेशन हो जाय, प्रमोशन मिल जाय लेकिन जो दूसरे लोग, दूसरी यूनियन से सम्बन्धित हैं उनको प्रमोशन नहीं मिले, यह हो रहा है हमारे राजस्थान के श्रम विभाग में यह बहुत हो रहा है। मैं कहता हूं ऐसी यूनियन को फिर गैरकानूनी करार देना चाहिये। अगर मजदूर ने गलती की है और वह अदालत में जाना चाहता है तो उसको अदालत में नहीं जाने देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों का खासकर इन अदालतों ने सत्यानाश किया है। ये इन्डस्ट्रियल ट्रिबुनल और कोर्ट इसलिये थी कि न्याय मिले लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब इनमें न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इन दो सालों में कितने केसेज किये, रेफरेन्स के कितने केसेज आये और कौनसे फैसले किये तो आपको मालूम हो जायेगा कि उन्होंने क्या किया है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दौर में एक ही वकील के केसेज निपटे हैं, इसका बहुत रहस्य है और वह भी देखा जाय तो मैं समझता हूं राडवेज के केसेज हैं। यह तालमेल बैठाया हुआ मामला है। मैंने निवेदन किया माननीय मंत्री जी से कि इस तरह की व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। इस न्याय में जो आदमी बैठा है विधान सभा में भी उसका मामला उठाया गया था कि यह आदमी वहां नहीं बैठना चाहिए। जब सेक्रेटेरियट में थे तब भी बातें उठाई गई थीं और यह हो गया था कि कम से कम ऐसा आदमी ट्रिब्यूनल में नहीं जाये तो अच्छा हो। ऐसे आदमी को बैठायें जो हाई कोर्ट के जज के स्तर का हो लेकिन यहां तो रिटायरमेंट होने वाले आते हैं और कुछ दिन रहकर चले जाते हैं। वे सोचते हैं हमको तो कुछ समय काटना है और साथ में यह भी सोचते हैं रिटायरमेंट हो गया तो वापिस कैसे चिपका जाय तो फिर किसी न किसी नेता की देखरेख में चलते हैं, उनकी मरजी माफिक चलते हैं क्योंकि उनको वहां चिपका रहना है तो क्यों नहीं स्थायी लोगों को वहां लगाया जाता है।

मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि क्यों नहीं इसको तीन-चार क्षेत्र में बांटा जाय। एक ही जगह रखने से एक लेबर कोर्ट कितने केसेज निकाल सकती है यह तो आप स्वयं अन्दाजा लगा लें और फिर वहां भी

(श्री केशरीमल)

ऐसे लोग फिरते हैं जो निपटाना नहीं चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर अदालतों का हाल इस तरह का हो जायगा तो मजदूर कहां जायेंगे? एक साल रेफरेन्स के लिये जायगा, तीन साल हाई कोर्ट में जायगा और फिर तीन साल सुप्रीम कोर्ट में जायगा। इस तरह वह मजदूर बेचारा 12 साल बाद फैसला लेकर आयेगा तो, मैं समझता हूं, 12 साल बाद मजदूर मर जाता है, 12 साल बाद कानून की परिस्थितियां बदल जाती हैं। मजदूर विक्टिमाइज हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़े तो फिर कहते हैं कारखाने वाला पलट गया। 12 साल लड़ने के बाद यह कह दें कि पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि कारखानेदार पलट गया। आखिर मजदूर जायगा कहां, कहां? उसे न्याय मिलेगा?

हमने कोशिश की मजदूरों से जो सम्बन्धित विभाग हैं वे ऐसे चलें लेकिन हालत ऐसी कर दी कि उनका स्वयं का प्रोविडेंट फण्ड का पैसा निकालना पड़े तो किसी खास व्यक्ति को ले जाना पड़ता है और जब तक वह खास व्यक्ति, निकालने वाला व्यक्ति और जो बाबू डील करता है तीनों किसी होटल में जाकर नहीं मिलें तब तक पैसा नहीं निकाल सकता है। लक्ष्मी मिल में डेढ़ साल से इस प्रकार के केसेज पड़े हैं और आज हालत यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई मजदूर छुट्टी पर जाये तो उसको छुट्टी का सर्टिफिकेट चाहिये, वापिस काम पर जाय तो उसको काम का सर्टिफिकेट चाहिये और जब तक डॉक्टर की भेंट पूजा नहीं हो जाती है वह सर्टिफिकेट नहीं देता है। प्रोविडेन्ट फण्ड के मामलों में भी ऐसा होता है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर मजदूर जायं कहां? मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आज चाहे कनवर्सन के केसेज हों मजदूर मर गया और उसका निपटारा 7 साल तक नहीं हुआ। कोई मजदूर मर गया उसके पैसे तीन साल तक नहीं मिले तो उसके बच्चे कहां जायेंगे? इसी तरह चाहे और वेजज के पेमेन्ट के मामले हों ..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मेरा यह निवेदन करना है, एक मिनिट में समाप्त करता हूं। अगर इसको पलटने की सख्ती नहीं की तो मजदूर के सामने सिवाय सड़क पर लड़ने के और कोई चारा नहीं है। यह सरकार स्वयं इस प्रकार की समस्यायें निर्माण कर रही हैं। जब हड़ताल होगी तो डेढ़ माह तक तो सुनेंगे नहीं और जब सुनेंगे तो हड़ताल गैर कानूनी करार कर देंगे, मजदूरों पर डण्डा बरसायेंगे, मजदूरों पर लाठी चलायेंगे। इससे तो मजदूर डरता नहीं है मजदूर पर चाहे डण्डा चले चाहे गोली चले, और चाहे कुछ भी चले, वह इन बातों से तो डरने वाला नहीं है। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं हम समाजवाद लाना चाहते हैं वह तो दूर की बात है आप प्रगतिशील तरीके से ऐसा कोई रास्ता निकालें कि अदालतों में काम जल्दी निपट जाय, प्रोविडेन्ट फण्ड के मामले जल्दी सुलझ जायं, ई. एस. आई. के केसेज हों वे जल्दी निपटें, शॉप एण्ड कामर्शियल एक्ट के मामले हों जल्दी सुलझें। ये चार पांच केसेज ऐसे हैं, आपके इन्सपेक्टर्स ने धन्धा बना रखा है, किशनगढ़ में 12 घन्टे कारखाने चलते हैं। हम कहते हैं तो कहते हैं पकड़ में नहीं आते हैं, 12 घंटे

(श्री केशरीमल)

मजदूर काम करें तो फिर वह क्या कर सकता है, मिनिमम वेजेज पर करता है और उन इन्सपेक्टर्स का एक एक मशीन पर पैसा बन्धा हुआ है ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

तो मेरा निवेदन करना है अगर इस तरह करेंगे तो कैसे मजदूर जिन्दा रहने के लिये रास्ता निकालेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह न्यूनतम वेतन तय करने की बात आई तो जो न्यूनतम वेतन का जब से हिसाब निकाला और जो स्तर रखा है वह तो छोड़ दीजिये। क्या क्या चीजें ली हैं लेकिन जो हिसाब लगाया 52 में जो उसको मिलता था उसी को गिनते चले जाते हैं, उसको बदला नहीं है आज चार पांच गुणा मंहगाई बढ़ गई तो कभी उस समय 60 रुपये मायने रखते थे वे आज 250 भी मायने नहीं रखते हैं। मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये, ठीक है सरकार ने माना है कमेटी बैठाई वह चल रही है लेकिन निश्चित रूप से बात होनी चाहिये और उनको शत प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये। मंहगाई भत्ता जितना बढ़ रहा है उससे आधा मिले यह भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। मारबल, लाइम स्टोन, ए. सी. पाइप के लिये मैंने बार बार जिक्र किया है इनका मिनिमम वेजेज तय क्यों नहीं होता है? मेरे यहां मैं देखता हूं मारबल में बड़े बड़े लोग फंसे हुये हैं। ब्यावर में 150 आदमी इसमें काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही आवासीय योजना है। लेबर डिपार्टमेन्ट ने किसी जमाने में कुछ मकान बनाये होंगे और उसके बाद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिन मकानों में मजदूर रहते थे वह बीस, पच्चीस साल काम करने के बाद रिटायर हो गए और जब घर पर बैठ गये तब वह कहां जायें? उस समय उनसे कहा जाये कि तुम मकान खाली करो तो आखिर वह उस समय कहां जायें जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी काम करते करते फैक्ट्री और कारखानों में काट दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह मकान खाली करके जायेंगे जिन्होंने सारी उम्र भर काम किया और वह रिटायर हो गए और आपकी समझ के अनुसार तो वह बेकार हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह मकान मजदूरों को ही क्यों नहीं दिये जायें ताकि उनके पास मकान भी बन जायें और उनको बाहर जाने की नौबत नहीं आये। आखिर सरकार लोगों को बसाना ही तो चाहती है लेकिन इस तरह से बुढ़ापे में उनके गुदड़े तो नहीं फिकवायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यहां का सहकारी बाजार है। 18 मार्च को याने आज से ठीक एक साल पहले आज हम उसकी बरसी मना रहे हैं वह एक साल पहले बन्द हुआ और जब वह बन्द हुआ तो वहां के मजदूरों को न काम से हटाने का नोटिस दिया और न नोटिस के महीने की याने एक महीने की तनख्वाह ही दी। और कुछ भी नहीं दिया। और मजदूरों ने आवाज उठाई तो उसके लिए पंच बैठ गया और उन्होंने फैसला मजदूरों के पक्ष में दिया। लेकिन यह सरकार जिसे फैसला लागू करना है वह उस फैसले को लागू नहीं कर रही है। इसके बाद उन्होंने दुबारा फिर बन्द करने का नोटिस दिया

(श्री केशरीमल)

ताकि सब तरह की खानापूर्ति हो जाये। फिर भी न तो मजदूरों को पैसा दिया और न कुछ दिया। जब सरकार खुद ही कानून तोड़ेगी तो फिर कैसे प्राईवेट कम्पनी वालों से कानून मनवाने की बात कर सकती है ? तो मेरे निवेदन का मतलब यह है कि आज सरकार की नीति बिलकुल मजदूर विरोधी तरीके से चल रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

चाहे वह केजुअल वर्कर का सवाल हो और चाहे तनख्वाह का हो और चाहे हड़तालें तुड़वाने का सवाल हो। चाहे पुलिस के जरिये हड़तालियों के सिर फोड़ने की बात हो और इसी प्रकार और जो मसले सामने आये हैं प्रोवीडेण्ट फण्ड वगैरह के जिनमें सरकार ने लैतलाली की है और डिपार्टमेंट में मजदूरों के साथ ज्यादती हुई है !

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि मेरा यह निवेदन करना है कि बुढ़ापे की पेन्शन के बारे में पहले जिक्र चला था कि इस कानून का सरलीकरण करो लेकिन उसमें बड़ा अच्छा सरलीकरण कर दिया और अब यह कर दिया, मुझे अभी पढ़ने को नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की लेकिन मिला नहीं पहले तो यह था कि जिस दिन एप्लीकेशन दे देते थे उसी दिन से पैसा मिल जाता था लेकिन अब तो जिस दिन स्वीकृत होगा उस दिन से पैसा मिलेगा। शायद ऐसा कर दिया जाना सही है यह तो यह देखने की बात है, मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता क्योंकि मुझे शंका है। अगर ऐसा किया है तो गलत किया है और यह कहना चाहता हूं कि एस. डी. ओ. को इतना अधिकार है कि वह उस मामले को निपटाये। अब भी ब्यावर और केकड़ी लोगों को जाना पड़ता है और बहुत से लोगों के बरसों से पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष. When will be the end of your speech. ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज की मांगें पारित हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज का समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया

श्री केशरीमल : मैं फिर अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्यवाही ना पक्ष की घड़ी है उसके आधार पर चल रही है इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान मेरा रखें। काफी समय बाद मुझे समय मिला है उसके लिए धन्यवाद।

श्री शंकरलाल : घड़ी किसी के पक्ष की नहीं होती, समय की होती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज ना पक्ष की है।

समाज कल्याण विभाग के बारे में इससे पहले महिला वर्ष होने पर भी महिला कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट में कम प्रावधान रखा गया है। माननीय मन्त्री जी आमेर के पास एक विधवा आश्रम है जिसका नाम है सिंधी महिला ट्रस्ट एण्ड होम फार वीमन एण्ड चिल्ड्रन। 1947 के विभाजन के समय इसमें 9 सिंधी महिलायें और 65 वह महिलाए जो बंगला देश की विडोज हैं, जो कि ढ़ाका की रहने वाला हैं और देवला का केम्प था वहां से शिफ्ट हुई, वह यहां पर रह रही हैं। पहले जिस समय यह ट्रस्ट केन्द्रीय सरकार के द्वारा संचालित होता था तो वहां टेलरिंग की व्यवस्था साबुन और पापड़ की दुकानें या इसी प्रकार के उद्योगों में महिलाएं काम करती थीं और उससे जो भी आय होती थी उस आय से उनके भोजन की, उनकी शिक्षा की और दूसरी चीजों की व्यवस्था की जाती थी। पहले 35 रुपया प्रति व्यक्ति मिलता था और अब 50 रुपया मिलता है और उस 50 रुपये में से माननीय मंत्री जी 35 रुपया तो भोजन के लिए और 2 रुपया माहवार कपड़ों के लिए मिलता है। याने 35 और 2 मिलाकर 37 हो गए और बाकी 13 रुपये माहवार के अन्दर वहां का जो ट्रस्ट है उसके स्टाफ का वेतन, विद्युत् पानी, मेडिकल और शिक्षा इन सब के नाम पर काट लेते हैं। मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि 35 रुपये में किस प्रकार से एक व्यक्ति इस मंहगाई के समय में अपना पेट भरेगा। आपने माननीय मंत्री महोदय यह रेकार्ड सुना होगा बाकी जो बचा मंहगाई मार गई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से 35 रुपये में अपना भरणपोषण करेगा? 2 रुपया माहवार याने 24 रुपया वार्षिक कपड़े के लिए मिलता है तो उसमें कैसे काम चलेगा? उनको मेडिकल की सुविधायें नहीं दी जाती हैं, बच्चों की किताबें भी पैसे से लेकर दी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पहले की भांति सिलाई केन्द्र चलाया जाये और विडोज को पढ़ाई की व्यवस्था की जावे और आमेर में जो आश्रम है इसको बाड़े का स्वरूप दे रखा है। गत वर्ष में आपने केवल 10 माह का बजट पास किया है और दो महीने के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी क्या दुर्दशा हो रही है? फरवरी और मार्च का एक पैसा नहीं है और राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती तो राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी केन्द्र से लेकर अपने ऊपर क्यों ली? यह ट्रस्ट बना हुआ है जिसके सदस्य श्री मोहन वासवानी हैं, मुरलीधर हैं और उसकी सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं सुशीला मलहोत्रा। वह तीन साल से विराजमान है। ऐसी भूखी और लाचार महिलाओं के साथ उनका दुर्व्यवहार है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार उनका भत्ता बढ़ाये उनको मेडिकल सहायता दे, कपड़ों का प्रबंध करे और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करे और वहां पर मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण इसी वर्ष खेतीबाई नाम की जो महिला उस आश्रम में आई थी उसका उपचार नहीं होने से उसकी मृत्यु हो गई।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार से इस आश्रम को लेकर राज्य सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है तो वहां सारी व्यवस्थायें ठीक तरह से होनी चाहिए।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सिंधी कॉलोनी में 100 क्वार्टरों का अलॉटमेन्ट किया गया ऐसी महिलाओं को बसाने के लिए अलॉटमेन्ट करने के बाद में 7-5-63 को सिंधी कॉलोनी में विधवा आश्रम के लिए 55 क्वार्टर सरकार ने ले लिये 100 में से 45 मिले और उन 45 में से भी सरकार ने फिर कब्जा कर लिया, कोई छोटा मोटा स्कूल खोल दिया। मैं निवेदन करता हूं कि उनके बसाने के बारे में सरकार का व्यवस्था करनी चाहिए और यह महिला आश्रम, जो आमेर में चलता है, इसकी माकूल व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए।

दूसरा प्रश्न, यहां पर भिक्षावृत्ति को खत्म करने के बारे में सरकार ने प्रयास किया है। गत दिनों में सड़कों पर से भिखारियों को पकड़ पकड़ कर इस आमेर की सड़क पर जो भिक्षुक गृह बना हुआ है उसमें ले जाकर रखा है। यह बिल्कुल निकम्मा है, यहां की स्थिति बिल्कुल निकम्मी है, यहां का एण्टरेंस महा निकम्मा है, बिल्डिंग महा निकम्मी है और यहां का स्थान बिल्कुल उपयोगी नहीं है और घर वालों को मिलने देना नहीं चाहते हैं, भोजन आप निकम्मा देते हैं, उनके रहने का स्थान नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपकी भावना इस प्रकार की है कि भिखारियों को भूखों मार कर किसी प्रकार का उनको काम न सिखाया जाय तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की यह नीति इसके अन्दर छिपी हुई है। राज्य सरकार की भावना वास्तव में भिक्षावृत्ति को खत्म करने की नहीं है। अगर आप वास्तव में भिक्षावृत्ति समाप्त करना चाहते हैं तो उनको बस्ती के बीच में फ्री जमीन दें, उनको मकान बना कर दें, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा करें, उनकी संतानों के लिए उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध करें और दूर क्यों जाते हैं इसी जयपुर शहर में बद्रीनारायणजी की डूंगरी पर उनकी बस्ती बसायें, स्वामियों के नोहरे में और गंगापोल में भिखारियों की बस्ती बना कर सरकार उनको ट्रेनिंग भी दे, उनको नौकरी दे और उनको काम दे। यदि सरकार यह नहीं दे पाती तो मैं समझता हूं कि उनको पकड़ पकड़ कर सरकार वहां पर उनको मारने का प्रयास कर रही है सरकार इस तरह भिक्षावृत्ति, उपाध्यक्ष महोदय, रोक नहीं सकती है।

तीसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर नगरपरिषद् जो आपकी नाक के नीचे है और आपने बड़ी बड़ी लम्बी घोषणायें की हैं सिर पर मैला ढोने के सम्बन्ध में और जयपुर नगरपरिषद् जो विधान सभा की नाक के नीचे है वहां पर भी मैला ढोने की प्रथा का समाप्त नहीं कर पाई। राज्य सरकार जहां पर सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त नहीं कर पाई और आपने साठ हजार की गाड़ियां ली, तीन उसमें खांचें हैं, गाड़ियां चल नहीं सकती, म्युनिसिपेलिटी के अन्दर वे पड़ी हुई हैं और उन पर मधु मक्खियों ने छत्ते बना लिए हैं, इन गाड़ियों का उपयोग हो नहीं रहा है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए आपने

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

प्रयास किया था लेकिन आप कर नहीं सके और आपकी इन अनुपयोगी गाड़ियों में तीन खांचें हैं और आप अब इनको परिवार नियोजन के काम में ले लें। आप परिवार नियोजन को लागू करना चाहते हैं तो जो परिवार नियोजन करता है उसको ईनाम में दे दें। गाड़ी के एक खर्चे में एक, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। बच्चा और बस। तीनों बच्चों को उस गाड़ी में बिठा कर बाजार में खींच ले जायेंगे, कभी पिता जी गाड़ी चलायेंगे और कभी माता जी गाड़ी चलायेंगी और कहेंगे कि सरकार ने परिवार नियोजन लागू किया है और गाड़ी ईनाम में दी है। और तो कोई इन गाड़ियों का उपयोग आप कर नहीं सकते हैं। ये गाड़ियां यों ही खड़ी हैं। आपने दो लाख रुपया जयपुर नगर परिषद् को कन्वर्ट करने के लिए दिया कि जिससे गटर लाईन डाल दी जावे लेकिन वह पैसा आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। छः छोटी छोटी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा रखा लेकिन एक भी गाड़ी आज जयपुर नगर परिषद् में काम में नहीं आ रही है और माननीय मन्त्रीजी आप तो कहते हैं कि हमने हरिजनों का बड़ा कल्याण किया है, आप कंवर नगर में चलिये जहां पर नगर का नाला जाता है और वहीं पर हरिजनों की बस्ती है जहां आप सरीखे माननीय मन्त्री पांच मिनिट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। क्या आपने हरिजनों का उद्धार किया है? आपका नाला अजमेरी गेट पर है, सांगानेरी गेट पर है और उस नाले के पास में हरिजन रहते हैं, वे नाले सड़ रहे हैं और उनमें मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं। हरिजन लोग जो वहां रहते हैं, उस गन्दगी में कैसे वे भोजन करते हैं, कैसे रहते हैं इसकी कभी कल्पना भी की है आपने? इन नालों को पक्का कराइये, नालों की सफाई कराइये। नालों को साफ करा कर उनके आस पास हरिजनों को मकान दें। आधुनिक सुविधा दें कच्ची बस्तियों में आप पीने के पानी का प्रबन्ध करें, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करें, उनको ट्रेंड करवायें और उनको फिल्म शो दिखाने का प्रबन्ध करें। मैं आपका साथ दूंगा आप भी झाड़ू उठाइये प्रत्येक बुधवार को, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप भी चलिये, हरिजन मोहल्लों में चल कर झाड़ू लगायें। कभी आपके हाथ में झाड़ू होगी तो मेरे हाथ में परात होगी और कभी आपके हाथ में परात और मेरे हाथ में झाड़ू होगी। मन्त्री महोदय मैं आपका ··

श्री केदारनाथ : मन्त्री महोदय को चेलेंज मत करो वे तैयार हो जायेंगे तो मुश्किल हो जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुश्किल क्या है, मैं तो तैयार हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप चलिये मैं भी आपके साथ चलता हूं और हरिजन मोहल्लों के अन्दर सफाई करते हैं, हरिजन बन्धुओं को भी साथ लेंगे और उनको साथ लेकर सफाई करेंगे और मैं आपको दावत देता हूं मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में पधारिये, सायंकाल को आपका और मेरा भोजन वहीं पर होगा, हरिजनों के मकान पर वहीं पर भोजन करेंगे तभी मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी आपका हरिजन मन्त्री होना सार्थक होगा वरना तो आपका कोरा नारा ही नारा है। अगर आप हरिजन मन्त्री

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हो तो मेरा निमन्त्रण स्वीकार कर लो । अब मैं यह निवेदन करता हूं कि लोकसभा में 22वीं रिपोर्ट···

श्री शंकरलाल (पाली): हरिजन मन्त्री हैं या हरिजन विभाग के मन्त्री हैं ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

आप कह रहे हैं कि हरिजन मन्त्री हैं, शायद आपको मालूम नहीं है कि वे हरिजन मन्त्री नहीं बल्कि हरिजन विभाग के मन्त्री हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे मालूम है कि वे हरिजन मन्त्री हैं । हरिजन कहने से कौन सा बड़ा नुकसान हो गया, आप इतनी सी बात में इनके बहकावे में मत आना ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि लोक सभा में 22वीं रिपोर्ट पेश हो गई और यहां पर 20वीं रिपोर्ट पेश हुई है, वह भी देर से पेश हुई है । इस पर सदन में विचार होना चाहिये था लेकिन इस सदन में यह रिपोर्ट रखी नहीं है । माननीय छंगाणी जी अगर आप सच्चे हरिजन मन्त्री हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिये वरना कार्य सलाहकार समिति में इस रिपोर्ट पर बहस हो इसकी व्यवस्था करानी चाहिये ।

एक ओर आपने यह कर रखा है कि बापू के पोस्टर लगा रखे हैं जगह जगह पर कि शराब पीना गुनाह है, नेहरू जी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, लेकिन खूब शराब पिलाते जाओ । पोस्टर लगा रखे हैं कि हिन्दी में काम करो और खूब अंग्रेजी में काम करते हैं । ये पोस्टर लगा रखे हैं, लिख रखा है, कि यह कुत्ता यहां पर पेशाब कर रहा है और दादा लोग वहीं पर पेशाब करते हैं । जहां जहां पर पोस्टर लगाते हैं वहां पर लोग ज्यादा करते हैं । यह ठीक है कि मन्दिर के पास में, मस्जिद के पास में शराबखाना नहीं होगा, स्कूल के पास में शराबखाना नहीं होगा । यदि आप वास्तव में समाज कल्याण मन्त्री हैं तो आपको चन्दनमल जी से यह बात मनवानी पड़ेगी कि हरिजन बस्ती में शराबखाना नहीं होना चाहिये । और यदि शराबखाना होगा तो आपको मालूम है हरिजन अपनी तनख्वाह ले जाता है तो पूरा का पूरा वेतन शराब में लगा देता है । रेगरों की कोठी का नमूना आपके सामने है जहां पर लोगों ने शराब पी और 13 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग अन्धे हो गए । हरिजन बस्ती में शराबखाना आपको बन्द कराना होगा अगर आप हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं । यह महिला वर्ष है । वह हरिजन शराब पीकर महिला को बुरी तरह पीटता है इसलिए महिला की रक्षा करने के लिए, हरिजन महिला की रक्षा करने के लिए, छोटी जाति की महिलाओं की रक्षा करने के लिए इन हरिजन बस्तियों में शराबखाना न हो यह व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

इसके अलावा तिलकनगर की एक महिला एलिस गर्ग रहती है, उसको 1 लाख 30 हजार की सहायता किस आधार पर दे दी ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं । उस महिला के आठ लडकियां हैं और आपने उसको समाज कल्याण बोर्ड की सदस्या बना रखा है और उसको आप रानी उर्मिला की जगह समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दें । आखिरकार

(श्री गिरधारालाल भार्गव)

इसके अन्दर क्या रहस्य है? जिसकी वजह से उनको, एलिस गर्ग को, सदस्या बना रखा है, रानी उर्मिला की जगह चेयरमेन बनाना चाहते हैं। इसका मैं निश्चत रूप से जवाब चाहता हूं।

एक बात और बताना चाहता हूं कि आपने यह घाट के नीचे महिलाओं का जो अपना महिला सदन है जहां पर कई लड़कियों की शादियां करवाई हैं। 21 लड़कियों की शादियां करवाई और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बनवारीलालजी की कॉन्स्टीट्यूएंसी में सी. बी. आई. ने वहां पर छापा डाला तो वहां वह लड़कियां गिरफ्तार हुईं। यह सच्ची बात है। मैं दावा करता हूं कि राज्य में इस महिला सदन के द्वारा फर्जी शादियां कराई जाती है। लड़के लड़कियों को बेचा जाता है, यह मेरा आरोप बिल्कुल सत्य है। बनवारीलालजी की कांस्टीट्यूएंसी में 21 लड़कियों को सी. बी. आई. ने पकड़ा है, साधारण पुलिस ने नहीं पकड़ा है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करूंगा कि पेंशन नियमों में संशोधन करने की बात की थी कि 58 वर्ष के होंगे उनको पेंशन होगी। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि महिलायें जो चालीस साल की विडो हो जायेंगी उनके लिए आपने कोई प्रावधान रखा है? उस विधवा के कोई संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, विडो हो जाने से पति होने का सवाल नहीं है, मकान नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, वह महिला यदि विडो होती है, विधवा हो गई तो उस महिला के लिए आपने पेंशन देने की क्या कोई घोषणा की है। अगर इन महिलाओं के लिए आप घोषणा करें तब तो मैं समझ सकता हूं कि राज्य सरकार सच्चे रूप में लोगों को पेंशन देने की बात कर रही है वरना यह 55 साला की जो पेंशन देने वाली बात है, मैं समझता हूं कि जो नियम आपका है उससे जिन गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए वह बुढ़ापे में जाकर सहायता मिलने वाली नहीं है। जवान विडो हो जावे तो उसको भी सहायता मिलनी चाहिये।

लंगर की व्यवस्था है। गरीबों को भोजन कराने के लिए अनुदान दें। एक रुपये में दाल और रोटी मिले, सुबह, शाम को मिले इस प्रकार की व्यवस्था आप करें। अच्छी बात है। आपने पोषाहार केन्द्र खोले हैं। मैं पोषाहार केन्द्रों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इनकी व्यवस्था भली प्रकार की नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इनमें भली प्रकार का सामान रहता नहीं है।

मैं श्रम विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सहकारी बाजार का जिक्र किया गया। 18 मार्च, 1974 से सहकारी बाजार बन्द है। इसको चेलेन्ज किया गया लेबर कमिश्नर के यहां पर। लेबर कमिश्नर यहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने फैसला दे दिया कर्मचारी यथावत रहेंगे। यह फैसला आपने क्यों नहीं लागू किया? लेबर विभाग ने क्या कार्यवाही की इन कर्मचारियों को वापिस लगाने की यह जानना चाहूंगा। वैसे यह जिम्मेदारी लेबर कमिश्नर की नहीं है। यह जिम्मेदारी लेबर मिनिस्टर की है। आपको

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यहां पर जवाब देना होगा । इसी प्रकार आपने लेबर इन्डस्ट्रियल एक्ट की धारा 25 एफ. का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया है । एक मात्र नोटिस दिया जाना ही उचित नहीं है । सेवा मुक्ति के समय 48 घण्टे में उनको उनकी रकम का भुगतान किया जाना चाहिये । वह रकम भी आप नहीं दे रहे हैं । पहले कहा गया सहकारी बाजार की चीजें नीलाम होने दो । इसके बाद पेमेन्ट करेंगे । सहकारी बाजार की चीज नीलाम हो गई । नीलाम होने के बाद सरकार कह रही है 4/5 लाख का लोन चुकाया जाएगा । मेरा निवेदन है कि सरकार इन कर्मचारियों को नौकरी दे और सबसे पहले इनको तनख्वाह चुकाई जाये । आशा है आप इस प्रकार के आदेश देंगे और आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार सजा दें । यह तो सरकारी प्रतिष्ठान का हाल है । प्राइवेट प्रतिष्ठान की तो बात ही क्या करें ? कर्मचारी 12 महीनों से आपके घर पर धरना दे रहे हैं और इन धरना देने वाले कर्मचारियों का तम्बू भी आपने उठवा दिया । मन्त्री महोदय आप तो प्रगतिशील बनते हैं । यही आपकी प्रगतिशीलता है ? आपको इस सम्बन्ध में आज आश्वासन देना चाहिये । यही हाल राजस्थान सरकार के रंगमंच कर्मचारियों का है । उनको भी आप नोटिस पकड़वाया चाहते हैं । बेरोजगारी के बारे में क्या निवेदन करूं । डिप्लोमा होल्डर रो रहे हैं । डिप्लोमा होल्डर बेरोजगार हैं शिक्षित लोग बेरोजगार हैं । पढ़े लिखे लोग, बी. एससी. पास लोग आज यहां पर रिक्शा चला रहे हैं । इनको रोजगार दिलाने वाला आपका महकमा इनको रोजगार दिलाने में असमर्थ है । आप राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना चाहते हैं । वह भी आप नहीं दे पाते हैं । आपने तो गुण्डा एक्ट पास करा लिया है । पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिलेगा । इस प्रकार वे गलत सलत काम करेंगे, गुन्डा एक्ट में आप उनको पकड़ लेंगे । आपने यह कानून बनाया है, ताकि आप पढ़े लिखे लोगों को गुन्डा करार देकर पकड़ लें । शराब की दुकानें आप खोल रहे हैं । इसका खुला प्रदर्शन आप कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि शिक्षित लोगों को आप काम दें ।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : श्रमिकों के सम्बन्ध मे दो बातें कहना चाहता हूं । इन लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है । मनोरंजन के लिए भी कोई सुविधा आपने नहीं दे रखी है । समय पर उनको राशन मिलना चाहिये, वह भी नहीं मिलता है । तीन किलो राशन देते हैं । उससे क्या उनका पेट भरता है ? जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं उन पर भी आप राशन की मात्रा बढ़ा कर नहीं देते हैं । राष्ट्रीय त्यौहार के सम्बन्ध में आपके पास एक बिल पेन्डिंग है । अभी तक आपने उसको पास नहीं कराया है । ई. एस. आई. का अस्पताल है । इसमे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । लेबर डिपार्टमेन्ट के जितने कर्मचारी हैं उनको पर्याप्त भत्ता नहीं मिलता है । मेडिकल के बिल का पेमेन्ट एक वर्ष बाद होता है । योजनाओं में, अकाल राहत कार्य में, और अन्य सारे कार्यों में महिला और पुरुष के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वेजेज बराबर करें। महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलना चाहिये। गांवों में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए आपको कुटीर उद्योग खोलने चाहिये ताकि गांवों के आदमी शहरों की ओर न आवें।

अन्त में, नाई की समस्या के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। नाई चतुर माना जाता है सब में। वह किसी के चेहरे को सुधार दे तो किसी के चेहरे को बिगाड़ भी देता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी आपने टाइम की पाबन्दी लगा दी है। इस टाइम की पाबन्दी को आप कम से कम नाई पर से हटा दें। लोग समय असमय, फुरसत मिलने पर उसके पास जाते हैं। मैं समझता हूं कि सब की सुविधा का ध्यान रखते हुये यह पाबन्दी हटा देंगे। इसी प्रकार रेल्वे स्टेशन पर जो दुकानें हैं उन दुकानों पर भी आपने टाइम की पाबन्दी लगा दी है इससे यात्रियों को असुविधा होती है। इन दुकानों पर से भी जो रेल्वे स्टेशन के आस पास हैं, यह टाइम की पाबन्दी हटा दी जानी चाहिये।

अन्त में ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। ट्रान्सपोर्ट विभाग में रूल्स बने हैं किन्तु उनकी पालना नहीं होती है। बाहर से इन्स्पेक्टर आ गए और कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। लोगों का स्थायीकरण नहीं किया गया है। कुछ लोग रिटायर हो गए, पांच, दस वर्ष हो गए और उनके पेन्शन के कागज नहीं बन पा रहे हैं। नारायणसिंह एस. पी. आई. को अपनी पत्नी के साथ आत्मदाह की धमकी देनी पड़ी और अब उसके पेन्शन के कागज निपटाये जा रहे हैं। किसी प्रकार की परवाह विभाग द्वारा नहीं की जाती है। इसी तरह से इस विभाग का एक एल. डी. सी. कन्हैयालाल शर्मा है। उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है। विधान सभा के सामने विभिन्न प्रकार के लोगों से वह अपना दुखड़ा रोता रहता है।

अन्त में जयपुर शहर की रोड़वेज की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह आपकी व्यवस्था बिलकुल निकम्मी है। समय पर बसेज नहीं मिलती हैं। सीटें टूटी हुई हैं। समय पर बसेज उपलब्ध न हों, आदर्श नगर, बनीपार्क, सांगानेर, आमेर को पूरी बसेज नहीं चलती हैं। आमेर की व्यवस्था बिलकुल ही दूषित है। जयपुर-सांगानेर की व्यवस्था भी बेकार है। अब इम्तिहान होने वाले हैं। बच्चे लोग आएगे। वे बसेज में खड़े होकर आएंगे, दरवाजे पर लटकते हुए आएंगे तो आप उन पर तीन सौ रुपया जुर्माना कर देंगे, तीन महीने की सजा दे सकते हैं। यह दंड देने का आपको अधिकार है। आपकी असेम्बली समाप्त होते ही विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मेरा निवेदन है आप इन बसेज की व्यवस्था में सुधार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री गौरी शंकर : अध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। मैं इस प्रेक्टिस को रिवाइज नहीं करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय (शोरगुल) ..

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
आज यातायात और समाज कल्याण विभाग के बारे में काफी महत्वपूर्ण बहस हुई।

श्री गौरीशंकर : मेरा नाम लिया गया था और बाद में बोलने के लिए कहा गया था, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आसन की ओर से आश्वासन दिया गया है। बुजुर्ग आदमी हैं····

(शोरगुल)

आपको वक्त दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी मेरे लिए बुजुर्ग हैं। आप बिराजिये। ऑर्डर प्लीज (शोरगुल) शासक दल की ओर से एक व्यवस्था कायम की गयी है। मुझे कोई आक्षेप नहीं है। आप सब बोलिये। आपने ही यह फैसला किया है कि 8 बजे तक सदन की कार्यवाही चले। यदि आप इस पर आरूढ़ नहीं रहना चाहते हैं तो आप इसकी कार्यवाही 11 बजे, 12 बजे तक चलाइये। मुझको कोई आक्षेप नहीं है। जैसा आप आदेश दें, हुक्म दें, पांच माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं तो उनको भी इजाजत दे दूंगा। मेरा निवेदन सुन लीजिये, मुझे कोई आक्षेप नहीं है।···· (शोरगुल)······· ऑर्डर प्लीज···

एक माननीय सदस्य : आसन को ध्यान में रखना चाहिये। पहले आश्वासन दिया गया था आसन की ओर से ···

श्री उपाध्यक्ष : आसन सभी सदस्यों का ध्यान रखता है। आपने ही टाइम तय किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : वे काफी देर से इन्तजार कर रहे हैं। उनको समय देना लेजीटीमेट है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सब को समय देना लेजीटीमेट मानता हूं। यह बैठक चाहे आप 8 बजे तक चलावें या इससे आगे। मैंने आपका ध्यान आप द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था की ओर आकर्षित कर दिया है। मुझे कोई आक्षेप नहीं है। आप चाहें तो दो घन्टे बैठिये मुझे लीस्ट ऑब्जेक्शन है।

श्री गौरीशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमाइये, बोलिये। श्री गौरीशंकर।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने तेन्दू के पत्तों का जो राष्ट्रीयकरण किया उसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मजदूरों के काम का जो समय निश्चित किया गया है वह 25 अप्रेल से पत्ते तोड़े जाते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर मजदूरों को एक ही तो काम करने का मौका मिलता है और वहां पर कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिये मेरा निवेदन है कि 15 जून तक पत्ते तोड़े जाना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कोटा डिवीजन में तेन्दू के पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं और झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा होते हैं। वहां से तेन्दू के पत्ते तोड़कर

(श्री गौरीशंकर)

जयपुर लाये जाते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि वहीं पर बीड़ी का कारखाना खोला जाय जिससे वहां के मजदूरों को काम मिलेगा। वहां पर बहुत गरीब लोग हैं। और ज्यादातर वहां के औरत व मर्द बीड़ी बना कर अपना गुजर बशर करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि टोंक में कारखाना नहीं होना चाहिए या जयपुर में नहीं हो परन्तु वहां के मजदूरों को भी लाभ मिलना चाहिए।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि इकलेरा में आदिवासियों का छात्रावास नहीं है और वहां पर 100-150 छात्र हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि सरकार वहां पर 'सी' श्रेणी का छात्रावास खोलने जा रही है, लेकिन मेरा निवेदन है कि उससे वहां कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए कृपा करके 'ए' श्रेणी का छात्रावास खोला जावे और नहीं तो 'बी' का तो अवश्य ही खोला जाना चाहिए। इससे वहां के छात्रों को लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा आपने ट्रेक्टर पर जो टैक्स लगाया है उसके लिए मेरा निवेदन है कि किसान लोग वैसे ही इतने टैक्स लगे हुए हैं उससे बहुत परेशान हैं और भी कई चीजों का टैक्स देना पड़ता है, इसलिए आप कृपा करके इस टैक्स को माफ कर दें।

चौथा मेरा निवेदन है कि आपने जो एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज कायम किये हैं, जो बहुत अच्छा किया है। परन्तु आप यह मानकर चलें कि इनमें गरीबों का कोई काम नहीं होता है जो लोग पैसा देते हैं उनका नाम निकालकर भेज दिया जाता है। यह एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज गरीबों के लिये खोले गये हैं और गरीबों को इनसे लाभ नहीं मिल रहा है और इससे पैसे वालों को लाभ मिल जाता है। इसलिए आप इस पर भी ध्यान दीजिये।

पांचवा मेरा निवेदन यह है कि जो आपने दुकानें बन्द करने का टाइम शाम को सात बजे और खोलने का 9 बजे का टाइम रखा है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि गर्मियों के दिनों में सात शाम को बहुत जल्दी बज जाते हैं, और इतनी जल्दी बाजार बन्द हो जायगा तो ऑफिस के लोगों को और जनता के लोग सामान किस समय लेंगे क्योंकि ऑफिस से लौटेंगे तब तक दुकानें बन्द हो जायेंगी और सुबह उनको दस बजे ऑफिस आना पड़ेगा इस तरह से उनको समय नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी आपने जो कुछ भी नियम बनाये हैं उनके लिये मैं आपको कुछ नहीं कहता परन्तु इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आप यकीन मानिये कि इन्स्पेक्टरों के पास पैसा देते हैं उनको तो दुकान खोलने देते हैं। झालावाड़ में जितनी भी दुकानें हैं किसी भी दुकानदार के यहां कोई नौकर नहीं है सब छोटे दुकानदार हैं और बड़ा व्यापारी नहीं है जो कि नौकर रखा जा सके। नौकर हो तो कोई फायदा भी हो सकता है। छोटे-छोटे दुकानदार हैं अगर सुबह 9 बजे बाद दुकानें खोलेंगे और शाम को सात बजे बन्द कर देंगे तो वे क्या बचा सकेंगे और क्या उनको खाने कमाने को मिलेगा। अतः समय में परिवर्तन कीजिये।

छठा मेरा निवेदन यह है कि हरिजनों को सिर पर रख कर मैला ढोना बन्द करने

(श्री गौरीशंकर)

का आपका लक्ष्य था परन्तु वहां आज भी हरिजन लोग मैला ढो रहे हैं, तो इसके बारे में आपने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, जवाब दीजिये, इसका वहां पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपके कानून बनाने से, आपके नियम पास कर देने से क्या फायदा हुआ ? इस पर भी आप ध्यान दीजिये। बस मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ दो-चार मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। छात्रावासों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां कहीं भी छात्रावास चल रहे हैं, उनमें जो सुबह के टाइम पर नाश्ता दिया जाता है वह सिर्फ 10 पैसे का रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की मंहगाई को देखते हुए और इस वक्त को देखते हुए राज्य सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जो हरिजन छात्र हैं उनके नाश्ते की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह से भोजन की जो व्यवस्था छात्रावासों में है वह आज से 25-30 साल पहले जो व्यवस्था थी, वह इस वक्त के लायक नहीं है, क्योंकि पहले से मंहगाई बहुत बढ़ गई है, इसके लिए भी इसी के मुताबिक व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा पुस्तकों की और ओढने-बिछाने व पहनने के कपड़ों की जो व्यवस्था है वह भी चीजों में जो भावों की मंहगाई है उसका ध्यान रखते हुए राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए उन चीजों की कीमतों में वृद्धि को देखकर इसकी धनराशि को कुछ और बढाना चाहिए। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लूणकरणसर तहसील में 175 गांव हैं परन्तु वहां पर हरिजन छात्रावासों की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरगढ़ तहसील और लूणकरणसर दोनों तहसीलों में हरिजन छात्रावासों की व्यवस्था नहीं है सो वहां पर छात्रावास खोलने की व्यवस्था करेंगे तो अच्छी बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आप जैसे जागरूक और हरिजनों के वफादार मन्त्री होते हुए भी छात्रों को सुविधा नहीं मिलेगी तो उनकी सुविधा का कौन खयाल करेगा और उनके हितों की रक्षा कैसे होगी ?

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं पोषाहार केन्द्र के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बीकानेर जिले में जो पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं उनकी बहुत अजीब हालत है। आपने वहां पर 60 पोषाहार केन्द्र खोले हैं लेकिन वह बहुत ही छोटे से दायरे में हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ प्रभावशाली विधायकों और प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर ऐसा किया गया है और अगर इससे हरिजनों को लाभ नहीं मिलेगा और समाज को तथा राज्य को इससे नुकसान ही होगा।

सभापति महोदय, सुजानगढ़ में एक हरिजन बस्ती बसाई गई थी वह 20 साल से बन्द पड़ी है इसलिए अगर कोई इसका उपयोग हो सके और लोगों के रहने और बैठने का इन्तजाम हो सके तो आपकी मेहरबानी होगी।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

रोडवेज की बसों की हालत भी बहुत खराब है इसलिए इस तरफ भी खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए, बसें समय पर नहीं मिलती हैं। मुझे आशा है कि निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान दिया जाकर दिक्कतों को दूर करेंगे। अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि मुसीबतों को खत्म करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य ? (विराम)

श्री केदारनाथ : माननीय मन्त्री जी को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज श्रम, रोजगार, यातायात और समाज कल्याण की मांगों पर काफी महत्वपूर्ण बहस रही है। पहले मैं श्रम के बारे में बोलना चाहूंगा। काफी उत्तेजना से ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई सुझाव दिये। मुझे इसकी मूल बुनियाद में जाना पड़ेगा। श्रम संगठनों में कितने श्रमिक हैं, श्रम संगठनों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, संगठन कैसे चलने चाहिए, और आज हमारे लेबर डिपार्टमेन्ट ने हमारे कानूनों की, जागरूकता के साथ हमारी नीतियों की किस तरह से लेबर के हितों की रक्षा की है ? श्रमिकों के हितों की रक्षा की है इस बात को अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज पूरे संगठित मजदूर राजस्थान में नगण्य से हैं। सारे जो आर्गेनाइज्ड लेबर जिसे हम कहते हैं संगठित मजदूर जिनकी ट्रेड यूनियन हो, जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं या जो रिकग्नाइज्ड हैं, उनकी संख्या 1,49,000 हैं, और 19,65,000 मजदूर ऐसे हैं राजस्थान में जो किसी भी संगठन में नहीं हैं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा उन सब साथियों से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह सारे जो असंगठित मजदूर हैं उनको संगठित किया जाय। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्यों को और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को करनी पड़ेगी, तब जाकर सारे मजदूर वर्ग में जागरूकता आयेगी और अपने हकों के लिए लड़ना शुरू करेंगे। यह सही है कि जो साल भर की हमारी उपलब्धि है, और इसमें माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि पिछला साल काफी शान्ति का साल गुजरा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल हमारा जो टोटल मेनडेज लॉस हुआ है वह 1,65,192 था जोकि 71 से सबसे कम रहा है। औद्योगिक शान्ति काफी बड़े पैमाने पर रही है। झगड़े निपटाने का काम समझौता कराने का काम काफी त्वरित गति और शीघ्रता से हुआ है। इस पर हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक न्यायालय के मामलों को लिया जाय, चाहे रेफरेन्स केसेज़ जो पैंडिंग हैं उनके मामलों को लिया जाय, चाहे निपटारे के सवालों को लिया जाय, आज सारों में गतिशीलता आई है, इस से डिनाई नहीं किया जा सकता है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप लेबर डिपार्टमेन्ट पर चाहे जहां झगड़ा है, विश्वास बैठा है कि हमारे झगड़ों में लेबर

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

डिपार्टमेन्ट शरीक होता है और निपटाने की कोशिश करना है। यह उपलब्धि इन परिस्थितियों में कोई कम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे बोनस का सवाल हो, चाहे मिनिमम वेजेज के रिवीजन का सवाल हो, चाहे नेशनल फैस्टिवल्स की जो छुट्टियां होती हैं उनका सवाल हो, और आज मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, वह घोषणा अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने ज्वाइन्ट मैनेजमेन्ट का निर्णय लिया है। उसको प्रेसीडेन्ट की असेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमैंट के एप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज 500 से ऊपर वाली जितनी इकाइयां हैं उन इकाइयों में इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव लेंगे व मैनेजमेन्ट में पार्टीसिपेट करेंगे, और मैनेजमेन्ट में आने वाले सदस्य लेबर वेलफेयर एक्टीविटीज में पार्टीसिपेट करेंगे। जिनमें लेबर संगठित हो जायेंगे उनमें पार्टीसिपेशन बढ़ जायगा, और यह उपलब्धि कोई कम नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

मिनिमम वेजेज का रिवीजन हमने किया। मिनिमम वेजेज के रिवीजन के लिए और भी डिमाण्ड बढ़ रही है। यह सही है कि आज मंहगाई है और आज उस मंहगाई को देखते हुए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे राज्यों में जो मिनिमम वेजेज के दूसरे लेवल हैं उनसे राजस्थान की तुलना कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मिनिमम वेजेज जो फाइनेलाइज हुए हैं वह है जो कुशल नहीं है उनको 130 रुपये और जो अर्धकुशल है उनको 155 रुपये और जो कुशल हैं उनको 187-50 रुपये कर दिये हैं हमने बोनस के युटिलाइजेशन के लिए और मंहगाई के युटिलाइजेशन के लिए जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का मुझे आशा है एक महीने के अन्दर निर्णय आजायेगा, और निर्णय के बाद माथुर कमेटी की सिफारिश के ऊपर कोई रिवीजन करने की आवश्यकता हुई तो निश्चित तौर से लेबर डिपार्टमेंट उससे बाहर नहीं जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पंच-फैसले के लिए और आर्बीट्रेशन के लिए हमने फैसला किया है कि इनमें जितने मजदूरों के विवाद हों उनको शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाय।

इसमें श्रम और वाणिज्यिक संस्थानों के कानून के बारे में काफी शिकायतें हैं और खासतौर से क्षोर कार्य संघ की तरफ से माननीय सदस्यों ने हाउस में कहा है तो उस पर मैं विचार करूंगा। निश्चित तौर से अगर सही ढंग से शॉप एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट को लागू नहीं करेंगे तो किसी तरह से भी हम शहरों को नियमित नहीं कर पायेंगे। इसलिए हम काफी हार्ड इसमें रहेंगे और एक्जेम्पशन के मामले नहीं कर सकते हैं। जहां पर आम नागरिकों को तकलीफ हो रही हो उसके बारे में लेबर डिपार्टमेन्ट कभी भी विचार कर सकेगा, और सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। उसके लिए हम मैनेजमेन्ट वालों के भी काफी चर्चा का विषय रहे हैं वह है स्टैंडिंग आर्डर का रिवीजन। आज सारे के सारे मजदूरों के और मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध रेग्युलेट करते

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हैं वह है स्टैंडिंग आर्डर। वह स्टैंडिंग आर्डर काफी पुराने होने के कारण और कई नई परिस्थितियां पैदा होने के कारण उनमें रिवीजन की आवश्यकता है। उसके लिए हमने कमेटी बनाई है। उसका निर्णय भी जल्दी ही लिया जा रहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर में चेन्जेज होने के बाद जो छोटी-मोटी तकलीफें मजदूरों को होती हैं वह अनायास ही मिट जायेंगी।

श्री केदारनाथ : युनिफॉर्मिटी हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मोडल स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मोडल स्टैंडिंग ऑर्डर होंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ज्वाइन्ट मैनेजमेंट के बारे में आपने बताया है, एसेन्ट के लिए गया है तो एक्ट में एमेंडमेंट होना चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एमेंडमेंट होगा इसलिए वहां से असेन्ट की आवश्यकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एमेंडमेंट हाउस के अन्दर आना चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले असेन्ट के लिए एप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जब केबिनेट पास कर देती है, केबिनेट का एप्रूवल हो जाता है, और केबिनेट से पास करके इन्फर्मेशन के लिए इमीजियेटली हाउस को निवेदन कर दिया है। वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा जायगा एप्रूवल के लिए, जैसा कि कंजुवल लीव के लिए वहां पर भेजना पड़ता है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जो मामला नेशनल फेस्टीवल की छुट्टियों का था तो उसकी मन्जूरी आ चुकी है और उनके पास पैंडिग है कंजुवल लीव का मामला वह भी जल्दी ही आ जायेगा।

श्री केदारनाथ : आप बिल ले आयें तो आधा घन्टे में पास कर देंगे ऐसे बिल को।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 4 में लेड डाउन प्रावधानों में संशोधन करके 20 से अधिक नियुक्ति करने वाले संस्थानों पर भी इसको लागू किया जा रहा है। वर्तमान में 50 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले संस्थानों पर यह लागू है। तो अब 20 पर लागू होने का सुधार किया है। इसकी स्वीकृति आ जायेगी तो इसको लागू कर देंगे।

श्री केदारनाथ : अच्छा किया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, ई. एम. आई. की स्कीम है, बीमा योजना है जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। जो बीमे के बीमिक हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। हमने जगह जगह नये केन्द्र स्थापित किये हैं। दवाइयों की कमी होने की पिछले 4-5 महीनों से कुछ शिकायतें हुई थीं तो अब दवाइयों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टरों के इलाज की भी व्यवस्था ठीक की गई है, और आज जितने बीमिक आदमी हैं जो आज क्वान्टिटी है उससे डबल दवाइयां उपलब्ध कर सके इसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजा है।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह साल निश्चित तौर से औद्योगिक शान्ति का रहा है, और मैं आशा करता हूं कि इन सब नये कानूनों के लागू होने के बाद मजदूरों को खास तौर से संगठित श्रमिकों को कई उपलब्धियां होंगी, और हमारे प्रान्त में औद्योगिक शान्ति बनी रहेगी। हम चाहते हैं कि मजदूरों के हितों की रक्षा हो। वैसे जहां हमने नये कानून लागू किये हैं चाहे कॉन्ट्रेक्ट लेबर के किये हों, चाहे मोटे ट्रान्सपोर्ट के वर्कर्स के किये हों वहां हम बड़ी सख्ताई, बड़ी कठोरता से कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्दर लगातार जहां शिकायतें प्राप्त होती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सही रूप से मजदूर जागरूक होंगे, अपने राइट्स के लिए लडते होंगे, मजदूर आज लड़ते नहीं हैं और मजदूरों को अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, तो हमको ज्योंही सूचना मिलती है लेबर डिपार्टमेन्ट को तो लेबर डिपार्टमेन्ट हमेशा मजदूरों के साथ रहता है, मजदूरों का दुश्मन कभी भी नहीं रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही चूंकि समय कम है इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट पर आ जाता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपार्ट डिपार्टमेन्ट के पास पैसेन्जर टैक्स, गुड्स टैक्स के कलेक्शन का काम एक जुलाई से आया है ..

श्री केशरीमल : यह जो मजदूरों के मकानात हैं, उनके बारे में ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारे पास 1,20,000 रु. का प्रावधान रखा है। हम पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पायेंगे।

श्री केशरीमल : जो पहले से बने हुये हैं, वह हायर परचेजिंग सिस्टम पर दे दिये जायें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, हम हायर परचेजिंग पर करा सकें इसके लिए भारत सरकार से बातचीत कर रखी है जितने जितने मकान बने हुए हैं, दिल्ली के स्तर पर अगर हल नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे। फिर भी हमने चलना शुरू कर दिया है।

श्री केशरीमल : यह तो दो साल पहले ही घोषणा कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब भी हो जायेंगे इसी नीति को निश्चित रूप से लागू करेंगे। यह आल इण्डिया पॉलिसी का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा, 1 जुलाई से नया रूप लेना शुरू हुआ है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट में लीकेजिज वगैरह को काफी कम करने की कोशिश की है। कलेक्शन काफी बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, अप्रेल 73 के दिसम्बर में टैक्स 4 करोड़, 5 लाख 8 हजार रुपया हुआ है। अप्रेल, 74 में 6 करोड़, 70 लाख, 82 हजार हुआ है। 1 करोड़ 72 लाख की इन्क्रीज हुई है। आज ट्रांसपोर्ट नया रूप ले रहा है। आज जो रूट का सवाल होता है, चाहे वह मेकेनिकल फिटनेस का हो। रीजनल स्टेशन्स पर मीटिंग करते हैं। जो ऑपरेटर्स बनाना चाहें उनको कोई तकलीफ नहीं हो। सुविधा के अनुसार उनको रूट्स मिल जायें। मेकेनिकल फिटनेस की कोई शिकायत नहीं

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हो इसके लिए अब मेकेनिकल इन्सपेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। वह मेकेनिकल ऑफिसर दे रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर टोटल व्हीकल 1,41,000 हैं। इसमें बसेज, स्कूटर्स, टैम्पों, टैक्सी सभी आ गये हैं। एक व्हीकल 250-300 के बीच में पड़ता है। इस प्रकार का पिछड़ा हुआ है जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा पाये उसकी भरसक कोशिश की है। रोडवेज ने सारे प्रोग्राम ले लिये हैं। जिस जगह जो आवश्यकता है, प्रोसीजर के अनुसार उनको अवश्य पूरा करने की कोशिश की गई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट, जो शहरों में भीड़भाड़ हो रही है इसके लिए ट्रक स्टेण्ड और टैम्पू और टैक्सी के लिए नये स्टेण्ड अलग करेंगे। उनको निश्चित रूप से इसी साल पूरा करेंगे। ट्रांसपोर्ट के बारे में जैसा कि मैं सोच रहा हूं 80 तक यदि ऐसा ही रहा तो 30 करोड़ तक पहुंचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं समाज कल्याण पर आ जाता हूं। समाज कल्याण पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बुनियादी मुद्दे उठाये थे। सवाल यह है कि जाति पाति के बारे में समाज कल्याण का उद्देश्य है, भेदभाव मिटाने का गरीब वर्ग है उसको ऊपर करके जो जाति पाति व्यवस्था है, उसको तोड़ना। तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरा खयाल है, इसमें दो बातें मुख्य हैं। पहला तो संगठन है और दूसरा ज्ञान है। अगर हमारे पास जागरूक संगठन है तो हम जातपांत तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इस प्रकार संगठन के आधार पर इस समय प्रजातन्त्र में बहुत मुश्किल से सफलता मिल सकती है। इसलिए जो जनता के संगठन हैं वह इसमें किसी सीमा तक प्रयत्न कर सकते हैं। सरकार और जो दूसरी पार्टियां हैं, उसके संगठन के जरिये से जो भी पॉलिसी डिसीजन्स होते हैं उनको पूरा करते हैं। जातपांत, मैं ऐसा निश्चित मानकर चलता हूं बहुत वर्षों तक चलती रहेगी। जाति इसलिए बनती है, क्योंकि वह एक व्यक्ति को सिक्यूरिटी प्रदान करती है। जन्म से लेकर मरण तक जाति का आदमी छोड़ता नहीं है। हम इसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, लेकिन इसको छोड़ा कैसे जाये। यह समस्या हर आदमी के सामने है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने हैं। इस बारे में पंडित नेहरू ने एक नीति बनाई थी। वह नीति यह थी कि ज्ञान का सहारा लेकर, तकनीकी सहारा लेकर, विज्ञान का सहारा लेकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह सही है जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, आर्थिक स्थिति इसकी जड़ में है। हम विज्ञान का सहारा लेकर सामाजिक परिवर्तन करेंगे। मैं यह निश्चित रूप से मान कर चलता हूं कि आर्थिक स्तर में जैसे जैसे परिवर्तन आयेंगे, समाज में भी परिवर्तन आयेंगे।

इंगलैण्ड और जापान में भी जाति प्रथा के बारे में भी जब नयी टैक्नीक और विज्ञान का विकास हुआ और इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स हुये तो वहां भी परिवर्तन आया। जहां सामन्तवादियों का पूंजीकरण हुआ, यह नया करण है। तो इसके आधार पर भी अन्य रद्दोबदल हुये हैं। तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति प्रथा समाप्त होने लगी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

है। यह सही है कि भारत की जाति प्रथा दूसरे देशों से भिन्न है। भिन्न होने के साथ साथ अगर इसकी गहराई में जायेंगे तो मेरा खयाल है, गान्धी जी ने इसके बारे में गहराई से सोचा था। दूसरे जो समाजवादी थे, यहाँ तक कि कार्लमार्क्स ने जब कि पहले ग्रेट इण्डियन पेनिन्सुला रेल्वे बनी थे, उस समय ......

एक माननीय सदस्य: आज तो पुरानी याद आगई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कार्लमार्क्स ने यह कहा था, यहां की जाति प्रथा के बारे में विशेष रूप से कहा था। उसका आधार भी यही था। जब तक नयी तकनीक, नया ज्ञान, नया साइन्स, इस प्रदेश में पैदा नहीं करेंगे तब तक जितने पुराने आधार हैं, फ्यूडलिज्म है, वह समाप्त होने वाला नहीं है। समाज कल्याण का कोई कार्यक्रम ले लीजिये। शिक्षा है, उनको शिक्षित करना है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको शिक्षा में लाना है। जब उसको ज्ञान हो जायेगा तो वह सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उसको तेज करेंगे। और इस प्रकार आर्थिक आधार से वह मिटाकर रहेंगे। इस प्रकार की समाज कल्याण की नीति बनाई थी। वह उसी प्रकार से चल रही है। यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के जो साधन हैं और यह जो समुद्र है, उसकी जितनी क्षमता होनी चाहिए वह नहीं है। सही दिशा में आज नहीं तो कल, जैसे-जैसे वित्तीय साधन सुधरेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इतने बड़े समाज में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज पिछड़े हुये समाज में आई.ए.एस., आर.ए.एस. और आई. पी. एस. हैं। कई माननीय सदस्य हैं, जो इस प्रक्रिया को तेज करने में लगे हुये हैं। इस प्रकार से शिक्षित करेंगे तो मैं यह मानकर चलता हूं, हमारी प्रक्रिया सही होगी। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आज सामाजिक संगठन हैं, उसमें ऐसे लोग जो सामाजिक उद्देश्यों की ओर जाना चाहते हैं, उसको जोड़ने की कोशिश की है। मेरा खयाल है, इस तरह का परिवर्तन लाने के लिए न तो हमारे पास संगठन हैं, न हमारे पास जागरूकता है। इस कारण जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं निश्चित मान कर चलता हूं कि हमारा रास्ता सही है और इस रास्ते पर चल कर कामयाब होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई सवाल उठाये थे। मैं भी एक्जामिनेशन कोचिंग सेन्टर के बारे में कहना चाहूंगा, इस साल 5 विद्यार्थी आर. ए. एस. में चुने गये है 5 राजस्थान तहसीलदार सर्विस में आये हैं, 3 विद्यार्थी आई. पी. एस. में रिटन टेस्ट में पास हुए हैं ......

श्री गुमानमल लोढ़ा : आर. ए. एस. में कितने में से आये हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यहां पर 38 या कुछ अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, प्री-एक्जामिनेशन कोचिंग सेन्टर में पढ़ते हैं। जोधपुर के बारे में खोलने का विचार कर रहे हैं ....

श्री रामकिशन : जोधपुर आपका नहीं है क्या ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जोधपुर के अन्दर इसी तरह से प्री-एक्जामिनेशन कोचिंग सेन्टर खोलने का मामला विचाराधीन है, उसके लिए पांच साल के लिए पूरा का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। उसके बाद हमें सुपुर्द कर दिया जायगा। वह मामला विचाराधीन है, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन्स क्या निकलते हैं क्या नहीं........

श्री केदारनाथ : शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गंगानगर में ज्यादा हैं, रिजर्व्ड क्लास के, आप जोधपुर में खोल रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर में तो खोलने दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : रोस्टर सिस्टम के बारे में पर्सनल डिपार्टमेन्ट हैंडल करता है, उसकी सोशियल वेलफेअर के बारे में जो आज रूप रेखा है, उसके बारे में कहना चाहूंगा, फोर्थ क्लास में 48 पर्सेन्ट हैं, मिनिस्ट्रियल सर्विसेज में साढ़े 66 पर्सेन्ट है, जूनियर सबोर्डिनेट सर्विस में 16 पर्सेन्ट हैं, सीनियर सबोर्डिनेट सर्विस में 13 पर्सेन्ट हैं, स्टेट सर्विस में 6 पर्सेन्ट हैं ... ...

श्री रामकिशन : मन्त्रियों में ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मन्त्रियों में, वैसे मीठालाल जी ने मुझे हरिजन बना दिया है, मुझे हरिजन मान लिया है।

दूसरे, अकाल सहायता और उसके बारे में सवाल उठाया, तो जहां जहां धन्धे उपलब्ध हैं वहां प्रयत्न करते हैं कि हरिजनों को प्राथमिकता दी जाय।

इन्डियन आॅइल डीलर हैं, उनके वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 25 पर्सेन्ट हैं ..

श्री रामकिशन : आप तो ट्रान्सपोर्ट में कर दें, बस में, औरों को छोड़ दें। आपका विभाग है, उसमें तो हरिजनों का पूरा पर्सेन्टेज कर दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : समाज कल्याण विभाग में जो चार्जेज लगाये हैं, उसके बारे में कहने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कुछ बातें हैं, हैं, वह कुछ बातें केवल राजस्थान में हैं। एक तो जो एडीशनल स्कॉलरशिप देते हैं वह सिर्फ राजस्थान में हैं। बेरोजगारी भत्ता जो देते हैं वह सिर्फ राजस्थान में हैं। दूसरे हरिजन यहाँ लगा रहे हैं छोटे मोटे काम धन्धे, उनका सब्सीडी दे रहे हैं। यह राजस्थान में है। यह सही है कि जितनी आवश्यकता है, उसके अनुरूप नहीं है लेकिन हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, धीरे धीरे हम सक्षम होंगे, और निश्चित तौर से समाज कल्याण के जितने कार्यक्रम हैं, वह आगे चल कर सफल होंगे।

दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने बाल लक्ष्मी के बारे में चार्जेज लगाये। मैं आपको निमन्त्रण देना चाहता हूं, जब भी इस बाल लक्ष्मी को देखना चाहें, देख लें, कितने लड़के पढ़ते हैं। वहां कोई कमी है तो उसकी ग्रान्ट बन्द कर दी जायेगी। जब चाहें तब निदेशक महोदय से कह कर खुद जा सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं।

एक लड़की के बारे में हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। यह कहा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
कि इक्कीस लड़कियों की शादी हुई है, वह बरबादी हुई है, वह लड़कियां बिक गई हैं। मेरे खयाल में निराधार चार्ज है। अगर यह चार्ज प्रूव कर दें तो जो कहें, वह मैं करने को तैयार हूं। यह निराधार चार्ज है…

श्री गिरधारीलाल भार्गव : टोंक में लड़का पकड़ी गई है। मेरा आरोप सही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री रामगोपाल : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य की हवाई बात हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे सूचना मिली है, उसके आधार पर एक लड़की टोंक डिस्ट्रिक्ट में पकड़ी गई है। यह टोंक डिस्ट्रिक्ट में लड़की पकड़ी गई….

एक माननीय सदस्य: आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह बनवारी लालजी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है। वह शादी-शुदा लड़की थी, उसके आधार पर यहां पर सारा किस्सा सुनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन शादी की पद्धति है, कहीं एक आध इन्स्टान्स हो सकता है, उसके लिए सारी पद्धति को बदनाम करना, चार्ज लगाना माननीय सदस्य के अनुरूप नहीं है।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन मांगों को पारित किया जाय।

श्री केदारनाथ : हमारा सुझाव शादी का था, वह रह गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, उदाहरण प्रोफेसर साहब पेश करें, हम फालो करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लड़की लाइये।

श्री केदारनाथ : इस बुढ़ापे में शादी !

श्री मोहनलाल छंगाणी : बर्टेंड रसेल ने तो 95 साल में शादी की थी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई लड़की हो तो कहें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारी लाल भार्गव के बोलने पर) यह शादी का प्रसंग था। आप शादी के चक्कर में क्यों पड़े।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,26,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,67,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976

Page No 198

(198)

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,33,59,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 19 मार्च, 1975 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.55 बजे बुधवार दिनांक 19 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 582 की सूची)

क्रम सं.	नाम	जाति	सकूनत	विशेष
1.	श्री जगदीशलाल दूग्रा	दूग्रा	जयपुर	
2.	श्री कृष्णावतार खण्डेलवाल	खण्डेलवाल	जयपुर	
3.	श्री रमेशचन्द्र गोयल	गुप्ता	जयपुर	
4.	श्री भानूप्रकाश जैन	जैन	जयपुर	
5.	श्री उमाकान्त कुकेर्त	कुकेर्त	अजमेर	

परिशिष्ठ 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 589 का विवरण)

List of Tractors covered in the After Sale Service under the personal supervision of Sub-Divisional Manager, RSAIC, Chittorgarh from 21-8-71 to 26-8-71

S. No.	Name of Tractor Owner	Make of Tractor	Date of Delivery	Remarks
1.	Shri Kalyan Sahai Sharma, Vill. & P. O. Suratpura, Teh. Vallabhnagar, Udaipur	Zetor-5511	19-3-1971	The Sarpanch of the village has given in written that there is no such person in this village.
2.	Shri Badri Narain, Vill. & P. O. Kalera, Teh. Vallabhnagar	Zetor-5511	27-3-1971	The Tehsildar has attested that there is no such village in tehsil Vallabhnagar.
3.	Shri Gopal Ramanand, Vill. & P. O. Kanod, Teh. Vallabhnagar	T-25	3-7-1971	There is no such person in the above village and so no tractor is avaiable.
4.	Shri Karan Singh, Vill. & P.O. Bhinder, Distt. Udaipur	T-25	19-7-1971	Tractor at site.
5.	Shri Parbat Singh, Vill & P.O. Bansi, Teh. Badi Sadri, Distt. Chittorgarh.	T-25	7-7-1971	The concerning person has given in written that he has been allotted but the tractor has not been delivered to him.

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 594 की सूची)

परिशिष्ट (अ)

लाल बहादुर बीज को रिलीज करने से पहले सन् 1967-68 व 1968-69 मे अखिल भारतीय स्तर एवं राजस्थान स्तर पर जहां जहां परीक्षण किया गया तथा उससे उपज प्राप्त हुई उसकी सूची

वर्ष 1967-68

अखिल भारतीय स्तर— (उपज क्वि. / हैक्टर)

गेहूं की किस्म	पंतनगर	लुधियाना	दुर्गापुर	कानपुर	औसत
लाल बहादुर	40-3	44-9	49-6	37-5	43-1

राजस्थान स्तर

बस्सी	दुर्गापुर	श्री गंगानगर	सुमेरपुर	औसत
62-64	33-43	41-75	41-55	44-89

वर्ष 1968-69

अखिल भारतीय स्तर—

दिल्ली	हरियाणा	पंजाब	राजस्थान	यू. पी.	जोन
86-0	36-3	44-6	24-8	41-2	38-0

परिशिष्ट — 'ब'

लाल बहादुर बीज जनता में 1969 रिलीज करने के बाद 3 वर्ष निरन्तर परीक्षणों से प्राप्त उपज (क्वि. प्रति हेक्टर)

वर्ष	गेहू की किस्म	राजस्थान
1969-70	लाल बहादुर	39-3
1970-71	"	34-7
1971-72	"	42-4
	औसत—	38-8

परिशिष्ट 'स'

प्लॉट वार पैदावार

प्लॉट नं.	क्विंटल्स.	कि.	ग्रा.	
3	18	68	500	
4	11	39	—	
5	22	88	500	
6	19	76	—	
कुल :	72	72	—	(Say 73 Quintals)

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

चित्तौड़गढ़ नगरपालिका की सीमा वृद्धि

596. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ नगरपालिका ने 1972-73 में नगरपालिका क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। यदि हां, तो उस प्रस्ताव की उपेक्षा का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका में यह क्षेत्र नहीं है जो पूर्ण रूप से विकसित है और वह क्षेत्र है जो शहरी इलाके से दूर है ?

(3) सेंती ग्राम तथा चन्देरिया ग्राम को नगरपालिका की सीमा में नहीं रखने के मुख्य क्या कारण है ?

(4) इस सीमा वृद्धि से नगरपालिका की आय में कितने रुपयों की वृद्धि की सम्भावना थी ? सीमा वृद्धि न होने से पालिका को जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई आर्थिक सहायता प्रदान की ?

उत्तर

(1) जी हां।

सीमा वृद्धि का मामला विचाराधीन तथा कोई उपेक्षा नहीं हुई है।

(2) जी हां।

नगरपालिका क्षेत्र में विकसित क्षेत्र को भी सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 6 के अधीन जो आपत्तियां मांगने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें ग्राम सेंती और चन्देरिया शामिल है।

(4) यह कहना कठिन है कि प्रस्तावित सीमा बढ़ोतरी से नगरपालिका को कितनी होगी। क्षतिपूर्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आबूरोड को बनास नदी की बाढ़ से खतरा

597. श्री भूराराम (आबू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबूरोड नगर को बनास नदी में आनेवाली बाढ़ से भयंकर खतरा है ?

(2) यदि हां, तो क्या ऐसे खतरे को रोकने के लिये बाढ़ नियन्त्रण हेतु रिटेनिंग वाल बनवाने का प्लान बना कर स्वीकृति हेतु भेजा गया है ?

(3) इस कार्य के निर्माण के लिये कितनी धन राशि की मांग की है ? तथा कितनी धनराशि स्वीकृत कर सरकार कब तक कार्य प्रारम्भ कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) केवल जमीन के कटाव की रोकथाम के लिए आवश्यक काम करने का तखमीना बना लिया गया है। जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) इस कार्य की लागत 11.62 लाख रुपया अनुमानित है। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

भू-अभिलेख निरीक्षकों को स्थायी यात्रा भत्ता

598. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जिलाधीश, अजमेर के पत्रांक 6203 दिनांक 3-12-74 जिलाधीश, जयपुर के पत्रांक भू-अभि./74/1207, दिनांक 9-12-74 द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षकों को स्थायी यात्रा भत्ता में रु. 30 से 40 रुपये माहवार दिया जाने का राज्य सरकार को सिफारिश की है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? सरकार अन्तिम निर्णय कब तक लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कृषि कार्यों के लिए ऋण

599. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 में कुल कितना ऋण व सहायता दिये जाने का बजट में प्रावधान किया गया था ?

(2) क्या राज्य सरकार बजट प्रावधानों के अनुसार ऋण व सहायता वितरित करने में सफल रही है ? यदि नहीं तो किस कारण से ?

(3) क्या वितरित ऋण व सहायता का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है ?

(4) कुल प्रावधानों में से कितना ऋण व सहायता लैप्स हो गया है ?

उत्तर

(1) कृषि कार्यों के लिए राज्य की योजना में वर्ष 73-74 में 75.65 लाख ऋण व 14,03 लाख अनुदान का एवं वर्ष 74-75 में 2.02 लाख ऋण एवं 17.70 लाख अनुदान का प्रावधान है।

(2) 73-74 में ऋण का वितरण अधिक हुआ किन्तु अनुदान में इकोनोमी की वजह से कम व्यय हुआ है। वर्ष 74-75 में ऋण का मूल प्रावधान नहीं था अतः प्रावधान से व्यय अधिक हुआ है। इसी प्रकार अनुदान के अन्तर्गत इकोनोमी में कमी होने की वजह से कम व्यय हुआ है।

(3) जी, हां।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर शहर के लाइसेन्सड स्टाम्प विक्रेता

600. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के लाइसेन्सड स्टाम्प विक्रेताओं को जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्पों पर गत 15 वर्षों से क्रमशः 1.55 प्रतिशत व 3.1; प्रतिशत के हिसाब से कमीशन दिया जाता है।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्टाम्प विक्रेताओं को एक पार्टी को एक नाम से एक समय में केवल 100 रुपये (एक सौ रुपये) तक के स्टाम्प ही बेचने का अधिकार है, जिससे उनका गुजारा इस महगाई के समय में नही हो पाता है?

(3) क्या सरकार इस महंगाई को ध्यान में रखकर स्टाम्प विक्रेताओं के कमीशन बढ़ाने व स्टाम्प 100/- रुपये से अधिक के बेचने का अधिकार देगी! जिससे स्टाम्प विक्रेताओं की आर्थिक समस्या का समाधान हो सके? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां, यह कमीशन दिनांक 17-12-1963 से दिया जा रहा है।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार के समक्ष अभी ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हिण्डोली व नैनवा तहसील को सिंचाई परियोजनाएं

691. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डोली तहसील की पेचकी बावड़ी गुढ़ा, गोठड़ा तथा तहसील नैनवां में पाई बोलापुर सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत कुछ ऐसी भूमि है जिसमें पानी नहीं दिया जाता और तब भी कमाण्ड घोषित की हुई है?

(2) यदि हां, तो सिंचाई परियोजनावार कौन कौन से खसरे नम्बर में कितनी कितनी भूमि ऐसी है जिसमें पानी नहीं पहुंच पाने पर भी कमाण्ड घोषित की हुई है?

(3) क्या राज्य सरकार ने ऐसी भूमि को जिसमें पानी नहीं फिरता और न ही पानी पहुंचने की आशा है, को अनकमाण्ड करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कब और अब तक आश्वासन पूरा न होने का कारण क्या है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(3) ऐसी भूमि को जिसमें पानी नहीं फिरता और न ही पानी पहुंचने की आशा है, को अनकमाण्ड करने का निर्णय 1967 में लिया गया था। उसके उपरान्त गुढ़ा बांध व बून्दी का गोठडा बांध का 2188-40 एकड़ रकबा को 1968 में अनकमाण्ड घोषित कर दिया है बकाया

(सिचाई मंत्री)
2321-26 एकड़ रकबा को भी अनकमाण्ड करने हेतु प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा में पुस्तकालय में रखी गई)

भारत-पाक युद्ध के दौरान आये विस्थापित

601. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के कारण भारत द्वारा अधिकृत सिंध (पाकिस्तान) क्षेत्र से कितने विस्थापित अब तक बाड़मेर एव जैसलमेर जिलों में आये और वे किन किन गांवों में कितनी कितनी संख्या में बसे हुए हैं? जिलेवार सूचना-सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विस्थापितों के लिए कितने शिविर किन किन स्थानों पर कब कब से स्थापित किए गए हैं उनमें विस्थापितों की संख्या कितनी है? प्रत्येक शिविर की शिविरवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त विस्थापितों लिए के शिविरों में राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किया है और उनके लिए कितनी राशि किस मद से व्यय की है।

(4) उक्त विस्थापितों को क्या राज्य सरकार काश्त करने के लिए जमीन अलॉट करेगी?

(5) क्या राज्य सरकार का यह निर्णय है कि राजस्थान के सीमावर्ती वीस मील के अन्दर अन्दर के क्षेत्र में कोई विस्थापित शिविर स्थापित नहीं किये जायें? क्या आजकल की परिस्थितियों के अनुसार उक्त निर्णय में परिवर्तन करना आवश्यक है?

उत्तर

(1) कुल 48,497 विस्थापित भारत अधिकृत पाक क्षेत्र से बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में आये।

इनमें से 37,893 व्यक्ति 24 कैम्पों में निवास कर रहे हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सूचना प्रश्न 1 के उत्तर में प्रस्तुत करदी गई है।

(3) उक्त विस्थापितों के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित स्केल (प्रतिलिपि संलग्न है) के आधार पर भोजन, पानी, शिक्षा, चिकित्सा व पहनने ओढ़ने के कपड़े आदि का निःशुल्क प्रबन्ध किया है और कर रही है। इस पर निम्न राशि निम्न मदों में 1971-72 से माह फरवरी, 75 तक व्यय हुई है:—

(1) खाद्यान्न	2,67,76,135.43
(2) नकद राशि	1,12,72,126.18
(3) स्थापन व्यय	14,64,309.43
(4) कपड़ा मय ऊनी कम्बल	16,86,595.96
(5) विविध व्यय	9,30,269.87
योग :	4,21,29,436.87

(पुनर्वास मंत्री)

(4) प्रश्न विचाराधीन है ।

(5) जी हां । अभी कोई नये कैम्प नहीं खोले जा रहे हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत सहायक पद की वेतन शृंखला

603. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1968 में राणावत वेतन आयोग के प्रतिवेदन में पंचायत सहायक या पंचायत प्रसार अधिकारी पद की वेतन शृंखला पर सिफारिश नहीं हुई थी जबकि विभाग में इन अधिकारियों के 82 स्थायी पद हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1957-58 से ही इन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति सीनियर स्कूल ग्राम सेवकों में से पदोन्नति द्वारा हुई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस समय लगभग 15 वर्षों पहले पदोन्नत इन प्रसार अधिकारियों और सीनियर स्केल ग्राम सेवकों की एक ही वेतन शृंखला (150-330) है । अगर ऐसा है तो क्यों ?

(4) वर्तमान समय कार्यरत कितने पंचायत प्रसार अधिकारी अधिकतम, वेतन 330/- रुपयों पर है और इनकी कितने समय से सालाना वेतन वृद्धियां वेतनमान में संशोधन नहीं होने से रुकी हुई हैं ? क्या वेतनमान में संशोधन का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को वर्ष 1968 से ही या रुकी हुई सालाना वेतन वृद्धियों का लाभ मिलेगा ? ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन में रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह सही है कि 82 स्थायी पद होते हुए भी इन अधिकारियों की लगभग गत 15 वर्षों में कोई अन्तिम वरिष्ठता सूची नहीं बनाई और न ही स्थायीकरण किया । अगर नहीं तो कितने समय में यह कार्य हो जावेगा ?

(6) क्या यह सही है कि विभाग ने वर्तमान वरिष्ठता सूची में सबको छोड़ कर क्रमांक 33 एवं 41 पर अङ्कित अधिकारियों को सहायक सचिव जिला परिषद लगा दिया । आदेश सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । वरिष्ठता एवं दक्षता और योग्यता के आधार बिना ये अनियमित नियुक्तियां किस प्रकार हुई ? इतने लम्बे समय से कार्यरत इन कर्मचारियों का मामला विभाग कब तक नियमित करेगा ?

(7) पंचायत प्रसार अधिकारी की पदोन्नति का क्या मार्ग है ? क्या ऐसे प्रसार अधिकारियों में से विकास अधिकारी, सहायक सचिव जिला परिषद या अन्य किसी पद पर पदोन्नति करने का आश्वासन मंत्री महोदय देंगे ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) राजस्थान पंचायत अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 में बनने से पहिले तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गई थीं ।

(पंचायत व सामुदायिक मंत्री)

(3) दिनांक 1-9-68 से पंचायत प्रसार अधिकारियों और सीनियर स्केल ग्राम सेवकों की एक ही वेतन शृंखला 150-330 है। ऐसा राणावत वेतन आयोग ने किया।

(4) वर्तमान में 42 पंचायत प्रसार अधिकारी अधिकतम वेतन 330) रु. पर हैं जिनकी सूची संलग्न है। वेतनमान में संशोधन होने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(5) राजस्थान पंचायत अधीनस्थ सेवा नियम 28 नवम्बर, 1973 में बना है। इस नियम के आधार पर वरिष्ठता सूची व स्थाईकरण शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

(6) आदेश की प्रति संलग्न है। सहायक सचिव जिला परिषद के पद पर ये नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की हैं। क्योंकि सहायक सचिव जिला परिषद के पद पर चयन हेतु नियम नहीं बने हैं। नियम बनने के पश्चात शीघ्र ही तदर्थ नियुक्तियां नियमित की जावेंगी।

(7) पंचायत प्रसार अधिकारी की पदोन्नति के बारे में अभी नियम नहीं बने। लेकिन सहायक सचिव जिला परिषद के पद पर पंचायत प्रसार अधिकारियों से ही चयन हेतु नियम बनाना विचाराधीन है। राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारी चयन) नियम, 1960 के अनुसार पंचायत प्रसार अधिकारी को विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भमर सेमला नदी पर बांध का सर्वे

604. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ क्षेत्र में भमर सेमला नदी पर बांध बनाने हेतु सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो कब और अब किस स्टेज पर है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध के बनने से हजारों आदिवासियों की जमीन सिंचित होगी? यदि हां, तो इस बांध का कार्य कब तक प्रारम्भ करने की योजना है?

उत्तर

(1) जी हां, भमर सेमला परियोजना का सर्वेक्षण 1972-73 में किया गया था, व इसका तखमीना भी बन चुका है, जिसकी जांच हो रही है।

(2) इस बांध के बनने से लगभग 3,44 एकड़ मुख्य तथा आदिवासियों की भूमि सिंचित होने की सम्भावना है। तखमीना की स्वीकृति व आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर इसका कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

झालावाड़ में वन भूमि को रेवेन्यू में लेने का प्रस्ताव

605. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में वन विभाग की भूमि को काश्त हेतु रेवेन्यू में लेने के लिए मीटिंग सन 74-75 में कब कब हुई

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
व किन किन वन भूमि को रेवेन्यू में लेने का प्रस्ताव किया था ? वन विभाग से कितनी भूमि कहां कहां की रेवेन्यू में ली गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग की काबिल काश्त भूमि पर लोगों ने अनधिकृत कब्जे करके उस पर खेती कर ली थी ? यदि हां, तो कहां कहां, कितनी कितनी भूमि पर 74-75 में लोगों ने जबरन कब्जा किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि वन विभाग से काबिल काश्त भूमि को रेवेन्यू विभाग में नहीं दिया जा रहा है ? इसी कारण जबरन कब्जा किया जाता है ?

उत्तर

(1) मीटिंग 30-5-74 तथा 22-8-74 को हुई थी। निम्न वन भूमि राजस्व विभाग को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव विचारार्थ (काश्त हेतु) मीटिंग में रखे गये थे:—

(क) ग्राम मण्डावर खसरा नं. 754 से 32 बीघा 1 विस्वा तथा खसरा नं. 428-760 से 52 बीघा 9 विस्वा।

(ख) ग्राम पूना खेड़ा—
खसरा नं. 124 से 42 बीघा
,, 125 से 111 ,, 10 बि.
,, 126 से 5 ,, 16 ,,
(आबादी हेतु) खसरा नं. 127 से 27 बीघा 7 बि.

(ग) ग्राम आमेटा खसरा नं. 1292 से 5 बीघा बैठक में केवल (ग) में अङ्कित 5 बीघा वन भूमि आबादी के लिए देने का निर्णय हुआ अन्य भूमि सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए।

(2) जी हां, सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिव तहसील को ग्रामीण जल प्रदाय योजना।

606. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की शिव तहसील के मोखाव, पोसाल भाक, बाटारा, नाउडवा एवं जोरानाडा गांवों में पानी का भयंकर संकट है ?

(2) जन स्वास्थ्य विभाग ने उक्त ग्रामों को पानी पहुंचाने के लिए क्या कोई ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो कब तक योजना बना कर स्वीकृत करा कर कार्य शुरू कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। योजनाओं की तकनीकी जांच विभाग द्वारा की जा रही है। नई जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जाती है।

पाई ग्राम सेवा सहकारी समिति सवाई माधोपुर

607. श्री वेतराम (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि श्री हंसराय, अध्यक्ष, सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक, सवाईमाधोपुर में पायी ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधि की हैसियत से संचालक हैं?

(2) क्या यह भी सच है कि श्री हंसराय का प्रतिनिधित्व इनकी समिति पायी ग्राम सेवा सहकारी समिति करौली ने दिनांक 12-8-1972 या इसके आस पास के अनुसार वापस कर लिया ? और पायी ग्राम सेवा समिति के मन्त्री को प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया ?

(3) क्या यह भी सच है कि इन प्रस्तावों की पुष्टि सहायक रजिस्ट्रार, सवाई-माधोपुर द्वारा की जा चुकी है एवं श्री हंसराय को सुनवाई का मौका देकर समिति के प्रस्ताव को वैध ठहराया था ?

(4) क्या यह भी सच है कि श्री हंसराय द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सवाईमाधोपुर के निर्णय की निगरानी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के यहां की एवं श्री रजिस्ट्रार महादय द्वारा पायी ग्राम सेवा समिति को अन्तिम स्थगन आदेश के लिए सुनवाई की तिथि निश्चित नहीं किये बिना ही तार्फसला निगरानी-स्थगन आदेश जारी किया गया ? क्या यह न्याय की दृष्टि से वैध था ?

(5) क्या यह भी सच है कि पायी सहकारी समिति द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी, समितियां, राजस्थान, जयपुर के स्थगन आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को निगरानी की गई ? एवं राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रार के स्थगन आदेश पर केवल 15 दिन के स्थगन आदेश के साथ ही इसी अवधि में श्री हंसराय की निगरानी कर निर्णय किये जाने के निर्देश रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राज., जयपुर को जारी किये गये ? इस पर अब तक निर्णय क्यों नही हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। चूंकि यह मामला जुडिशियल है अतएव इस पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

रेवदर तहसील में सूकड़ी बांध की योजना

608. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में सूकड़ी बांध की योजना स्वीकृत हुये काफी समय व्यतीत हो चुका है किन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो इस बांध का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

(श्री जेठमल आर्य)

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के वैस्ट बनास बांध से इस वर्ष सिंचाई के लिये जा सलाहकार समिति ने निर्णय लिया था उसके अनुसार पानी नहीं दिया जाकर कुछ विशेष व्यक्तियों को ही बहुत अधिक पानी की सुविधायें देकर दूसरे सभी काश्तकारों को वंचित रखा? ऐसे ओवरसियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा किस-किस को कितना-कितना पानी दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में सिरोही जिले में किस-किस बांध को बनाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा उन्हें कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? सूची सदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, सिरोही जिले के रेवदर तहसील में सूकली नामक योजना का सर्वेक्षण हो गया है तथा तखमीने की तकनीकी जांच जारी है। तखमीने की स्वीकृति व आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

(2) जी नहीं। बांध का जल वितरण जिले की जल वितरण सभा के निर्णयों के अनुसार ही किया गया है। ओवरसियर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। सिंचाई की गिरदावरी चालू है, इसलिए काश्तकार व उसके सिंचित क्षेत्र की सूची प्रस्तुत करना अभी सम्भव नहीं है।

(3) वर्तमान में सिरोही जिले में निम्न योजनाय प्रगति पर हैं:—

1. लुनेरी सिंचाई योजना तहसील, पिण्डवारा।
2. केर सिंचाई योजना तहसील, पिण्डवारा।
3. गिरवर सिंचाई योजना तहसील आबूरोड़।
4. थल सिंचाई योजना तहसील, रेवदर।
5. आमलारी सिंचाई योजना तहसील, सिरोही।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त मण्डार-नाला (पंचम) बांध की भी स्वीकृति हो गई है, जिसे वित्तीय साधन की उपलब्धि के अनुरूप आरम्भ करने का प्रयास किया जावेगा।

केश क्रॉप्स पर कर

609. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार ने राजस्थान में हाल ही में केश क्रॉप्स पर कुछ कर लगाया है? अगर हां तो कब से व किस दर से?

(2) इस वक्त अकाल वर्ष में केश क्रॉप्स पर कर लगाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार इस साल यह कर नहीं वसूल करना उचित समझेगी? अगर हां तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) उक्त कर से कितनी आमदनी होने की सम्भावना है ? इस कर की वसूली किस प्रकार की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए वाणिज्यक फसलों के अधीन असिंचित भूमि पर 2 रु. प्रति एकड़ एवं सिंचित भूमि पर 6 रुपये प्रति एकड़ की दर से उपकर दिनांक 1 दिसम्बर 1974 से लगाया गया है।

(2) वाणिज्यक फसलों पर उपकर इस वर्ष रवी फसल में उगाई गयी वाणिज्यिक फसलों पर लगाया जायेगा जिसकी वसूली आगामी वर्ष सन् 1975-76 में की जायेगी।

(3) विधेयक में संशोधन के फलस्वरूप अनुमानित आय का मूल्यांकन किया जा रहा है। उपकर की वसूली के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अर्न्तगत भू-राजस्व या लगान वसूली की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

घग्गर डाईवर्सन केनाल के नीचे आई भूमि

610. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) घग्गर डाईवर्सन कैनाल के अंत में आई अठारह झीली (Dipressions) सरदारपुरा, खरता, बड़ोपल वगैरा के नीचे काश्तकारों की कितनी जमीनें आई हैं ?

(2) क्या उक्त काश्तकारों को एवज में दूसरी सरकारी जमीनें दी गई हैं? यदि हां, तो कितनों को दी गई हैं और कितनों को नहीं ?

(3) जिनको जमीनें नहीं दी गई उसका क्या कारण है क्या राज्य सरकार उनको तुरन्त जमीन देने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) घग्गर डाईवर्सन कैनाल के अठारह झीलों सरदारपुरा, खरता, बढोपल वगैरह के नीचे 788 काश्तकारों की 20246 बीघा जमीन आई है।

(2) जी हां। 381 कृषकों को तबादला अथवा नगद मुआवजा उनकी इच्छानुसार दे दिया गया है। 407 कृषकों को तबादला नहीं दिया गया है।

(3) 407 काश्तकारों ने हलफनामा बयान दिये हैं कि वे तबादला तथा नकद मुआवजा के स्थान पर यही (ओरिजनल) भूमि रखना चाहते हैं। अतः जमीन देने का प्रश्न नहीं उठता।

दिगम्बर जैन मन्दिर, बगरूवालान जयपुर

611. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक दिगम्बर जैन मन्दिर बगरू वालान, स्टेशन रोड, जयपुर जो कि एक धार्मिक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, के प्रांगण में बिना ट्रस्टीज की

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
स्वीकृति के एक होटल चलाने का लाईसेंस दे दिया गया है और दिगम्बर जैन समाज की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाई जा रहा है व मन्दिर के धर्मस्व का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाहक प्रन्यासी व मन्त्री पंचायत द्वारा प्रशासक को बार बार प्रार्थना पत्र देने पर भी इस होटल का लाईसेन्स केंसिल नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई कारगर विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सार्वजनिक मन्दिर नगर पालिका हाउस नं. 7 हवाली शहर गर्बी खसरा नम्बर 472 लगायत 494 के प्रांगण व भूमि पर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया है और बिना इजाजत के निर्माण कार्य करा रहे हैं और देवस्थान विभाग द्वारा नगरपालिका प्रशासक को प्रतिबन्धित किये जाने के बावजूद इन अनधिकृत निर्माण कार्यों को नहीं तोड़ा जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, । परन्तु दिगम्बर जैन मन्दिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सं. 383 दिनांक 27-7-74 को हुआ था जबकि इस स्थान पर आनन्द भोजनालय को लाई-सेन्स 1972 में ही दे दिया गया था इस प्रकार ट्रस्टीज की स्वीकृति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आनन्द भोजनालय एक निरामिष भोजनालय है जो मुख्य निज मन्दिर से दूर है इससे किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

(2) दिगम्बर जैन मन्दिर के ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक प्रार्थना पत्र 1975 में प्राप्त हुआ था नगरपरिषद् ने होटल का कोई लाइसेन्स नहीं दिया है अपितु भोजनालय (खाद्य पदार्थ) का लाइसेंस जारी किया है। जिसे नियमों की अवहेलना करने पर ही रद्द किया जाता है ।

(3) उक्त मन्दिर की भूमि (भवन्) अजिय राज वक्फ की निजो है। निजी भूमि होने के कारण इस पर किए गए निर्माणों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। जिन व्यक्तियों ने न. प. की अनुमति के बिना और बगैर नक्शे पास कराए निर्माण किए हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

बहरोड़ पंचायत समिति में ग्रामीण विद्युत् योजना

612. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बहरोड़ (अलवर) पचायत समिति में स्वीकृत ग्रामीण विद्युत योजना में पहाड़ी, गुनी, व मोहम्मदपुर पंचायत के 3-4 गांवों में बिजली की स्वी-कृति नहीं हुई है ? यदि हां, तो इन गांवों को बिजली की स्वीकृति कब तक हो सकेगी ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

पंचायत समिति, बहरोड़ के लिए बनाई गई ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना में जो 80 गांव सम्मिलित हैं उनकी सूची संलग्न है। इस पर कार्य योजना की फेंजिग के अनुसार किया जा रहा है। जो गांव इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं उनके विद्युतिकरण के संबन्ध में अभी समय लगेगा।

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

LIST OF THE VILLAGES INCLUDED IN THE SCHEME OF BEHROR TEH. DISTT. ALWAR. SANCTIONED BY THE REC.

S. No.	Name of vilage
1.	Gogalikota
2.	Kuteena
3.	Kankar
4.	Giglana
5.	Raisarana
6.	Santo
7.	Bhejhana
8.	Nagli
9.	Mehtawas
10.	Adeenid
11.	Mangalpur
12.	Jonecha Khurd
13.	Shreeyani
14.	Dabadwas
15.	Anandpur
16.	Khoondot
17.	Kathawas

S. No.	Name of village
18.	Chakrandas
19.	Hudiya Khurd
20.	Jaitpura
21.	Hundiya Kalan
22.	Partapur
23.	Beejnpur
24.	Raghunathpura
25.	Ramchandpura
26.	Babri
27.	Gokulpur
28.	Sherpur
29.	Goonti
30.	Shimla
31.	Shyampur
32.	Jainpurwas
33.	Pahari
34.	Talwad
35.	Momanipur
36.	Goojarwas
37.	Jaguwas
38.	Kalyanpura
39.	Kankardhopa
40.	Nangaliya
41.	Jalalpur
42.	Dhis
43.	Ajmeripur
44.	Karoda
45.	Kherki
46.	Gadoj
47.	Dhoidhor
48.	Nalota
49.	Tassing
50.	Banhad
51.	Khohri
52.	Maharajpura

S. No.	Name of village	S. No.	Name of village
53.	Nasarpur	67.	Balpura
54.	Bijorawas	68.	Kureli
55.	Untoli	69.	Jakharan Khurd
56.	Kehrana	70.	Bhagwari Kalan
57.	Boodhwal	71.	Bhagwari Khurd
58.	Nagligagir	72.	Guwana
59.	Nangalkohdiya	73.	Nai Surana
60.	Googriya	74.	Doomroli
61.	Basai	75.	Nareda Khurd
62.	Banesinghpura	76.	Akleempura
63.	Khohar	77.	Nihalpura
64.	Jakhran Kalan	78.	Raiwana
65.	Jat-Ganora	79.	Kaiyasa
66.	Antpura	80.	Talwana

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 593 की सूची)

जवाई बांध में पिछले दस सालों में वर्षवार एकत्रित पानी तथा सिंचाई का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	बांध में जो पानी आया (मिलियन घनफुट में)	पिछले साल का बचा हुआ पानी (मिलियन घन-फुट में)	बांध में कुल पानी (मिलियन घनफुट में)	सिंचाई एकड़ों में
1	2	3	4	5	6
1.	1965-66	1679-75	506-25	2186-00	11,431
2.	1966-67	1435-90	513-30	1949-20	10,785
3.	1967-68	5425-00	939-60	6364-60	30,932
4.	1968-69	2517-85	1960-15	4478-00	26,168
5.	1969-70	322-50	784-75	1107-25	—
6.	1970-71	4370-26	102-34	4472-60	31,054
7.	1971-72	1634-75	552-50	2187-25	8,858
8.	1972-73	737-50	494-50	1232-00	—
9.	1973-74	7015-10	258-40	7273-50	46,300
10.	1974-75	423-95	3096-90	3520-85	4,935

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची)

APPENDIX 'A'

List showing the Districtwise amount sanctioned for the electrification of Scheduled Castes/Scheduled Tribes basties.

District	1971-72	1972-73	1973-74
1. Ajmer	62,369	58,550	2,14,362
2. Alwar	42,066	—	17,175
3. Barmer	58,111	—	—
4. Banswara	51,253	—	—
5. Bhilwara	72,793	70,904	3,32,379
6. Bharatpur	1,14,575	—	28,420
7. Bikaner	70,358	44,192	52,486
8. Bundi	—	—	—
9. Chittorgarh.	15,770	—	—
10. Churu	1,50,338	72,120	3,13,865
11. Dungarpur	—	—	79,450
12. Jaipur	21,975	26,995	1,78,856
13. Jaisalmer	15,550	—	—
14. Jalore	—	13,700	28,4000
15. Jhunjhunu	63,052	79,571	1,26,203
16. Jhalawar	22,411	6,150	—
17. Jodhpur	1,17,550	76,239	1,81,739
18. Kota	1,01,740	—	—
19. Nagaur	82,952	9,590	29,697
20. Pali	63,251	4,807	36,075
21. Sawaimadhopur	18,147	—	70,654
22. Sikar	13,085	47,946	24 195
23. Sirohi.	—	14,048	16,167
24. Sri Ganganagar	1,17,287	91,131	57, 24
25. Tonk	32,274	—	31,874
26. Udaipur	93,576	33,402	1,42,471

APPENDIX 'B'

List showing the Circlewise expenditure on electrification of Scheduled Castes/Scheduled Tribes basties

(Rs. in laces)

Name of the Circle	Expenditure during the year 1971-72	1972-73	1973-74
1. Jodhpur Circle	3.48	3.90	1.59
2 Kota Circle.	4.32	1.44	0.06
3. Bikaner Circle	4.13	2.06	1.36
4. Udaipur Cricle	5.57	4.85	1.29
5. Jaipur City Circle	2.62	3.64	0.20
6. Sikar	—	—	1.03
7. Alwar Bharatpur Circle	2.37	5.20	—
8. Jaipur Distt. Circle	—	—	0.16
9. Ajmer Circle	—	—	2.47

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची)

प्रश्न के भाग-2 से संबंधित सूची

1. श्री जगमोहन लाल गुप्ता
2. श्री गिरराज किशोर चतुर्वेदी
3. श्री पी. आर. नागर
4. श्री श्रीरामसहाय शर्मा
5. श्री कोमल सिंह बूनलिया
6. श्री श्यामलाल जी माथुर
7. श्री एम. बी. माथुर
8. श्री बी. एल. डीडवानिया
9. श्री वी. पी. सक्सेना
10. श्री एस. पी. शर्मा
11. श्री रिपुदमन सिंह
12. श्री डी. एम. स्वामी

प्रश्न के भाग-3 से संबंधित सूची

1. श्री एल. सी मेघवाल

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 328 की सूची)

(सूची-अ)

हिन्डौली तहसील में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निर्मित की गई सड़कों की तालिका

नाम सड़क	लम्बाई किलोमीटर
1. एम. आर. एप्रोच रोड़ टू नया गांव	1.5
2. एम. आर. उमर से पगारां सड़क	3.00
3. बी. टी. एप्रोच रोड टू गुडा डेम	8.00
4. खीन्या से मेघारावत की झोंपडियां (एम. आर.)	2.00
5. एम. आर. एप्रोच रोड टू बोचड़ी	2.00
6. बी. टी. लिंक रोड टू सथूरमाताजी	1.00
7. एम. आर. बून्दी भैरूपुरा सड़क	11.00
8. बी. टी. हिन्डोली पैलेस सड़क	2.00
9. सथूर से बसोली रोड़ (केवल सोलिंग बिछाई)	18.00
10. पेंचकी बावड़ी से लकडेश्वर महादेव सड़क (केवल सोलिंग बिछाई)	3.00
	51.5

(सूची-ब)

1. गणेश घाटी से डबलाना सड़क ।

2. जहाजपुर-हिन्डोली-नेनवा ।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 329 की सूची)

बखतावरपुरा माइनर की खुदाई का आर. डी. से 29 आर. डी. का विवरण

क्रम सं.	बुर्जी संख्या	कुल मिट्टी जिसका भुगतान किया गया	राशि	ठेकेदार का नाम
1.	बुर्जी 0 से 6½	14,77,539 घनफुट	रु. 61,247.66	विभागीय मजदूरों द्वारा
2.	बुर्जी 6½ से 15	13,47,732 „	रु. 51,752.90	श्री हेमराज गोपीचंद
3.	बुर्जी 15 से 21½	4,27,908 „	रु. 16,217.71	„ „
4.	बुर्जी 21½ से 29	2,62,647 „	रु. 9,875.53	„ „

(221)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

क्रमांक एफ. 6(95)रेव./बी./1/6. पार्ट-2:

जयपुर, दिनांक 10 जनवरी, 67

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, सन् 1956) की धारा 101 के साथ पढ़ते हुए धारा 261 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 (जिनको मूलतः राजस्थान राज-पत्र, भाग 4-ग, दिनांक 28 नवम्बर, 1957 में इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6(84) रेव./2/53, दिनांक 4 नवम्बर, 1957 के अधीन प्रकाशित किया गया था) का संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम:—

ये नियम रास्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) संशोधन नियम, 1966 कहलायेंगे ।

2. राजस्थात भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 के नियम 6 के उप-नियम (3) में अभिव्यक्ति है के 15 बीघे भूमि के स्थान पर अभिव्यक्ति भूतपूर्व बीकानेर डिवीजन के बारानी क्षेत्र जो किसा सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहीं आते हों, और बिलाड़ा तहसील को छोड़ कर जोधपुर, सिवाना तहसील को छोड़कर बाड़मेर, जैसलमेर तथा नागौर जिलों में 75 बीघे तक और अन्य क्षेत्रों में इतनी भूमि जो 25 बीघे से अधिक न हो प्रतिस्थापित की जायेगी ।

3—उक्त नियमों के नियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम निविष्ट किया जायगा, अर्थात्:—

16:- का पंचायत समितियों को भूमि का आवंटन

(1) पूर्ववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पंचायत समिति को, इसके द्वारा आवेदन करने पर कृषि प्रक्षेत्र (फार्म) की स्थापना के लिये राज्य सरकार के आदेश के अधीन इतनी भूमि जो एक सौ बीघे से अधिक न हो यदि उपलब्ध हो आवंटित की जा सकेगी ।

(222)

(2) आवंटन की शर्तें वे ही होंगी जो नियम 14 में वर्णित हैं, सिवाय इसके कि पंचायत समिति भूमि का उसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लायेगा जिसके लिये वह आवंटित की गई है और किसी भी समय किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं ली जायेगी ।

(3) यदि पंचायत समिति 3 या 4 वर्ष तक प्रक्षेत्र (फार्म) को सन्तोषप्रद रीति से चलाने में असफल रहती है तो राज्य सरकार को भूमि को वापिस लेने का अधिकार होगा

राज्यपाल के आदेश से,
ह. एस. डी. उज्वल,
अति. मुख्य सचिव (राजस्व)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्र. एफ. 151 (6) ऋण वसूली/लेखा/ चित्तौड़/14054 समस्त जिलाधीशः—

जयपुर, 30 जुलाई, 1974

विषयः—पंचायत समितियों के कृषि फार्मों को वापिस राजस्व विभाग को लौटाने के संबंध में ।

विषयान्तर्गत कथित प्रसंग में राज्यपाल मोहदय की स्वीकृति से उन पंचायत समितियों के कृषि फार्म जो राजस्व (ख) विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 6 (94) ख / बी. / i / 60 पार्ट-2, दिनांक 10-1-67 के तहत आवंटन 10-1-67 के तहत आवंटन किये गये थे परन्तु जो परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं तथा लगातार हानि में चल रहे हैं, उनको वापिस राजस्व विभाग को लौटाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है । कृषि फार्म पर जो स्थाई निर्माण कार्य (भवन इत्यादि) पंचायत समिति द्वारा कराया गया है उसका भी स्थानान्तरण राजस्व विभाग का किया जावेगा । इन स्थाई निर्माण कार्यों के प्रति यदि कोई मुआवजा संबंधित पंचायत समितियों को देय है तो इस संबंध में बाद में विचार किया जावेगा । इन कृषि फार्मों के स्थानान्तरण की सभी कार्यवाही संबंधित जिलाधीश करेंगे । अस्थाई निर्माण कार्य एवं अन्य सामान जो कृषि फार्मों पर है उनको पंचायत समिति वहाँ से हटा लेगी या उनका डिस्पोजल कर देगी । राज्य सरकार इसके लिये कोई क्षतिपूर्ति नहीं करेगी । इस संबंध में विकास अधिकारी को चाहिये कि वह तुरन्त जिलाधीश से संबंध स्थापित कर इस संबंध में कार्यवाही के आदेश राजस्व एवं वित्त विभाग की सहमति से प्रसारित किये जाते हैं ।

आज्ञा से,
ह. के. वी. शंकरन्,
विशिष्ट शासन सचिव ।

परिशिष्ट 11

(अतारांकित स्थगित प्रश्न संख्या 154 की सूची)

क्र. सं. 1	नाम व पिता का नाम 2	विवरण अतिक्रमण 3	विशेष विवरण 4
1.	श्री जेलाराम पुत्र भैरू	एक लकड़ी की थड़ी 5'×6'× 6'	
2.	श्री ग्यारसीलाल पुत्र शिवसहाय	एक लकड़ी की थड़ी 9'×12' व एक केबिन लकड़ी की 3'×2'	अदालत द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा।
3.	श्री प्रभुनारायण पुत्र गणेश	एक लकड़ी की थड़ी 7'×7'	,, ,, ,,
4.	श्री भैरू पुत्र महादेव	एक लकड़ी की थड़ी 7'×6'	,, ,, ,,
5.	श्री नाथ पुत्र पांचूराम	एक दुकान टीन शेड 8'×10'	सन् 1968 में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था न्यायालय द्वारा सन् 1972 में सिर्फ 50/- जुर्माना ही किया गया है।
6.	श्री रामचन्द्र पुत्र शालिगराम	एक दुकान टीन शेड 17'×8' व 8'×8' में चबूतरा	,, ,, ,,
7.	श्री सीताराम पुत्र कानाराम	एक केबिन लकड़ी की 3.6'×2'.6'	
8.	श्री छिगन पुत्र मांगीलाल	एक दुकान टीन शेड 8'×6'×6'	
9.	श्री रमेशचन्द्र पुत्र नंदराम	एक दुकान पुख्ता जिसके दो गेट 13'×14'-6"	

1	2	3	4
10.	श्री भैरू पुत्र महादेव	एक दुकान पुख्ता 9'×13'	
11.	श्री जगन्नाथ भोपा	एक दुकान टीन शेड 10'-6"×13'	
12.	श्री मुरलीधर पुत्र मनीराम	दो दुकानें टीन शेड 14'-6'×13'	
13.	श्री सेड़ूराम पुत्र रामचन्द्र	एक थड़ी लकड़ी की 6'×7' व 7'×4' में चबूतरा	
14.	श्री रामकुमार पुत्र देवाराम	एक लकड़ी की थड़ी 6'×5'	सन् 1968 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था न्यायालय द्वारा सन् 1972 में सिर्फ 5/- जुर्माना ही किया गया ।
15.	श्री जयनारायण पुत्र देवाराम	एक लकड़ी की थड़ी 6'×6'	
16.	श्री रामप्रताप पुत्र रामनाथ	एक थड़ी लकड़ी की 6'×6'	
17.	श्री नाथू पुत्र पेमाराम	एक थड़ी लकड़ी की 7'×'6	
18.	श्री रामपाल पुत्र देवाराम	एक थड़ी लकड़ी की 6'×5'-6"	न्यायालय से 20/- जुर्माना हुआ ।
19.	श्री ग्राम सेवक समाज पुस्तकालय	एक कमरा पुस्तकालय 11-"×8'-6"	
20.	सार्वजनिक प्याऊ	एक कमरा पुख्ता जिसमें प्याऊ 10'×7'	

सूची जिन लोगों के न्यायालय में चालान किये हुए है

क्रम सं.	चालान किये जाने वालों के नाम	किस बाबत चालान किया गया	किस तारीख को चालान किया	न्यायालय के निर्णय का विवरण व तारीख
1.	श्री रामकुमार पुत्र देवाराम	टिनशेड दुकान बना कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में	6-2-70	दिनांक 30-5-72 का 50/- केवल जुर्माना किया गया ।
2.	श्री रामचन्द्र पुत्र सालिगराम	पुख्ता दुकान सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में	6-2-70	दिनांक 30-5-72 को 50/- केवल जुर्माना किया गया ।
3.	श्री नाथूलाल पुत्र श्री पांचूलाल	सरकारी भूमि पर थड़ी रख कर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में	6-2-70	दिनांक 30-5-72 को 50/- केवल जुर्माना किया गया ।
4.	श्री रामपाल पुत्र देवाराम	,, ,, ,, ,,	—	20/- रुपये जुर्माना किया गया ।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार दिनांक 18 मार्च, 1975)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
145	ऊपर से 13	मेजीरिटी	मेजोरिटी
163	ऊपर से 1	बराम प्रसाद बोहरा	रामप्रसाद बोहरा
198	„ 3	कभ	कभी
207	नीचे से 6	कल्याज	कल्याण
209-272	शीर्ष	कटौती प्रस्ताव	विचार एवं पारण
224	ऊपर से 12	मेला	मेला
225-239	शीर्ष	मांग संख्या 25	मांग संख्या 23
225	नीचे से 15	पूंजिपति	पूंजीपति
258	नीचे से 15	गुता	गुप्ता
305	ऊपर से 3	8	80
305	„ 8	आपकी	आपके
313	„ 1	यहोदय	महोदय
315	नीचे से 9	होतों	होती
321	„ 13	उनके हैं	वे
336	„ 2	खल	खुल
343	„ 12	सुकर्रर	मुकर्रर
354	ऊपर से 7	येंगे	जायेंगे
364	ऊपर से 16	पारत	परात
398	शीर्ष	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
404	ऊपर से 10	मत्रा	मंत्री
410	„ 5	रहा	रही
420	„ 1	वर्णित	वर्णित